राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] पंचम् विधान सभा के सप्तम् सत्र का आठवां दिवस [संख्या 6

सोमवार

24 फरवरी, 1975

विधान सभा की बैठक म० प० 11-02 बजे, विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री राम किशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(राजस्व, वित्त, कृषि, चिकित्सा, सहकारिता, खनिज, जनसम्पर्क, खादी ग्रामोद्योग, भेड़ व ऊन, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य, यातायात आबकारी, राजकीय उपक्रम, योजना, सैनिक कल्याण, एवं खाद्य–विभाग)

——

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री जगमोहनसिंह।

छबड़ा कस्बे की जल प्रदाय योजना

88. **श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा)** : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

छबड़ा कस्बे की जल प्रदाय योजना के एक्सटेन्शन कार्य हेतु कितने की स्कीम बनाई गई है ? यह कार्य कब तक होना था और अब तक नहीं होने का क्या कारण है ? इस कार्य को कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

जन स्व[illegible] श्री चन्दन मल बैद) : छब[illegible] योजना के एक्सटेन्शन कार्य हे[illegible] 6[illegible] रुपये की लागत की योजना स्वीकृत की गई है । यह कार्य वित्तीय वर्ष 1974–75 में पूर्ण किये जाने थे, किन्तु पेय जल स्रोत न मिलने के कारण पूर्ण नहीं हो सके । यह कार्य वित्तीय वर्ष 1975–76 में पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ।

श्री जगमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जल स्रोतों के अभाव के कारण काम नहीं हो सका, ऐसा कहा है, लेकिन वहां पर जो स्कीम बनाई गई थी वह नदी से बनाई गई है और वहां जल स्रोत बहुत ज्यादा हैं । इसलिए यह जो कारण बताया गया है यह उचित नहीं मालूम होता इसलिए यह मेरा निवेदन है कि यह साल निकल गया और कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है तो इस कार्य को शीघ्र करवाने के लिए क्या आप कोई आश्वासन देंगे ?

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए नदी पर 8 कुए बनाने की योजना

(श्री चन्दनमल बैद)
थी लेकिन पूर्णरूप से पानी नहीं मिलने की स्थिति में अभी अभी कुए बनाने के आदेश जारी किये गये हैं और यह 2 कुए सक्सेसफुल हो जायेंगे तो बाकी के कुए भी बनाये जायेंगे। खास इस योजना पर काम न होने का कारण यह है कि पहले जो योजना बनाई थी वह छबड़ा कस्बे को ही लेकर कुछ कुओं की योजना बनाई गई थी लेकिन उसमें पूर्णरूप से पानी नहीं मिला इसलिए इस योजना को री–ओर्गेनाइज करके दूसरी योजना बनाई गई है। पौने दो या दो मील दूरी पर नदी पड़ती है उससे पानी मिल जायगा। उस नदी में भी पूर्णरूप से जब तक नहीं मालूम हो ... कि कितना पानी उपलब्ध हो ... कुए बनाने की योजना नहीं है और अभी सिर्फ दो ही कुए बनाये जायेंगे। और जब यह दो पूरे हो जायेंगे और सक्सेसफुल हो जायेंगे तो बाकी के 6 और बना दिये जायेंगे।

श्री जगमोहन सिंह : कब शुरू हो जायेगा यह काम ?

श्री चन्दन मल बैद : आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या योजनायें बनाते समय इस बात पर विचार नहीं किया जाता कि इसमें पेय जल का स्रोत आ भी सकता है या नहीं ? या योजना बनाने के बाद यह कहा जाये कि जल स्रोत नहीं है ? इसलिए पहले योजना को बनाते समय यह विचार किया जाये तो यह दिक्कत नहीं आये।

श्री चन्दनमल बैद : अण्डर ग्राउन्ड वाटर के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि इतना पानी मिल सकता है। जिस समय योजना बनाई गई थी उस समय छबड़ा में कुएं थे उससे ऐसा लगता था कि शायद पानी मिल जायेगा लेकिन नहीं मिला। इसलिए नये स्रोत ढूंढे गये और जो नदी का पाट है उस पर नये स्रोत पानी के सोचे गये हैं। इसलिए वहां पर 2 कुए डवलप किये जा रहे हैं और यह सक्सेसफुल हो जायेंगे तो और बाकी को भी डवलप किया जायेगा।

श्री ओंकार लाल चौहान (डग) : जो सोर्सेस बनाये गये हैं क्या उनकी सर्वे कर ली गई है ?

श्री चन्दन मल बैद : हां, उनका सर्वे कर लिया गया है लेकिन पूर्ण रूप से आश्वस्त तभी हो सकते हैं जब कि 2 कुए सक्सेसफुल हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट !

प्रश्न संख्या 89

श्री राजेन्द्र भारतीय !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 90

श्री माणक चन्द सोगानी !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 91

श्री चेतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन

बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र की ग्रामीण जल प्रदाय योजना

92. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले के बाड़मेर निर्वा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

क्षेत्र में कितनी ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें चालू हैं और उसमें कितने गावों को पानी सप्लाई किया जा रहा है ? सूची योजनावार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र में कितनी ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनकी क्या प्रगति है ? प्रत्येक का विवरण अलग से देने की कृपा करें ।

(3) इनकी प्रगति में क्या बाधायें आ रही हैं और उनके निराकरण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? सदन को विस्तृत जानकारी देने की कृपा करें ।

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दन मल बैद) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र में 2 योजनाओं पर कार्य चल रहा है । क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना, उन्डू पनावड़ा के सभी कार्य लगभग पूरे किये जा चुके हैं, सिर्फ जनरेटिंग सेट प्राप्त किये जाने बाकी हैं । जनरेटिंग सेट के लिये आदेश डी० जी० एस० डी० के मार्फत मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये जा चुके हैं । इसके प्राप्त होने पर योजना को लगभग डेढ़ माह में चालू किया जा सकेगा ।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना चुली भादरेस में पानी के सभी होद बन चुके हैं । नल कूप बनाया जा चुका है, पाइप लाइन बिछाने का कार्य चालू है । यह योजना साढ़े 13 लाख रुपये की लागत के लिए स्वीकृत की गई थी किन्तु कीमत बढ़ जाने के कारण रिवाइज्ड जल प्रदाय योजना 20.50 लाख रुपये की लागत की बनाई गई है । उक्त योजना की मुख्य अभियन्ता द्वारा तकनीकी जांच की जा रही है । इस वर्ष एक या 2 ग्रामों में जल वितरण किया जा सकेगा ।

(3) उन्डू पनावड़ा योजना पर जनरेटिंग सेट आने बाकी हैं । चुली भादरेस जल प्रदाय योजना पर कुछ पाइप, डीजल इंजन व पम्प प्राप्त किये जाने हैं । इन सब के लिए आदेश दिये जा चुके हैं व चुली भादरेस की रिवाइज्ड योजना भी अभी स्वीकृत की जानी है ।

(कृपया [illegible] संख्या 1 देखें)

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय पहली उन्डू पनावड़ा वाली योजना का जिक्र किया और जनरेटिंग सेट के बारे में कहा तो यह जनरेटिंग सेट उपलब्ध हो जायेगा और यह स्कीम कम्पलीट हो गयी है और कब स्कीम कमी न कर दी जायेगी ? पहला प्रश्न तो यह है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि वड़दा से देरासर जो चुली भादरेस बताई इसको रिवाइज्ड स्कीम की गई है तो इसको कब कम्पलीट कर दी जायेगी ?

श्री चन्दन मल बैद : मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जनरेटिंग सेट के लिए आर्डर दिया जा चुका है और सेट आने के 11 महीने के अन्दर योजना चालू कर दी जायगी । दूसरी योजना के बारे में कहा कि यह रिवाइज्ड स्कीम बनाई गई है तो उसकी तकनीकी जांच की जा रही है और ज्यों ही

(श्री चन्दनमल बैद)
जांच करली जायेगी उसकी स्वीकृति देकर उसका काम शुरू करा दिया जायेगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जो योजनायें प्रस्तुत की गई हैं उसमें मगना की ढाणी और रामसर, रावतसर अभी तक कनेक्ट नहीं किये गये हैं और पानी नहीं पहुंचाया गया है, इसका क्या कारण है और कब तक पानी पहुंचा दिया जायेगा ?

श्री चन्दन मल बैद : हर योजना की डिटेल में मैं नहीं गया हूं, फिर भी जैसा आप कह रहे हैं मैं जांच करवाकर और किसी गांव में पानी नहीं पहुंचा, है तो उसकी जांच करवा ली जायेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया ।

स्कन्ध सहायकों की नियुक्ति

93. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):** क्या भेड़ व ऊन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भेड़ व ऊन विभाग में सन् 1973 में कितने व्यक्तियों को सेवाओं में लिया गया ? मय नाम पता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सन् 1974 में कितने व्यक्तियों का विभिन्न पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया ? सूची मय पद, नाम, वल्दियत सकूनत, आयु, योग्यता, जाति आदि दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सन् 1972 व 1973 में इस विभाग में स्कन्ध सहायक के प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया था ? यदि हां, तो कब, कितने प्रशिक्षणार्थियों का, किसके द्वारा, किस विधि से, किस स्थान पर साक्षात्कार लेकर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या सन् 1974 में भी उक्त पद हेतु प्रशिक्षण के लिए चयन किया गया ? यदि हां, तो कितनी बार ? किसके द्वारा कब और कैसे ?

(5) जिन प्रशिक्षणार्थियों का चयन स्कन्ध सहायक के पद हेतु किया गया, इसके लिये किन किन तारीखों को, किस किस पत्र पत्रिकाओं द्वारा रिक्त स्थानों की बाबत विज्ञापित किया गया ?

(6) किन किन तारीखों को, किस किस स्थान पर जाकर चयन किया गया ? चयन से पूर्व क्या माप दण्ड व प्रक्रिया अपनाई गई ?

(7) जिन जिन लोगों का चयन किया गया उनके नाम, पिता का नाम, जाति, आयु निवास स्थान, शैक्षणिक योग्यता दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(8) क्या उक्त नियुक्तियों में वही प्रक्रिया अपनाई गई जो सन् 1972 व 1973 में अपनाई गई थी ?

(9) क्या उसी अधिकारी द्वारा सन् 1974 में भी चयन किया गया जिसके द्वारा 1972 व 1973 में किया गया था ?

राज्य मंत्री, भेड़ व ऊन (श्री मुंशी लाल महावर) : (1) एक सौ एक (101) तालिका 1 संलग्न है ।

(2) छियासठ (66) । तालिका 2 संलग्न है ।

(श्री मुंशीलाल महावर)

(3) जी हां। सूची 3 संलग्न है।

(4) जी हां। माह मई, 1974 में चयन निदेशक, भेड़ व ऊन विभाग द्वारा समिति की सहायता से दैनिक पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवा कर प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए गए। निदेशालय, जिला भेड़ व ऊन कार्यालय, अजमेर, चूरू, जोधपुर तथा जालोर में साक्षात्कार लिया गया। इस के बाद कुछ ऐसी युवकों की दरखवास्तें प्राप्त हुई जो अपने ही खर्चे पर बिना स्टाईपेण्ड के स्कन्ध सहायक एवं वूल ग्रेडर के कार्य में प्रशिक्षण लेने को तैयार थे। इन युवकों की योग्यता एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर इस शर्त पर ट्रेनिंग में शामिल होने की इजाजत दे दी गई कि सरकार स्टाईपेण्ड के रूप में या अन्य किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय वहन नहीं करेगी। इन पच्चीस व्यक्तियों में से 21 प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(5) मई, 74 के चयन हेतु निम्न प्रकार विज्ञप्ति प्रसारित की गई :-

1. राष्ट्रदूत (दै०), दिनांक 22-1-74।
2. राजस्थान पत्रिका दिनांक 24-1-74।

(6) तालिका सं० 4 संलग्न है। चयन से पूर्व निम्नांकित मापदंड व प्रक्रिया अपनाई गई :—

1—निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता।

2—ग्रामीण क्षेत्रों का विशेषकर भेड़ पालन सम्बन्धी ज्ञान, पूर्व अनुभव, शारीरिक गठन, सामान्य ज्ञान इत्यादि।

समिति द्वारा साक्षात्कार किया गया।

(7) उत्तर प्रश्न नं० 2 के उत्तर में अंकित कर दिया गया है।

(8) जी हां।

(9) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मूलचन्द सामरिया : चयन के लिए किन किन लोगों की समिति अपोइन्ट की गई थी ?

श्री मुन्शीलाल महावर : जो सलेक्शन कमेटी बनी थी उसने ट्रेनीज के अपोइन्टमेंट··

श्री मूलचन्द सामरिया : जो 25 व्यक्ति जिनको आपने प्रशिक्षण के लिए भेजा था उनके बारे में कौन लोगों ने उनका चयन किया और कहां कहां पर उनको चुन करके भेजा है यह पूछ रहा हूं मैं ?

श्री मुन्शीलाल महावर : मैंने, माननीय सदस्य, इस संबंध में निवेदन किया कि राज्य सरकार ने जो इन 25 ट्रेनिज को इजाजत दी है मेरिट के आधार पर और मेडिकल सर्टीफिकेट के आधार पर, जो भेड़ पालन में रुचि रखते ह और बेरोजगार नवयुवक हैं उनको प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार ने इजाजत दी है और उनको प्रिंसिपल, भेड़ ऊन विभाग के समक्ष दिनांक 16-12-74 को बुलाया गया।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, सलेक्शन किस आधार पर किया गया ? भेड़ पालन में बहुत इंटरेस्टेड हैं और ट्रेनिज भी बहुत काबिल हैं और बिना पैसा लिए भी ट्रेनिंग को तैयार थे तो ऐसे काबिल तो बहुत हैं। जो कलेक्टर हैं वह भी बिना पैसा लिए सेवा कर सकते हैं तो क्या आप इसकी इजाजत दे देंगे ? वे एक पैसा भी नहीं लेंगे।

(श्री मूलचन्द सामरिया)
जिलाधीश और जो दूसरे अफसर हैं उनके पदों पर भी बिना पैसा लिए काम कर सकते हैं तो क्या आपको उनको इजाजत देने में कोई आपत्ति नहीं होगी ? आखिर क्या क्राइटेरिया है ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह लोग जिन्होंने कि इनका चयन किया है वह कौन लोग हैं ? कमेटी के नाम आप बतावें और यह भी बतावें कि इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोगों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया ?

श्री रामकिशन (वैर) : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जवाब दिया कि जो आदमी अपने पैसों पर ट्रेनिंग में गये उनका चयन किया गया है और इसके लिए एडवरटाईजमेंट निकाला गया । मेरा निवेदन यह है कि जो एडवरटाईजमेंट निकाला गया तो कमेटी भी बनाई गई थी क्या, और बनाई थी तो कौन कौन उसके मेम्बर थे, कौन चैयरमेंन था और किस तारीख को इण्टरव्यू हुए ?

श्री रामगोपाल (खण्डार) : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का कोटा भी पूरा हुआ या नहीं हुआ ?

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने जिनको प्रशिक्षण के लिए चुना है उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है....

श्री मूलचन्द सामरिया : जो कुछ पर्चा इनको लिख कर दे दिया उसी को पढ़ रहे हैं बारबार । मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब तो सुनिए आप

(व्यवधान : शोरगुल : अश्रव्य)

यह पूछ रहे हैं कि सलेक्शन करने वाले कौन लोग थे ?

श्री मुन्शीलाल महावर : मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य जिस समिति की बात कर रहे हैं मैं उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि विदाउट स्टाइपेण्ड जिन लोगों को राज्य सरकार ने इजाजत दी है वह मेरिट और मेडिकल सर्टीफिकेट के आधार पर लिए गए हैं । उनकी एक कमेटी है····

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : आप भ्रम में पड़ रहे हैं मंत्री महोदय·····

श्री भानुकुमार शास्त्री : वे नाम पूछ रहे हैं सलेक्शन कमेटी के ।

(निरन्तर व्यवधान : अश्रव्य)

श्री मूलचन्द सामरिया : ये नये हैं और जवाब नहीं दे सकते तो कोई भी अन्य मिनिस्टर साहब समझ कर जवाब दे दें । जो कुछ लिख कर दे दिया उसी को पढ़ रहे हैं···

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन पोस्टों पर जिनको अपोइन्टमेंट दिया जाता है उसके लिए सलेक्शन कमेटी होती है । इसमें उनको रोज़गार देने की गारंटी नहीं दी गई है । सारे सत्र के अन्दर··

श्री जयकिशनलाल तोगवड़ा (फागी) : सलक्शन कमेटी के नाम बता दो आप तो । कमेटी के नाम पूछना चाहते हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, एक प्रश्न छोटा सा है। मंत्री महोदय यह सारी प्राब्लम सोल्व हो जाती है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने जो कहा कि जो प्रशिक्षणार्थियों को, माने 25 को, उनको योग्यता और कई बातें शामिल करके और उनको प्रशिक्षण दिया गया है, आप यह कह रहे हैं कि उनको रोजगार की गारंटी नहीं दी गई है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कमेटी नहीं बनाई गई, नम्बर एक। यह तो मंजूर करते हैं ?

श्री मु· ीलाल महावर : इसमें माननीय सदस्य····

श्री निरंजन नाथ ·ाचार्य : मेरे सवाल पर गर्दन हिलाते चले जाइये, मैं समझ लूंगा।

(व्यवधान : अश्रव्य)

जो कुछ हैं उसको मंजूर कर लेना चाहिए। इन 25 व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है वह किसी कमेटी के द्वारा नहीं भेजे गए। उस कमेटी के द्वारा नहीं भेजे गए तो एक व्यक्ति ने बैठ कर यह समझ लिया कि ये अच्छे लोग हैं इनको भर्ती कर लिया जाय, क्या यह सही है ?

(शोरगुल : अश्रव्य)

एक व्यक्ति, प्रिंसीपल ने 25 आदमियों का सलेक्शन कर लिया, यह ठीक है ?

(विराम)

और इसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई, यह ठीक है ?

(विराम)

और सिर्फ इजाजत देने का कारण एक ही प्रिंसीपल ने समझ लिया कि ये योग्य लोग हैं ? आप एक एक प्रश्न पर हां हां कह दें।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री मुन्शीलाल महावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूं और आपने जो पूछा है उस बारे में इतना ही निवेदन है कि जो भेड़ पालन में रुचि रखने वाले लोग थे, जिनको रोजगार की गारण्टी नहीं दी गई ऐसे लोगों को जो बैंकों से वित्तीय सहायता लेकर भेड़ पालन कर रहे हैं, इस आधार पर उनको प्रशिक्षण के लिए परमीशन दी गई है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऐसे तो सैंकड़ों लोग हैं·····

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी··

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने से, अश्रव्य)

श्री जयकिशनलाल तोशावड़ा : मेरा एक ही प्रश्न बतला दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। माननीय मंत्रीजी।

(शोरगुल-अश्रव्य)

एक मिनिट। माननीय मंत्रीजी। सारे प्रश्न का सार यह है कि यह जो चयन हुआ वह किसी समिति के द्वारा हुआ या नहीं हुआ ? अगर समिति के द्वारा हुआ है तो उसके नाम बता दीजिए। यही तो है सारा सवाल। Was the selection made by a Committee ? If by a committee,

(श्री अध्यक्ष)
what are the names of the members of the Committee ?

श्री मुन्शीलाल महावर : यह चयन कमेटी के द्वारा नहीं, मेरिट के आधार पर हुआ है और रोजगार की गारण्टी जिनको देते हैं उनका चयन सलेक्शन कमेटी के द्वारा होता है। इसमें स्टाइपेण्ड की गारण्टी नहीं दी गई है केवल प्रशिक्षण पाने की इजाजत दी गई है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा निवेदन है मंत्री महोदय....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने लोग चयनित किए गए ?

श्री रामगोपाल : शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा पूरा हुआ या नहीं ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, पूछना यह है कि यह बार-बार यह कहते हैं कि राज्य सरकार ने इस प्रकार के नियम बनाए हैं कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनको प्रशिक्षण देगी। इस प्रकार का जो डिसिजन लिया गया तो क्या यह केबिनेट में लिया गया या मंत्री महोदय ने स्वयं ही इसका निर्णय कर लिया कि इस प्रकार का प्रशिक्षण देंगे ? यह बता दें।

श्री मुन्शीलाल महावर : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को लिया गया है वे 4 हैं 25 में से। यानि चार लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये हैं, चार जगह खाली हैं उनमें अलहदा लिया जाएगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : क्या इसमें 28 पर्सेंट रिजर्व कोटा पूरा हो जाता है ? मंत्री महोदय यह बतावें कि वह 28 परसेंट जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए स्थान सुरक्षित हैं उनका कोटा पूरा कर लिया है ?

श्री मुन्शीलाल महावर : 25 केन्डीडेट्स थे जिनमें से चार लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और चार वेकेन्ट जगहें उनके लिए रखी हैं उन पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ही लिया जायगा।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एक स्पेसिफिक क्वेश्चन यह है कि यह लिस्ट आपके द्वारा प्रिन्सीपल को भेजी गई क्या यह बात सही है, मंत्रीजी ? इन केन्डीडेट्स की लिस्ट आपके द्वारा भेजी गई, सोच समझ कर जवाब दें दें, प्रिन्सीपल को ?

श्री मुन्शीलाल महावर : हमारे यहां कुछ एप्लीकेशन्स बेरोजगार लोगों की आई थीं तो मैंने डाइरेक्टर को और प्रिन्सीपल को बुलाकर पूछा कि क्या यह ट्रेनिंग आप दे सकते हैं ताकि जो लोग भेड़ पालन में रुचि रखते हैं वे बैंक से वित्तीय सहायता लेकर भेड़-पालन का काम कर सकें, तो उन्होंने कहा, हां साहब, हम प्रिशिक्षण दे सकते हैं। इस आधार पर राज्य सरकार ने उन लोगों को परमिशन दे दी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो पोल्ट्री फार्म खोलना चाहते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं लेकिन रोजगार की गारण्टी नहीं देते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इसका मतलब यह है कि आपने और प्रिन्सीपल ने शामलात में लिस्ट भेजी, ठीक है ना ?

(कई माननीय सदस्यों के साथ साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन! श्रीराम प्रसाद बोहरा ।

श्री मूलचन्द सामरिया : यह लिस्ट जो बनी···· (कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : यह तो आचार्य जी के प्रश्न में आगया ।

श्री मूलचन्द सामरिया : इसमें स्टीपेंड होने का नहीं है। किस जगह उनको सिलेक्शन के लिए भेजा और किस व्यक्ति ने किया। 1972 और 1975 में सिलेक्शन बाहर के तरीकों पर जाकर किया है और उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है। आपने 32 लोगों की लिस्ट दे दी कि इन लोगों को ट्रेनिंग दे दो। अध्यक्ष महोदय, इसके ऊपर मुझे बोलना पड़ेगा । (कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : Next question.

श्री मूलचन्द सामरिया : इसका जवाब दें·····(कोलाहल)···· × × × है और उनको मजबूर किया है कि इनको ट्रेनिंग दो और कोई दूसरा कारण नहीं है ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष, एक माननीय सदस्य ने कहा कि××× यह सीरियलस एलिगेशन है।

एक माननीय सदस्य : इस तरह का एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): अध्यक्ष महोदय, हम यह व्यवस्था चाहते हैं कि माननीय सदस्य ने मंत्री महोदय पर चार्ज लगाया है कि × × ×

श्री मूलचन्द सामरिया : ×××

(कोलाहल)

श्री मुन्शीलाल महावर : यह सब गलत है । माननीय सदस्य जब से इस विधान सभा में आये हैं मुझ पर झूठे, निराधार व तथ्यहीन आरोप लगाते रहे हैं । मुझ पर व्यक्तिगत आरोप लगाना यह माननीय सदस्य की आदत है ।

प्रश्न संख्या 94

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट! श्री रामप्रसाद बोहरा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इन्होंने जो आरोप लगाया है वह किस आधार पर लगाया है ?

(कोलाहल)

श्री मूलचन्द सामरिया : लगाया है यह सही है····

(कोलाहल के कारण अश्रव्य)

××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेश से निकाले गये ।

श्री अध्यक्ष : जवाब दें ।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : बिना किसी आधार पर····

श्री अध्यक्ष : बैठिये, मैं निवेदन कर रहा था, (कोलाहल) सुनिये प्रश्न का उत्तर आया है·······

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : सुनिये, उत्तर जो आया है उससे कुछ को सन्तोष हुआ होगा और कुछ को असन्तोष हुआ होगा । उद्देश्य जो है प्रश्न का वह आ गया है । असन्तुष्ट हैं आप, तो उसमें जो कदम और नियमों के अन्तर्गत डिसकशन करने के लिए हैं ले सकते हैं । इस वक्त ज्यादा समय नहीं लिया जा सकता है, सदन का ।

श्री राम प्रसाद ।

एक माननीय सदस्य : जो आरोप लगाया है उसको वापिस लें ।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : हाउस में आरोप लगाया है····

श्री भानुकुमार शास्त्री : आरोप लगा सकते हैं । (कोलाहल)

श्री दीपंकर : सामरिया साहब इन शब्दों को वापिस लें सदन में ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वापिस क्यों लें ? (कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : श्री रामप्रसाद

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही निवेदन है कि मंत्री महोदय का उत्तर जो है वह स्पष्ट नहीं है और मेरे खयाल में उत्तर देने की इनमें ××× भी नहीं है । इस स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय ।

श्री दीपंकर : अध्यक्ष महोदय, महारावल साहब का यह कहना कि उत्तर देने की ××× नहीं है···· (कोलाहल).. ××× से भरा है ····(कोलाहल)

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल ।

मैंने रेमेडी आपको बता दी । इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है ।

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम की बसें

95. **श्री केशरीमल** (ब्यावर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने बसों के मार्गों का राष्ट्रीयकरण 8 प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत कर दिया है ?

(2) कृपया 8 प्रतिशत और 25 प्रतिशत मार्गों के राष्ट्रीयकरण के समय चलने वाली बसों की संख्या बतावें ?

(3) क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें बहुतायत से हैं कि बसों की संख्या इन रूटों पर बहुत कम होने के कारण जनता भारी कष्ट पाती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि निगम की बसों का ब्रेकडाउन बहुत होता है, बसें समय पर नहीं चलती और सवारियों को बसों की छतों पर बैठ कर सफर करने के लिए मजबूर होना पड़ता है ? यदि हां, तो

××× ये शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये ।

(**श्री केशरीमल**)
तो इस अव्यवस्था को दूर करने की सरकार की क्या योजना है ?

यातायात मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी): (1) जी हां । ....

कई माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : (1) जी हां ।

(2) 8 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण तक निगम के पास 549 व वर्तमान में 1201 वाहन हैं ।

(3) जी नहीं । कभी कभी यात्रियों की संख्या अधिक हो जाने पर, बसों पर यात्री भार अधिक हो जाता है ।

(4) कभी कभी । इस कमी को दूर करने के लिए सतत प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री केशरीमल : यह आपकी जो संख्या वाहनों की है वह कम है और लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो उसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई ? 549 से 1201 तक वाहनों की संख्या हो गयी है लेकिन उससे पूरा नहीं होता है तो 2,000 तक गाड़ियां बढ़ाने की क्या व्यवस्था है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह व्यवस्था चल रही है। 300 के करीब गाड़ियां इस साल जल्दी से जल्दी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ।

श्री केशरीमल : ब्रेकडाउन भी बढ़ रहे हैं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है । चार मील चलने के बाद गाड़ी खड़ी रहती है यह आपकी जानकारी में है तो क्या व्यवस्था की है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : मेरे खयाल में दूसरी जो रोडवेज हैं यू० पी०, महाराष्ट्र के हिसाब से यदि ब्रेकडाउन का एवरेज लिया जाय तो निश्चित तौर से हमारी रोडवेज का ब्रेकडाउन कम है । माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि 10 हजार किलोमीटर के स्लेब के अन्दर हमारे ब्रेकडाउन 0–49 हैं जब कि महाराष्ट्र, दिल्ली तथा और प्रदेशों में ब्रेकडाउन निश्चित तौर से ज्यादा हैं । इतनी बड़ी संख्या में जब वाहन चलेंगे तो ब्रेकडाउन होंगे ही, लेकिन हमारे यहां कम हैं । इसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन ब्रेकडाउन को और कम किया जाय । जो भी कदम उठाये गये हैं तकनीकी तरीके से और हर तरह से उसका प्रयत्न किया जा रहा है । और निश्चित तौर से वाहन सरकार ज्यादा से ज्यादा बढायेगी ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : अन्तर्प्रान्तीय व्यवस्था बसों के द्वारा अब हो पाई है क्योंकि दूसरे प्रान्तों की बसें आपके यहां आती हैं और आपकी बसें दूसरे प्रान्त में नहीं जा रही हैं, उस व्यवस्था के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह अलग से प्रश्न है और विस्तृतरूप से है इसके बारे में और कभी प्रश्न करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह राजस्थान के स्तर पर प्रश्न है । आप अलग से प्रश्न कह कर टाल दें तो वह दूसरी बात है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, टालने का प्रश्न नहीं है। इसका सम्बन्ध दूसरी स्टेट्स से भी है। और यह एक विस्तृत प्रश्न है। अगर अलग से आयेगा तो उस पर विस्तार से विचार करेंगे।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : कोटा से आनेवाली बसें आल्टरनेट डेज में ब्रेकडाउन रहती हैं। इसके बारे में मंत्री महोदय क्या आश्वासन देते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, कोटा का तो मैंने देखा नहीं है लेकिन महाराष्ट्र में 10 हजार किलोमीटर पर 0.98 ब्रेकडाउन रहता है। कर्नाटक में 0.60 ब्रेकडाउन रहता है और गुजरात...

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह कौन से वर्ष के आंकड़े हैं ? 1974-75 के दे रहे हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 1973-74 के दे रहा हूं। 1974-75 के तो अभी आये नहीं हैं। वह अभी संकलित हो रहे हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमको कोई आंकड़ों से मतलब नहीं है। आपकी बीसियों बसें हैं जो बेकार पड़ी हैं। यह मैं ही नहीं जानता हूं, उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य भी जानते हैं। अगर कोई प्राईवेट चलाने वाला होता तो उसका लाइसेन्स रद्द हो जाता। मैं राष्ट्रीयकरण का स्वागत करता हूं। क्या आप यह अनुभव नहीं करते हैं कि राष्ट्रीयकरण से यात्रियों की तकलीफ में कितनी अभिवृद्धि हुई है? यह राष्ट्रीयकरण यात्रियों की सुविधा के लिए है न कि आपकी मनमौज के लिए है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो ये लम्बे रूट हैं, जयपुर से बाड़मेर है, आबू रोड है, उन पर ब्रेकडाउन होता है। इसके बारे में मंत्री महोदय आश्वासन देने की कृपा करेंगे। वहां पर न तो टेलीफोन की व्यवस्था है और न दूसरी बसेज की व्यवस्था है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह नहीं जानते हैं कि जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी दिन दहाड़े चोरी होती है। सरकारी गैरेज के पास ही दुकानें बनी हुई हैं। स्पेयर पार्ट्स चोरी होकर दुकानों पर बिकते हैं। उसके बाद में वही वापिस आकर बसेज में लगते हैं। सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। क्या यह मन्त्री महोदय को पता नहीं है ? अगर पता है तो इसके बारे में क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री के० पी० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 10 हजार किलोमीटर पर ब्रेकडाउन होता है। ये ब्रेकडाउन की डेफीनेशन क्या है ? यह किस आधार पर इन्वेस्टीगेशन की है।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय यह भी बतायें इस बारे में आपका क्या तरीका है ? जिस प्रकार से ब्रेकडाउन की रिपोर्ट होती है तो क्या उसी प्रकार से, जैसे पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है तो उन्हीं लोगों को ठोक-पीट कर छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से बसें भी आप की खड़ी हो जाती हैं ? जिनकी एफ० आई० आर० दर्ज हो जाती है, उनको आप ठोक-पीट कर चला देते हैं। नहीं जो रात को बस स्टेण्ड से रवाना हो, सुबह छोड़ देंगे।

श्री माणकचन्द सोगाणी (अजमेर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी

Page No. 13

(**श्री माणकचन्द सोगानी**)

निवेदन करूंगा, जयपुर से जोधपुर रात को बस जाती है। एक अकेला ड्राइवर 250–300 मील तक जाता है। एक ही ड्राइवर ड्राइव करता है तो बड़ी रिस्क रहती है। एक ही ड्राइवर है, उसको नींद आ जाये। तो मेरा निवेदन है, ऐसे लम्बे रूट पर दो ड्राइवर होने चाहिए ताकि कोई रिस्क नहीं रहे। जो ड्राइवर यहां से रात को जाता है, तो वहां पर इस प्रकार से उसको विश्राम की व्यवस्था रहनी चाहिए। जिससे कि उसकी थकान दूर हो जाये। इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जो कि होनी चाहिए।

श्री जयकिशन तोसावड़ा : एक प्रश्न मेरा भी है, अध्यक्ष महोदय····

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीयकरण अभी हुआ है, प्राइवेट बसेज के द्वारा मनमानी और अव्यवस्था थी। यात्रियों को तकलीफ उठानी पड़ती थी। उसी के कारण से राष्ट्रीयकरण का नारा निकला है। माननीय सदस्य अभी भूले नहीं होंगे कि प्राइवेट आपरेटर्स किस प्रकार से तकलीफ देते थे। यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के प्रारम्भ में वित्तीय कारणों से कुछ तकलीफें हुई हैं। हमारा प्रयत्न अब उनको दूर करने का रहा है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): अब कितनी व्यवस्था हो रही है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, उनकी परेशानी की बात दूसरी है। पर डूंगरपुर से आने वाले माननीय सस्दय ने जो कहा है, उसके बारे में हमारा निवेदन है कि हमारी चेकिंग पार्टी जाती है। जो भी माननीय सदस्य इसमें दखल देना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वह जाकर देख सकते हैं। जो भी सुझाव दिये जाते हैं····

श्री मनोहर कोठारी : कमेटी भी तो बनी हुई है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी है। दूसरा सवाल ब्रेक-डाउन के बारे में है। ब्रेक डाउन की डेफीनेशन के लिये मान लें कि गाड़ी में पंक्चर हो गया और उसके कारण से यात्रियों को उतरना पड़ा तो बात दूसरी है। लेकिन और किसी कारण खड़ी करना पड़े तो उसको ब्रेकडाउन माना जाएगा। सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि लम्बे रास्ते को जोड़ा जाना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नाई : जुड़ा हुआ तो है। ब्रेकडाउन हो जाय तो उसके लिए क्या व्यवस्था है ? प्रश्न यह है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसके लिए तो यह व्यवस्था है कि नजदीक के पूल से लेकर फौरन व्यवस्था की जा सकती है। जहां तक सम्भव होता है, यात्रियों को सुख देने की व्यवस्था करते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हूं।

श्री माणकचन्द सोगानी : अध्यक्ष महोदय,····

श्री लक्ष्मणसिंह : प्राईवेट बसेज जहां चलती थीं वहां इतना भाड़ा नहीं पड़ना

(श्री लक्ष्मण सिंह)

था। इसके बारे में मन्त्री महोदय कोई व्यवस्था कर दें। प्राइवेट बसें इनआर्डर थीं। आज बसें उस हालत में आ रही हैं।

श्री दीपंकर : प्राईवेट बसें टूटी हुई थीं।

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर आप राष्ट्रीयकरण करेंगे तो अनुभव से आपकी खामियां दूर होती जायेंगी। यह राष्ट्रीयकरण नहीं है। मैं यह निश्चित रूप से मानता हूं कि दिक्कतें बढ़ रही हैं। भाड़ा बढ़ रहा है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप प्राईवेट बसों में सफर ही नहीं करते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं इस नीति को ठीक नहीं समझता हूं।

श्री दीपंकर : महारावल साहब को मंत्री महोदय किसी बस में घुमा कर बैठायें तो अच्छा रहेगा।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैंने एक दफा नहीं, सात आठ दफा देखा है। मैंने अनुभव के आधार पर कहा है। मैंने नहीं कहा कि मैं कौन हूं। चुपचाप जाकर बैठ गया बस में बसें गन्दी हैं, बसों की हालत अच्छी नहीं है, यात्रियों को टिकट काटना होता है वह भी नहीं काटते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : आपका व्यक्तिगत अनुभव है।

श्री जयकिशन लाल : कभी कभी किसी चलती हुई गाड़ी में स्टेपनी में पिंक्चर हो जाता है। निगम ने इस प्रकार की व्यवस्था बना रखी है कि अलवर डिपो से चलने वाली बस में स्टेपनी नहीं दी और दूसरे डिपो से चलने वाली गाड़ी में स्टेपनी दे दी। न बस में स्टेपनी रखी जाती है। ऐसी अवस्था में पैसेन्जर्स को बड़ी भारी परेशानी रहती है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ समय में इस प्रकार की व्यवस्था निगम द्वारा की जा रही है कि एक डिपो से चलने वाली बस को दूसरा डिपो स्टेपनी दे दे। इससे आप पैसेन्जर्स, यात्रियों को बड़ी भारी दिक्कत को मिटा सकते हैं।

प्रश्न नम्बर 2। (व्यवधान) सुनिये आप। कभी कभी किसी रूट पर क्या होता है कि एक घंटे में एक साथ चार बस आ जाती हैं और कभी कभी चार चार घंटे तक कोई बस नहीं आती· · ·

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हमारे गम्भीर प्रश्न रह जायेंगे।

श्री जयकिशन लाल : चार चार घंटे तक बस नहीं आती है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था को राज्य सरकार ठीक करने के लिए तैयार है ?

प्रश्न नम्बर तीन· · ·

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सारे प्रश्न रह जायेंगे, अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार के सप्लीमेन्ट्री कर रहे हैं।

श्री जयकिशन लाल : क्या हो गया ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जवाब दे दीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, फागी से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न है कि चलती गाड़ी में स्टेपनी में पिंक्चर हो जाता है। चलती गाड़ी में स्टेपनी में पंचर नहीं होता है। स्टेपनी बस के अन्दर

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
होती है, इसलिए चलती गाड़ी में पिंक्चर होने का सवाल नहीं उठता। माननीय सदस्य ने गलती से प्रश्न पूछ लिया होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कोई जवाब नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : फागी में ऐसा होता हो, जहां से माननीय सदस्य आते हैं तो अचरज का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र सिंह (उनियारा) : माननीय मंत्री महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब दे दें। मैं पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा, ब्रेकडाउन की डेफिनेशन दे दी, दो तीन घंटे गाड़ी रुक जाय, उसके अन्दर के यात्रियों को परेशानी हो और उसमें से उतार कर दूसरी गाड़ी में ले जाकर वहां से दूसरी जगह पहुंचाया जाय तो उसको ब्रेकडाउन मानते हैं। मैं मानता हूं, उसके अन्दर महत्वपूर्ण खराबी हो जाय तो बस का जो ड्राईवर है उसको इतना सक्षम होना चाहिए · · ·

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : सारे क्वेश्चन का घपला हो गया।

श्री राजेन्द्र सिंह : इंजन के अन्दर कोई कचरा आ जाय तो उसको ठीक कर सके। वह हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। इससे बस से जाने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था करें कि ड्राईवर छोटी मोटी दिक्कतों को स्वयं दूर कर लें ताकि उसके यात्रियों को सुविधा हो। बाज वक्त यह महसूस किया गया है, स्टेपनी की बात मान लें, जो फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, स्टेपनी में पिंक्चर होने का मतलब है, पहिया · · · ·

श्री अध्यक्ष : थोड़े में कहिये। आपका तो भाषण हो गया।

श्री राजेन्द्र सिंह : बहुत सों ने तो बहुत कहा है।

बाज वक्त गाड़ी में स्टेपनी नहीं होती है। उसकी व्यवस्था करने का क्या रास्ता निकालना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कभी कभी पूछते हैं, इसलिए मौका दे दिया।

श्री केदार नाथ : यह क्वेश्चन है क्वेश्चन को डिमाण्ड के रूप में ले लिया गया। इसको डिमाण्ड के रूप में न लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ठीक है साहब। श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : डिमाण्ड का टाइम बढ़वा दें।

दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, नागौर

96. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, नागौर की तारीख 1-1-73 से 31-12-74 की अर्द्ध वार्षिक बैलेन्स शीटों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) दी नागौर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, नागौर ने तारीख 1-1-73 से 31-12-74 तक शार्ट टर्म, लांग टर्म व मीडियम टर्म किस्म के कितनी कितनी राशि के कर्जे वितरित किये एवं इस अर्से में किस

(**श्री रामसिंह कुड़ी**)

किस प्रकार के कितने कितने कर्जे नये व पुराने वसूल किये एवं ता० 1-1-73 को उसके आने की प्रत्येक छः माही को इस बैंक की ओवर ड्यू पोजीशन कैसी कैसी रही है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें

(3) क्या इस बैंक की आर्थिक हालत सुधारने के संबंध में रजिस्ट्रार स्वयं, अपेक्स बैंक से विचार कर कुछ उपाय ढूंढ़ निकालने को इच्छुक हैं ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, नागौर की तारीख 1-1-73 से 31-12-74 तक की अर्द्धवार्षिक बैलेन्स शीट की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) दी नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, नागौर ने 1-1-73 से 31-12-74 तक शार्ट टर्म वह अन्य किस्म के कर्जों का विवरण, वसूली एवं ओवर ड्यू पोजीशन की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या आपने इसके बारे में विचार किया कि इसकी लाजिमी पूंजी है वह घट रही है ? एक एक साल के समय में एक लाख घट गई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आपका प्रश्न सुनाई नहीं दिया । जोर से बोलिये ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री रामसिंह कुड़ी : आपने यह तालिका रखी है, इससे प्रकट है कि इस बैंक का 1-1-73 से 31-12-74 तक 1 लाख तक मुनाफा कम हो गया ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो तालिका में है वह सही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उसको वापिस विथड्रा कर रहे हैं ?

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या यह सही है

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : हर बैंक का होता है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री ।

उदयपुर के अप्सरा होटल पर छापा

97. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मई, 1974 के प्रथम सप्ताह में उदयपुर में आबकारी विभाग ने अप्सरा होटल पर छापा मार कर 250 पानी से मिली हुई शराब की बोतलें तथा इन बोतलों को बन्द करने की एक इंगलिश मशीन भी प्राप्त कर ली थी ? यदि हां, तो जिस होटल के मालिक के कमरे में से बोतलें बरामद की गई उसको उस समय गिरफ्तार किया गया था या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उस समय उस होटल में देशी शराब के अनेक ड्रम भी पाये गये ? यदि हां, तो वह कितने थे ? क्या इसकी स्टोरेज की उनकी इजाजत थी ? यदि नहीं, तो क्या कार्यवा ी की गई ?

आबकारी मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब गृह मंत्री जी अपनी पारी पर देंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : गृह मंत्रीजी जवाब दे दें, बैठे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : अपनी पारी पर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री केदार नाथ।

सन् 1975-76 की वार्षिक योजना का प्रारूप

98. **श्री केदार नाथ** (गंगानगर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य सरकार ने 1975-76 की वार्षिक योजना का प्रारूप केन्द्रीय सरकार को कब भेजा और केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितनी कटौती की है ?

योजना मन्त्री (श्री चन्दन मल बैद) : राज्य सरकार द्वारा 1975-76 की वार्षिक योजना का प्रारूप 27 नवम्बर, 1974 को केन्द्रीय सरकार को प्रेषित किया गया।

वार्षिक योजना 1975-76 के लिए 98.50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया था किन्तु योजना आयोग ने वार्षिक योजना 1975-76 के लिए 105.50 करोड़ रुपयों का प्रावधान अनिवार्य माना है।

श्री केदारनाथ : इसमें सेन्ट्रल असिस्टेन्स कितनी है ?

श्री चन्दनमल बैद : 45.6 लाख।

श्री केदारनाथ : पंचवर्षीय योजना आप इन पार्ट्स लागू करना चाहते हैं, क्या यह सारा कन्सेप्ट नहीं बदल देगा ? क्या यह प्लानिंग कमीशन ने डाइरेक्शन दिया है या अपने आप कर रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जब तक पांचवी पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग के द्वारा स्वीकृत नहीं कर दी जाती है तब तक एक साल की होगी।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि पंचवर्षीय योजना एज ए होल स्वीकृत कर ली है ?

श्री चन्दनमल बैद : इसके बारे में योजना आयोग ने तारीख नहीं दी है।

श्री केदारनाथ : पंचवर्षीय योजना का जो एक साल का प्लान बनाया है, इसके लिए क्या प्लानिंग बोर्ड की बैठक बुलाई थी और क्या प्लानिंग बोर्ड फंक्शन कर रहा है ?

श्री चन्दनमल बैद : जो पहले पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया था उसी के सिद्धान्त और प्रायोरिटीज के अनुसार यह पांचवी पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल की योजना बनायी गई है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : 45.6 लाख के अलावा बाकी राशि कहां से प्राप्त करेंगे ?

श्री केदारनाथ : क्या प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई आज तक ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं अर्ज कर चुका हूं, प्लानिंग बोर्ड ने पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया था, उसके अनुरूप पंचवर्षीय योजना के दूसरे साल की योजना बनाई है।

श्री भीमसेन : मेरा एक प्रश्न है, 45.6 लाख के अलावा बाकी राशि कहां से प्राप्त करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : विभिन्न तरीकों से, इसके बारे में स्पष्टीकरण, 3 तारीख को जब बजट प्रस्तुत करूंगा, तब दूंगा और विस्तार से सूचना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दीपंकर।

अस्पतालों में पट्टी, रूई तथा दवाओं का बजट

99. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य के अस्पतालों में पट्टी, रूई व दवाओं के लिये सन् 1965 में कितने रुपयों का प्रावधान किया गया था तथा सन् 1974 के लिए यह रकम कितनी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1965 से सन् 1974 तक फैली विभिन्न बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दवाओं का बजट किस तादाद में बढ़ाया गया तथा 1965 से 1974 तक राज्य में किस बीमारी का प्रभाव अधिक रहा है ? बीच के वर्षों में मरीजों की संख्या में कितनी बढ़ौतरी अथवा कमी हुई है ? ब्यौरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) राज्य के अस्पतालों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है तथा किस श्रेणी के अस्पताल के लिये कितने रुपयों का प्रावधान किया जाता है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : (1) वर्ष 1965 तथा 1974 में भेषज एवं औषधियों के मद में क्रमशः 57.69 लाख तथा 255.98 लाख रुपयों का प्रावधान था।

(2) राज्य में दवाओं का बजट वर्ष 1965 से 1974 तक लगभग 4 गुना अधिक कर दिया गया है। इस अवधि में मुख्यतः जिन बिमारियों का सर्वाधिक प्रकोप रहा उनके रोगियों की वर्षवार संख्या की सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है। राज्य में कुल रोगियों की संख्या की वर्षवार तालिका (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) राज्य के अस्पतालों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें औषधियों के बजट का पैटर्न सूची (स) में दर्शाया गया है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 2 देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, रूई और पट्टी के इन्तजाम के बारे में पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं इनका पर्याप्त इन्तजाम होता है और बजट देते हैं ?

श्री दीपंकर : जो सूची मुझे दी गई है, उसमें यह लिखा गया है, बजट को जरूर बढ़ाया गया है, उसका कोई निश्चित स्वरूप तय नहीं किया गया है कि किस अस्पताल को कितनी रकम दी जानी है। इसका मतलब यह है कि पहले की तालिका बना कर दी गई है, वह शायद बढ़ी है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानकारी चाहूंगा कि किसी भी अस्पताल में चले जायं, अस्पताल का इतना बजट होते हुए भी टिंक्चर आयोडीन, स्प्रिट और मरीजों के बांधने के लिए पट्टी और यहां तक कि काटन तक नहीं मिलती और कोई दवा नहीं मिलती सिवाय लाल पानी के, जो मरीजों को पिलाने के लिए होता है, जिसे 18 नम्बर का मिक्स्चर कह दीजिये। आपने सारे अस्पतालों, पी०एच०सी० का वर्णन किया हैं, सहायक हैल्थ सेन्टर का वर्णन किया है, उनका बजट बनाया है, लेकिन क्या मंत्री महोदय

(श्री दीपंकर)

बतायेंगे, उनके अन्दर दवाई की दुकान किस तरह लगाई गई हैं, डाक्टरों के द्वारा जिनको चलाया गया है और उनके जरिये से लोगों को लूटने का तरीका बनाया गया है ? क्या अस्पतालों में पट्टी वगैरह और अन्य साधन नहीं मिलते हैं, तो यह बजट देते कहां हैं और इसका निश्चित स्वरूप कोई सामने आयेगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सूची (स) में विस्तार के साथ में दिया हुआ है, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अस्पतालों को कितना बजट दिया जाता है, तृतीय श्रेणी के अस्पतालों को कितना दिया जाता है और चतुर्थ, पंचम् और षष्ट्म श्रेणी के अस्पतालों को कितना दिया जाता है, यह सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसके बावजूद अस्पतालों में पट्टी और दवाई की कमी रहती है, उसका कारण यह है कि आवश्यकता अधिक है और बजट प्रावधान है फिर भी वह उसके मुकाबले में कम है । इसलिए कमी रहती है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह आवश्यक चीज हैं, उसकी मिनिमम व्यवस्था की जानी चाहिए, सबका बजट तो चाहिए ।

श्री शंकरलाल (पाली) : आवश्यकता के अनुसार रूई और पट्टी तो चाहिए ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह बात सही है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ माह पहले पट्टियों का अकाल पड़ गया था। उसका कारण यह है कि टेक्स्टाइल कमिश्नर ने एक पर्टीक्युलर काउन्ट का यार्न बनाने के लिय आदेश भी दिया था और यह भी ताकीद की थी कि न बनाने वालों पर जुर्माना किया जायेगा, लेकिन फिर भी मिल्स ने जुर्माना देना तय किया और पट्टियां नहीं बनाई । छः माह तक राजस्थान में यह संकट रहा। कई बार ऐनलजेसिक दवाईयां भी नहीं मिलती थीं । लेकिन अब किसी प्रकार की कमी नहीं है, पट्टियां भी हैं और स्प्रिट भी है । हमने स्मालस्केल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन के द्वारा पट्टियों और रूई का इन्तजाम कर लिया है । ऐनलजेसिक दवाईयों की भी अब कोई कमी नहीं है । छः माह तक हमें दिक्कत से गुजरना पड़ा, यह सही है ।

(व्यवधान)

श्री दीपंकर : मैं प्रश्नकर्ता हूं, मुझे तो पूछने का अवसर दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : आपको ही दिया जा रहा है ।

श्री दीपंकर : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लाडनूं में जो अस्पताल है वहां पर कितने मरीजों की धोती फाड़कर पट्टियां बनाई गईं ? अभी भी बनाई जा रही हैं जब कि वह कहते हैं कि कमी नहीं है । गरीबों की बन्धी हुई धोतियां फाड़कर पट्टियां बनाई जा रही हैं ।

दूसरी मैंने यह जानकारी चाही थी कि जिले में किस तरह की बीमारी फैली और उसकी रोकथाम के लिये क्या उपाय किये गये, उसका जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : आपकी धोती तो सुरक्षित है कि नहीं ?

श्री दीपंकर : आपको डाइरेक्टर महोदय ने जो जानकारी दी वह यहां बता दी । आपने कहा कि दवाईयों की रकम बढ़ाई गई है,

(श्री दीपंकर)
लेकिन कौन से चिकित्सालय को कितनी राशि दी जाये, यह अभी तय नहीं कर पाये हैं। दूसरी आपने लिस्ट दी कि 100 दवाईयां भेजी गई हैं। वह जिला चिकित्सा अधिकारी ने लेकर अपनी अलमारी में रख दीं और किसी चिकित्सालय को दवाई नहीं भेजी। अगर कोई उनका कृपापात्र डाक्टर उनके यहां हाजिर हुआ तब तो वह पांच रुपये की दवाई लेकर आता है, बाकी उसके अलावा कोई दवाई नहीं पहुंचती। जनता को कोई सुविधा नहीं मिली है, इसकी जांच करा ली जाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या यह सही है कि आपके अस्पतालों में से 18 नम्बर का मिक्सचर गायब है और केवल टालू मिक्सचर पिलाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप ज्यादा बीमार रहे होंगे तो हमने चालू मिक्सचर का आर्डर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री मोहनलाल छंगाणी : लाडनूं से आनेवाले माननीय सदस्य ने सूचना दी है कि मरीजों की धोतियां फाड़कर पट्टियां बनाई जाती हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हुआ होगा। दूसरी किसी जगह से ऐसी शिकायत नहीं आई है।

श्री दीपंकर : गरीब लोगों की धोतियां फाड़ी जाती हैं। आज भी वहां धोती फाड़ते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अब मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि पट्टियां, रूई और दवाईयों की कमी नहीं है। जहां तक सब सेन्टर्स और प्राईमरी हैल्थ सेन्टर्स पर दवाई पहुंचाने की बात है, मैं डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों द्वारा कोशिश कर रहा हूं कि दवाईयां पहुंचाई जायं और कई बार मैं खुद डाइरेक्टर आफ मेडिकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज से पूछता रहता हूं कि दवाईयां कहां कहां पहुंची हैं और अगर नहीं पहुंची हैं तो जल्दी पहुंचाएं। यह सही है कि बीच में कुछ समय के लिये पट्टियां न होने के कारण कुछ असन्तोष रहा था।

श्री अध्यक्ष : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

कृषि भूमि पर पानी के कनेक्शन

100. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर, जयपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही नहीं है कि कृषि भूमि के आबादी में परिवर्तन न होने तक जल प्रदाय विभाग द्वारा जल कनेक्शन नहीं दिया जाता। और क्या यह भी सही नहीं कि आबादी में परिवर्तित होने पर भी कनेक्शन नहीं दिया जाता ?

(2) नागरिकों को पेयजल की प्राथमिक आवश्यकता से वन्चित रखने के पीछे जल प्रदाय विभाग का क्या आधार है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): जी हां। कृषि भूमि में जलदाय विभाग द्वारा जल कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं व कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित हो जाने पर भी जब तक नगर न्यास व नगरपालिका द्वारा कोई ऐतराज न होने का प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त हो, कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। यह कार्यवाही गैर कानूनी गृह निर्माण को बढ़ावा न देने की दृष्टि से की गई है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कृषि भूमि को आबादी भूमि में जब तक परिवर्तित न किया जाय, तब तक क्या उन लोगों को पीने का पानी नहीं दिया जायेगा ? उनको बिजली का कनेक्शन तो मिल जाता है लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती । जयपुर शहर में आप जगह जगह सार्वजनिक नल लगा सकते हैं, तो जहां बिजली का कनेक्शन मिल गया है, वहां पानी का कनेक्शन देने में आपको क्या दिक्कत है ? क्या यह भेदभाव का बर्ताव नहीं है ? कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तन करने की कार्यवाही तो दस पन्द्रह साल ले सकती है, तो क्या दस पन्द्रह साल तक आप लोगों को पानी से वन्चित रखेंगे ? मंत्री महोदय, यह तो मानवता के दृष्टिकोण से भी आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मंत्री महोदय यह समझते हैं कि अगर उनको पानी का कनेक्शन दिया गया तो वह उनकी प्रापर्टी हो जायेगी ? अगर ऐसा नहीं है, तो उनको कनेक्शन देने में क्या दिक्कत है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : कई जगह भूमि जो कनवर्ट हो गई है और आपके अधिकारियों द्वारा पास हो गई है वहां पर भी पानी का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है । तो मेरा प्रश्न है कि जब बिजली का कनेक्शन दिया जाता है, जो कि ज्यादा खतरनाक है, जिससे करेन्ट आ सकता है, तो वहां पानी का कनेक्शन देने में क्या दिक्कत है ? ऐसी कृषि भूमि जो कनवर्ट हो गई और जहां मकान बन गये, वहां पर जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके यहां तो आपने पानी का कनेक्शन दे दिया, लेकिन जो गरीब लोग हैं, उनके यहां पानी का कनेक्शन नहीं दे रहे हैं । समाजवाद के अन्दर यह अमीर और गरीब के बीच भेद-भाव क्यों हो रहा है ? तो कृषि भूमि जो आबादी में परिवर्तित हो चुकी है वहां आप पानी का कनेक्शन दें और जब तक कनेक्शन नहीं दें तब तक सार्वजनिक नल लगाने की व्यवस्था करें ।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में कई बार प्रश्न उठाया गया है कि अवैधरूप से भवनों का निर्माण हो रहा है । कृषि भूमि पर अवैधरूप से निर्माण न हो, इस बात के लिये यह निर्णय लिया गया है कि उनको पानी का कनेक्शन न दिया जाये । जहां कनवर्शन हो चुका है, वहां पर हमने व्यवस्था कर दी है कि नगरपालिका और नगर न्यास से "No dues" सर्टीफिकेट ले आवें, तो पानी का कनेक्शन दे दिया जाता है । इसमें न तो कोई भेदभाव की बात है न पक्षपात की । अवैध मकानों का निर्माण नहीं होना चाहिये । अगर हमने अवैध मकानों में पानी का कनेक्शन दे दिया, और बाद में कहीं उन मकानों को तोड़ने की बात आती है तो जलदाय विभाग इस नुकसान में क्यों पड़े ?

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : जहां कनवर्शन हो चुका है, वहां पर भी जलदाय विभाग यह कहता है कि नगरपालिका और नगर न्यास का सर्टीफिकेट लाओ । एक आदमी नगरपालिका भी जायेगा, नगर न्यास भी जायेगा और आपके भूमि कनवर्शन के दफ्तर भी जायेगा, आखिर वह कहां कहां जायेगा ? तो जहां भूमि का कनवर्शन हो गया, वहां तो कम से कम पानी का कनेक्शन देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह आरोप सही है कि बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
को तो बिना कन्वर्शन हुए ही पानी का कनेक्शन दिया गया है और गरीब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उनसे यह कहा जाता है कि नगरपालिका से हाउस टैक्स की रसीद लोओ तो कनेक्शन दिया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : डवलपमेंट चार्जेज।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नगरपालिका से तो हाउस टैक्स की रसीद मिल जायेगी लेकिन नगर विकास न्यास से क्या मिलेगा ? यह पक्षपात हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत गम्भीर प्रश्न है, जब बिजली का कनेक्शन मिल जाता है, तो आपको पानी का कनेक्शन भी दे देना चाहिये। यहां पर माननीय उप-मुख्य मंत्री बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वह खड़े होकर घोषणा करें कि कृषि भूमि का परिवर्तन हो गया है अथवा नहीं, इन लोगों को बिजली की तरह पानी कनेक्शन भी दिया जायेगा।

श्री चन्दनमल बैद : सारा जवाब तो मैं दे चुका हूं–जो मकान अवैध बने हुए हैं, उनमें जल कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अहमियत का प्रश्न है, कहीं पानी का अभाव हो ऐसी बात भी नहीं है फिर कनेक्शन····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपा करके स्थान ग्रहण करिये। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करता हूं कि पूरक प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वे मूल प्रश्न के उत्तर से कहीं ज्यादा पूछ लिये जाते हैं। छोटी तकरीर हो तो ठीक रहेगा। चार मिनट, पांच मिनट, छः मिनट, बोल लें न कि पूरा भाषण ही दे दें। क्योंकि कई माननीय सदस्य सुनना चाहते हैं और सूचना–सूचना ही है जिसके जरिये सन्तोष होना चाहिए, पूरक प्रश्न का मतलब ही एक पूरी सूचना होता है, मैं आशा करता हूं माननीय सदस्य आयन्दा इस पर ध्यान देंगे।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की छात्रवृत्तियां

89. **श्री राजेन्द्र भारतीय** (बूंदी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की छात्रवृत्तियां समाप्त कर इन वर्गों को विशेष लाभ पहुंचाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के छात्रों की छात्रवृत्तियां बन्द नहीं की हैं।

अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक द्वारा खाद व बीज के लिए ऋण

90. **श्री माणकचन्द सोगानी** (अजमेर पूर्व) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस साल

Page No. 23

(श्री माणकचन्द सोगाणी)
रबी फसल का खाद व बीज के लिये ऋण अजमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, अजमेर ने वक्त से वितरण नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इससे काश्तकारों को अनुमानतः कितना नुकसान हुआ और इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ?

(2) निर्धारित अवधि में ऋण देने के कारण नुकसान होने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में खनिज सर्वे

91. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किन किन जिलों में खनिज सम्पदा का सर्वेक्षण कब कब किया गया है ? सर्वेक्षण का क्या परिणाम जिलेवार रहा ? सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि खनिज सम्पदा (पदार्थ) के पट्टे राज्य सरकार ने दे रखे हैं ? यदि हां, तो इनसे कितनी कितनी (पदार्थवार एवं जिलेवार) आमदनी होती है और खनिज विभाग पर राज्य सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सच है कि खनिज पदार्थों के हिसाब से लघु उद्योगों का राजस्थान में काफी स्कोप है परन्तु अभी तक इन पदार्थों का सदुपयोग नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य बनने के बाद प्रायः सभी जिलों में खनिज सर्वेक्षण हेतु पूर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण किया गया है। जिसका ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। पदार्थवार एवं खण्ड व उपखण्डवार आय तथा व्यय का ब्यौरा वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 का सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां ! उपयोग यथासम्भव किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

जिला झालावाड़ में आवंटित भूमि पर से बेदखल की कार्यवाही

94. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, झालावाड़ द्वारा भूमिहीनों को आवंटित की गई जमीनों से वेदखल किया गया ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 73 से 31 दिसम्बर, 74 तक किन किन व्यक्तियों के ऐसे आवंटन खारिज किये गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन 2 लोगों को बेदखल किया गया उनको नियमानुसार पट्टे दिये जा चुके थे, कब्जा जमीन पर दिया जा चुका था और वे ही जमीन जोत रहे थे ?

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे व्यक्तियों ने जमीन पर कुए, खेत का सुधार कार्य व जमीनों के आसपास दीवार आदि करली है ?

(4) ये जमीनें पुनः अब कब 2 किन 2 को क्यों आवंटित की गई और कितनी 2 ?

उत्तर

(1) जी हां ।

सूची सदन की मेज पर है ।

(सूची 'अ')

(2) जी नहीं । यद्यपि बेदखल किये हुए आवंटियों में से कुछ को पट्टे दिये जा चुके थे और कब्जा भी दिया जा चुका था और वे काश्त भी कर रहे थे परन्तु आवंटन अनियमित होने से नियमानुसार जिलाधीश द्वारा निरस्त कर दिये गये ।

(3) जी नहीं । यद्यपि कुछ आवंटियों ने खेत के चारों तरफ दीवार बना ली थी ।

(4) केवल 9 व्यक्तियों को भू-आवंटन कमेटी द्वारा गंगधार तहसील में कुछ रकबा दिनांक 12-9-74 को नियमन किया गया है । सूची सदन की मेज पर है । (सूची 'ब')

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

36. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला कृषि विभाग, झालावाड़ में सन् 73-74 व 74-75 में कितना कितना खाद डी० ए० पी० अथवा दूसरा यूरिया आदि किसानों को देने हेतु कब आया था तथा इसका वितरण किस किस के माध्यम से किस किस को किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि 74-75 में लेवी देने वाले किसानों को उक्त डी० ए० पी० अथवा दूसरा खाद पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों या ग्राम सहकारी सभाओं के माध्यम से किया गया था ? यदि हां, तो किस किस के द्वारा ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त संस्थाओं द्वारा खाद ले जाने से पूर्व अपने यहां ऐसा प्रस्ताव पास किया था और रकम भी अपने कोष से दी गई ? यदि हां, तो ऐसी कौन सी पंचायत समिति या संस्थाए हैं जिन्होंने प्रस्ताव पास नहीं किये और वैसे ही खाद वितरण हेतु ले गये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या उक्त खाद पुरानी दरों पर ही दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन किन दरों पर कौन कौनसा खाद दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या यह सही है कि उक्त पंचायतें, ग्राम सहकारी सभाओं व पंचायत समितियों के पास खाद बेचने के लाइसेंस थे ?

(6) क्या यह भी सही है कि 29

Page No. 25

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

की नवम्बर, 74 राजस्थान पत्रिका पेज नं 4 पर कृषि विभाग, झालावाड़ में खाद की एक हजार बोरी के बेचने में घोटाला नाम का समाचार छपा था ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा इस समाचार का खण्डन किया गया अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों और क्या इसकी जांच कराई गई ?

उत्तर

(1) जिला झालावाड़ में सन् 73–74 व 74–75 में प्राप्त डी० ए० पी० तथा यूरिया खाद की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। संलग्न (अ) इस खाद के वितरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (संलग्न ब)

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (संलग्न स)

(3) जी हां। अधिकांश पंचायत समितियों द्वारा प्रस्ताव पास कर लिए गए थे। खाद प्राप्त करने के लिये इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं थी।

(4) जी हां।

(5) पंचायत समितियां, व ग्राम सहकारी समितियों के पास खाद विक्रय के लाईसेन्स हैं। कृषकों की तरफ से पंचायतों ने विभाग के गोदाम से खाद प्राप्त किया अतः उन्हें लाईसेन्स लेना जरूरी नहीं था।

(6) जी हां। कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान नहरी क्षेत्र में मंडियों व कृषि फार्मों का निर्माण

37. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार राजस्थान नहरी क्षेत्र में मण्डियों के बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र में बनाई जाने वाली मण्डियों की समस्त सूची मय क्लास एवं भावी निर्माण के नक्शों को सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार राजस्थान नहरी लिफ्ट क्षेत्र में कृषि फार्मों के निर्धारण का भी विचार रखती है ? यदि हां, तो उनके स्थान, रकबा आदि दर्शाते हुए नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां। इस क्षेत्र में बनाई जाने वाली मण्डियों की सूची प्रपत्र-1 में मय श्रेणी के संलग्न कर प्रस्तुत है। इन मण्डियों के मानचित्र प्रपत्र 2 में संलग्न है।

(2) जी हां। एक अनुसंधान फार्म लूनकरणसर में बनाने का प्रस्ताव है। लूनकरणसर फार्म के लिए 438 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन रिजर्व प्राईस पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। प्रस्तावित फार्म का मानचित्र प्रपत्र 1 में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

राज्य में आयुर्वेद औषधालय

38. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में वित्तीय वर्ष 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कहां कहां खोले गये ?

(2) जोधपुर नगर के रातानाड़ा, बागर ; महामन्दिर एवं सूरसागर क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यकता होने पर भी एक भी औषधालय क्यों नहीं खोला गया ?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1972 एवं 1973–74 की अवधि में कोई नवीन औषधालय नहीं खोला गया। वर्ष 1974–75 में 25 नवीन औषधालय खोले गये, जिनकी सूची संलग्न है।

(2) इन स्थानों पर अन्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने के कारण प्राथमिकता नहीं दी जा सकी।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

हरिजन छात्रों के छात्रावासों के भवन का निर्माण

39. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जब से समाज कल्याण कायम किया गया तब से आज तक भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी गई धन राशि से कितने हरिजन छात्रावासों के भवन किस किस जिले में कितने कितने धनराशि के बनाये गये ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में अनुसूचित जाति व जन जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों के भवन अधिकतर किराये पर लिए गए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने, जिलेवार किराये की राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार पूरे राज्य में हरिजन छात्रों के छात्रावासों के भवन का निर्माण कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

जावर माइन्स संघ, उदयपुर

40. श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जावर माइन्स संघ उदयपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये 31 दिसम्बर 65 को समाप्त होने वाले वर्ष के आमद खर्च के हिसाब में इन्कम ओवर एक्सपेंडीचर के मद में कितनी धनराशि अंकित की गई है ? कृपया उक्त मद की राशि का विगतवार ब्योरा बताने का कष्ट करें।

उत्तर

जावर माइन्स मजदूर संघ, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये आमद खर्च के हिसाब में इन्कम ओवर एक्सपेंडीचर के मद में रुपये 3275.51 की राशि अंकित की गई है:—

(श्रम मंत्री)

जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

व्यय		आमद	
वेतन तथा भत्ते	1942.50	सदस्यों से कन्ट्रीब्यूशन	32529.77
प्रतिष्ठान पर व्यय	3820.41	ब्याज	1731.42
ऑडिट फीस	150.00		
सोशियल बेनीफिट एवं शिक्षा पर व्यय	80.00		
अन्य व्यय	24992.77		
इन्कम ओवर एक्सपेन्डीचर	— 3275.51		
योग:..	34261.19	योग..	34261.19

जन्म व मृत्यु का इन्द्राज के कार्य का निरीक्षण

41. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायतों व नगरपालिकाओं के अधिकार में कानूनन जन्म व मृत्यु के इन्द्राज का कार्य है ? यदि हां, तो इस कार्य का निरीक्षण करने व सुझाव देने का अधिकार जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को है या नहीं ?

(2) चूरू जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी ने 1 जनवरी 74 से 31 दिसम्बर, 74 तक कितनी व कौनसी ग्राम पंचायतों नगर-पालिकाओं के रिकार्ड का निरीक्षण किया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का कोई निरीक्षण न कर सुझाव नहीं दिया जाता है जिससे पंचायत एवं नगरपालिकायें उनके सुझावों से वंचित रहती हैं ?

उत्तर

(1) जन्म व मृत्यु के इन्द्राज का कानूनन अधिकार पंचायतों व नगरपालिकाओं का है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी को निरीक्षण करने के अधिकार नहीं है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छात्रावासों में मेहतर रसोइये

42. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने छात्रावास विभाग द्वारा व सहायता से चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनमें कितने रसोइये लगे हुए हैं ?

(3) उक्त रसोइयों में कितने रसोइये मेहतर जाति के हैं ? उनके नाम व पते दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में 178 छात्रावास विभाग द्वारा व 130 छात्रावास स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा विभाग की सहायता से चलाये जा रहे हैं सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन छात्रावासों में रसोइयों के नाम से कोई पद स्वीकृत नहीं है। छात्रावासों

(समाज कल्याण मंत्री)
में लगे हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अथवा अन्य अंशकालीन कार्यकर्ता ही आवश्यकतानुसार रसोई बनाने का कार्य करते हैं ।

(3) सूची (ब) सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बीकानेर जिले में पंचों व सरपंचों के रिक्त पद

43. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर जिले में पंचों, सरपंचों के पद एवं प्रधानों के पद कहां कहां रिक्त है ? रिक्त स्थानों की तिथि पंचायत तथा पंचायत समितियों के नाम सहित बतलाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या सरकार पंचों, सरपंचों एवं प्रधानों के रिक्त स्थानों का उप चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

(स्थगित हुआ)

तहसील नोखा में गोपालकों को ऋण

44. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

बीकानेर जिले की तहसील नोखा में गोपालकों को व्यक्तिगत व पशुपालन सहकारी समितियों (डेयरी फार्मो) को किस किस गांव में कितना कितना ऋण पंचायत समितियों के माध्यम से व अन्य एजेन्सियों द्वारा दिया गया? व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, निवास स्थान, धनराशि की मात्रा, देने की तारीख दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही

45. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले की पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के अधीनस्थ कर्त्तव्यों का पालन न करने के कारण कितने सरपंचों के खिलाफ जनवरी 72 से आज तक पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही के लिये विकास अधिकारी द्वारा जिलाधीश चूरू को लिखा गया ? जिलाधीश चूरू ने उन पर क्या कार्यवाही की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) विकास विभाग द्वारा उन पर आज तक क्या कार्यवाही हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक जिलाधीश एवं विकास विभाग से कोई कार्यवाही नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्यों और अब कितने समय में होगी ?

उत्तर

(1) चार पंचायतें ऊपनी, सांवतसर, भीमासर एवं रिड़ी के सरपंचों के विरुद्ध जिलाधीश को सूचना दी गई थी । जिलाधीश ने पंचायत भीमासर की रिपोर्ट

(सहकारिता मंत्री)

विकास विभाग को भेज दी। इसके अतिरिक्त अन्य पंचायतों का विस्तृत निरीक्षण करा कर उनकी त्रुटियों में सुधार करने के लिये कहा गया है। चूंकि अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः तहसीलदार द्वारा प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(2) पंचायत भीमासर की रिपोर्ट दिनांक 10–2–75 को प्राप्त हुई है जिस पर कार्यवाही हो रही है ? शेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं, भीमासर के लिये विकास विभाग द्वारा कार्यवाही जारी है तथा शेष पंचायतों के लिये जिलाधीश कार्यवाही कर रहे हैं। जिलाधीश को आदेश दे दिये गये हैं कि शीघ्रातिशीघ्र जांच रिपोर्ट भेज दें ताकि कार्यवाही की जा सके।

मकान बनाने हेतु कर्जा।

46. श्री ओंकारलाल चौहान (डग): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान राज्य सहकारी गृह निर्माण ऋणदात्री समिति ने 1974–75 में राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लोगों को मकान बनाने हेतु कितनी धनराशि का कर्जा दिया ? इसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अनुसूचित जाति व जनजाति को पृथक् पृथक् रूप से धनराशि के आंकड़े देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी गृह निर्माण ऋणदात्री समिति ने 1974–75 में राजस्थान में प्राथमिक गृह निर्माण समितियों के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मकान बनाने हेतु 1,33,68,000/- रु० का कर्जा दिया है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की गृह निर्माण समितियां मिश्रित सदस्यों के लिए ऋण आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। अतएव पृथक् 2 आंकड़े दिया जाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू के गांवों की जल प्रदाय योजनाएं

47. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चूरू में जल-प्रदाय योजनाएं कौन-कौन से गांवों में निर्माणाधीन हैं ? इनकी क्या प्रगति है ? ये योजनाएं कब तक पूरी हो जावेंगी ?

उत्तर

सूची संलग्न है। प्रगति विवरण व पूर्ण होने की जानकारी सूची में ही दर्शायी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर जिले की डिग्गाड़ी चैनपुरा ग्रामीण जल प्रदाय योजना

48. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक

(श्री अमृतलाल गहलोत)
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले की डिग्गाडी, चैनपुरा ग्रामीण जल प्रदाय योजना रिवाइज रूप में कितनी धन राशि की अनुमानित लागत की है ?

(2) अब तक उपरोक्त योजना पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

(3) कब तक उपरोक्त अधूरी योजना पूर्ण कर दी जायेगी और वित्तीय वर्ष 1974-75 में इसके लिये कितना प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की डिग्गाडी चैनपुरा ग्रामों की रिवाइज्ड जल प्रदान योजना की अनुमानित लागत 16,60,500/- है ।

(2) इस योजना पर वित्तीय वर्ष 1973–74 तक 7.60 लाख रु० (सात लाख साठ हजार) व्यय हो चुके हैं ।

(3) यह मूल योजना 6.94 लाख रु० की लागत से स्वीकृत की गई थी, तथा इसके मुकाबले वर्ष 1973-74 तक 7.60 लाख रु० व्यय किये जा चुके हैं अतः वर्ष 74–75 में इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया । योजना को पूर्ण करना पर्याप्त धन की उपलब्धि पर निर्भर करेगा ।

कोटपुतली तहसील की बनेटी ग्राम की जल प्रदाय योजना

49. **श्री सुरेशचन्द** (कोटपुतली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटपुतली तहसील की बनेटी ग्राम की जल प्रदाय योजना किस वर्ष स्वीकृति हुई तथा कब पूरी हुई ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के पूरा होने के काफी अर्से बाद भी अभी तक जनता को पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) कोटपुतली तहसील की बनेटी ग्राम की जल प्रदाय योजना दिनांक 10-6-71 को स्वीकृत हुई थी तथा दिनांक 7-1-75 को शुरू कर दी गई ।

(2) योजना दिनांक 7-1-75 को शुरू कर दी गई लेकिन दिनांक 12-1-75 को बियरिंग टूट जाने के कारण बीच में बंद हो गई एवं यह बियरिंग जयपुर में न मिलने पर बिल्लीमोरा, गुजरात से दिनांक 12-2-75 को प्राप्त हुआ है व योजना दिनांक 16-2-75 को चालू कर दी गई है ।

मीटर रीडर भवानी मंडी के विरुद्ध शिकायतें

50. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या जल प्रदाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री नारायण लाल सोनी मीटर रीडर भवानी मण्डी के विरुद्ध काफी शिकायतें विभाग को जनता द्वारा की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि अधिशाषी अभियन्ता जल प्रदाय झालावाड़ ने भी इस व्यक्ति को हटाने की सिफारिश की है ?

Page No. 31

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

(3) क्या यह भी सही है कि इस श्री नारायणलाल सोनी को यूनियन वाटर वर्क्स झालावाड़ जिला ने भी हटाने को लिखा था? यदि हां, तो फिर भी इनको क्यों रखा जा रहा है ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील अनूपगढ़ में भूमि का आवंटन

51. **श्री गुरदयाल सिंह संधु** (करणपुर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

चक 13-ए तहसील अनूपगढ़ व उपनिवेशन तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर में मु०नं० 138/36, 138/44, 138/45, 138160 किस किस को कब कब और किस आधार पर और कितना कितना आवंटित किया गया है और आवंटन के क्या आधार हैं ?

उत्तर

चक 13-ए तहसील अनूपगढ़ व उपनिवेशन तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर में मु० नं० 138 का कोई ब्लॉक नहीं है। अतः आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

नसीराबाद नगर में उप-तहसील की स्थापना

52. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नसीराबाद नगर में उप तहसील की स्थापना हेतु राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अजमेर के तहसीलदार द्वारा भवन की व्यवस्था हेतु भी मौका मुआयना किया गया ?

(3) क्या सरकार स्वयं भवन की व्यवस्था कर नसीराबाद नगर में उप-तहसील की स्थापना करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां, किन्तु यहां उप-तहसील के लिए कोई उपयुक्त भवन दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

(3) जी नहीं।

ग्राम कल्याणपुरा (जिला टोंक) में चरागाह पर अनधिकृत कब्जा

53. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कल्याणपुरा तहसील टोडा रायसिंह (जिला टोंक) की चरागाह खसरा नं० 258 व 123 पर सन् 73-74 व 74-75 में भी अनधिकृत कब्जा कर फसलें बो दी थी? यदि हां, तो किस किस ने तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कब कब की गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि अब भी उक्त चारागाह पर अनधिकृत कब्जा है ? यदि हां, तो किनका है और इनको बेदखल क्यों नहीं किया जाता है ?

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम कल्याणपुरा– तहसील टोडारायसिंह (जिला टोंक) की चरागाह भूमि खसरा नं० 123 व 258 पर वर्ष 73-74 (संवत् 2031) में निम्नलिखित व्यक्तियों ने अनधिकृत अतिक्रमण कर फसल काश्त की थी । इसको नियमानुसार बेदखल किया जाकर पेनल्टी से दण्डित किया गया है। साथ ही फसल रबी को कुर्क कर जप्त सरकार करली गई है एवं फसल खरीफ को नष्ट करवा दिया गया है :—

1. रतना पुत्र दल्ला रैगर नि० कल्याणपुरा
2. रामा पुत्र मंगल्या रैगर नि० ,,
3. रामदेवा पुत्र सांवला भील ,,
4. रामदेवा पुत्र घींसा भील ,,
5. बजरंगा पुत्र हरदेवा भील ,,
6. धन्ना पुत्र बख्तावरा खाती ,,
7. नाथू पुत्र गणेश खाती ,,

वर्ष 1974-75 में उक्त चरागाह पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

(2) जी नहीं ।

प्रश्न पैदा नहीं होता ।

बीकानेर जिले में पेड़ लगाने की योजना

54. **श्री चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बीकानेर जिले में मय राजस्थान लिफ्ट परियोजना क्षेत्र के वन नये रूप से लगाने का सरकार नये वर्ष में कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितने कितने क्षेत्र में किस किस प्रकार से कहां कहां को ? समस्त जानकारी देने की कृपा करें । साथ साथ लागत के विविध आंकड़े भी अंकित करेंगे ।

(2) क्या इस वक्त भी जिले में वन विभाग द्वारा कोई रकबा रिजर्व किया हुआ है ? यदि हां तो कितना कितना और कहां कहां पर मय स्थिति अंकित करते हुए सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या पेड़ लगाने हेतु बीकानेर जिले में सरकार की कोई योजना 1975-76 में है ? यदि हां तो किन किन स्थानों पर किस किस खर्चे के अनुपात से पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1975-76 में सूखा ग्रस्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत चरागाह क्षेत्र सुधार कार्यक्रम में लगभग 1550 हैक्टर में रु० 5.45 लाख व्यय से कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त दो पौधशालाओं में बीस हजार रुपये लागत से पौधे भी तैयार किए जायेंगे ।

(2) वर्ष 1974-75 में वन क्षेत्र में किए गए कार्य का विवरण संलग्न सूची में अंकित है । यह कार्य बीकानेर जिले में केवल उन्हीं स्थानों पर किये गये हैं जो कि विश्व बैंक योजना के क्षेत्र (क) और (ख) के अन्तर्गत आते हैं ।

(3) जी हां । चरागाह सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यकतानुसार छायादार एवं चारा वृक्ष लगाने की योजना है । स्थानों का चयन अभी शेष है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

Page No. 33

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राज्य कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता न दिये जाने के विषय में !

2. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से टौंक में 3 फरवरी से चल रही मेहतरों की हड़ताल के विषय में।

इन दोनों प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

3. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राज्य सरकार द्वारा जयपुर में देशी शराब के ठेकों की नीलामी निकट भविष्य में की जाने वाली है, इस विषय में। यह प्रश्न किसी घटना विशेष से सम्बन्धित नहीं है और राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केशरीमल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते व अतिरिक्त दी जाने वाली रकम, जो कोस्ट आफ लिविंग इन्डेक्स बढ़ने के साथ-साथ दे दी जानी चाहिए, वह नहीं दी गई। यह महंगाई भत्ता समय-समय पर जो इन्डेक्स बढ़ता रहता है उसी के हिसाब से उसी समय दे दिया जाना चाहिए और यह बिल्कुल सही बात है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों से, राज्य कर्मचारियों के नेताओं से हुई बातों से और अपनी घोषणाओं से इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि जब-जब भी केन्द्रीय सरकार का पैसा बढ़ता है, केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है, उसी तरह से राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया जायगा। परन्तु इस सरकार का रवैया ही ऐसा रहा है कि वह वायदा करके भी पीछे हट जाती है और पैसा नहीं दे रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है और उधर चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं। राज्य कर्मचारियों को खुद का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। इस बात को लेकर राज्य कर्मचारी, उस मांग को लेकर····

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर राज्य सरकार का वक्तव्य होना चाहिए।

श्री केदारनाथ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं इस पर घोषणा करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई जानकारी की भी बात नहीं है, यह तो····

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इससे समय बच जायगा।

श्री केशरीमल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि कर्मचारियों के नेता राज्य सरकार से इस बारे में मिलने गये तो उन्होंने उनकी बात सुनने के बजाय उनको गिरफ्तार किया गया। इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनकी बात सुनते नहीं हैं और उनको पैसा नहीं दें, एक तरफ भत्ता नहीं दें, चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं और उनको जब बात करने आते हैं तो गिरफ्तार कर लेते हैं, तो यह समझ में नहीं आता कि यह सरकारी नीति कहां जा रही है

(श्री केशरीमल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य कर्मचारी अपनी वाजिब मांगों को लेकर बातचीत करने के लिये आये थे तो उनसे बात नहीं करके उनकी बात नहीं सुनी और गिरफ्तार कर लिया गया । और जब वे हड़ताल करते हैं तो उसका जवाब डण्डों और गोलियों से दिया जाता है । मुझे कहना चाहिए कि सरकार की यह एक गलत नीति है। इसलिए उनकी बात को सुनना चाहिए और पैसा दिया जाना चाहिए । जो बात पहले मान ली गई है पैसा देने की, वह उनको मिल जाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके जरिये से निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से कि राज्य सरकार आगे होकर ऐसा करने की कोशिश कर रही है कि राज्य कर्मचारियों के साथ ज्यादती का सलूक कर रही है और उनके बाल-बच्चों को भूखों मारने की कोशिश कर रही है, इसलिए स्थिति बिगड़ेगी । यह बहुत ही अहम मसला है और सरकार को तुरन्त ही इस बारे में वक्तव्य देना चाहिए । और राज्य सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि जब-जब भी केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ेगा, हम भी बढ़ायेंगे और उनके नेताओं को गिरफ्तार करने जैसी घटनाऐं आगे नहीं होंगी उसका भी आश्वासन दिया जाना चाहिए । यह कोई अच्छा तरीका नहीं है, राज्य सरकार को इसके लिये ध्यान रखना चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह समाज के सबसे निम्न तबके के ऊपर हो रहे अत्याचार का एक बहुत ही गम्भीर मामला है । टौंक जिले के अन्दर इस समय कई नगरपालिकाओं के अन्दर बाल्मिकी कर्मचारी हड़ताल पर हैं । टौंक में ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, देवली का काम बन्द है और उनियारा का काम बन्द है । कल से टौंक जिले में कई नगरपालिकाओं का काम बन्द होने जा रहा है । जो अत्याचार वहां पर हो रहा है वह बहुत ही रोमांचकारी अत्याचार है । टौंक जिले की नगरपालिकाओं के कर्मचारियों ने अपनी वेतन बढ़ोतरी, अपनी पदोन्नतियों और राणावत कमीशन की सिफारिशों के सम्बन्ध में अपनी मांगें प्रस्तुत की हैं जो उस समय के वहां के प्रशासक एस० डी०एम० ने वहां के कर्मचारियों के साथ 18-8-74 और 19-8-74 को समझौता करके सारी की सारी मांगें स्वीकार कर ली थीं । अध्यक्ष महोदय, जब उसके बाद में एस०डी०एम० साहब उस नगरपालिका के प्रशासक नहीं रहे और टौंक के जिलाधीश उसके प्रशासक हो गये तो उन्होंने उन मेहतरों की जो पुरानी सभी स्वीकृत मांगे थीं उनको ठुकरा दिया। अध्यक्ष महोदय, वहां के मेहतरों ने बाद में प्रशासक महोदय को 15 दिन का लीगल नोटिस दिया और तीन फरवरी को वहां के एक कर्मचारी कर्मचन्द भूख हड़ताल पर बैठे । अध्यक्ष महोदय, तो वहां पर उन भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को पुलिस, कलेक्टर के आदेश से, जबरदस्ती पुलिस थाने में उठा कर ले गये और उन्हें बुरी तरह से थाने में पीटा गया । अध्यक्ष महोदय, उनको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी हालत खराब हो गयी । उसके बाद में पुलिसवालों ने उनको जबरदस्ती भोजन कराया । अध्यक्ष महोदय, वह तो भगवान की कृपा से उनका जीवन बच गया वरना जो उनको जबरदस्ती भोजन कराया गया था उस वक्त अगर वह भोजन उनकी विंड पाइप में चला जाता तो उनका जीना मुश्किल हो जाता । इसके बाद में तारीख 8 को उन्हीं मेहतर बाल्मिकी कर्मचारियों में से श्री मदनलाल भूख हड़ताल पर बैठे । अध्यक्ष महोदय, उनके

(श्री केशरीमल)

साथ में भी वही वर्ताव किया गया। उनको भी जबरदस्ती उठा कर पुलिस थाने में ले गये और उनकी भी निर्ममता से पिटाई की गई। और उनकी भूख हड़ताल समाप्त करायी गयी। अध्यक्ष महोदय, वहां के जो बाल्मिकी हरिजन कर्मचारी हैं, उन्हें बुरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हालांकि अब परीक्षायें मार्च की बजाय अप्रेल में होंगी, तो भी दूसरे लोगों को, जैसे होटल वाले हैं, लोटरी के टिकट बेचने वाले हैं, दवाईयां बेचने वाले हैं उनको तो लाउड स्पीकर पर अपने एडवरटाइजमेंट करने को मना नहीं है लेकिन बाल्मिकी मेहतर कर्मचारियों के लिये लाउड स्पीकर पर बोलने की मुमानियत कर दी है। अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा अत्याचार बेचारे हरिजनों पर हो रहा है कि उनियारा में हरिजनों को स्वास लेना भी इन दमनकारियों ने दुर्लभ कर रखा है। सारा उनियारा गांव वहां पर बदबू से सड़ रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, उनियारा में कोई हड़ताल नहीं हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपको वहां पर भूख हड़ताल नजर नहीं आती है, आपको तो मोती डूंगरी में जो तख्तेशाही में माल भरा है, वह नजर आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री राजेन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनियारा में कोई भूख हड़ताल नहीं हो रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इनको तो मोती डूंगरी पैलेस में तख्तेशाही में जो जवाहारात वगैरहा निकल रहे हैं उसका ध्यान आ रहा है। इसलिये आपको तो उनियारा में जो भूख हड़ताल हो रही है वह नजर नहीं आयेगी। अध्यक्ष महोदय, इसलिये मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि उनियारा में बाल्मिकी कर्मचारियों का राणावत वेतन कमीशन को लेकर जो आन्दोलन हो रहा है उसके लिये राज्य सरकार से एक वक्तव्य दिलाया जाय और जो वहां के प्रशासक महोदय हैं, जिन्होंने हरिजनों पर पुलिस द्वारा अत्याचार कराये हैं, उनको व पुलिस अधिकारी, जिन्होंने कि उन पर अत्याचार किया है, उनको सस्पैन्ड किया जावे और उनके खिलाफ में इन्क्वायरी की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Next,

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक दो शब्द में भी बाल्मिकी हरिजन कर्मचारियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की कई नगरपालिकाओं ने राणावत पे कमीशन को मान लिया है और उसी प्रश्न को लेकर उनियारा के मेहतर कर्मचारियों ने आन्दोलन किया है। अध्यक्ष महोदय, मेहतर वर्ग समाज का सबसे पिछड़ा हुआ वर्ग है, और राज्य सरकार भी मेहतरों के बारे में काफी सहुलियतें दे रही हैं, और राज्य सरकार की नीति भी पिछड़े वर्ग को समृद्ध करने की है। इसके लिये राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को भू-खण्ड दे रही है, जमीनें एलोट कर रही हैं, पिछड़े वर्ग को मकान बनाने के लिये ऋण भी दे रही है तो फिर वहां की नगरपालिका को इन लोगों को राणावत पे कमीशन की पे स्केल्स देने में क्या आपत्ति है? सिर्फ यह कह देना कि उनके पास साधन नहीं है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह तो बात उचित नहीं है। इसके लिये वहां की नगरपालिका को चाहिये कि वह फण्ड्स क्रियेट करके समाज के इस पिछड़े वर्ग को राणावत पे कमीशन के अनुसार वेतन दिलाये यह तो एक माननीय दृष्टिकोण राज्य सरकार का उनके प्रति होना चाहिये। इसलिये मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह अनुरोध है कि वह वहां के नगरपालिका के प्रशासक को आदेश दे कि मेहतर कर्मचारियों को राणावत पे कमीशन के अनुसार वेतन दिलाने की व्यवस्था करें।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मन्त्रीजी का और राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने सदन में यह घोषणा की थी कि राज्य सरकार शराब बन्दी की नीति पर अमल कर रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी के अखबारों में यह आ रहा है कि राज्य सरकार जयपुर में तारीख 27 और 28 फरवरी को शराब की दुकानों के ठेके के लिये कार्यवाही कर रही है। अखबारों में यह भी पढ़ा है कि यहां के ठेकेदार अगर दुकानें उचित मूल्य पर नहीं उठायेंगे तो राज्य सरकार बाहर से शराब के ठेकेदारों को बुलाकर शराब की दुकान को ठेके पर देगी। और अगर यहां के ठेकेदारों ने उन लोगों को शराब की दुकानों को लेने में अड़चन कराई, तो राज्य सरकार स्वयं वहां पर शराब की दुकानें चलायेंगी। अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी इस सदन में जब शराब बन्दी के बारे में चर्चा हुई थी तो राज्य सरकार ने शराब बन्दी की नीति को अमल में लाने का आश्वासन इस सदन में दिया था और अभी हमने सामाचार पत्रों में भी पढ़ा था भारत की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी राजस्थान में आयी थीं, तो मुख्य मन्त्रीजी से राजस्थान में शराब बन्दी के लिये कहा था। यह जानकारी हमें समाचार पत्रों से मिली थी। लेकिन इस सरकार का कोई पता नहीं चलता, क्योंकि जब हम सचिवालय में जाते हैं तो वहां पर दो प्रकार के पोस्टर दिखाई देते हैं। एक जगह यह लिखा है कि राज्य सरकार का कार्य हिन्दी में होना चाहिये पर वहीं पर इस सचिवालय में राज्य काज सारा अंग्रेजी में होता है। दूसरी जगह शराब बन्दी के पोस्टर लगे हुए हैं पर राजस्थान सरकार स्वयं शराब की दुकानें चलाने को तैयार है। तो अध्यक्ष महोदय, जो राज्य सरकार शराब के धन्धे से अपना खर्च चलाना चाहती है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जो बात कहती है ठीक उल्टा काम करती है। कहती है हिन्दी को प्रोत्साहन मिलना चाहिये वहां पर अंग्रेजी में काम होता है, नशाबन्दी की बात करते हैं तो यहां पर शराब की दुकानें स्वयं राज्य सरकार चलाने की बात करती है। हर बात उल्टी है। राज्य के मुख्य मन्त्री जी इन्दिरा गान्धी को, गोकुल भाई भट्ट को, शराब बन्दी के वायदे करती है और दूसरी ओर खुद शराब की दुकानें खोलने का सोच रही है। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पिछले इस सदन में मुख्य मन्त्री जी ने और वित्त मन्त्रीजी ने यह कहा था कि हमने ऐसे सरक्यूलर जारी कर दिये हैं कि शराब की दुकानें मन्दिरों के पास, स्कूलों और कॉलेजों के पास, सार्वजनिक स्थानों के पास नहीं खोली जायेंगी। लेकिन उसके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
बाद भी, अध्यक्ष महोदय, आज मन्दिरों और स्कूलों के पास शराब की दुकानें खुली हुई हैं ।

श्री अध्यक्ष : No long speech.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में रेगरों की कोठी कांड को लेकर काफी हंगामा हुआ था । क्योंकि उसमें 13 व्यक्ति मर गये थे और कई लोग जहरीली शराब पीने से अन्धे हो गये । इस बात के बारे में अखबारों में भी काफी आया, सदन में माननीय सदस्यों ने भी काफी इस बारे में कहा, तो मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा रेगरों की कोठी की शराब की दुकानें बन्द कर दी गयी हैं, ऐसा आश्वासन हमें यहां पर दिया गया । अखबारों में आया लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तारीख 27 और 28 को ही जयपुर में शराब की दुकान के बारे में निलामी हो रही है । और इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और निवेदन कर दूं कि जो राज्य सरकार का यह आश्वासन था कि कॉलेजों, स्कूलों और मन्दिरों के पास कोई शराब की दुकानें नहीं होंगी वही आज श्रीजी की मोहरी के पास, सिरेड्योड़ी बाजार में तथा यहां महाराजा स्कूल के पास शराब की दुकानें खुली हुई हैं । अध्यक्ष महोदय, यहां पर रात को हवा महल के पास लोग शराब पीकर बैठ जाते हैं । विदेशी पर्यटक भी आते और उनकी हालत पर दया करते हैं । तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इन बातों को रोका जाना चाहिये । और जो यह अखबारों में आया है कि तारीख 27–28 को शराब की दुकानों के बारे में ठेका दिया जायेगा, जिसमें अगर शहर के ठेकेदार शराब की दुकानें नहीं उठाते हैं तो राज्य सरकार बाहर से ठेकेदारों को बुलाकर ठेका देने की व्यवस्था करेगी, और अगर वह भी नहीं बैठी तो राज्य सरकार स्वयं शराब की दुकानें जयपुर शहर में चलायेगी, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात राज्य सरकार के लिये क्या हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में और सदन में जब यह आश्वासन दिया कि 31-3-75 तक शराब बन्दी हो जायेगी तो राज्य सरकार अपनी घोषित नीति पर क्यों नहीं चल रही है ? अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि राज्य सरकार शराब बन्दी की नीति से हट रही है और राज्य सरकार के मन्त्री मण्डल ने गुप्त बैठक भी इस बारे में की बताते हैं ।

श्री अध्यक्ष : थोड़े में फरमायें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार सदन में शराब बन्दी का आश्वासन दे, अखबारों में शराब बन्दी की नीति को अमल में लाने की बात करे, भारत की प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गान्धी को शराब बन्दी की बात कहें फिर यह शराब का धन्धा करने की बात क्यों कर रहे हैं ? शराब का प्रश्न एक अहमियत रखता है । तो राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार पूर्ण नशा-बन्दी राजस्थान में लागू करेगी या नहीं, या राज्य सरकार एक दो जिलों में शराब बन्दी की नीति को लागू करेगी । इसके

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अलावा, अध्यक्ष महोदय, रेगरों की कोठी में जो 13 व्यक्ति मरे थे और कई लोग अन्धे हो गये थे और वहां पर दुकान हटाने के राज्य सरकार ने आदेश दे दिये थे, फिर भी आठ महीने बाद में उसी रेगरों की कोठी के अन्दर शराब की दुकान वापिस खोल दी गयी है, और यह दुकान वहां पर खुली है जहां पर कि नगरपालिका के फायर ऑफिसर का दफ्तर था। राज्य सरकार ने उस दफ्तर को खाली करवा कर वहां पुनः शराब की दुकान खोली है, तो, अध्यक्ष महोदय, आखिर राज्य सरकार का इरादा क्या है ? जबकि राज्य के मन्त्रीजी, और वित्त मन्त्रीजी सदन में शराब बन्दी की नीति की घोषणा करते हैं इन्दिरा गान्धी से शराब बन्दी की बातें करते हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकान चलाने की सरकार बात कर रही है तो इस बार राज्य सरकार का ध्यान मैं आकर्षित कर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में शराब बन्दी की क्या नीति है, एक स्टेटमेन्ट दे। अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि राज्य सरकार इस बारे में एक वक्तव्य कि राजस्थान सरकार की शराब बन्दी की क्या नीति है, सदन में आज ही दें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचना

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

माननीय मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरना (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ग्रुप 4) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या 7(48) राज। ग्रुप 4।74, दिनांक 16 दिसम्बर, 1974.

(2) अधिसूचना संख्या 6(118) राज। ग्रुप 4।74, दिनांक 25 जनवरी, 1975.

समिति का प्रतिवेदन अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री भीखाभाई (सभापति, अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार की सेवाओं एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित अनुसूचित जन-जाति कल्याण समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

उदयपुर स्थित मोयदपुरा मस्जिद में बोहरा यूथ के लोगों पर पुलिस द्वारा किया गया कथित हमला

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा, द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव, जो 18-1-75 को उदयपुर स्थित मोयदपुरा मस्जिद में बोहरा यूथ के लोगों पर पुलिस द्वारा किये गये कथित हमले से सम्बन्धित है, के तथ्य निम्न प्रकार से हैं:

यह सत्य नहीं है कि दिनांक 18-1-75 को उदयपुर मस्जिद में प्रवेश कर पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया बल्कि सही तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18-1-75

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

को उदयपुर में बोहरा जाति के लोगों में आपस में मोयदपुरा मस्जिद के अन्दर झगड़ा हुआ वे लोग मुहर्रम की मजलिस में शरीक होने मस्जिद के अन्दर गये तथा वाज (प्रवचन) सुनते सुनते उनमें आपस में मस्जिद के अन्दर झगड़ा शुरू हो गया। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, जो कि वहां पर नियुक्त थी, घटना स्थल पर पहुंची और लोगों को अलग अलग किया ताकि झगड़ा न बढ़े। कुछ लोग गलियों में आ गये और झगड़ा करने लगे। एक दूसरे पर तथा पुलिस पर भी छतों से पत्थर व बोतलें फैंकना शुरू कर दिया। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिये भीड़ जो वहां एकत्रित थी उसको मौके पर नियुक्त मजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी घोषित किया व भीड़ को हटाने के लिये अश्रु गेस का प्रयोग भी किया।

इस झगड़े में 115 बोहरा समाज के लोग तथा 26 पुलिस के सिपाहियों को चोटें आयीं। जिस समय झगड़ा हुआ, उस समय मस्जिद में औरतें तथा बच्चे भी थे।

यह सत्य नहीं है कि पुलिस ने मस्जिद का अपमान किया व औरतों की बेइज्जती की। जिलाधीश, उदयपुर द्वारा बोहरा यूथ दल पर मोयदपुरा मस्जिद को खाली करने के लिये कोई दबाव नहीं डाला गया। यह कहना भी सही नहीं है कि किसी दल ने पुलिस की जानकारी में हथियार बांटे और उनका उपयोग किया और पुलिस की मदद से मस्जिद में गये। उक्त दोनों दलों के आपसी तनाव को देखते हुए एवं कानून व व्यवस्था को बनाये रखने हेतु बोहरा वाड़ी क्षेत्र में दिनांक 17-1-75 को धारा 144, जा०फौ०, दिन के 3 बजे से जिलाधीश, उदयपुर द्वारा लगाई गई थी और इस आदेश की पालनार्थ पुलिस भी नियुक्त की गई थी।

यह सत्य नहीं है कि हमला करने वाले व्यक्ति मस्जिद के दूसरे दरवाजे से बच कर बाहर निकले व पुलिस की गाड़ियों में बैठ कर रवाना हो गये। पुलिस ने घटना स्थल पर ही 31 व्यक्तियों को धारा 151, जा० फौ० के अन्तर्गत बन्दी बनाया था।

इस घटना के तुरन्त बाद जिलाधीश, उदयपुर ने मस्जिद में प्रवेश करने के लिये पाबन्दी लगाने हेतु धारा 144, जा० फौ० लगादी। मस्जिद के अन्दर व बाहर पुलिस लगा दी गयी।

उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा कोई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर धानमण्डी थाने के थानेदार ने अपनी तरफ से अभियोग संख्या 8, दिनांक 18-1-75, धारा 147,148,149, 307,426,332, 353, ता० हि० पंजीबद्ध कर अनुसंधान आरम्भ किया। दोनों दलों ने यह व्यक्त किया कि वे स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान नहीं करवायेंगे, इस कारण अनुसंधान गुप्तचर विभाग में स्थानान्तरित हो चुका है जिसके अनुसंधान हेतु अपर पुलिस अधीक्षक को नियुक्त किया जा चुका है।

दिनांक 19-1-75 को श्री याकूबअली ने थाना धानमण्डी, उदयपुर में रिपोर्ट की जिसमें अंकित किया कि दिनांक 18-1-75 को 9 बजे सुबह वाज (प्रवचन) में शामिल होने मोयदपुरा मस्जिद में मय अपने अन्य साथियों के जा रहा था तो रास्ते में 25 आदमियों ने मारपीट की जिस पर अभियोग संख्या 9, धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325, ता० हि० के अन्तर्गत पंजीबद्ध

Page No. 40

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
कर अनुसंधान आरम्भ किया गया इसमें अब तक 22 अपराधियों की जमानतें पुलिस द्वारा ली जा चुकी हैं। इसमें 5 आदमियों के चोटें आयी हैं। यह अभियोग भी गुप्तचर विभाग को अनुसंधान के लिये स्थानान्तरित किया जा चुका है जिसका अनुसंधान करने के लिये अपर पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर विभाग को नियुक्त किया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह सर्वथा तथ्यों से परे है। 18 जनवरी को उदयपुर में जो घटनायें हुई हैं उससे इन्सानियत लज्जित हुई है, कलंकित हुई है। और मैं समझता हूं कि भारतवर्ष के इतिहास में इस प्रकार के अत्याचार एक धार्मिक संस्था में कहीं पर नहीं हुए हैं। कम से कम मेरे पास 50 फोटोग्राफ्स हैं, अध्यक्ष महोदय, जो मैं सदन के अन्दर प्रस्तुत करूंगा, आपको देखने के लिये चेम्बर में प्रस्तुत करूंगा।

मंत्री महोदय ने कहा कि 115 व्यक्तियों के चोटें आयीं जबकि 200 से अधिक घायल हुए हैं। 94 साल का रजबअली, जिसके दोनों पैर टूट गये थे, और भी जिसके फेक्चर्स हुए हैं अब इस दुनिया में नहीं है। 3 साल का मासूम बच्चा ज्वेल जिसकी कनपटी में चोट आयी उसका शिकार हुआ। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, अनेक महिलाओं की, मैं पांच महिलाओं के नाम अभी दूंगा, पुलिस ने बाकायदा मस्जिद में घुस कर, पांच महिलाओं की इज्जत को लूटने का प्रयत्न किया। मैं उनके बयान लाया हूं। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना करूंगा उन 16, 16 साल की महिलाओं, 30 साल की महिलाओं, 21 साल की लड़कियों को सदन में लाकर प्रस्तुत किया जाय। मैं राजस्थान में नहीं था तब मेरे बयानों को खंडन करते हुए, राजस्थान पत्रिका में कोई बयान दिया गया है, बोहरा समाज द्वारा खंडन किया गया। यह पवित्र सदन है, इस में उन पांचों महिलाओं को बुलाया जाय और उनको इस सदन के अन्दर लाकर पूछा जाय।

पहले तो, अध्यक्ष महोदय, मैं घटनाओं के लिये कहूंगा। ये सारी घटनायें पूर्व नियोजित षड्यन्त्र के साथ, जिसमें वहां के अधिकारियों का पूरा हाथ है, उनके द्वारा की गयी है। जब इमामहुसैन साहब के मर्सिया के दस दिन चल रहे थे, नमाज अदा करने जा रहे थे मर्सिया की, बोहरा समाज के लोगों को बुला कर कहा गया कि मस्जिद खाली कर दीजिये मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्क्वायरी की जाय तो यह तथ्य सामने आवेंगे, बाकायदा कोर्ट बैठे। 20 तारीख को मैं कलेक्टर साहब से मिला और मेरे साथ वहां 7 व्यक्ति थे। कलेक्टर साहब ने कहा क्यों नहीं खाली कर देते मस्जिद खाली कर देनी चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि मस्जिद एक दल की नहीं होती सारे इन्सानों की होती है, मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारे किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। एक व्यक्ति की कोई ठेकेदारी नहीं है। मस्जिद में सब ही लोग, सब दल के लोग नमाज अदा कर सकते हैं। आपका क्या तरीका है कि खाली करना चाहिये। आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स क्यों नहीं लिये और उन्होंने यह बात मेरे सामने कही कि हमने सइदना ग्रुप के लोगों को कहा कि हम पुलिस प्रोटेक्शन दे देते हैं आप मस्जिद में नमाज पढ़ लो। लेकिन यूथ लोगों के सामने नमाज पढ़ी जावे यह मन्जूर नहीं था। फिर अध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को

Page No. 41

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बाकायदा डेपुटेशन मिले, वहां नगर कांग्रेस के डेपुटेशन मिले, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के डेपुटेशन मिले बल्कि बोहरा समाज के लोगों को कलेक्टर और एस० पी० ने कहा कि तुम मस्जिद खाली नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ हर प्रकार की ज्यादतियां की जायेंगी तुम्हें मारा जायेगा, तुम्हें पीटा जायेगा, हमने बड़े बड़े लोगों को हटा दिया और हमारे पास आदेश हैं कि हम तुमको हटा देंगे। 17 तारीख की रात्रि को गुलाम अब्बास कत्थे वाले के घर पर बाकायदा एक मीटिंग हुई और मीटिंग के अन्दर साजिशें हुईं और फिर 18-1-75 को धारा 144 लागू कर दी गई थी मंत्री महोदय नोट कर लें, अगर जुडीशियल इन्क्वायरी हो तो उनकी जांच कर लें। डी० आई० जी० की इन्क्वायरी का प्रश्न है और उसी के बराबर की हैसियत के आदमी को भेज रहे हैं। जुडीशियल इन्क्वायरी करेंगे तो सारी स्थिति सामने आयेगी।

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बे तरीके पर चल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तथ्यों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : तथ्यों का प्रश्न तो है लेकिन मर्यादाओं के अन्दर ही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अच्छी बात है। मैं मर्यादाओं का खयाल रखूंगा।

18-1-75 को सोमियों की बाड़ी के अन्दर याकूबअली कहते हैं मुझे 25 आदमियों ने घेर लिया और जिन्होंने एफ० आई० आर० दर्ज कराई है और सी० आर० पी० सी० की उन्होंने कोई धारा नहीं छोड़ी। धारा 323 324, 325 और 348 कोई भी धारा नहीं छोड़ी। इन्हीं याकूबअली ने बम्बई से चाकू लाकर दिये और उनका वितरण किया गया। सोमियों की बाड़ी से 300 आदमियों का हुज्जूम धारिये, चक्कू, साइकिलों की चेनें और एक किस्म का तिजाब आदि लेकर रवाना होकर दफा 144 के सारे क्षेत्र में से गुजर कर बाईपुरा की मस्जिद के ऊपर पहुंचे। और पुलिस साथ नहीं थी। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि 300–400 आदमियों का हुज्जूम था तो किस तरह से उसको मस्जिद तक पहुंचने की इजाजत दे दी गयी, और इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, उसके बाद मस्जिद के अन्दर पहुंचकर बाकायदा पोजिशन्स ली गई। जो बोहरा यूथ समाज के लोग थे वह खुश हुए। उनका बाकायदा स्वागत किया गया लेकिन उन्होंने पोजीशन्स ले लीं और उसके बाद बाकरअली चूने वाले खड़े होकर एलान करते हैं कि मारो। और मारो शब्द के साथ ही मस्जिद का सारा फर्श खून से रंग दिया गया। सारी ट्यूब लाइटें तोड़ दी गईं।

अध्यक्ष महोदय, 9 बजे जब कि मसीहा पढ़ा जा रहा था उस समय ज्यादातर बूढे, बच्चे और औरतें ही मस्जिद के अन्दर थीं। ज्यादातर उस समय नौजवान नहीं थे, और यह चित्र जो मैं लाया हूं, इन चित्रों में हर प्रकार की घटना, अनेक हैड इन्जरी के चिन्ह हैं और जितनी संख्या बताई है उतनी तो हैड इन्जरीज हैं। नाक काटने के चित्र हैं और भयंकर इन्जरीज के चित्र हैं तो, अध्यक्ष महोदय, जब वह लोग वहां पीटे गये उसके बाद पुलिस को आवाज देते हुए वह मस्जिद से भागे और मस्जिद के पिछले वाले दरवाजे से भागे। उसके बाद पुलिस मस्जिद के अन्दर दाखिल हुई। मैंने, अध्यक्ष

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

महोदय, बकायदा जांच की है उनके निवास स्थान पर, उनके अड्डे के ऊपर जो कि बोहरा हैल्थ सेन्टर है, वहां पर पुलिस के ट्रकों के ऊपर छोड़ा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं दो दिन वहां रहा। मैंने सैयदना के पक्ष के आदमियों से कान्ट्रेक्ट किया, बोरवाड़ी में घूमा, शहर में घूमा और वहां के प्रतिष्ठित आदमियों से कहा कि एक आदमी से तो मुलाकात करवा दीजिये। एक भी आदमी के चोटे आई हों तो बता दें। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद पुलिस मस्जिद के अन्दर दाखिल हुई और उसके बारे में जो पहले से ही खयाल था उनके ऊपर भयंकर अत्याचार पुलिस के अधिकारियों ने किया। बाहर निकलना चाहा तो उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन्होंने शरण मांगी तो शरण नहीं दी गई। बूटों से लैस थे वह पुलिस वाले और कुरान शरीफ को ठुकरा दिया गया और खुद पुलिस के लोगों ने ट्यूब लाइटों को तोड़ दिया और हर प्रकार के जूल्म किये। और, अध्यक्ष महोदय मैं तो 20 तारीख को पहुंचा। वहां पर पुलिस के सिपाही तास खेल रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और अधिकारीगण रोटियां खा रहे थे। करबला में जो नमाज अदा की जाती है वहां जूते और पत्थरों का ढेर था। मैंने कलेक्टर से कहा तो उन्होंने मस्जिद की सफाई करवा दी। अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: मैं एक निवेदन कर रहा था कि यह एडजोर्नमेंट मोशन पर स्टेटमेंट है और इसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। रियायतन 10 मिनट का मौका भी दे दिया है लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छी तरह से होना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: अध्यक्ष महोदय, मेरा लिहाज निहायत ठीक है और मैं अर्ज करूं कि घायलों की बात तो आप छोड़िये, मैं अर्ज करूंगा निहायत अदब के साथ कि सकीना जो कि केवल 16 साल की एक नौजवान लड़की है, उसे सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाये। सकीना की मां सकीना को तलाश कर रही थी। खुद पुलिस के अधिकारियों ने उससे कहा कि तुम्हारी लड़की के मैं कपड़े उतारूंगा। उन्होंने सकीना को पकड़ा और उसके पकड़े उतारने का प्रयत्न किया और वह दूसरी मन्जिल से 15–16 फुट ऊंचे जो पंचायत खाना है उसमें कूद गई। उसके बाद फिर पुलिस के 8 सिपाहियों ने उसका पीछा किया तो खाला के घर पर जाकर उसने शरण ली। डाक्टर हातिम अली और अशफाक ने सकीना को बचाया।

इसी तरह से अजब, जिसकी कि उम्र 20 साल की है, सदन के अन्दर इसको भी पेश किया जाये। पुलिस के नौजवानों ने उसको पकड़ा और उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया गया। बोहरा यूथ के नोजवानों ने आकर अजब की रक्षा की। अध्यक्ष महोदय, जाखिया, जिसकी बहिन ने सीढी पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदने की कोशिश की, उसने मुझे बयान दिये कि उसके साथ भी बलात्कार करने की कोशिश की गई। सारा, जिसकी उम्र 21 वर्ष है पुलिस ने उसकी भी इज्जत लेने की कोशिश की। ऐसे तो अनेकों केस हैं, अध्यक्ष महोदय जिसमें छेड़छाड़ की गई। इज्जत लेने की कोशिश की गई, गन्दे और जलील अल्फाज इस्तेमाल किये गए। गिरी हुई बातें कही गईं। कम से कम मेरे पास यहां पर इस समय 20–22 माताओं, बहिनों और बेटियों के बयान मौजूद हैं, अध्यक्ष महोदय। सारे के सारे बयान अपने आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में बहुत रोमांचकारी है और फिर मंत्री महोदय कहते हैं कि पुलिस गई ही नहीं मस्जिद के अन्दर, मैं इस बात को चैलेंज करके कहता हूं कि पुलिस गई.......

श्री गुलाबसिंह शक्तावत: शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा है कि पुलिस गई झगड़ा होने के बाद ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं भी यही कह रहा हूं। आपने इन्कार कर दिया । पुलिस ने मस्जिद के अन्दर टीयरगैस छोड़ी, पुलिस से प्रोटेक्शन मांगा गया, औरतों ने कहा कि हमको प्रोटेक्ट करो, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की गई। और अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, यह तो 18 तारीख को हो गया और उसके बाद सारे शहर के अन्दर आतंक छा गया और जो वारदातें सारे शहर के अन्दर 18 और 19 तारीख को हुईं, जगह-2 पर यूथ बोहरों के घरों में जाकर जिस प्रकार से आतंकित किया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गईं वह किस्सा तो अलग है। 20 तारीख को मैं खुद उदयपुर के अन्दर मौजूद था । तीन बजे के करीब बोहरा युवक दफ्तर में चाय पीकर उतर रहा था, उस समय हमारे बोहरा यूथ दफ्तर में एक नूरुद्दीन नाम का लड़का मुझको चाय पिलाकर जा रहा था. इस नूरुद्दीन को दफ्तर से उतरते ही यूथ दफ्तर के सामने बहुत बेरहमी से पीटा गया और खुद हमारी पार्टी के कामरेड उसको जीप में बिठाकर अस्पताल ले गए और छ: घंटे तक वह बेहोश रहा और जब रात्रि को मेरा जलसा हो रहा था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, पुलिस ने जगह 2 नाकों के ऊपर रोक कर बोहरों को जाने नहीं दिया जल्से में, और डन्डे बरसाए। उनको जल्से में जाने से हर तरह से रोका गया। अध्यक्ष महोदय, अगर सारे अत्याचारों की कहानी कही जाय तो उसका कोई अन्त नहीं है। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि कलेक्टर साहब को यह क्या अधिकार था कि वह यह कहते कि मस्जिद जो है वह केवल एक ही समाज के लोग इस्तेमाल करें और दूसरे समाज के लोग नहीं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीस मिनिट ले चुके हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और अध्यक्ष महोदय, उसके ऊपर डी०आई०जी० साहब ने खुद ने एक दिन फरमाया, प्रतापसिंह जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर और उनके साथ कई वर्कर थे उनको कि ये तो नपुंसक हैं । सैइदना साहब इस तरह से जुल्म करते रहें, औरतों के साथ ज्यादतियां होती रहें, और डी०आई०जी० साहब इस तरह से लफ्ज अपने मुंह से कहें, यह शोभा की बात नहीं है । आप उनको प्रोटेक्शन मत दीजिए। इस तरह से लफ्ज कहना शोभा नहीं देता। आज उनकी रजा की बात भारतीय संविधान के खिलाफ है । यह बात भी थी, दूसरा सवाल यह पूछा जाता था कि क्यों नहीं निकल जाते बोहरा यूथ रजा से बाहर। आज वह बात भी हो गई, अध्यक्ष महोदय। बोहरा यूथ के लोगों ने अब इस रजा को ठोकर मार दी है और 16 मार्च को रजा के बिना शादियां हो रही हैं। यह रजा जिसके नाम पर दूसरों पर हमले होते हैं, जिसके नाम पर बड़े 2 जुल्म होते हैं वे लोग सौ शादियां 16 मार्च को इस रजा के बिना कर रहे हैं। और शायद बम्बई और हिन्दुस्तान के अन्दर एक लाख 60 हजार बोहरा परिवार हैं उनके अन्दर इस रजा के खिलाफ बगावत पदा हुई है। इस सईदना के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
पास करोड़ों की सम्पत्ति है, अन अकाउन्टेड और अनडिक्लेयर्ड मनी है, दूसरा महाराजा मानसिंह है ...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : किसी धर्म के गुरु के संबंध में इस तरह के शब्द प्रयोग करना, मैं समझता हूं कि संसदीय परम्पराओं के विपरीत है। यह कहना कि ब्लेक मनी है और स्मगलिंग की मनी है, I think this should be expunged.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कोई भारतीय संविधान के विपरीत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई भी हो, आनन्दमार्गी हो, चाहे कोई और हो। मैं अध्यक्ष महोदय, अन्त में यही कहना चाहूंगा ...

श्री अध्यक्ष : अन्त में ही कह दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस सारे मामल की एक ज्यूडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। अपने आपके अन्दर, अपने आपको सेक्यूलर गवर्नमेंट कहने वाली सरकार के लिए यह बहुत कलंकित करने वाला मामला है। हम धर्म निरपेक्ष राज्य में आस्था रखने वाले हैं, हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है और उस राज्य में इस प्रकार से हमारे अधिकारीगण सक्रिय होकर हिस्सा लें, एक का पक्ष लें, यह बहुत ही निन्दनीय बात है। मैं यह मांग करूंगा कि सारे के सारे काण्ड की ज्यूडिशियल इन्क्वायरी करें।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा भी वास्ता इससे है....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं जिससे डिबेट कुछ कम होगी ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बहुत थोड़ा समय लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री आचार्य।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां साहब जब जीवित थे तब भी यह प्रश्न यहां आया था। यह प्रश्न 144 धारा का उदयपुर के जन जीवन से जुड़ गया है और जो जाति बहुत ही शांत जाति थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, ऐसी बोहरा कौम अब दो विभागों में बट गई है। एक सईदना विभाग और दूसरा यूथ एसोसियेशन, शबाब और बोहरा यूथ एसोसियेशन। अध्यक्ष महोदय, मंदिर और मस्जिद में तो अब तक झगड़े होते थे लेकिन अब मस्जिद मस्जिद से झगड़ने लग गई है, ऐसी स्थिति में उदयपुर का जन जीवन संतप्त हो गया है और इसका प्रभाव उदयपुर में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, बोहरों पर पड़ने लगा है, क्योंकि प्रगतिशील और अप्रगतिशील इसके गुट जगह जगह इस जनजीवन को संतप्त कर रहा है। मैं इसका मुख्य मंत्रीजी पर दायित्व रखता हूं कि यह प्रश्न अगर सुलझाया नहीं गया तो आगे चलकर के कहीं साम्प्रदायिक प्रश्न न बन जावे। उदयपुर की बोहरा बाड़ी में जहां बोहरा और मुसलमान रहते हैं वहां हिन्दु भी रहते हैं और यह तीन साल से बराबर यह प्रश्न सारे उदयपुर नगर के लिये एक विषैला प्रश्न हो गया है। दोनों गुटों में झगड़े दोनों

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

तरफ पिटाई, लगातार तीन साल से चल रहा है। इसलिए मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर झगड़े का आधार क्या है ? और वह झगड़े के अन्दर सईदना का व्यवाहार, सईदना का टेम्परामेंट और सईदना का आदेश उसमें परिवर्तन करने का प्रश्न इसमें आता है। इसलिए मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मुख्य मंत्री महोदय यदि सईदना से मिले उनको उदार बनादे इस प्रश्न पर और उनकी नीतियों को इस प्रश्न पर बदलें तो मेरा विश्वास है कि यह प्रश्न जो हिन्दुस्तान का प्रश्न हो गया है, यह हल हो सकता है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि पुलिस इसको निपटती रहे, यह सम्भव नहीं है। पुलिस के पास न इसका हल है न कलेक्टर के पास इसका हल है न वहां की जनता के पास हल है। क्योंकि आपके पास अधिकार है। आप सईदना को कोंफिडेंस में लेकर, उन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सईदना उनका धर्म गुरु है, बोहरा एसोसियेशन भी सईदना के खिलाफ रिवोल्ट करता हो ऐसा नहीं है। उनके कुछ मसले हैं कुछ प्रश्न हैं, प्रवृत्तियों में कुछ तब्दीली के साथ ही परिवर्तन चाहते हैं समाज में रहते हुए। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि यदि आप इसमें मीडियेशन करे, सईदना से मिलें। चूंकि यह राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान की अशांति का प्रश्न है, ला एण्ड आर्डर का प्रश्न है और चूंकि वहां की पुलिस को सदैव सतर्क रहना पड़ता है इस प्रश्न पर इसलिए आप सईदना को कान्फीडेन्स में लें और दोनों दलों को बुला कर उन्हें कोंफिडेंस में लेकर उन्हें दोनों दलों में वार्ता कराकर उनके मतभेदों को मिटाने के लिए यदि आप प्रयत्न कर सकते हैं तो यह उदयपुर की जो अशांति प्रति दिन की है, वह अशांति मिट सकती है। मैं अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों ओर अदालतों में सैकड़ों मुकदमें हैं, न मालूम कब अशांति पैदा हो जाय आपकी पुलिस बराबर व्यस्त रहती है यह स्थिति ला एण्ड आर्डर की है जो शायर सईदना को कोंफिडेंस में लेते हुए हल हो सकती है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक जो तीन साल से बराबर उपद्रव होते रहे ह उनका निराकरण आप और सईदना दोनों बैठ कर ही कर सकते हैं। यद्यपि दूसरों के धर्म में हस्तक्षेप आपको नहीं करना चाहिए लेकिन यहां ला एण्ड आर्डर का प्रश्न जुड़ गया है। इसलिए में आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इसमें विलम्ब और किया गया तो यह प्रश्न सारे देश में उग्रता का प्रश्न बनेगा, मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दो सवाल अध्यक्ष महोदय,...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में जो बोहरा कम्यूनिटी है उसके सदस्यों में आपस में टंटा पड़ गया है उसके कारण से बारबार झगड़े हो रहे हैं, यहां पर बारबार यह प्रश्न रखा जाता है। और खास तौर से साम्यवादी भाइयों की ओर से ऐसे रखा जाता है जैसे कोई एक दल तो प्रगतिशील है बोहराओं में और दूसरा परम्परावादी हो ! जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है, राज्य सरकार जो कोई भी दोषी हो उनको दण्ड दे, दोनों गुटों में से कोई भी व्यक्ति दोषी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
दो राय नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि धरियाणी ने छोड़न छल्यारी के पास जाय। कहां तो साम्यवादी व्यवस्था है जो भाषा, नस्ल रंग और देश की सीमाओं को छोड़ कर मनुष्य मनुष्य के भेद-भाव को मिटा करके नये समाज की रचना करना चाहती है और कहां इस हिन्दुस्तान जैसे देश के अन्दर जहां पर हजारों जातियां बसती हैं बोहरों जैसी...

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय मुख्य मंत्री ने साम्यवादियों का जवाब देने के लिए आपको मुकर्रर किया है...

श्री पूनमचन्द विश्नोई: मैं दूंगा क्योंकि मैं महसूस करता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल: विशेष तौर से आपकी जिम्मेदारी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: मैं तो मन आवे वही करता हूं किसी के कहने से करता नहीं, चाहे लाख दे।

अब इसका जो आ रहा है, आप सिद्धान्त को छोड़कर एक छोटी सी कम्युनिटी....

श्री अध्यक्ष: थोड़े में कहें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई: हजारों कम्युनिटीज इस देश के अन्दर हैं। अब खत्रियों में हाण्डा सब कास्ट है। तो एक प्रोग्रेसिव हांडा और एक वह हांडा जो परम्परावादी है। गुरदयालसिंह सन्धु है तो संधुओं में यूथ सन्धु और दूसरे संधु। इस्लाम जातिवाद को नहीं मानता है। बोहरा जातिवाद को मानते हैं तो खुद में कट्टरपन्थी हैं। उनके साथ में जुड़े हुए लोग कुछ प्रगतिशील विचारधारा के होंगे। प्रगतिशील उनमें से है तो मानवता की सेवा करनी चाहिए, अपनी जाति के अन्दर ही क्यों पड़े रहते हैं? त्याग करके गढ्ढे में जाकर गण्ठा लगायें। यह प्रश्न बारबार नहीं आना चाहिए। एक दफा आ गया और हो गया। इसके बाद में बारबार यह कहना कि वह प्रगतिशील है और सईदना ऐसे हैं और वैसे हैं, किसी धर्म गुरु के प्रति अप शब्द कहना बुद्धिमानी का काम नहीं है। वह एक जाति है और छोटी सी और उसमें हजारों परिवार होंगे, बहुत सों के कुनबे होंगे तो बैठे रहे कानून और व्यवस्था का सवाल है तो राज्य सरकार कदम उठायेगी। कोई प्रगतिशील है इस तरह की व्यर्थ की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। आप इन्टरनेशनलिज्म में विश्वास करने वाले लोग हैं जाति, नस्ल इन सब को तोड़ने वाले लोगों के लिए यह अच्छा नहीं लगता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: दो सवाल फार दी परपज आफ क्लेरिफिकेशन, अर्ज करना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बोहरा यूथ के प्रसंग में अपना एक वक्तव्य दिया है वह कुछ तथ्यों से दूर है। यह लड़ाई आज की नहीं, तीन वर्षों से चल रही है। यह जब प्रारम्भ में लड़ाई हुई तो प्रगतिशीलता के नाम, जैसा कि हमारे माननीय पूनमचन्दजी विश्नोई ने एक बात कही कि समय के साथ प्रभाव बदलता है, तो कुछ यूथ लोग अपना प्रभाव बदलना चाहते हैं और धर्म गुरु के साथ उनकी नहीं पटती है जो समय के साथ नहीं बदलते हैं। तो जो प्रगतिशील कहलाते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वे शादी के लिए क्यों रुकते हैं। जब लड़का और लड़की राजी हैं तो रजा की क्या जरूरत है? मियां-बीबी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

राजी तो क्या करेगा काजी ? शादी करना चाहते हैं तो करवा दें शादी जिसको वे चाहते हैं उनके साथ क्यों जाते हैं धर्म गुरु के पास ? कोई मर गया है और उनको दफनाना है तो कब्रिस्तान खाली पड़ा है, दफना दें । कहां पर रोक है ? आज धर्मगुरु का एजेन्ट उदय पुर में बैठा हुआ है तो क्यों गालियां देकर उससे कहते हैं कि पढ़ो कुरान की आयतें तो हमारा शख्स बहिश्त में जायगा. नहीं तो हम लड़ाई करेंगे । एक सेर तो दूसरा सवा सेर । क्रान्तिकारी और परिवर्तनशील, हिंसा नहीं करता है । हिंसा करने वाला प्रगतिवादी नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि झगड़ा दूसरा है और सरकार इसमें जाय। प्रारम्भ में यह लड़ाई जब शुरू हुई तो कांग्रेस के नेता प्रगतिशीलता के नाम पर उनके साथ जुड़ गये। मैंने यह आज तक नहीं कहा लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है । वहां की कांग्रेस के नेता मालाएं पहन कर यूथ कांग्रेस के मानने वाले लोगों के साथ हो गये और बोहरा यूथ एसोसियेशन ने कांग्रेस यूथ एसोसियेशन के साथ में सम्पर्क स्थापित कर लिया । स्वर्गीय बरकतुल्ला खां साहब जब मुख्य मंत्री थे और सदन के नेता थे, उन्होंने यह अखबारों में समाचार पढ़ा तो उन्होंने उनसे संबंध विच्छेद कर लिया । 18 जनवरी की बात है, वैसे छुटपुट घटनाएं तो रोज चल रही हैं, और अशान्ति उदयपुर में है। उनके अन्दर यह घटना घटी । वहां के माननीय सदस्यों को पता है कि उसमें कांग्रेस के नेताओं को ले गये थे हमारे हनुमान प्रसादजी प्रभाकर, कुबेरकान्तजी पानेरी और खुराना जितने कांग्रेस के थे उनको लेकर गये। वहां बोलने के लिये मना किया तो उन्होंने कहा कि अत्याचार के खिलाफ बोलूंगा और अशांति का हामी नहीं बनूंगा । मुझे दुःख है कि जब विद्यार्थियों पर पुलिस वालों ने हमला किया तो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता देखने तक नहीं आये कि विद्यार्थियों की क्या दशा है । यह वोट की राजनीति है और इसमें से अगर कांग्रेस निकल जाय तो झगड़ा बन्द हो जायगा । एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्थान पर काम करे और जो दोषी हो उनको दंडित करे । कोई भी हो, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे वह यूथ एसोसियेशन हो चाहे वह धर्म मतावलम्बी हों ।

जहां तक सवाल है कि वहां जाकर मौजूदा लड़ाई झगड़ों को समाप्त करें, तो गत वर्ष की बात है, गत वर्ष लड़ाई नहीं हुई थी, भगवान की कृपा से गत वर्ष एक अच्छा साल निकल गया । मैं लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बड़ा बेकग्राउण्ड बन गया है । मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्ष जिलाधीश महोदय जो थे उन्होंने एक व्यवस्था कर दी थी और उनकी जो 5 मस्जिदें हैं उनका विभाजन कर दिया था कि चार इनकी हैं और एक इनकी है । खुदा की बन्दगी चाहे जहां करो । लेकिन एक पक्ष वाले, अब जब रमजान का अवसर आया, तो उसके अन्दर जाकर अपना रमजान का काम करने लगे । मुझे कोई एतराज नहीं है कि वे किसी भी मस्जिद में बंदगी करें । मेरे पास कुछ समाज के लोग आये । मैं कलेक्टर से स्वयं मिला था, तो कलेक्टर ने कहा कि किसको मना करें मस्जिद में जाने से । वे आपस में समझौता कर लें, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं । यूथ अगर जाना चाहते हैं तो जायें और सईदना मतावलम्बी जाना चाहते हैं तो जायें । मैं किसी को ना नहीं कह सकता मेरा इससे क्या सम्बन्ध है ? ऐसी परिस्थिति में 18 जनवरी को 4-5 दिन के बाद कुछ मतावलम्बी वहां पर गये, झगड़ा हुआ खून-खच्चर हुआ और इतना खून-खच्चर हुआ

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

जो बात माननीय सदस्य ने कही वह सही है कि किसी को भी देखकर दिल पिघल जायगा उसके बाद क्या प्रतिक्रिया आसपास की बनती है उनको जरा देखिये। मुझे मालूम है। मैं वहां पर पूरे समय था। कुछ महिलाओं ने यहां कहा कि हमें नित्य कर्म के लिए जाना है और पुलिस वाले जाने नहीं देते हैं। शौच कार्य के लिए नहीं जा सकते। वहां पर सार्वजनिक शौचालय हैं और उनके घरों में शौचालय नहीं हैं। आस-पास में, माननीय आचार्यजी ने कहा, हिन्दू भी रहते हैं और एक हिन्दू को बोहरा समझ कर पुलिस ने पीट दिया। गालियां दीं, उसकी दुकान तोड़ फोड़ दी, उस हिन्दू को यह समझकर कि बोहरा दुकान खोले बैठा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: दुकान खोलने पर?

श्री भानुकुमार शास्त्री: दुकान खोलने पर। टूटा हुआ मकान मिलेगा। छज्जा टूटा हुआ मिलेगा। कई दिनों तक पानी नहीं। खाना नहीं। मैं मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था की बात है। आगे जब होगा तो उसकी व्यवस्था हो जायगी। कलेक्टर ने भी यह कहा है कि झगड़ा जब होगा, तभी हस्क्षेप कर सकते हैं। जिस मस्जिद में झगड़ा हो रहा था, क्या उस मस्जिद में दोनों लोग खुदा की इबादत नहीं कर सकते थे? गवर्नमेंट उस मस्जिद को अटैच कर सकती थी। 5 दिन पहले बन्द कर सकती थी। लेकिन वह दुर्भाग्य की घड़ी आई। सैकड़ों लोग घायल हुये। पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। अश्रु गैस छोड़ी है। दूसरे दिन भी यह किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसका सही निदान निकाला जाये इसके लिए ज्युडीसियल इन्वायरी बैठाये। आखिर यह झगड़ा क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री भानुकुमार शास्त्री: समाप्त कर रहा हू।

पुलिस निष्पक्षता के साथ जो भी करती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। आप किसी का भी चालान कीजिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन फाल्स इन्फार्मेशन पर नहीं हो। एक वृद्ध बोहरे की मृत्यु चोटों के कारण हुई है। अगर उसके इस प्रकार की चोट लगी तो उसको अस्पताल में एडमिट क्यों नहीं किया गया? उसको घर में क्यों रखा गया? पोस्ट मार्टम उसका बाद में हुआ है। उसका सरकार ने जो उत्तर दिया उसके गम्भीर चोटें लगी हैं। 302 और 307 में कार्यवाही भी होती है। इस सारे झगड़े के बारे में मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप वहां अपने दल के आदमियों को निर्देश दें कि वहां पर वोटों की राजनीति नहीं फैलायें। वह मालाएं पहिनकर नहीं निकलें। मुसलमानों के अन्दर दलीय राजनीति घुसाने की कोशिश नहीं करें। तब तो वहां शांति हो सकती है।

श्री केदारनाथ: मेरा यह निवेदन है, मान्यवर, आपने डी० आई० जी०, सी० आई०-डी० को नियुक्त किया है। वह आखिर किस की जांच कर रहे हैं। एक तो हांडा साहब ने रिपोर्ट पेश की है। एक यह स्टेटमेंट के द्वारा आई है। पुलिस ने अपने पावर को मिसयूज किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बुड्ढों के चोटें लगी हैं। औरतों के लगी हैं। क्या यह सही है कि वहां की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस ने इस ज्यादती के खिलाफ कुछ किया है? यह बात सही है कि दो कैम्प बन गये हैं। लेकिन इसके बारे में आपने प्रिकाशन क्या लिये हैं? दोनों दल इकट्ठे होंगे तो झगड़ा होगा, इसके लिए प्रिकाशन क्यों नहीं लिये हैं?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, कई साल से यह चल रहा है। मेरा अर्ज करना यह है, जहां तक मुझे जानकारी है, कलेक्टर महोदय ने मस्जिद को मस्कूस किया है कि फलां मस्जिद में फलां नमाज पढ़े और फलां मस्जिद में फलां नमाज पढ़े। क्या यह इस्लाम के तरीके के खिलाफ नहीं था ? अगर था तो ऐसा क्यों किया है ? जो बोहरे वहां पहले चले गये थे और वहां पर मौजूद थे तो पुलिस ने उनको निकालने की चेष्टा क्यों की है ? उनको पुलिस ने निकालने की कोशिश क्यों की है ? क्या यह माइनोरिटी के प्रोटेक्शन के खिलाफ नहीं था ? प्रिवेण्टिव एक्शन लेना चाहिए था। आपने 144 लगा रखी है। मस्जिद में पहले से लोग मौजूद थे। जो झगड़ा करने के लिए गये, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? दूसरी बात यह है कि आपने डिमार्केट कर दिया था कि यह बोहरा यूथ इस्तैमाल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो उनके साथ सख्ती की जाएगी। तो क्या यह कलेक्टर के जरिये से जारी किया गया है ? तो क्या यह सही है कि जो औरतें वहां शरीक थीं, जो मर्द वहां मौजूद थे, उनके साथ में पुलिस ने जबरदस्ती कोशिश की थी कि यह मस्जिद तो उन सब लोगों के लिए है जो कि सैयदाना साहब को मानने वाले हैं, दूसरों के लिए नहीं है ? यह कलेक्टर ने जो मुजाहमत की है, क्या यह सरकार मानती है तो यह जो सरकारी हस्तक्षेप हुआ है, इसके बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ? एक अर्ज मैं यह करना चाहता हूं कि उन्होंने खुल्लमखुला बगावत की है। रजा की बात उन्होंने खत्म कर दी है। तो जो वह जगहें इस्तैमाल करना चाहते हैं उसमें जद्दो जहद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब वह बिना रजा के कब्रिस्तान में मुर्दे दफन करेंगे। उनको कोई कठिनाई पैदा नहीं हो। मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो उनको हस्तक्षेप नहीं करें। अनुचित हस्तक्षेप किया जाएगा तो भी कठिनाई पैदा हो सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य हांडाजी ने कहा है। एक आदमी मर गया है। इस सिलसिले में क्या कार्यवाही हो रही है ? किसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरअसल यह अत्यन्त खेद और चिन्ता का विषय है। लम्बा अरसा बीत जाने के बाद भी उदयपुर बोहरा समाज में जो विवाद और जो स्थिति बनी हुई है, उसका हल आंखों के सामने अब भी दिखाई नहीं देता है माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है, एक हद तक मैं उनकी राय से सहमत हूं। किन्तु मैं उनको उस पुराने इतिहास में नहीं ले जाना चाहता हूं जिसको कि एक बार पहले यहां बता चुका हूं। अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने और भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें कहीं। माननीय सदस्यों को शायद पता हो कि झगड़ा जिस समय से शुरू हुआ था उस वक्त बरकत साहब जिन्दा थे किन्तु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जब यह झगड़ा हुआ तब तो मैं यहां से भाग करके, सयदन गलिया कोट में थे, इसलिए गलिया कोट गया, मैं उनसे मिला, उनके एक यसुफ निजामुद्दीन साहब नाम के चचा हैं उनसे मिला और दूसरे लोगों से मिला, प्रयत्न यह किया कि आपस में बैठ कर किसी तरह समझौता हो जाय, मार्ग निकल जाय। मैं, जो यूथ्स का ग्रुप कहा जाता है, उनसे भी मिला, दूसरे लोग भी मुझसे मिले, और अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती है, वह मैंने की। इसके बाद में इसको लेकर दो बार बम्बई

(श्री हरिदेव जोशी)

गया, सैयदन से मिला। जितना मैं उन्हें समझा सकता था, मैंने अपनी ओर से उन्हें समझाने की और अपनी बात को कहने की कोशिश की। मुझसे यहां पर यूथ्स के प्रतिनिधि भी आकर मिले हैं, दूसरे लोग, जिन्हें शवाब ग्रुप कहा जाता है, प्रो० सैयदन, उनके लोग भी मिले हैं। एक तथ्य है, अध्यक्ष महोदय, उस समाज में कई बातें ऐसी कही जाती हैं जो आज के आधुनिक थिंकिंग के अनुकुल नहीं मानी जा सकतीं, परन्तु मैंने उनसे, लोगों से कहा, तुम्हें यह अटपटा मालूम पड़ता है तो उस गुदड़ी को उठा कर फेंक क्यों नहीं देते हो····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब फेंक दी है।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा कहा जाता है, मन नहीं मानता, यह उनके वाकये विचार हैं। मैं उनके विचारों को चोट भी नहीं पहुंचाना चाहता पर ऐसा भी क्या, कोई मर जाय तो दफन करने से पहले एक प्रकार का सर्टिफिकेट चाहिए। अब पोप थे, उनको लेकर कितना सारा, बवण्डर और दुनियां भर की बात हुई, लेकिन अब 1975 में इस प्रकार की चीजें चलें तो यह आउट आफ डेट मालूम पड़ती हैं। इसमें कहीं वो नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अजीब सी बात है, जो आज अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं वह भी सर्टिफिकेट चाहते हैं, सैयदना की रजा चाहते हैं, शादी में कन्सेन्ट चाहते हैं। मैंने कहा, रजा-वजा कर दो, क्या झंझट है। वे कहते हैं, रजा का मतलब है आशीर्वाद। रजा के मायने हैं आशीर्वाद, और आशीर्वाद भी कोअर्शन से चाहते हैं या आशीर्वाद स्नेहपूर्वक, धर्मानुराग से अथवा उस प्रकार से चाहते हैं। जो कुछ भी हो, जब मैंने देखा, इसके अन्दर कहीं कोई बातचीत से समाधान नहीं निकल सकता तो मैंने दूसरे इन्फ्लूएन्सल लोगों को भी इसके बीच में डालने की कोशिश की। एक मसला आया है, अध्यक्ष महोदय, कई लड़कियों की शादी नहीं हो रही है बगैर रजा के, वह जत्था का जत्था यहां आया। मैंने उनसे कह दिया, भाई, अब मैं दो तीन बार कोशिश कर चुका, सैयदन से खुद जाकर मिल आया, उन्हें कह दिया। साफ-साफ बात है, वह समझते हैं, अमुक-अमुक बातों में हमारी बात मान सकते हैं, अमुक अमुक-चीजों में बात नहीं मान सकते। यह ओबीवियस मालूम पड़ता है। अब चौथी बार जाकर मैं क्या कहूं। मैं नहीं कह सकता। मैंने यह कहा तो उन्हें बुरा लगा। वह प्राइम मिनिस्टर के पास दिल्ली में गये, प्राइम मिनिस्टर से मिले, प्रेस से मिले, खूब वह हुआ। अब मुझे कोई समाधान दिखाई नहीं देता सब चीजों का। मुझे एक ही समाधान दिखाई देता है, वह यह है जो लोग किसी धर्म में विश्वास नहीं कर सकते किसी की आत्मा उसके खिलाफ है, जैसे मेरी आत्मा रिवोल्ट करती है अमुक प्रकार की बात को मानने में तो मुझे उस चीज के प्रति विद्रोह करना चाहिए, और विद्रोह करके उसे एक तरफ कर देना चाहिए। यह बात समझ में आती है। लेकिन मुझे उससे चिपके रहने की बात समझ में नहीं आती। इनको कहा जाता है, यूथ, अध्यक्ष महोदय, लेकिन दोनों तरफ बूढ़े भी हैं, ऐसे, जिनसे चला नहीं जाता, उठा उठा कर ले जाते हैं-ऐसे भी हैं। यह अजीब हालत है। भीतर की चीज यह है, अध्यक्ष महोदय, इनका कई कुनबों का आपस का झगड़ा है, बहुत पुराना झगड़ा है····

श्री लक्ष्मण सिंह : बहुत पुराना, 25,30 वर्ष पुराना।

श्री हरिदेव जोशी : इतना पुराना है। एक कुनबा एक चीज लकर एक तरफ होता है, दूसरा कुनबा दूसरी तरफ होता है। अध्यक्ष महोदय, पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन के अन्दर एक ग्रुप ने एक प्रकार के लोगों को बोहरावाड़ी से खड़ा किया वार्ड से, दूसरे ग्रुप ने दूसरों को खड़ा किया। इस प्रकार से इनमें टसल चलती रहती है। मैं कांग्रेस सहित सभी भाईयों को एक ही निवेदन करूंगा, हमको इन्हें इगनोर करना चाहिए। मगर राजनैतिक लालच ऐसा है जो इगनोर करने देता नहीं है। एक तथ्य है जिसे स्वीकार करना चाहिए और वह यह है, जिसे यूथ्स ग्रुप कहा जाता है वह इस उदयपुर में मेजोरिटी में है और जो शबाब ग्रुप है वह माइनोरिटी में है····

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाहर मेजोरिटी में है, दूसरी जगहों में मेजोरिटी में है बांसवाड़ा, डूंगरपुर।

श्री हरिदेव जोशी : वहां कहीं पर झगड़ा नहीं है।

सवाल यह होता है, दिक्कत ऐसी है कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वह मेजोरिटी ग्रुप यह चाहता है कि कहीं झगड़ा होवे तो सरकार बीच में न पड़े। सारी चीजों का घूम फिर कर अध्ययन करने की मैंने कोशिश की है, मेजोरिटी ग्रुप हैं वह यह चाहता है कि हमको हमारा फैसला कर लेने दो, तुम बीच में मत बोलो। अध्यक्ष महोदय, किसी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है, कोई बहुत बड़ी मेजोरिटी से जो माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी भी हो उसको पिटने भी दें, या मारने देवे, इसलिए बीच में पड़ना पड़ रहा है। अब जब बीच में पड़ना पड़ रहा है तो बड़ी इनकन्विनियेन्स होती है, असुविधा होती है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस झगड़े में शबाब ग्रुप के कितने लुटे हैं-यह बतायें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं बोला नहीं आपके बीच में। आप बीच में क्या कहते हैं, मुझे बोलने दीजिये····

श्री खेतसिंह : आप बोलते हैं तो हम नहीं बोलते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : शबाब ग्रुप के लोग हैं वह गवर्नमेंट के पास आकर कहते हैं, हमें प्रोटेक्शन दिया जाय, ब्रूटल मेजोरिटी हमारी हत्या करना चाहती है, हमें हमारे अधिकारों से वंचित करना चाहती है। मैं ऐसा समझता हूं कि चाहे कोई भी होवे, यह पक्ष ऐसा है, यह पक्ष ऐसा है, यह कहने से इन झगड़ों का समाधान नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, सौभाग्यवश लास्ट ईअर वहां के कलेक्टर के इन्टरवेंशन से दोनों ग्रुप यह मान गये कि दोनों आपस में जब मिलते हैं तब लड़ते हैं, इसलिए रमजान के इस मौके पर यह ग्रुप इस मस्जिद में नमाज पढ़ेगा और यह ग्रुप इस मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। हालत यह है कि बोहरे नान-बोहरे तो आपस में शांतिपूर्वक बैठ सकते हैं, दावत खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर सुधार भावना की यह बातें तो दरगुजर, यह लोग साथ में बैठकर बात भी नहीं कर सकते। और तो और, अध्यक्ष महोदय, यह हालत है, दो भाई अलग अलग हो गये हैं, वाइफ और हजबंड अलग अलग हो गये हैं, बाप और बेटे अलग-अलग हो गये हैं, इस प्रकार कुनबे बंट गये हैं, एक प्रकार से विनाश के कंगार पर खड़े हो गये हैं। गवर्नमेंट के देखने की बात है कि वाइफ और हजबैंड जहां अलग-अलग हो जायें, अलग अलग रहें वहां कितना जूतमपैजार हो सकता है। अब यह चाहें कि एडमिनिस्ट्रेशन यह

(श्री हरिदेव जोशी)

कह दे कि तुम निपट लो, तो उन्हें कैसे निपट लेने दिया जाय। अब सवाल यह आ रहा है कि 18 तारीख को क्या हुआ। यह सही है कि लास्ट ईअर की तरह इस बार भी कलेक्टर ने कोशिश की, दोनों ग्रुप को बुला कर यह कोशिश की जाय कि वह लोग झगड़ें नहीं, आपस में, अलग-अलग जगहों में बैठ कर नमाज अदा कर दें। हुआ यह था, यूथ ग्रुप ने एक मस्जिद जिसमें लास्ट ईअर शबाब ग्रुप ने नमाज अदा की थी, ले ली, बोहिपुरा की मस्जिद, जिसमें बूढ़े ग्रुप, सैयदना ग्रुप के लोग हैं, उन्होंने उसमें नमाज अदा की थी। इस बार यूथ ग्रुप वालों ने क्या किया, पहले से जाकर कब्जा कर लिया, वजीरपुरा, बोहिपुरा की मस्जिद में पहले जाकर कब्जा कर लिया ताकि कोई अधिकारी हमें अलग-अलग न बिठा दे। कलेक्टर ने कोशिश की, एक में तुम रह जाओ, एक में तुम रह जाओ। बहुत समझाने की कोशिश की, खूब समझाने की कोशिश की, इसमें दो राय नहीं हो सकती। कलेक्टर ने बहुत समझाने की कोशिश की, परसूएशन से कोशिश की····

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इस बारे में बड़ा ऐतराज नहीं था। वह आकर नमाज पढ़ लें। हमें ऐतराज नहीं है, That is what they told me.

श्री हरिदेव जोशी : यूथ ग्रुप वाले कहते रहे, वह आकर नमाज पढ़ें तो हमें ऐतराज नहीं है। लेकिन हालत यह है कि एक साथ चाय नहीं पी सकते तो साथ में नमाज क्या पढ़ेंगे ? साथ बैठकर बात नहीं कर सकते, साथ बैठकर लड़ते हैं। वाइफ और हसबैंड साथ नहीं रह सकते, भाई-भाई नहीं रहते हैं, मस्जिद में रहना तो दूर है। आखिर जब कोई फैसला न हो सका तो जिलाधीश ने कहा कि अगर शांति को खतरा होगा तो हम इन्टरविन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का भी कोई कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे लोगों को पहचान सकते हैं लेकिन बोहरों को आप पहचान नहीं सकते। किसी बोहरे पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यह शबाब ग्रुप का है या सईदाना ग्रुप का है। एक दिन मस्जिद में सब गए। एक बात माननीय सदस्य ने कही है कि जब दूसरे ग्रुप के लोग गए तो यूथ ग्रुप के लोगों ने कहा पधारिये, उनका स्वागत किया और कहा कि हमारे साथ नमाज पढ़िये। वाज सुनते रहे, वाज का मतलब है उपदेश। अब सोचिए, धारिया और लाठियां तो जेब में नहीं डाल सकते। आप जो कहते हैं कि कहा कि आए आइए; सब लोग कहते हैं कि हमने बोला था कि आइए बैठिए हमारे साथ। जब धारिया लेकर गये थे तो आइए आइए कहने की जरूरत क्या थी ? धारिया कम से कम 5 फीट का होता है, लाठी पर लोहा चढ़ा रहता है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनके अचकनों में छिपे हुए थे और कांग्रेस के खुराना साहब को पकड़कर पुलिस को दे दिया और पुलिस ने उसे छोड़ दिया।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उस इलाके से आता हूं जहां लोग धारिया काम में लेते हैं। धारिया न अचकन में न पजामे में छिपाया जा सकता है। अगर लाठी को अचकन में छिपाया जा सकता है तो धारिया को भी छिपाया जा सकता है, तो फिर नीचे कैसे बैठ सकते हैं इसलिए वे सबको मिसगाइड करते हैं, मुझे भी मिसगाइड करते हैं। इसलिए अगर हम यह समझें कि जो उन्होंने कहा है उसको स्वीकार

(श्री हरिदेव जोशी)
करें कि उन्होंने कहा कि आइए-आइए बैठिए तो निश्चित रूप से वे हथियार लेकर नहीं गए। यह सही है कि झगड़ा हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : धारिया मैंने खुद देखा है, छोटा भी होता है।

श्री हरिदेव जोशी : गंगानगर में रहने वाले ने धारिया कैसे नहीं देखा होगा?

श्री अध्यक्ष : आप बीच में बोलने का प्रलोभन नहीं रोक सकते।

श्री हरिदेव जोशी : वहां पर मारपीट हुई, यह सही है और मारपीट के अन्दर हो हल्ला हुआ, तब पुलिस एन्टर हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, टीयर गैस के शेल्स छोड़े और पीस स्थापित करने की कोशिश की। अब पुलिस कहती है कि हमने रेकलेसली नहीं किया है, पुलिस ने क्या किया, क्या हुआ, मैं उसकी गवाही नहीं देता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जहां पर बड़ी संख्या में लोग थे, वहां पुलिस को औरतों से छेड़छाड़ करने का, रेप करने का, मौका कैसे मिल गया? जहां सैकड़ों लोग हों....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने मस्जिद देखी है क्या? तीन मंजिली मस्जिद है, सारे साइड्स में चेम्बर हैं,...

श्री हरिदेव जोशी : जब आपने कहा मैं नहीं बोला, यदि अभी भी आप बोलना चाहें तो मैं बैठ जाऊं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आई विटनेसिज ने बात कही है।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास में पत्र आया है बोहरा यूथ एसोसिएशन, उदयपुर का जिसको उन्होंने 19 तारीख को लिखा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स फार राजस्थान, जयपुर ने लिखा है। इससे पहले उन्होंने तार भी दिया, अपने तार में लिखा था :–

"Shocked to convey sensational message. Since yesterday local administration posted strong police cardon in Bohrawadi to terrorise people. This was done to pressurise us to hand over one mosque exclusively for the so-called Bohra Association. This morning with the connivance of the police the so called Bohras entered the mosque fully armed. In the clash they injured scores of youth, people and ladies. Many injured persons admitted in hospital. Request immediate intervention and full enquiry to bring the culprits to book. Local officers involved and as such enquiry by some responsible officer is necessary. We seek your protection."

अध्यक्ष महोदय, यह यूथ्स का फर्स्ट रीएक्शन है और यह लैटर इन्सीडेंटस के बाद का पहला लैटर है। इसमें कहीं भी, किसी भी महिला को हम्यूलिएट करने का...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मेरे पास 19-1-75 का पत्र है, मैं पढ़कर सुनाता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : You are putting their version यह सही है कि आप जो कुछ

(श्री हरिदेव जोशी)

आपको उन्होंने कहा है वही आप कह रहे हैं, मुझे इसमें शक नहीं है। आपने अपनी ओर से मिलाकर कुछ नहीं कहा है। मैं इस बात से कन्विस्ड हूं कि आप अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, जो कुछ उन्होंने आपको कहा है उसको आप सदन के समक्ष रख रहे हैं लेकिन मैं आपको उनका ओरिजिनल लैटर दिखा रहा हूं। फर्स्ट इन्फरमेशन जो उन्होंने सरकार को दी है, उसमें उन्होंने महिलाओं को हेम्यूलेट अथवा मिसबिहेव करने की कोई शिकायत नहीं की है। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि महिलाओं के साथ में मिसबिहेव करने की जो बात कही गई हैं, वह आफ्टर थाट है और इस नियत से की गई है कि गवर्नमेंट की पुलिस डीमोरेलाइज हो जाए और जिन लोगों को वे टेरेराइज करना चाहते हैं जिन लोगों को माइनोरिटी के कारण दबाना चाहते हैं, उनको पुलिस जहां प्रोटेक्शन देती है वह न दे सके।

एक रजब अली जो कि 95 साल का बूढ़ा था उसके लिए कहा गया कि उसकी मृत्यु पुलिस के पीटने से हुई। आपस में क्लेश हो गया 18 तारीख को और रजब अली एक तारीख तक अस्पताल में नहीं गए न रिपोर्ट की न एफ० आई० आर० दर्ज करवाई। एक तारीख को अस्पताल में भर्ती हुए और हो हल्ला किया जाने लगा कि यह पुलिस की पिटाई के कारण हुआ और बाद में उसकी मृत्यु भी इसलिए हो गई। अर्थात् अमुक लोगों द्वारा इसको मारा गया है, इसलिए सरकार 307 के तहत मुकदमा चलाये।

अध्यक्ष महोदय, अब स्थिति यह है कि 18 तारीख से 1 तारीख तक जो लोग इतना पहले टेलिग्राम दे सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, अखबारों में, और प्रेस कान्फ्रेन्स कर सकते हैं, दूसरी पालिटिकल पार्टीज से इन्क्लूडिंग कांग्रेस के लीडर्स से उसका इन्सपेक्शन करवा सकते हैं वह रजब अली को नहीं बतायेंगे, यह बात कैसे होगी यह मैं नहीं समझ पाया हूं। इसलिए मुझे बाज मर्तबा ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमको हिप्नोटाइज करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग प्रोग्रेसिज्म के नाम के ऊपर अपनी बात को दूसरों से मनवाने की कोशिश करते हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि हमको विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। एक माननीय सदस्य ने कांग्रेस की बात भी कही। मैं एक बात कह सकता हूं कि पोलीटिकल पार्टीज के अन्दर कांग्रेस भी है, जनसंघ भी है सोशलिस्ट स्वतन्त्र सभी पार्टियां हैं जो कई बार गलतियां कर सकते हैं। कांग्रेस भी गलतियां कर सकती है, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अब एक फेक्ट है और वह यह है कि बोहरा यूथ की उदयपुर के अन्दर मेजोरिटी है, अब उसके अन्दर उनको सपोर्ट देने से मेजोरिटी मिल जायगी, यह मानकर नहीं चलना चाहिए। इसके मायने यह हुए कि हम उनके साधन बन जायेंगे। हमको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि झगड़े को आगे नहीं बढ़ने दिया जाय। अगर झगड़ा बढ़ेगा, माननीय सदस्य को पता नहीं है, अगर बढ़ेगा बहुत बुरी बात होगी। अभी तक यह नहीं बढ़ा है। अगर झगड़ा बढ़ेगा तो स्टेट गवर्नमेन्ट डिटरमिन्ड है कि वह इस चीज को नहीं बढ़ने देगी और यदि अशान्ति फैलाने की कोशिश की गई तो उसको रोकेगी और पाबन्दियां लगायेगी, मैंने कलेक्टर से स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब 144 धारा लगा करके हम शान्ति स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए पुलिस लगानी पड़ेगी और दोनों ही पक्षों को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों की

(श्री हरिदेव जोशी)

जिन्दगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैं खुद यह मानता हूं कि चाहे कोई भी होवे, कैसे भी होवे, राज्य सरकार उसको पिट जाने देवे क्या, राज्य सरकार किसी के जान माल की रक्षा नहीं करे क्या और अगर राइट केवल मेजोरिटी का है तब माइनोरिटी नहीं रह सकती यह नहीं होने दिया जायगा। इसलिए मैं बोहरा समाज से निवेदन करूंगा कि और सैईदान से निवेदन करूंगा कि वे अपने खिलाफ इस विद्रोह को रोकें, प्यार से, मोहब्बत से, और बातचीत से ही यह रोका जा सकता है। मुझे यह भी सुनने में आया है कि इसके भीतर कई प्रकार की शिकायतें थीं, हम शान्ति में, डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, नोमीनेशन में नहीं। जो लोग बोहरा समाज के सदस्य हैं वे अपने अफेयर्स को इलेक्शन से अगर होते हों तो तय करें। मुझे एक बात – दोज हू आर इन मेजोरिटी – जो लोग मेजोरिटी में हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और लोगों की जान माल की रक्षा करना, उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना उनका कर्त्तव्य हो जाता है नहीं तो वे लोगों की निगाहों में गिर जायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक प्रार्थना कर सकता हूं और वह यह है कि हमारा काम तो व्यवस्था का रहा है, शान्ति और व्यवस्था कायम रखने का है। हम मस्जिद में प्रवेश नहीं करना चाहते, मन्दिर में नहीं जाना चाहते, कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहते, गुरुद्वारे में नहीं घुसना चाहते। धर्म के मामले में अच्छाई के सिवाय और कोई दूसरी ओपीनियन नहीं जाहिर करें। परन्तु यदि मन्दिर के अन्दर, मस्जिद के अन्दर या गुरुद्वारे में झगड़े का स्थान बन जाय और खून बहने लगे तो सरकार देखती नहीं रहेगी, उसको प्रवेश करना ही पड़ेगा, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है। इस रूप में नहीं मानकर चल सकते कि मस्जिद में झगड़ा हो रहा है इसलिए प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए झगड़े को रोकने का कारण बनाया जाना चाहिए और वहां पर क्या हो रहा है अथवा हुआ, यह तो आगे की बात है, यह तो बाद में देखना होगा। इसलिए हमने इस काम को, इसकी एन्क्वायरी को डी० आई० जी० (सी० आई० डी०) के सुपुर्द किया है और उनको यह निर्देश भी दिये हैं कि वह उसको इस निगाह से भी देखेंगे। लोकल पुलिस की भी शिकायत की गई है, इसलिए अगर जरूरी हो तो उनके भी चालान किये जायं और जो एलीगेशन्स लगाये गये हैं उनको भी देखें और सारे मामले को देखकर अपनी निष्पक्ष राय देवें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि यूथ बोहरे कन्जर्वेटिव और आउट आफ डेट बात है। उनके मस्जिद में जाने पर, कब्रिस्तानों में जाने पर, रजा करने पर वे पाबन्दी लगा देंगे तो क्या उनको गवर्नमेन्ट प्रोटेक्शन देगी ? इन कन्जर्वेटिव एलीमेंट्स के खिलाफ क्या गवर्नमेन्ट प्रोटक्ट करेगी और कम से कम अनुचित तरीके से धर्म-बन्धनों को लगाकर रखना चाहते हैं उन पर भी पाबन्दी लगायेगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यूथ वाले कहते हैं कि वह जब मस्जिद में जाकर बैठ गये और दूसरे शबाब वाले भी आराम से पढ़ सकते तो झगड़ा नहीं होता। झगड़ा इस बात पर है कि जो सैईदान के खिलाफ बगावत हुई है वे लोग हमारी कम्युनिटी के नहीं रहे, उनके साथ हम नहीं बैठेंगे,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और उनके साथ शादी-विवाह भी नहीं करेंगे। 18 तारीख को बैठकर रजा पढ़ते तो निश्चित रूप से दूसरों का खयाल नहीं हो सकता था और अब उनको निकालना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को उनके इस एक्शन में उनको नहीं रोक कर कन्विक्शन के तौर पर सहानुभूति, एडमिनिस्ट्रेटिव सहानुभूति उनके लिये हो तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तो डीलिमिटेशन के समय उदयपुर गये थे और मैं कल उदयपुर गया था और आज सवेरे उदयपुर से आया हूं। हमारी डाईरेक्टली और इनडाईरेक्टली बराबर, अध्यक्ष महोदय, यही कोशिश रही है कि यह झगड़ा समाप्त हो जाय। अध्यक्ष महोदय, किन्हीं लोगों के प्रति सहानुभूति हरिदेव जोशी की हो सकती है लेकिन उन्हीं लोगों के लिये मुख्य मंत्री की सहानुभूति होना जरूरी नहीं है। यह आपका कहना ठीक है कि यह लोग प्रोग्रेसिव हैं इसलिये आपकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति हो सकती है। लेकिन अगर मेरी सहानुभूति उनके प्रति है तो भी मेरे लिये यह पोसिबल नहीं है कि उन लोगों के गैर कानूनी काम के लिये मैं पुलिस को उनकी मदद के लिये कह दूं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज अगर वह लोग कह रहे हैं कि अमुक लोग हमारे साथ बैठते नहीं हैं तो उसके लिये कोई न कोई हमें रास्ता निकालना पड़ेगा। इनके लिये हम कोई झगड़ा थोड़े ही कर सकते हैं? चाहे लोग इधर बैठें या उधर बैठें इसमें क्या फर्क पड़ सकता है, उसमें किसी के बैठने नहीं बैठने के लिये एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? हमने कोशिश की उनको कब्रिस्तान में उनके मुर्दे गाढ़ने के लिये इजाजत दे दें, उसके लिये हमने उनको रजामन्द कर लिया आज वह लोग वहां पर अपने मुर्दे गाढ़ सकते हैं, लेकिन हम किसी और प्रकार का इन्टरवेन्शन नहीं करना चाहते। और मैं तो समझता हूं कि इन सभी बातों का फैसला जल्दी हो सकता है अगर उसमें कोई इन्टरवेन्शन नहीं हो। वह लोग खुद ही अपने आप बैठ कर बातचीत इस बारे में कर सकते हैं। अब अगर आप प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो मैं आपको यह निवेदन करूं कि जब मैं 16 साल का था तो मैंने हरिजन को छू लिया था इससे हमारी जाति में काफी विरोध मेरा हुआ। मैं 18 वर्ष तक अपनी जाति में कहीं भी जीमने नहीं गया। और इतना ही नहीं मैं मेरे ससुराल तक इस दरमियान नहीं गया यह तो अपनी अपनी एप्रोच का मामला है। इसलिये मेरा कहना यह है कि हम किन्हीं लोगों पर एसाल्ट नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह चीज नहीं है। एक कब्रिस्तान का ही मामला नहीं है, कई बातें हैं।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना कह सकता हूं कि अब उनके मुर्दों के गाढ़ने-वाढ़ने का कोई टन्टा नहीं रहा। इन पिछले दो सालों में हमने काफी प्रयत्न किये हैं और इसमें काफी प्रगति भी हुई है लेकिन असलियत में आप जो कह रहे हैं वह बात नहीं है। असलियत तो यह है कि कौनसे ग्रूप के पास कितनी मस्जिदें हाथ आयें कितनी धर्मशालायें हाथ आयें, कितनी स्कूल ज्यादा हाथ लगें, यह मामला असली है।

श्री केदार नाथ : पन्जाब में जो गुरुद्वारे में व्यवस्था है वैसा नहीं हो सकता क्या?

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार जो भी कानूनी मदद होगी वह हर तरह से उन लोगों को देगी। जैसे अगर कोई किसी को मन्दिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारे में जाने से रोकता हो या उसमें कोई जबरदस्ती करता हो तो हम उनको कानूनी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे मैं गलिया कोट के बारे में निवेदन कर देता हूं, मैं जब कभी वहां जाता हूं तो मस्जिद में जाता हूं। लेकिन जब एक बार वहां के ओल्ड ग्रुप के लोग आये और उन्होंने मुझे यह कहा कि यूथ ग्रुप के लोग यहां पर नहीं आने चाहियें तो मैंने उसी वक्त कहा, नो यह नहीं हो सकता। क्योंकि उनको भी आने का हक है। तो मेरा कहना यह है कि यह सारा का सारा मामला सुलझ सकता है अगर इसमें तनाव समाप्त हो जाये। इसमें अगर दूसरे लोग हेन्ड्स ऑफ करलें और मेरा खयाल है कि उदयपुर में जो प्रेस है वह भी अगर इससे हेन्ड्स ऑफ करले तो मैं समझता हूं कि यह समस्या अपने आप ही सुलझ सकती है।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि····

श्री हरिदेव जोशी : अब तो समाप्त करो भाई सभी बातें तो बता दी हैं।

विधेयकों का उपस्थापन

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण विधेयक, 1975

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। विधेयकों का उपःस्थापन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (राज्य मन्त्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(मतदान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : We claim division.

(मत विभाजन घन्टी)

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : देखना यह है कि गुन्डे किधर ज्यादा हैं!

श्री केदार नाथ : अध्यक्ष महोदय, यह जो सदन में कहा गया है कि "देखना यह कि गुण्डे किधर ज्यादा है" इसको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि दी राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मैं दी राजस्थान गुन्डा नियन्त्रण विधेयक, 1975 को सदन में प्रस्तुत करता हूं और प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश संख्या 5 सन् 1975)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)
को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : Next.

राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री खेतसिंह (विधि मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्थान विक्री कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं दी राजस्थान विक्री-कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करता हूं और प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 21 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करता हूं और प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 23 सन् 1974) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : Next.

कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975

श्री रामनारायण चौधरी (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक 1975 को सदन में पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं तथा प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत कोटा नगरपालिका सीमा (निरन्तर अस्तित्व) विधि मान्यकारी अध्यादेश 1975 (अध्यादेश संख्या 1 सन् 1975) को जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं ।

शासकीय संकल्प

श्री अध्यक्ष : शासकीय संकल्प पर विचार ।

श्री खेतसिंह (विधि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1974, जिसका उद्देश्य भारत–सिक्किम सहकारिता एवं अन्तर्सम्बन्ध दृढ़ बनाने हेतु सिक्किम जनता की अभिलाषाओं को प्रभावी करना है, तथा जिसका संक्षिप्त नाम "संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974" में परिवर्तित कर दिया गया है, द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित भारत के संविधान के उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है ।

श्री केदारनाथ : On a point of order, sir. अध्यक्ष महोदय, क्या इस एमेन्डमेंट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने कल ही इस पर अपनी असेन्ट दी है, उनके दस्तखत हो चुके हैं । इस पर कई विधान सभाओं ने अपना समर्थन कर दिया है और यह, अध्यक्ष महोदय, कोई बहस का विषय नहीं होना चाहिये इसको तो सर्वसम्मति से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, जितनी स्टेट्स को इसका समर्थन करना चाहिये था वह तो फोरमिलिटी पूरी हो चुकी है, फिर क्या फायदा ?

श्री खेतसिंह : सवाल फोरमिलिटी का नहीं है । अगर अपनी विधान सभा भी इसको पास कर दे, तो क्या बुरा ? यह तो एक अच्छी बात ही है ।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जब राष्ट्रपति की एसेन्ट हो चुकी है तो फिर इसे इस सदन में पास करने से क्या फायदा? क्योंकि उसकी संवैधानिकता की कार्यवाही तो पूरी हो चुकी है ।

राजस्थान सरकार हमेशा सदन की बैठक बुलाने से डरती रही है और कभी कभी इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है जिसके लिये सरकार स्वयम् दोषी है। हाउस सहमति देगा इस प्रस्ताव की । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जो यह विचारधारा है और राय जानना चाहते हैं, लेकिन हम मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे कि सदन की बैठक इससे पहले क्यों नहीं बुलायी ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को सदन की बैठक बुला ली गयी थी । कार्य सलाहकार समिति की भी मीटिंग बुला ली गयी थी । लेकिन माननीय सदस्य; जो स्वयम् पार्टी के नेता हैं, वे तो हमेशा ही मीटिंग में उपस्थित नहीं होते हैं जब कि उन ही की पार्टी के चीफ व्हिप महोदय प्रो० केदार मौजूद थे । 18 तारीख को ही इस पर विचार कर लेते तो इसमें शामिल हो गये होते ।

श्री अध्यक्ष : इस पर वाद-विवाद करना है तो कर लिया जाय ।

श्री केदारनाथ : यह मोशन वियड्रो करलें ।

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं हो सकता है लेकिन उचित तो हो सकता है ।

(श्री अध्यक्ष)
रेक्टिफिकेशन हो सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है काम तो हो गया।

श्री केदारनाथ : चर्चा हो जाय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा हो जाय।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, सिद्धान्ततः जब इस संकल्प के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है तो फिर बहस करने की कोई गुन्जाइश नहीं रहती है। किन्तु जब यह संकल्प विधान सभा में आया है तो मैं इसका स्पष्ट विरोध तो नहीं करना चाहूंगा लेकिन इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने का साहस करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प को अनावश्यक समझता हूं। इस पीस ओफ लेजिसलेशन को अच्छा नहीं समझता। It is not a good piece of legislation.

यह निर्विवादित बात है इस महान् देश की विभिन्नता के अन्दर ही एक्यता निहित है। और इस महान् देश की विभिन्नताओं के द्वारा ही हम संगठित हैं और एक बनते आये हैं।

(1. 54 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, विभिन्नता की भी एक सीमा होती है। जब विभिन्नता उस सीमा का उल्लंघन कर जाती है तो वह विभिन्नता केवल मात्र नहीं रहती, उस विभिन्नता के साथ एक विचित्नता भी आ जाती है। इस संकल्प को मैं एक हद तक विचित्नता की संज्ञा ही दूंगा।

सिक्किम, उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रोटेक्टेड राज्य है। उस की एक ट्रीटी है, संधि है। सिक्किम ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था भारत की केन्द्रीय सरकार के अर्पण कर दी, विदेश नीति भी केन्द्रीय सरकार के अर्पण कर दी और यातायात व्यवस्था भी केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत उस ट्रीटी के द्वारा, उस संधि के द्वारा आ चुकी।

संक्षेप में मैं यह कहूं, इस स्थिति के अन्दर इस पोजिशन को लेकर, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, हमारी भारत सरकार, सिक्किम के अन्दर जो चाहती वह कर सकती थी। जब कभी भी वह जो चाहती वह कर सकती थी। सिद्धान्तः वैधानिक दृष्टि से, टोटल सरेन्डर ऑफ पावर्स नहीं है, लेकिन एक प्रोटेक्टेड रूप में तो सिक्किम विद्यमान ही है और ऐसी परिस्थिति में, मैं समझता हूं, सिक्किम को यह जो एसोशियेट दर्जा दिया गया है वह अनावश्यक था और इस दर्जे को देने की उत्सुकता को लेकर दूसरे राज्यों में भी दुर्भावनायें पैदा हुईं। खैर, पाकिस्तान जो कुछ कहता है, उस पर तो विशेष हमको ध्यान भी नहीं देना चाहिये, क्योंकि वह हमेशा आलोचना करने के लिये आलोचना करता है। किन्तु चीन में भी विवादास्पद बातें उत्पन्न हुई। नेपाल और भूटान में भी उद्विग्नता उत्पन्न हुई। इसका कोई कारण नहीं है।

अब एसोशियेट मेम्बरशिप इस सिक्किम राज्य को दी गयी है तो सिक्किम के नागरिक दो प्रकार के गिने जावेंगे। यदि उनको प्रतिज्ञान करना होगा तो दो, एक सिक्किम के प्रति और दूसरा भारत वर्ष के प्रति। क्योंकि उन्हें भारतवर्ष के सदन में प्रतिनिधित्व दिया गया है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं समझता हूं, पहले भी इस सम्बन्ध में बहुत गहराई से विचार हो चुका है और वह यह है कि नैपाल और भूटान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं सिक्किम हमारा प्रोटेक्टेड स्टेट होते हुए भी बाहर के रूप में विद्यमान है। बफर स्टेट चीन और भारत वर्ष के बीच में है। और यह भारतवर्ष के लिये जितनी आवश्यक है उतनी ही चीन के लिये। जितना सिक्किम चीन और भारतवर्ष के लिये बफर स्टेट के रूप में आवश्यक है उतना ही नैपाल और भूटान के लिये भी आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में जब सिक्किम को एक एसोशियेटेड स्टेट का दर्जा दिया जाता है तो मैं नहीं समझता कि बफर स्टेट के रूप में रह सकती है। वह तो भारतवर्ष का एक अविभाज्य अंग बन गया।

ऐसी स्थिति में स्ट्रेटेजिक रूप में भी यह बुद्धिमत्ता या दूरदर्शिता का काम नहीं किया गया है। यह तो गधा भी नहीं है घोड़ा भी नहीं है। दिन भी नहीं है रात भी नहीं है। अगर पांडीचेरी, गोआ, त्रिपुरा या मनिपुर के माफिक उसका पूर्ण विलीनीकरण हो जाता तो समझ सकते थे। विलीनीकरण नहीं होता है तो सिक्किम को एक एसोशियेट दर्जा दिया जाता संवैधानिक दृष्टिकोण से भी, मैं समझता हूं खामी से दूर नहीं है।

सिक्किम के अन्दर, चाहे पिक्युलियर हो, चाहे सिम्बोलिक हो चाहे नाम मात्र के रूप में हो उसका मौनार्किस्ट केरेक्टर भारत सरकार विद्यमान रखती है और समर्थन दे रही है ऐसी स्थिति में चाहे मुख्य मंत्री चौग्याल को फूटी आंख से नहीं देख सकते, लेकिन सिक्किम के मंत्रिमंडल पर भी भारत सरकार का उच्चाधिकारी वहां पर है और एक तरफ से सुपर गवर्नर बन कर बैठा हुआ है। यह व्यवस्था, मैं समझता हूं एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। स्ट्रेटेजिकली भी यह कमी से भरपूर है, यह मेरा निश्चित अभिमत है।

आज की परिस्थितियों के अन्दर यह एसोशियेट मेम्बर का मैं उदाहरण दूं। इसको कन्फेडरेशन की संज्ञा दी जाये तो इजिप्ट और सीरिया के अन्दर, जो अफ्रिका के मुल्क हैं वहां भी कन्फेडरेशन की बात हुई लेकिन वह कन्फेडरेशन नहीं था। बल्कि कन्फेडरेशन वाली बात 19 वीं सेन्चुरी में हुई। वह भी विशेष महत्व नहीं रखते हुए उसके अन्दर पृथकता की भावनायें उत्पन्न हुई। मैं इस संबंध में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक नाजुक समस्या है लेकिन इस सदन को यह अधिकार है कि इस संकल्प को रेटीफाई करें और मैं यह अनुभव करता हूं कि यह सदन निश्चित कर चुका है कि इसको रेक्टीफाई किया जाये। इसलिए मैं भी इसका विरोध नहीं करते हुए केवलमात्र इतना कहूंगा कि यह विधेयक अच्छा नहीं है अनावश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गफ्फार अली।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय हिन्दुस्तान के इतिहास में हिन्दुस्तान की केन्द्र की हुकूमत ने ऐसे 3 महत्वपूर्ण कदम उठाये जिसने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया और हिन्दुस्तान के वह तीनों कदम हिन्दुस्तान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जायेंगे। जो कदम उठाये गये उनमें से एक बहुत ही सराहनीय

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कदम था बंगला देश की आजादी की जंग, जिसका हमने समर्थन किया और हमने वहां के फौजी शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध समर्थन उनको दिया । यह एक ऐसा सराहनीय कदम है कि जिसको हिन्दुस्तान का ही इतिहास नहीं बल्कि दुनियां का इतिहास याद रखेगा । 9 करोड़ की वह कौम जो वर्षों से गुलामी की जंजीर में फंसी हुई थी और दमन का मुकाबला कर रही थी उसको 16 दिन की जंग के बाद आजादी प्राप्त हुई । वहां की मुक्तिवाहिनी ने उसको आजाद कराया और हमारा भी उसमें बहुत बड़ा किरदार रहा ।

दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो उठाया वह सिक्किम के बारे उठाया जो कि हमको पहले ही उठाना चाहिए था । अभी माननीय सदस्य (विराम) मुझे उनका ओहदा याद नहीं आ रहा है....

कुछ माननीय सदस्य : महारावल साहब ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : हां महा रावल साहब ने जो फरमाया....

श्री खेतसिंह : आप उन्हें लक्ष्मण सिंह जी कह दें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह बुजुर्ग हैं इसलिए महारावल साहब ही कहूंगा ।

श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी इनायत है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उन्होंने कहा कि यह गलत है और गलत कदम उठाया गया लेकिन मेरी मान्यता यह है कि यह कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था । दिसम्बर, सन् 1947 में जब चौग्याल के खिलाफ बगावत हुई उस समय हिन्दुस्तान की फौज ने महाराजा के हक में आकर उसको बिठाने की चेष्टा की । उसके बाद फिर सन् 1950 के अन्दर वहां के लोग दूर दराज पहाड़ियों से चलकर और बर्फ की टीलों को पारकर फिर चौग्याल को हटाने आये तो फिर हिन्दुस्तान की फौज का उसमें दखील हुआ और हमारी कार्यवाही का वह एक शर्मनाक पहलू था जो कि हमने अख्तियार किया । हमारे लिए यह शोभाजनक नहीं था । हमने उस जनता को जो महाराजा की परम्पराओं के खिलाफ बगावत कर रही थी उसको कुचलने के लिए अपनी फौज को भेजा । असल में वह कदम जो अब उठाया गया वह सन् 1947 में उठा लिया जाता तो यह जो बाद में बहुत सी बगावतें हुई और हर साल वहां के लोगों ने चोग्याल के खिलाफ बगावत की वह नहीं होती । तो यह कहना कि हमारा यह गलत कदम है यह बुद्धिमानी की बात नहीं है । जब समझौता हो गया, सिक्किम की असेम्बली का फैसला हो गया कि हम एसोशियेट मेम्बर हिन्दुस्तान के बनें तो भी चौग्याल ने उसको लागू करने में हिचकिचाहट की लेकिन जनता ने उनके गुरूर को तोड़ मरोड़ कर रख दिया और साबित कर दिया कि वह केवल शासक ही हैं जैसे इग्लैण्ड का बादशाह है वैसे ही सिक्किम में चोग्याल अब रह गया है । यह बहुत सराहनीय कदम है ।

दूसरा पहलू जो उजागर करना चाहता हूं वह यह कहना चाहता हूं कि आज अन्तर्राष्ट्रीय हालात इस किस्म के हैं

Page No. 63

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि हमारा प्रोटेक्शन उस समय तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक कि हम ज्यादा ताकत के साथ उसमें दखील न हो सकें। आप कहते हैं कि यह सिक्किम जो कि हमारे सिर पर एक छोटी सी रियासत है अगर इसको चीन हड़पना चाहे तो क्या सिक्किम की मजाल है कि वह उसके आक्रमण को रोक सके ? यह नहीं भी हो और चौग्याल साजिश करके चीन के साथ चला जाये तो हमारे लिए कितनी दिक्कतें पैदा हों इसका आप अन्दाजा नही कर सकते। इसलिए मेरा यह अर्ज करना है कि यह जो सराहनीय कदम केन्द्र की हुकूमत ने उठाया है असल में जो रूलर है, चौग्याल् उनके जज्बात के खिलाफ उठाया है मगर उसके साथ साथ लाखों लोग, जो इसको चाहते थे, उनकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए और असेम्बली का फैसला था उसको लागू करते हुए हमने उनको एसोशियेट मेम्बर का दर्जा दिया है। यह भी एक सराहनीय कदम है। तो मैं ज्यादा नहीं बोल कर यह चाहूंगा कि हमें इसको यूनेनीमसली एन्डोर्स करना चाहिए। हालांकि इसको स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है प्रेसीडेन्ट साहब ने इसको स्वीकृति दे दी है और यह टेक्नीकल चीज रह जाती है फिर भी हमारा फैसला इसके साथ जाता है तो यह चीज तो स्पष्ट होगी कि केन्द्र ने जो इस मामले में फैसला लिया वह बहुत सही कदम था।

तीसरा सराहनीय कदम वह है जो अब परिपक्व हो रहा है और वह काश्मीर का मसला है जिसको हमने हल किया है...

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। इस समय यह कहना उचित नहीं होगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं तो वह घटनायें जो कि हिन्दुस्तान में हो रही हैं उनकी तरफ तवज्जोह दिलाकर कहना चाहता हूं। इन तीनों घटनाओं नें हिन्दुस्तान के इतिहास को मोड़ दिया है और खास तौर से इस सिक्किम के मामले में जो फैसला लिया है हम इसको एन्डोर्स करें और यहां से भेजें यही मुझे निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन के सामने पेश किया गया है मैं इसका विरोध करने के लिए चन्द शब्द कहना चाहूंगा। प्रथम तो यह बड़े हास्यास्पद ढंग से पेश किया गया है जब कि राष्ट्रपति महोदय ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और आज इसके ऊपर हम कुछ कहें।

श्री खेतसिंह: कष्ट करो ही मत।

श्री मोहरसिंह : यह तो आपने परम्परा डाल दी। मैं साफ तौर से यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से छोटे मुल्क के अन्दर अपनी मदालखत करना, उस डेमोक्रेट्रिक, जन-वादी आन्दोलन को, जो प्रगतिशीलता की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने की कोशिश करना, उसे गुलाम बनाने का कदम है। इस कदम से, उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहे अपने आपको कितने ही बड़े शक्तिशाली घोषित करते जा रहे हों लेकिन आस-पास में जितने मुल्क हैं हिन्दुस्तान की बाउण्ड्री के, चाहे वह पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बर्मा हो या दूसरे देश हों, हमारे इस कर्त्तव्य से, इस जुल्म से, इस प्रकार के कदम से, वे जरूर महसूस करेंगे, उनको यह चिंता होगी, कि छोटे मुल्कों को

Page No. 64

(श्री मोहरसिंह)

भारत जब चाहे हड़प सकता है, हड़पने की कोशिश कर सकता है। यह जिस प्रकार का कदम उठाया गया है, उस सारी प्रक्रिया में, सारे आन्दोलन की तह में, नहीं जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो भी डेमोक्रेटिक दल हैं और जिस तरह से हिन्दुस्तान ने उनके साथ व्यवहार किया है, एक बन्दर बांट की जो भूमिका निभाई है, चौग्याल और वहां की जनता, डेमोक्रेटिक आन्दोलन में, आपस में झगड़ा पैदा हुआ, उसके अन्दर मदालखत जिस ढंग से की गई है वह कोई उचित और सही ढंग नहीं है। किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटर को बैठाया जाना और एडमिनिस्ट्रेटर को कायम करके किस प्रकार से वहां भ्रम युक्त ढंग से, पूंजीवादी तरीके से, असेम्बली का चुनाव कराना और उसके बाद में जिस प्रकार से हिन्दुस्तान ने वहां दखल देकर एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा दिया, उसको मैं गुलामी कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं। इस तरह से वहां के दो लाख नागरिकों को हिन्दुस्तान ने गुलाम बनाया है। आसपास के दूसरे देशों के अन्दर और उसके साथ साथ हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों के अन्दर और राष्ट्र संघ के अन्दर भी बढ़िया नाम नहीं होगा। साथ साथ जो दूसरे देश साम्राज्यवादी मुल्कों से हथियार वगैरा ले रहे हैं उन लोगों को भी मौका मिलता है यह कहने का कि हम डरते हैं हिन्दुस्तान से। हिन्दुस्तान इतना बड़ा मुल्क है जब भी चाहे हमारे पर हमला कर सकता है, तो अमेरिका क्यों नहीं हथियार दे। इस प्रकार दूसरे मुल्क हथियार मांगने का कदम उठा सकते हैं। इस प्रकार का भारत का यह कदम किसी प्रकार का डेमोक्रेटिक कदम नहीं है। और इस कदम के उठाने के बाद आपने सुना होगा कि 10 अक्टूबर को वहां विद्यार्थियों ने एक जूलूस निकाला जिसमें हिन्दुस्तान की मदालखत के खिलाफ प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन पर हिन्दुस्तान की सी.आर.पी. ने जिस प्रकार का जुल्म ढाया, यह आपने रेडियो में सुना होगा और अखबारों में पढ़ा होगा। उसके बाद दूसरे दिन 11 अक्टूबर को 10 विद्यार्थी सिक्किम के रहने वाले गंगटोक जा रहे थे, रास्ते में उनको सी. आर. पी. ने रोका और कहा कि कहां जा रहे हो। आन्दोलन में शामिल होने तो नहीं जा रहे हो। कल वाले विद्यार्थी प्रदर्शन में तो शामिल नहीं होने जा रहे हो, लड़कों ने कहा कि हम तो काम से जा रहे हैं, लेकिन उनकी बुरी तरह से पिटाई की गई। इस प्रकार से जो वहां जनवादी आन्दोलन बढ़ रहा था उस आन्दोलन को कुचलने की हिन्दुस्तान ने परम्परा वहां डाली है जो कि चौग्याल के झगड़े के अन्दर यह पूंजीवादी तरीके से, बुर्जुवा तरीके से एसोशिएट स्टेट कायम करके इस प्रकार से जो कार्य किया है वह गलत कार्य है, और दूसरे पड़ौसी मुल्क हैं, वे भी गलत समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपकी इस व्यवस्था व इस एक्ट के खिलाफ में अपने विचार प्रकट करने के साथ साथ वाकआउट करता हूं।

(श्री मोहरसिंह द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(कई मा० सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बाद में हम क्या कहेंगे, एक इधर से, एक उधर से बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी किसलिए हैं फिर ?

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री शंकरलाल (पाली) : इस प्रकार की बहस होने से कोई मतलब नहीं है ···

श्री उपाध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्यों के सोचने की बात है ।

श्री शंकरलाल (पाली) : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब इसकी आवश्यकता नहीं है, सदन का समय जबरदस्ती जाया हो रहा है····

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । आप भी समय ही ले रहे हैं । आप तो काफी तजुर्बेकार हैं यहां की प्रक्रिया के, माननीय सदस्य । जो नियम हैं, उसके अनुसार क्या आसन को यह अधिकार है कि किसी संकल्प को रोक सकता है ? जहां तक समय लेने की बात है, यह तो माननीय सदस्यों के सोचने की बात है और····

(व्यवधान–अश्रव्य)

आप बिराजिये ।

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस संकल्प के अन्दर संविधान की धारा निहित है, और जिस धारा के तहत लाने की इसकी आवश्यकता है, उसमें बोलने की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कह रहा हूं । दूसरी तरह से होता तो दूसरी बात थी । यह गलत परम्परा पैदा हो जाएगी । जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, उसके ऊपर भी बोलते जाना, यह गलत परम्परा हो जाएगी, यही मेरे कहने का मतलब है ।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, ···

श्री उपाध्यक्ष : संसदीय परम्परा में जो भी संकल्प प्रस्तुत किया जाता है विचारार्थ, उस पर चर्चा होना आवश्यक है । उस चर्चा को समाप्त नहीं किया जा सकता है । यह अगर मोशन मूव करने वाले चाहें तो वह वापस ले सकते हैं, तभी वह चर्चा समाप्त हो सकती है ।

श्री दीपंकर : चर्चा होने की आवश्यकता ही नहीं है; मत ले लिया जावे ।

(श्री शंकरलाल व श्री दीपंकर के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य) इस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए अधिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है । इसलिए इस पर मत लिया जाकर इस विषय को बन्द किया जावे ।

श्री केदारनाथ : और श्री खेतसिंहजी को सिक्किम भेज दिया जावे ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रोफेसर साहब के साथ में ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इस पर विवाद हो चुका है, और उसके बाद जब सरकार की तरफ से मोशन मूव हो गया और विवाद उठ गया, तो इस पर विवाद किया जाना चाहिए । मैं एक बात कहता हूं, मैं इसके समर्थन में बोल रहा हूं । दूसरा यह समझ लेना चाहिए कि जिस प्रस्ताव का चीन और पाकिस्तान विरोध करें, वह आपका प्रस्ताव सही है ··

श्री एक माननीय सदस्य : सी. पी. एम. भी विरोधी है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : चीन और पाकिस्तान, रूस और विदेश के बड़े-बड़े देश भारत के जिस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा कदम सही है । विरोध तो पाकिस्तान भी कर रहा है और हमको आक्रामक बता रहा है । जब वह विरोध कर रहा है इसका मतलब यह है कि आपका कदम सही है ।

श्री रामकिशन : इसमें तो आप फंस जाओगे ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने यह जो सिक्किम को जिन मुद्दों पर एसोशियेट के रूप में रखने के लिए 36वां अमेंडमेंट रखा है, वह जल्दी में रखा है और अधूरा रखा है। और उस अधूरे रखने के कारण और विलम्ब से रखने के कारण हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है । हमारे पड़ौसी राज्य जो तिब्बत था, उसको चीन खा गया और हमारी कमियों के कारण, हमारी अन्य शिथिलता के कारण पहले ही नुकसान हो गया । इसलिए मैं कुछ अपनी आशंकाओं के साथ यह कहना चाहता हूं कि संसद में भी इस प्रकार का प्रस्ताव जब आया तब लोगों ने इस प्रकार की आशंका प्रगट की कि वहां के लोग जब फुलफ्लेज्ड मिलना चाहते हैं, जब वे फुलफ्लेज्ड मिलना चाहते हैं तब आप तीन विभागों में मिलाकर ऐसे विशेष दर्जा देकर उनको कौनसा नागरिक बनाना चाहते हैं ? अगर वह फुलफ्लेज्ड मिलना चाहते हैं तो उनको फुलफ्लेज्ड मिलाना चाहिए। यह कोई तरीका नहीं है। काश्मीर के मामले में पहले भी जब एक रिजोल्यूशन पास कर मिलाना चाहते थे, उस समय भी हमने नहीं लिया तो आज हम उसके दुष्परिणाम भुगत रहे हैं । आज उसी का परिणाम है कि 370 धारा में विशेष दर्जा दिया गया है उसके बुरे परिणाम हमारे सामने हैं । इसलिए मैं कहता हूं कि हमें उनको फुलफ्लेज्ड मिलाना चाहिए जब वहां की जनता यह डिमाण्ड कर रही है कि हमको फुलफ्लेज्ड मिलाओ । जब वहां की विधान सभा का यह रिज्योल्यूशन है, जो कि भारत सरकार के पास उन्होंने भेजा है, तो फिर दो तीन मुद्दों पर विलीनीकरण करने के लिए कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट करें, इस प्रकार का कार्य करना मैं समझता हूं कि यह जल्दबाजी का काम होगा । हमें फुलफ्लेज्ड उनको मिला कर अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी चहिए ।

दूसरा मुझे इसमें यह कहना है कि सीमा सुरक्षाओं के अन्तर्गत भी आज 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम दूसरी सीमाओं के बारे में भी हम इसी कारण से बिछड़ गए हैं, जो हम कर नहीं पाये हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दोषपूर्ण है, जो इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं उसके अन्दर सुधार करें और उनकी मांग के अनुसार पूरा का पूरा मिला कर हमारी शक्ति को केन्द्रित किया जावे ताकि कोई विदेशी शक्ति हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके या किसी प्रकार की निगरानी न रख सके । बाकी दूसरे लोग जो इम्पीरियलिज्म की, आक्रमण की और साम्राज्यवाद की स्थापना की बात करते हैं वे स्वयं को तो देखें कि वे कितने साम्राज्यवादी हैं या हम साम्राज्यवादी हैं । किस को कह रहे हैं साम्राज्यवादी ? किसको कह रहे हैं ? (समय-समाप्ति-सूचक घण्टी) जिन्होंने अपने सारे के सारे साम्राज्य को हजम कर लिया है वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान साम्राज्यवादी है । मुझे तो लगता है कि ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने, जो नपुंसक हैं, उसके लिए कहा जाय कि उसने बलात्कार किया, उस पर बलात्कार के आरोप लगाए जावें भारत सरकार के ऊपर, भारत की जनता के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाना कि उन्होंने साम्राज्यवाद पैदा करने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं यह गलत है । उन्होंने आज जनता के अन्दर जिस प्रकार की

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

व्यवस्था बनी है, और उसका समय निकाल कर विस्तार किया है, उन्हीं के ऊपर साम्राज्यवाद का यह आरोप रखते हैं, यह आरोप निराधार है। मैं चाहूंगा कि इसका पूर्ण समर्थन किया जाय और इसको फुलफ्लेज्ड करके पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। विपक्ष के माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि भारत ने एक छोटे से देश को हड़प लिया है, यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है••

श्री केदारनाथ : उन्हें दबाने की बात याद आ गई थी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वे दबाने के लिए कह रहे थे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं मोहरसिंह जी के लिए कह रहा हूं। उन्हें शायद सिक्किम और भारत का क्या रिश्ता है, इसके इतिहास की जानकारी नहीं है सिक्किम का दर्जा ब्रिटिश साम्राज्य में वही था जो कि भारत के दूसरे 562 रजवाड़ों का था, लेकिन चूंकि सिक्किम एक पहाड़ी प्रदेश है, वहां की संस्कृति विशिष्ट है, लोग कवायली तरीके के हैं और विकास का स्तर भारत के मुख्य जो प्रदेश हैं उनसे कम था। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशी मामलों में, सुरक्षा के मामलों में साधारण तथा उनको अपने हाथ में रखा और बाकी उनकी आन्तरिक स्वतन्त्रता रखी, और वह सब कुछ एक सन्धि करके उस वक्त तय किया गया। समय ज्यों-ज्यों परिवर्तित होता है, दूसरे देशों में ज्यों-ज्यों विकास हुआ उस प्रदेश में भी राजनैतिक चेतना आई है उसके कारण आप जानते हैं कि पिछले 3-4 सालों का इतिहास सिक्किम का काफी दुःखद है। आज से साल–डेढ़ साल पहले सिक्किम के चौग्याल को व्यवस्था स्थापित करने के लिए, शान्ति स्थापित करने के लिए, भारत सरकार से निवेदन भी करना पड़ा था। और यों आप जानते हैं कि भारत सरकार की सेना, चूंकि वहां की इस तरह की स्ट्रेटेजिक स्थिति है, हमेशा वहां रहती है। और पिछले साल उसके बाद निष्पक्ष चुनाव हुए और चुनावों के परिणाम सामने आये हैं, और वहां की एसेम्बली ने यह भारत सरकार के पास सिफारिश भेजी कि अब हमें एक सह-राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और हमारा प्रतिनिधि भी पार्लियामेंट में बैठना चाहिए। जब सिक्किम भारत का एक तरह से हिस्सा है, तो उसका प्रतिनिधि वहां पर न बैठे, मैं समझता हूं यह उन लोगों के साथ में न्याय नहीं है। इसलिए यह संविधान में प्रावधान करके एक न्यायोचित बात की है, और सिक्किम के लोग वहां के मामलों में ज्यादा अच्छी तरह से भारतीय संसद में कहेंगे और उनका जल्दी विकास होगा यह आशा करके चलते हैं•••

श्री केदारनाथ : लोक सभा में नॉमीनेशन का किया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नॉमीनेशन ही सही, प्रतिनिधि तो आया है।

अब इसमें एक प्रश्न पर गहराई से जाने की आवश्यकता है। सिक्किम के मूल निवासी,

(श्री पूनमचद विश्नोई)

क्योंकि पिछले कई वर्षों से बाहर के लोग काफी आकर बस गये वहां, इसलिए अल्पमत में हो गये हैं, और इस चुनाव के अन्दर भी जो बाहर वाले लोग हैं वे बहुमत में आये हैं, और मैं समझता हूं कि असेम्बली में उनका बहुमत है। जो लोग बाहर से आते हैं, अपने देशों को छोड़कर आते हैं, तो कुछ हिम्मत वाले लोग होते हैं, उनमें बुद्धि भी ज्यादा होती है और समझदारी भी ज्यादा होती है, और वे ज्यादा साधन वाले भी होते हैं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सिक्किम के लोग पहाड़ी लोग हैं और बड़े पिछड़े हुए हैं। आज से 3-4 शताब्दियों पहले जिस तरह की जनता है, उस तरीके से अभी तक भी रह रहे हैं। तो भारत सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है, संसद का और भारत सरकार का, दोनों का, कि जो मूल निवासी अल्पमत में हो गए हैं, उनके हितों की रक्षा की जाय। दुर्भाग्य से आज सिक्किम के चौग्याल और वहां की निर्वाचित विधान सभा में आपस में अच्छा सलूक नहीं है। हो सकता है कि चौग्याल अपने हितों की रक्षा के लिए मूल निवासी, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनको अपने साथ में लेने की कोशिश करें। वह एक तरह से ऐसा प्रदेश है जिसमें पिछड़ापन होने के कारण, वहां पुजारियों का जोर ज्यादा है, लामाओं का जोर ज्यादा है, वह भी चौग्याल के साथ हो सकते हैं। मूल निवासी यह अपने यहां के हैं, अपने मुल्क के हैं, इस विचारधारा में बहकर, इस बहाव में उसके साथ मिल सकते हैं। और सिक्किम के चौग्याल और जो वहां की सरकार है उनमें आपस में नहीं बनती है क्योंकि चौग्याल पुरानी व्यवस्था को कायम रखना चाहता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं और न कहना ही चाहता हूं। जैसा सलूक दूसरे राजाओं के साथ हुआ है वही उनके साथ हो, लेकिन जो मूल निवासी हैं...

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ ऑर्डर। नियम 261 के तहत मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि इस प्रस्ताव पर काफी वाद-विवाद हो चुका है इसलिए इसको स्थगित किया जाय और ज्यादा विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपको धन्यवाद इस बात के लिए तो। इसका उत्तर भी सरकार देना चाहेगी। आप पढ़कर आ गये। किताब अकेले हाउस में आप ही लेकर आये हैं।

श्री दीपंकर : यह मुद्दा ऐसा नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

श्री दीपंकर : ...कि इसको इतना महत्व दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप माननीय सदस्य को बोलने दें। आप विराजिए।

श्री दीपंकर : आसन मेरे प्रस्ताव पर व्यवस्था दे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय दीपंकर जी ने की तो गलती। अगर विश्नोईजी की तरह टोरे मारते रहते तो बढ़िया रहता।

श्री दीपंकर : क्या मैंने जो प्रस्ताव पेश किया है वह गलत किया है कि आपका ध्यान इस ओर दिलाया है? आसन अपनी व्यवस्था दे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा पूरी होने पर

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैं बोल लेता उसके बाद में पेश करना चाहिए था ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपके सॉल्युशन को उचित नहीं समझता हूं और जो चर्चा इस संकल्प पर चल रही है उसको बन्द करना उचित नहीं समझता हूं ।

श्री दीपंकर : इस पर चर्चा काफी हो चुकी है । यह मेरा अधिकार है । मेरा प्रश्न उठाने का अधिकार है और इसके ऊपर व्यवस्था दी जाय । यह एक ऐसा विषय नहीं है कि जिसका राजस्थान से संबंध हो। इस प्रकार का निर्णय हो चुका है भारत सरकार की तरफ से । अब हम ख्वामख्वाह इस पर चर्चा करके दूसरी विषय पर बहस करने वालों का समय बरबाद कर रहे हैं, मैं समझता हूं यह उचित नहीं है । इसलिए यह जरूरी है कि 261 धारा की ओर आपका ध्यान दिलाऊं । यह मेरा फर्ज है और इस पर आसन का निर्णय आजाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने अपना निर्णय दे दिया है ।

श्री रामकिशन ।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मंत्रीजी ने इस सदन के सामने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान की सरकार ने जो उस संबंध में कदम उठाया है वह न तो बहुत स्पष्ट है और न बहुत सामयिक ही । असल सवाल तो यह है कि जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस समय नेपाल, भूटान और सिक्किम, इन सभी राज्यों में जनवादी आन्दोलन काफी तीव्र हो गया था । बड़ा तीव्र जनवादी आन्दोलन सिक्किम कांग्रेस, नेपाल कांग्रेस और भूटान कांग्रेस द्वारा चल रहा था और इनके प्रतिनिधियों से हम लोग जब कभी मिला करते थे तो हम कहते थे कि जिन क्षेत्रों में सामन्तवादी व्यवस्था है, उसको वहां से हटाकर लोकतन्त्रवादी व्यवस्था स्थापित करना, यह हमारा उद्देश्य है । लेकिन आज जो व्यवस्था की है और उसको सह-राज्य का दर्जा दिया है, ऐसी व्यवस्था बहुत अपूर्ण है और उसके साथ में जो सामन्तवादी व्यवस्था कायम रखी गई है और उसको संरक्षण देने की आज सरकार कोशिश कर रही है, उसके लिए मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से सरकार की निन्दा करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान की सरकार को आज इतना समय नहीं है कि इस पर विचार हो। हिमालय के बारे में उचित नीति के बरते जाने की व्यवस्था नहीं हुई है । असल में हिमालय के राज्यों–सिक्किम, भूटान, नेपाल, तिब्बत, इनके बारे में स्पष्ट नीति हमारी सरकार की नहीं रही है कभी । जब कभी जैसी हालत आई, वैसी ही नीति रही है । उसी का परिणाम आज यह है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सिक्किम के बारे में किसी भी दृष्टि से देखा जाय तो यह हिन्दुस्तान का संरक्षित राज्य था । सन् 1947 में ही वहां की जनता ने यह कहा था कि हम हिन्दुस्तान के साथ आना चाहते हैं । लेकिन हम उस वक्त कदम नहीं उठा सके । आज की स्थिति में और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हिमालय के सारे राज्यों में जनतन्त्री व्यवस्था हो । आज उपाध्यक्ष

(श्री रामकिशन)

महोदय, चीन और अमेरिका हमारा विरोध कर रहे हैं। आज साम्यवादी देश, पूंजीवाद देश और साम्राज्यवादी देश ये तीनों ही हमारे विरोध के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। इस सिद्धान्त के मामले में मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता किसी भी देश की एक इंच भी भूमि को लेने की इच्छुक नहीं है। न वह इच्छुक रही है। लेकिन हमारी सीमाओं के बारे में हमारा दृष्टिकोण साफ रहना चाहिए। जो हिन्दुस्तान की सरकार अब भय के कारण सिक्कम को सह-राज्य का दर्जा दे रही है, मैं समझता हूं कि वहां के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सिक्कम की जनता के चुने हुये लोग, संसद में बैठें। अभी यह है कि हमारी संसद में उनके जो प्रतिनिधि होंगे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि इस बारे में जो भ्रम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फैला हुआ है, वह बना रहेगा। हमारे देश का मानववादी दृष्टिकोण से समर्थन दिया गया है। जो आज यह प्रस्ताव है, इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा सी० पी० एम० के माननीय सदस्य के बारे में कुछ शब्द कहना है। छंगाणीजी ने तो मार्क्स की स्टडी के बारे में अपना पीछा छुड़ा लिया है। मार्क्सवाद के अध्ययन के बारे में आज कई तरीके के नतीजे निकले हैं। संसद में भी सी० पी० एम० के माननीय सदस्यों ने कहा है, लेकिन मैं पूछता हूं यह सह-राज्य का दर्जा दिया है क्या उन देशों को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। क्या उन लोगों को संघ बनाने का अधिकार नहीं है। वहां के जो लोग हैं, वह कहते हैं कि हम संघ बनाना चाहते हैं। हम कुछ चुनी हुई जातियों को विशेष अधिकार देते हैं। सिक्कम की जनता अगर कहती है कि हम अपने निर्णय का उपयोग करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि अपने हिसाब से यह ठीक हो सकता है। लेकिन मार्क्स के साथ में यह मजाक नहीं हो सकता है।

श्री दीपंकर : वह तो चीन के साथ में हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, आपने एक भ्रम फैला दिया है कि मैं यहां से गैर हाजिर रहता हूं। लेकिन संविधान की व्यवस्था एक है। संसद में किसी प्रस्ताव को पारित कर दें और राज्य विधान सभा में पारित करना है तो एक दिन पहले तो उसकी जानकारी दें। आप सदन को भ्रम में रखना चाहते हैं। मैं जानकारी की और कोई बात तो नहीं कहता हूं लेकिन मन्त्री महोदय का यह फर्ज था कि संसदीय मन्त्री की हैसियत से, विधि मन्त्री की हैसियत से आप को यह सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जो भ्रम में रखा गया है, उस मामले को जल्दी से साफ किया जाये। अन्तर्राष्ट्रीय मामले में निरन्तर भ्रम रहेगा तो उसको दूर किया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समर्थन with censure motion against you.

श्री उपाध्यक्ष : श्री विधि मन्त्रीजी।

श्री झाबरमल सूण्डा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। मैं इस प्रस्ताव का अक्षरशः समर्थन करता हूं। जो हमारी नीतियां हैं, उनको देखते हुए हम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते और जहां तक सिक्कम के लोगों का पूर्ण रूप से भारत के साथ सम्मिलित होने का

(श्री भावरमल सूंडा)
प्रश्न है, तो वह आज नहीं तो कल होगा ही। शनैः शनैः 28 साल में यह हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि 1947 में ही यह होना चाहिए था, अब भी सह-राज्य का दर्जा दिया है। यह बहुत ही उपयोगी काम किया है। ऐसे और भी कण्ट्रीज हैं, वहां भी यह हुआ है। मैं इसको इन्दिराजी की महान उपलब्धि की संज्ञा देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विधि मन्त्रीजी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों ने यह जो संकल्प है, उनका पूर्णतया समर्थन किया है। राजगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हैं, उन्होंने विरोध किया है। इसका जवाब भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने दे दिया है। इसलिये मैं इसकी लम्बी बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मेरा निवेदन है इसको इस संबंध में सर्व-सम्मति से स्वीकार करें। मैं यह भी निवेदन करूंगा, जैसा कि भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा है, इस संकल्प को भेजने में जो देरी हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : (श्री राम किशन को) आपका परपज सर्व हो गया।

श्री खेतसिंह : मैं पूरी भूमिका में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आज कई बिल हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संकल्प के बारे में जानकारी रखते हैं, इसलिए पूरे विवेचन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसको पारित करें।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी एक मंशा अवश्य पहुंचा दें। वहां का चौग्याल सिक्कम की संसद की इजाजत के बना जो वह नेपाल चला गया तो उनको यह अधिकार है कि इस आधार पर वह उसको पद से बरखास्त कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1947, जिसका उद्देश्य भारत–सिक्किम सहकारिता एवं अन्तर्सम्बन्ध दृढ़ बनाने हेतु सिक्किम की जनता की अभिलाषाओं को प्रभावी करना है तथा जिसका संक्षिप्त नाम "संविधान (पैंतीसवां संशोधन) अधिनियम, 1974" में परिवर्तित कर दिया गया है, द्वारा किये जाने के लिये प्रस्तावित भारत के संविधान के उन संशोधनों का जो उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थन करता है।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पारित किया गया।

संकल्प पारित किया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : Unanimously.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सर्वसम्मति से। बजाय इसके, हां पक्ष जीता, लिखा जाय सर्वसम्मति से पारित किया गया, लिखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975

परिनियत संकल्प

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री केदारनाथ : इससे पहले मेरा स्टेटयूटरी मोशन है। वह यह है कि सदन इस अध्यादेश को अस्वीकार करे ।

श्री खेतसिंह : अस्वीकार करें ?

परिनियत संकल्प

निम्न प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया :

"यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अध्यादेश, 1975 (अध्यादेश सं० 4, सन् 1975) को अस्वीकार करता है ।"

श्री केदारनाथ : हमारा मतलब यह है कि यह ऑर्डिनेन्स के मार्फत नहीं आता । आपका मकसद ठीक है, आपका इरादा ठीक है, जो काम किया है उसकी तारीफ करते हैं लेकिन एक वैन की आपके हाथ से शुरूआत हो, आर्डिनेन्स की कॉन्स्टीट्यूशन का आर्टिकल है, उसके अनुसार आप इवोक करते, असेम्बली का सैशन आ जाता, यहां विल पास करवा लेते । लेकिन इससे पहले यह आर्डिनेन्स को जारी किया । दूसरे जब से जारी किया तब से कितने लोगों को पकड़ा ? कितने लासेज हो रहे थे आपके रेवेन्यू में, कितना उसमें से मैक अप किया ? इसके अलावा आप क्या सुधार कर पाये इस ऑर्डिनेन्स के बाद ? यह दो शब्द आप फर्मा देते तो हम प्रस्ताव वापिस ले लेते ।

इसमें शक नहीं है कि हम सिद्धान्तत: राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं । आपकी घोषणा थी कि पंचवर्षीय योजना में सेंट पर्सेंट रूट्स को नेशनेलाइज कर देंगे । हम इसकी तारीफ करते हैं कदम की, लेकिन जो बसेज की हालत है, एक तो कम गिनती में बसेज चलती हैं दूसरे पैंसेन्जर का नुकसान होना और बसेज की कन्डीशन ठीक न होना-ऐसी हालत है, जो यह मांग करती है कि इसमें कोई इन्टेंसिव ड्राइव करके यह सारा सुधार आप कर दें ।

मैं मिसाल देना चाहता हूं, सबसे पेइंग रूट्स गंगानगर के हैं । वहां बसेज बहुत कम चलती हैं, उनकी रिपेअर टाइम पर नहीं होती है, टाइम पर वह नहीं चलती हैं इससे पैसेन्जर्स में असंतोष पैदा हो जाता है, जो कि नेशनेलाइजेशन की पॉलिसी के खिलाफ हैं, उनको मौका मिलता है । यह बदइन्तजामी है, बसेज का टाइम पर न आना, अच्छी कन्डीशन उनकी न होना इससे जो इस सिद्धान्त का मखौल करते हैं, उनको मौका मिल जाता है । हम इस सिद्धान्त के पक्ष के हैं, हम इस सिद्धान्त को ठीक समझते हैं । लेकिन दिक्कतें जरूर हैं इन दिक्कतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार कोई रास्ता निकाले और कोई ड्राइव या कैम्पेन करे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

एक मिसाल देना चाहता हूं, नोहर से चलती है गंगानगर बस । हम वहां पर गये जलसे में । इतनी बड़ी भीड़ थी कि हमें छत पर बैठना पड़ा । मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमें छत पर बैठना पड़ा और हमारी आदत नहीं है । हम तो आपकी जो मन्शा है, आपका जो ड्राइव है, उसकी तारीफ करते हैं । लेकिन जो पेइंग रूट्स हैं, जहां पर पैसेन्जर्स ज्यादा ट्रेवल करते हैं, वहां पर मीन्स आफ ट्रेवलिंग ज्यादा हो । गंगा-

(श्री केदारनाथ)
नगर के इलाके के अन्दर, फसल के इलाक के अन्दर, लोगों का मूवमेंट ज्यादा है तो वहां पर बसेज ज्यादा होनी चाहिए, उनकी रिपेग्रर हो। इसके लिए जो आपकी मन्शा है, वह मन्शा कह देंगे तो मैं अपना संकल्प वापिस ले लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री गिरधारी लाल भार्गव से) आप बोलना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दोनों साथ ले लिये जाते तो अच्छा रहता, अलग अलग लेने में टाइम ज्यादा लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : दोनों में क्या क्या ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : बिल और ऑर्डिनेन्स।

श्री उपाध्यक्ष : बिल विचारार्थ लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (श्री गिरधारी लाल भार्गव से) ओहो, आप क्षमा कीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा नम्बर है। आप बहुत कह चुके हैं। आप बोल लीजिये, आपको कुछ कहना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्षमा मांगनी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह अध्यादेश 22 जनवरी, 1975, को जारी किया। क्या वजह है, माननीय मंत्री महोदय मुझे बतायें, ऐसी कौनसी बात उस समय आ पड़ी जब कि सदन का सत्र आ रहा था, छः महीने के बाद सदन मिलता ही ? अब तो, मैं समझता हूं, राज्य सरकार की आदत हो गई है, जब कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ग्रहण की थी, तब उन्होंने कहा था कि मैं अध्यादेशों से राज्य नहीं चलाऊंगा, और पिछले मुख्य मंत्रियों का हवाला दिया था और कहा था कि मैं तो वर्ष भर में सदन को चार बार बुलाऊंगा। मैं समझता हूं, बहुत खेद का विषय है कि इस वक्त भी वही की वही परिपाटी है जो पिछले मुख्य मंत्रियों की रही है, बल्कि उससे भी, मैं समझता हूं, खराब है। ठीक छः महीने पूरे हो जायं तब सदन बुलाया जाय। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को कोई आवश्यकता नहीं थी कि इस अध्यादेश को जारी कराते। और फिर इस अध्यादेश को जारी करा कर आपने क्या उपलब्धि प्राप्त की ? 22 जनवरी, 1975 से कितनी बसेज की व्यवस्था आपने बहुत बढ़िया कर दी, लोगों को सुविधा आपने जुटा दीं, किन-किन बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ? आप क्वेश्चन अवर में कह रहे थे कि बस रुक गई। यह तो आपने नाम दिया वह खराब हो गई, पंक्चर हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी प्रकार की दुरुस्ती की व्यवस्था नहीं हुई है। कन्डेक्टर हों चाहे ड्राइवर हों-वह कहते हैं, हमारे पास सामान है नहीं ठीक करने का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यादेश निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि सदन आ रहा था। इस सदन में इसे बिल, विधेयक के रूप में लाते। अध्यादेश निकालना, छोटी छोटी बात पर, रेटिफिकेशन करने के लिए अध्यादेश लाना, हाई कोर्ट में हार गये तो अध्यादेश निकालना–मैं समझता हूं कि इसे बिल के रूप में लाते तो यह अध्यादेश निकालने की परम्परा समाप्त होती।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लेकिन राज्य सरकार अध्यादेश निकालती है, कुछ इधर उधर करना हो तो अध्यादेश निकाल दिया, हाई कोर्ट में हार गए तो यदेश निकाल दिया । अधिकांश अध्यादेश लाये जा रहे हैं, उनमें जिन मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में हारे हैं, उनके कारण से अध्यादेश हैं, राज्य सरकार ने जल्दी में विधेयक पास किया, वह कोर्ट में चेलेंज हुआ, तो अध्यादेश निकाल दिया । अध्यादेश के आधार पर राज्य का जोशी मंत्रिमंडल चल रहा है । मैं समझता हूं कि इसकी मैं कठोर शब्दों में निन्दा करता हूं । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इस पक्ष के हैं, वे चाहते हैं कि सदन बराबर बुलाया जाय, जल्दी में कानून पास न किये जायं, अध्यादेश न निकाले जायं । मैं समझता हूं कि जो निन्दा प्रस्ताव है, अध्यक्ष महोदय का उस पर निर्णय होगा । लेकिन अध्यादेश निकालने की क्या आवश्यकता है, और अध्यादेश निकालने के बाद आपने क्या उपलब्धि कर ली है, यह आप नहीं बता पाये हैं, इसलिए इस अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव मैं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीत सिंह ।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को मैं जरूरी नहीं समझता कि इसे बिल के रूप में विधान संभा में रखा जाय । आज तक यह परम्परा रही है कि बसों में अव्यवस्था हो, तो जो बसों के मालिक हैं, प्राइवेट बसें हैं, उनके अगेंन्स्ट पुलिस एक्शन लिया करती थी । छत पर सवारियां बैठाना, ज्यादा सवारियां लेना, या दूसरी दिक्कतें उसके अन्दर होना, फायर बुझाने की मशीन न होना, फर्स्ट ऐड बाक्स का न होना–इन सब के लिए एक्शन लिया करते थे । लेकिन रोडवेज ने इन सबको भुला कर, जो कसूर रोडवेज करती है, उसकी सजा इस बिल के द्वारा सवारियों को देने का प्रावधान करते जा रही है–जिसको मैं उचित नहीं समझता । उपाध्यक्ष महोदय, गाड़ियों पूरी नहीं चलायें, चार पांच घण्टे सवारियां पड़ी रहें, ब्रेक-डाउन हो जाय, तो दूसरी गाड़ी रास्ते में रुके नहीं, गाड़ी वहां पर खड़ी रहे और मजबूर होकर सवारियों को छत पर बैठना पड़े–तो बजाय इसके कि यात्रियों को राहत दी जाय, आपने यह प्रावधान कर दिया कि उनको जेल और जुर्माने की सजा दी जायगी । यह उल्टा काम हो जायगा । किसका कसूर है और सजा किसको ? रोडवेज की अव्यवस्था है इसलिए सारी की सारी परेशानी होती है, लेकिन सजा ऊपर बैठने वालों को देने का प्रावधान किया है । उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि टिकट के बिना बसों में लोग चढ़ जाते हैं । लेकिन यात्री टिकट कहीं का मांगते हैं और टिकट देने वाला उनकी सुनता नहीं है, नजदीक का टिकट दे देता है, लेकिन पूरा पैसा वसूल हो जाता है जब चेकिंग होता है तो झगड़े होते हैं । जो माननीय सदस्य बसों में चलते हैं, उन्होंने देखा होगा महिलाओं के साथ रोज झगड़े होते हैं । टिकट कहीं का मांगा जाता है लेकिन कहीं का टिकट पकड़ा दिया जाता है । उसके लिए प्रावधान हो जायगा कि उन्हें जेल भेजा जायगा, तो गलती किसकी होगी और सजा किसी को भुगतनी पड़ेगी, पूरा पैसा देने के बाद भी । हम यह देखते हैं कि यह मनमाने ढंग से पैसा वसूल करते हैं । जब सवारियां कहती हैं कि इतना किराया बनता है तो रोज झगड़ा होता है । टिकट

(श्री अजीतसिंह)

देते नहीं हैं और ज्यादा पैसा मांगना चाहते हैं। सवारी ठीक पैसा देना चाहती है तो झगड़ा होता है। इस बिल में प्रावधान हो गया कि ऐसे मामलों में जेल भेजा जायगा। इससे तो सवारियों को, यात्रियों को बड़ी भारी परेशानी हो जायगी। मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापिस ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी !

श्री खेतसिंह : (श्री मोहम्मद गफ्फार-अली से) जाने दीजिये, आप तो घर के ही हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय उपाध्यक्ष, ऑर्डिनेन्स की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि लगातार हमारी बस सेवाओं में, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे दूसरे हों, यहां तक कि हाईजैक करना, टिकट न लेना, कन्डक्टर को मारना, भीड़ भड़क्के में लम्बी लम्बी यात्रा का टिकट न लेना–इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण हो गया था, इसलिए आवश्यक समझा गया कि ऑर्डिनेन्स लाया जाय और ऑर्डिनेन्स के जरिये इस अव्यवस्था को कंट्रोल करा जाय। इसी उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुए जल्दी में अध्यादेश लाया गया और कोई कारण नहीं था कि सदन की अवहेलना की जाए। यह कोई ऐसा अध्यादेश नहीं है कि जिसके जरिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जिसके लिए माननीय सदस्यों को आक्रोश हो। यह सही है कि लगातार 4-6 महीने से हर जगह शहरों के अन्दर अव्यवस्था हो रही थी, ऊपर भीड़-भाड़ जमा हो रही थी, कन्डक्टर टिकट नहीं दे सकते थे, जब टिकट के लिए कन्डक्टर कहता था तो कन्डक्टर और ड्राइवर को पीटा जाता था। इस कारण सरकार ने सोचा कि इस पर कन्ट्रोल किया जाए। मध्यप्रदेश में भी इस तरह की अव्यवस्था के बाद इस तरह का कानून लाया गया, भीड़ को कन्ट्रोल किया गया, आज वहां पर सवारियों, कन्डक्टरों और ड्राइवरों के संबंध काफी अच्छे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाए।

श्री केदारनाथ : जो कारण बताए गए हैं, काफी कन्विंसिंग हैं इसलिए मुझे अपना संकल्प वापस लेने की इजाजत दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री केदारनाथ : मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री खेतसिंह : (श्री गिरधारीलाल भार्गव के खड़े होने पर) क्या जरूरी है आपका बोलना ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां, इसीलिए मैं आया हूं।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया:"राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये"]

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : मुझे बोलने दीजिए, मुझे जाना है। अध्यादेश के बारे में

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे जहां तक याद पड़ता है, हमारे अध्यक्ष महोदय ने राज्य सरकार के मंत्रीमंडल को हिदायत दी थी कि अध्यादेश ऐसी तारीखों में न लायें जब सदन बैठने वाला हो। यह जो अध्यादेश लाया गया है जल्दबाजी में, वह कानून के विरुद्ध तो नहीं है लेकिन जो सरकार को हिदायत दी गई उनके विरुद्ध जरूर है। जहां तक इस बिल का ताल्लुक है, यह एक सराहनीय कदम है राज्य सरकार का। मैं गलियों में चलने वाला आदमी हूं, बसों में सफर करने वाला आदमी हूं। इस बात का अनुभव है कि लोग बिना टिकट सफर करते हैं, और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस निगम द्वारा बहुत से पुलिस अधिकारियों की इमदाद की गई है, पुलिस अधिकारी निगम में काम कर रहे हैं और अब मुझे पता चला है कि डी० आई० जी० के रैंक का आदमी इस निगम पर थोपा जा रहा है। अगर सही है कि वह थोपा गया या थोपा जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह बिल लाने का अगर उद्देश्य यह है कि बिना टिकट सफर करने वालों को रोका जाए तो पुलिस अधिकारी ने देखने की कोशिश की कि कहां है! जब कंडक्टर को पीटा जाता है तो वह कहां रहता है। बहुत बार मैंने सफर करते नोट किया कि एक विद्यार्थी नहीं बल्कि एक गुंडा बगल में कापी दबा लेता है और फिर कहता है कि मैं विद्यार्थी हूं। किसी की मजाल नहीं होती कि वह उसको उतार दे। पुलिस अधिकारी क्या काम करता है, वह क्या अंजाम देता है? जब शहरों की बस में हजारों रुपए प्रतिदिन का नुकसान बिना टिकट सफर करने से होता है वह वाकई ज्यादा है। यह जो आपने कदम उठाया है बहुत देर से उठाया है। आज भी गाड़ियां हाईजेक होती हैं, जलाई जाती हैं लेकिन इसमें खामियां हैं उनकी तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

एक खामी यह है कि अगर आप सोचते हैं कि इस बिल को आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपके जो अधिकारी हैं उनके बारे में कुछ निर्णय लेना चाहिए। जहां आपने यह तय किया है कि कन्डक्टर अगर बगैर टिकट किसी को बिठा लेता है तो उसको एक महीने की सजा होगी, वहां मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो लोग एबेट करते हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। आपके यहां बहुत से अधिकारी कन्डक्टर और ड्राइवर से कहते हैं कि हमारा यह आदमी दिल्ली जाएगा ले जाओ। अगर वह इंकार करता है तो उसकी मुलाजमत खतरे में पड़ जाती है। ऐसी अनेक मिसालें हैं। आप कंडक्टर पर जुर्म स्थापित करना चाहते हैं लेकिन उसको जो एबेट करते हैं और जो उसको मजबूर करते हैं उनके प्रति क्यों आप उदारता दिखाते हैं? तो आपने जहां लिखा है कि कंडक्टर को एक महीने की सजा दी जाएगी वहां ऐड कीजिए कि जो अधिकारी इन जुर्मों के लिए एबेट करेगा उसको भी उतनी ही सजा होगी जितनी कन्डक्टर को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आए दिन कंडक्टर्स के लिए मुसीबत रहेगी। मैं यह नहीं कहता कि फलां आफिसर ऐसा है लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है दिल्ली जाते हुए एक दो आदमी अधिकारियों के बैठे रहते हैं...

श्री खेतसिंह : अबेटमेंट साबित होना मुश्किल है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह आदमी किसका है, वह कंडक्टर कहेगा, तो अबेट

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
करने वाला भी बराबर ग्राफेंडर है। उसकी तो एक्सट्रान्यूएस सरकम्सटेंसिज होंगी। ग्रापने पीनल कोड में अबेटमेंट को ग्राफेंस बनाया है, फिर तो 302 का मुकदमा भी बड़ा मुश्किल है। ग्राप कह दें कि 302 में यह एबेटर है उसको फांसो नहीं दी जाएगी। जो अधिकारी करप्शन को प्रोत्साहन देते हैं उन पर कुछ न कुछ अंकुश होना चाहिए कि वह इस तरह की कोई चीज न कर सके।

ग्रापने कुछ सहूलियतें विद्यार्थियों को दे रखी हैं। इस बिल में इस तरह का प्रावधान नहीं है कि ग्राप किसी सेक्शन को मुक्त करेंगे इससे। उनको ग्राधा टिकट लेना पड़ता है तो उसका पैसा कौन देता है, यूनिवर्सिटी देती है या ग्राप बरदाश्त करते हैं?

श्री मोहनलाल छंगाणी : उसके लिए पास इश्यू करते हैं, कन्सेशनल रेट्स पर पासेज इश्यू होती हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस बिल में मैंने कहीं नहीं देखा कि ग्राप कन्सेशन दे सकते हैं। अगर ग्राप चाहते हैं कि उसको बिल्कुल खतम किया जाए तो मैं उस नीति से सहमत नहीं हूं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ये सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए, पास ले सकते हैं ग्राधी कीमत पर। इस बारे में निगम को कुछ पावर्स होनी चाहिए। इसके अलावा कन्डक्टर्स ग्रौर ड्राइवर्स के साथ जो ग्राए दिन व्यवहार होता है उस बारे में ग्रापने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा जिसके तहत असामाजिक तत्वों को सजा दी जा सके जो इसमें बाधायें डालता हो।

इसमें यह प्रावधान भी होना चाहिए कि बसों के अन्दर जो बगैर टिकिट यात्रा करते हैं, बसों को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं, या ग्रौर कोई कठिनाई पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए ग्रापके पास क्या क्रिमिनल क्लाज है। कन्डक्टर के सामने कोई दिक्कत या मुश्किल ग्रा जावे तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ग्रापके पास क्या उपाय हैं इसका इसमें कोई जिक्र नहीं, है। मैं इस बात को योंही नहीं कह रहा हूँ इसलिए रख रहा हूं कि ग्राये दिन प्रेक्टिकल रूप में देखता हूं ग्रौर ऐसी बातें होती रहती हैं। मुझे ताज्जुब है कि एक सज्जन चले ग्रा रहे थे अजमेर से ग्रौर वाटिका पर या सांगानेर पर ग्राकर टिकिट ले लिया। तो मेरा निवेदन करना है कि इस किस्म के लोग हैं, जो शोषण करते हैं ग्रौर नाजायज फायदा उठाते हैं अधिकारियों के नाम पर, या उनके इशारे से या उनका इशारा नहीं होने से; उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए जिससे बगैर टिकिट ट्रेवलिंग को रोका जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि मैंने जो सुझाव रखे हैं, अबेटर्स के लिए भी कुछ पनिशमेंट रखा जाना चाहिए। ग्राप कानून तो लावें ग्रौर कन्डक्टर ग्रौर ड्राइवर पिटता रहे उसकी कोई सुरक्षा का प्रावधान नहीं हो, यह नहीं होना चाहिए। ग्राप कानून तो निकालते हैं, विधेयक तो लाते हैं परन्तु जनता के हित का जो ग्रोर्डिनेन्स है वह ग्रापने जिन्दगी में नहीं निकाला कभी भी। ग्राप जो यह कानून लाते हैं गुण्डा एक्ट वगैरह वह सब छांटकर लाते हैं लेकिन जनता के हित का जो कानून है उनको भी ग्रापको जरूर लाना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो भी बातें कहीं ग्रध्यादेश के बारे में, वह सुनने में तो बहुत बढ़िया लगती हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको इसका जवाब देना है इसलिए हमको भी इसका समय मिलना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ये बोल लें, फिर ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रेक्टिकल रूप में यह बात कहनी और करनी में बहुत अन्तर है । इस बिल को मैं जनमत जानने हेतु प्रसारित इसलिए करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि धारा 3 के अधीन अधिरोपित कर्त्तव्य का भंग लिखा है । इसमें कन्डक्टर को भी एक माह की सजा का प्रावधान और, माननीय मन्त्रीजी, और जुर्माना, जो दो सौ रुपया तक का हो सकेगा, या दोनों ही प्रकार का दण्ड देने का प्रावधान है । और इसके अलावा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो वह सेवा की शर्तों के अधीन भुगतने के लिए जिम्मेदार है, वह अलग से की जायगी । ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त जो वह उसकी सेवा की शर्तों के अधीन भुगतने के लिए दायी है, किसी प्रकार के कारावास से, जो एक महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा; यह प्रावधान किया है । मेरा निवेदन है कि एक ही अपराध के लिए दो दो सजाएं नहीं हो सकतीं । इसके लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही ही पर्याप्त होगी । कोई भी आदमी यदि बगैर टिकिट के बस में बैठ गया, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी, मैं आपको कन्डक्टर की श्रेणी में तो नहीं ले जाना चाहता मगर आप एक महीने की सजा और· · ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम दोनों साथ रहेंगे ऐसे मौके पर ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तो मैं निवेदन करूंगा कि प्राइवेट बसें होती हैं, आपने घोषणा की कि नेशनेलाइज्ड रूट जब किए थे और जो कन्डक्टर्स काम कर रहे थे, उनको एब्जार्ब कर रहे हैं और उनको एब्जार्ब किया भी और उनको बगैर जांच किए, बगैर एन्क्वायरी किए, चार्ज लगाकर उनको नौकरी में से निकाल दिया । उनको कोई ट्रेनिंग भी आपने नहीं दी और किस आरोप में निकाल दिया यह भी नहीं बताया । आप कहते हैं कि बस रवाना होने से पहले टिकिट काटो, ऐसा एक भी उदाहरण कहीं भी देखने में नहीं आया है । यह कोई प्रेक्टिकल बात नहीं है, यह संभव ही नहीं है कि बस रवाना होने से पहले कन्डक्टर टिकिट काटे । इसलिए आपने उन कन्डक्टरों को, उन नौजवानों को, बगैर एन्क्वायरी किए ही नौकरी से निकाल दिया और दो सौ रुपये सिक्योरिटी के जमा किए थे वह भी उनके जब्त कर लिए । तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो घोषणा करते हैं वह घोषणा थोथी है । बगैर एन्क्वायरी के निकालने पर निकालने वाले अधिकारी पर कोई जोर नहीं पड़ता है, उस अधिकारी की तनखा में से पैसे कटें तो उसको मालूम पड़ेगा तो निवेदन करना है इन सारी बातों को देखना चाहिए । कई जगह ऐसा होता है कि कन्डक्टर कोर्ट में जीत जाते हैं, उसके बाद भी कई सालों तक, आज तक उनको, जीते हुए कन्डक्टरों को वापिस नौकरी में नहीं लिया गया है । इसलिए इसके प्रेक्टिकल आस्पेक्ट को भी देखना चाहिए । मान लीजिए कोई स्टुडेन्ट है या कोई दादा टाइप आदमी है जो बगैर टिकिट लिए बस में बैठ जाता है तो उस समय कन्डक्टर को बचाने के लिए सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है । कन्डक्टर को डर तो है कि कहीं नौकरी नहीं चली जाय, और वह यह भी जानता है कि उसको दो

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सौ रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन क्या उसके पास पुलिस अधिकारी हैं, या सिक्योरिटी की फोर्स है, क्या आप वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं कि उसके कहते ही पुलिस वाले उसकी मदद के लिए मौजूद हो जायं ? आपने इस प्रकार की कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की है। उसमें कोई वायरलैस तो लगा हुआ है नहीं कि कन्डक्टर कह देगा कि श्रीमान छंगाणी जी, यहां पर ऐसा हो गया है, अब क्या करना चाहिए। तो मेरा निवेदन करना है कि इसके अलावा जो ईमानदारी से टिकिट लेना चाहते हैं और उनको नहीं दिया जाता है तो टिकिट नहीं देने वाले के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या होगा यह भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि इस कानून के बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति कन्डक्टर के लिए नहीं आयेगा। इसलिए पहली मेरी मांग यह है कि प्राइवेट बसों में से जो कन्डक्टर आये उनको आपने किसी प्रकार की ट्रेनिंग भी नहीं दी और उनको, निर्दोष लोगों को, आपने सर्विस से निकाल दिया है और जो चार्ज लगाये हैं कि बस रवाना होने से पहले टिकिट नहीं काटा, यह कभी संभव ही नहीं है, प्रेक्टिकल नहीं है। जो उन पर दो सौ रुपये जुर्माने लगाये गये हैं, वह वापिस दिए जायं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने कहा कि जो भी व्यक्ति बैठेगा वह टिकिट लेकर बैठेगा। तो इसमें मेरा निवेदन यह है कि आपने हर बस स्टेण्ड पर कोई टिकट घर तो बनाये नहीं हैं, अब कोई व्यक्ति टिकट लेकर कहां से बैठेगा ? कन्डक्टर आपका बस के अन्दर रहता है। तो यहां भी मैं समझता हूं काफी गड़बड़ी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपकी बात संभव नहीं है। इसके लिए क्या आपके पास 24 घण्टे बस स्टेण्ड पर टिकट दिलाने की कोई व्यवस्था आपने कर रखी है या सिर्फ 10 से 6 बजे के बीच में ही टिकट बस स्टेण्ड पर मिलेंगे ? अव्वल तो आपके पूरे बस स्टेण्ड पर टिकट देने की व्यवस्था ही नहीं है, अगर कहीं है तो शाम को 6 बजे ही वह टिकट घर बन्द हो जायगा। तो आपने शाम के छः बजे के बाद से लेकर सुबह छः बजे तक की टिकट दिलाने की छुट्टी कर दी। अब कोई व्यक्ति कहां से टिकट लेकर बैठेगा ? इसके लिए आपको 24 घण्टे टिकट देने की व्यवस्था हर बस स्टेण्ड पर करनी होगी। और अगर यह नहीं, और कोई बस में बगैर टिकट बैठा मिल गया, तो आप तो, छंगाणी जी, उसे तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा दिलाने की व्यवस्था कर देंगे और कन्डक्टर के लिए आप एक महीने की सजा और 200 रुपये जुर्माने की व्यवस्था कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया थोड़े में।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने हेतु प्रस्ताव किया है और अभी तो मैं इसकी भूमिका ही बना रहा हूं। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसके लिए मेरा सुझाव है, जो कि मैं समझता हूं कि आप मानेंगे तो नहीं ही फिर भी बता देता हूं, कि आपने जो यह तीन महीने की सजा की व्यवस्था की है, उसके लिए आप, जिस प्रकार कि रेलवे में होता है कि डबल दी फेयर बगैर टिकट वाले से चार्ज करलें, उसी प्रकार आप चाहें तो दस गुना तक फेअर चार्ज करने की व्यवस्था करदें। अगर आप एसा नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसमें बगर टिकट बैठने वाले के लिए और

Page No. 80

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कन्डक्टर; दोनों के ही लिए, आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं।

तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आपने इसमें लिखा है कि सीट पर ही बैठें। अब इसमें ज्यादा भीड़ होने की वजह से अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, ड्राइवर के पास बैठता है या इन्जिन पर बैठ जाता है, तो आप तो उसे तीन माही सजा वाली और 500 रुपये जुर्माने वाली सूची में ले आयेंगे। अब एक आदमी को वैसे ही आप बैठने को जगह दे नहीं रहे हैं, अगर बेचारा खड़ा हुआ है तो आप उसको तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माने की सजा दिलवा देंगे। तो यह तो आप न्याय नहीं कर रहे हैं। एक तो आप यात्री को बैठने की जगह नहीं देते हैं, दूसरे आप इस तरह के कानून बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, न रोडवेज के पास बसें हैं पूरी, न इनकी गाड़ियां ही साफ हैं, गाड़ियां हैं तो उनकी सीटें टूटी हुई हैं, अब यात्री कहां पर जाकर बैठे? आज जयपुर में यह स्थिति है कि लोग बसों की कमी की वजह से छतों पर व गाड़ी में खड़े आते हैं। अब आप यह व्यवस्था कैसे चला सकेंगे? मैं तो समझता हूं कि छंगाणी जी, यह चलने वाली है नहीं, यह असम्भव बात है। अब इतनी बड़ी भारी भीड़ में कहां से व्यक्ति टिकट लेकर बैठे, और नहीं बैठे तो आपने टिकट नहीं देनेवाले के लिये और बिना टिकट बैठने वाले के लिए सजा की व्यवस्था करदी है। लेकिन आपने जनता को बसों में ज्यादा सुविधायें देने की कोई बात नहीं की, बसों की संख्या बढ़ायी नहीं। सिर्फ आपने सजा का प्रावधान रख दिया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार ध्यान दे। इसके अलावा मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा, वह यह है कि आपने इसमें एक बात और रखी है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है और वह अगर मोटर में आपकी बैठ गया तो आपने उसमें सात दिन की सजा का प्रावधान कर रखा है। अब इसमें एक तो आपने सात दिन की सजा रख दी, दूसरे उस व्यक्ति के लिये आपने सात दिन तक रोटी खाने का प्रबन्ध कर दिया। इसके अलावा आपने जिन लोगों को कन्डक्टर लगा रखा है उनमें बेचारे कई बी० ए०, एम० ए० और एलएल० बी० तक हैं। चूंकि बेचारों को राज्य सरकार कोई नौकरी नहीं दे सकती है, अतः मजबूरन उन्हें कन्डक्टरी करनी पड़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कई लोगों के बारे में ध्यान है जो कि बी०ए०, और एम० ए० तक पढ़े हुए हैं और कन्डक्टरी कर रहे हैं। अब आपने इस प्रकार का सजा का प्रावधान करके बेचारे पढ़े लिखे नवयुवकों के लिये एक माह की सजा और दो सौ रुपये जुर्माने की व्यवस्था की है यह ठीक नहीं है। मेरा आपसे फिर यही अनुरोध है कि इस प्रकार की व्यवस्था को आप हटा कर जिस प्रकार रेल्वे में दुगुना किराया वसूल करने की नीति है उसी प्रकार अगर एक रुपया कहीं का किराया है और कोई व्यक्ति बिना टिकट वहां बैठा है, तो आप उससे दस रुपया किराया वसूल करलें। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि आप बगैर टिकट ही लोगों को यात्रा करने दें, मैं बगैर टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की फेवर नहीं कर रहा हूं। इसलिये आप चाहे किराया दस गुना तक रखदें पर इस सजा वाली व्यवस्था को डिलीट करवा दें।

इसके अलावा जो बात आपने रखी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है कि जिस मजिस्ट्रेट के ज्यूरिस्डिक्शन में घटना घटेगी, वह मजिस्ट्रेट सजा देगा। तो अब मान लीजिये वह घटना रींगस में घटी और उसका मजिस्ट्रेट सीकर लगता है, तो क्या सीकर उस व्यक्ति को लाया जायेगा या वहां का मजिस्ट्रेट वहां जायेगा । तो इस प्रकार इसमें भी आपको संशोधन करना पड़ेगा । आपको चाहिये कि या तो आप इसके लिये मोबाईल मजिस्ट्रेट रखिये कि ज्योंही पता पड़े कि वहां पर बिना टिकट यात्री पकड़ा गया तो वह उसको सजा दे । वरना यह बहुत ही दिक्कत हो जायेगी । इसमें क्या मोबाईल मजिस्ट्रेट उस जगह जायेगा जहां कि बगैर टिकट यात्री पकड़ा गया । अब इसमें कौन तो प्रार्थना-पत्र देने वाला होगा कि फलां व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहा था इसके अलावा मैं समझता हूं कि जयपुर में, जहां कि बसेज की कमी है और छात्र लोग ऊपर नीचे बैठते हैं, वहां तो हजारों की तादाद में केस चलेंगे। और जयपुर के म्युनिसिपल ऐरिया में जितने भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं उनके अलावा 10-15 मजिस्ट्रेट आपको और लगाने होंगे जिनका काम ही सजा सुनाना होगा । बस हर वार तीन माह की सजा और 500 रुपया जुर्माना वसूल किये जाओ । तो यह भी बात मेरे खयाल से चलने वाली नहीं है । इसके अलावा आपके यहां पर टिकट देने की व्यवस्था भी ठीक नहीं है । कोई पन्चिग सिस्टम तो है नहीं, जिस प्रकार हरियाना में है या महाराष्ट्र में है। वहां पर एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ नम्बर लगे हुए हैं, अब आपको जहां कहीं भी जाना है उसमें जो भी नम्बर का टिकट होता है वह देंगे, जैसे दिल्ली का है और आठ नम्बर है तो आठ नम्बर के टिकट को पन्चिग करके दे देंगे । अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे तो बेचारे कन्डक्टर को एक माह की सजा और 200 रुपये जुर्माना भुगतना पड़ेगा, और बिना टिकट यात्री को तीन माह सजा और 500 रुपये जुर्माना होगा । मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था आप अगर करते हैं तो मैं समझता हूं आपका यह कानून किसी भी हालत में नहीं चलने वाला है ।

अब मैं आपसे अन्तिम बात निवेदन करना चाहूंगा । हमारे राजस्थान में 184 विधायक हैं और सभी के सभी जयपुर में रहते हैं। पूरी जनता है और आपने जयपुर में सिर्फ 80 बसें चला रखी हैं जो भी पुरानी टूटी-फूटी हैं, किसी के खिड़कियां नहीं हैं, सफाई की तो बात ही नहीं, और जयपुर की जनता को देखते हुए यह व्यवस्था कैसे चल सकती है ? इसके अलावा आपने अभी टिकट की दरें बढ़ादी हैं । मैं पूछता हूं, मन्त्रीजी, आपने किस उपलक्ष में यह टिकट की दरें बढ़ादीं । आप कहते हैं कि पैट्रोल की कीमतें बढ़ गयी हैं । तो मेरा कहना है कि आपकी बसें डीजल से चलती हैं, पैट्रोल से नहीं चलती हैं, पैट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं । सुविधायें आपकी रोडवेज देती नहीं है, शिकायत पुस्तिका आपके रोडवेज की बस में होती नहीं है, बसें आप बढ़ा नहीं रहे हैं, फिर यह सभी क्यों किया ? बैठने को आप सीट यात्री को देते नहीं तो यह आप सभी बातें कैसे कर रहे हैं ? बसें आपकी समय पर चलती नहीं हैं । टूल मोटर में पूरे होते नहीं । हां, एक बात, पहले आपके रोडवेज के जनरल मैनेजर ने यह कहा था कि हमने सभी एम० एल० एज० को पोस्ट कार्ड

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

भिजवाये हैं अपनी राय रोडवेज के बारे में भेजने के लिये और सुझाव भी आमन्त्रित किये हैं। उसमें आपने हर सदस्य को एक लिफाफे में पांच-पांच पोस्ट कार्ड भेजे थे उसमें आपने सुझाव मांगे। अब आपकी बसें पूरी चलती नहीं, यहां पर कहीं पर आपकी बस जाती है, और उसके आगे जाती नहीं, कोई व्यक्ति आपको क्या सुझाव दे? रेनवाल तक आपकी बस जाये आगे नहीं जाये, इधर सांगानेर से और बस्सी के आगे आपकी बस नहीं जाये सिटी की, तो इसमें क्या सुझाव दें? लेकिन वह भी पांच साल पहले आया था उसमें भी कालम बने हुए थे उसमें यस नो करदो। वह भी बन्द है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़े दिन बाद परीक्षायें आने वाली हैं, जयपुर के बाहर से लोग भी यहां पर परीक्षायें देने के लिये आयेंगे, यहां के छात्रायें और छात्र भी काफी हैं, बसेज आपकी लिमिटेड हैं। अब लोग लम्बी-लम्बी क्यू लगायेंगे क्योंकि बगैर टिकट बैठने से तीन माह की सजा और 500 जुर्माने का डर रहता है। और गाड़ियां आपके पास पूरी नहीं। अब अगर वह टिकट प्राप्त नहीं करते हैं तो तीन माह की सजा और टिकट प्राप्त करने में ही लग जाते हैं तो गाड़ियां कम होने से परीक्षा शुरू होने के डर की वजह से वह लोग बसों में ऊपर नीचे बैठेंगे। तो आप कहेंगे कि छात्र टिकट नहीं लेते हैं और आप उन्हें पकड़-पकड़ कर सजा दिलाने के लिये बिठा देंगे तो आप बताईये कि यह आपका कानून कैसे चलेगा। यहां पर झगड़ा होगा, आन्दोलन छात्र करेंगे, आप इसके लिये क्या व्यवस्था कर सकते हैं? इसके अलावा आपने नेश्नेलाइजेशन की तो पोलिसी अपने हाथ में ली है बसें जाने के लिये पूरी सड़के नहीं हैं। आज जयपुर में ही कई गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। अतः आपको पहले तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि जयपुर जिले के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ें और बाद में पूरी बसें लाकर चलायें अन्यथा यह स्थिति है कि जयपुर जिले में सभी जगह बसें चलें ऐसी व्यवस्था नहीं है। और बस स्टेन्ड्स की हालत को देखें। अजमेर में टिन शेड है अंग्रेजों के वक्त के। कहते हैं कि अजमेर में बहुत बढ़िया बिल्डिंग्ज हैं। लेकिन आज भी वहां पर टिन शेड है। बैठने के लिये कुछ नहीं है। मूत्रालय नहीं है। विन्डोज की हालत खराब है। उदयपुर में हालत खराब है। रास्ते में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, कोई प्रबन्ध नहीं है। आपने लोगों को बहकाने के लिये राष्ट्रीयकरण कर लिया। कहा तो यह गया कि आपको उपन्यास मिलेंगे पढने के लिये रास्ते में, रसगुल्ले मिलेंगे, रबड़ी खिलाई जायगी। अच्छा तो यह होता कि प्राइवेट वालों के साथ कम्पीटीशन में जाते, जनता को तो आराम मिलता। लोगों को जिनमें ज्यादा सुविधा मिलती, लोग उनमें बैठते। और आज की जैसी हालत आपके बसों की है तो लोग प्राइवेट बसों में ही बैठना पसन्द करते। जनमत जानने के लिये इसलिये कह रहा हूं कि मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, राजस्थान के आप छंगाणी साहब, प्रगतिशील मिनिस्टर कहलाते हैं। आप जिस प्रकार से प्रावधान करने जा रहे हैं, तीन महीने की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना, यह जो इस प्रकार की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, जिससे जनता यह कहेगी राजस्थान की कि राजस्थान में ऐसा एक मंत्री पैदा हुआ है जिसने इस प्रकार का

Page No. 83

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

प्रावधान किया। आप चाहें तो मैं कल की तारीख में ही 500 के ओब्जेक्शन करवा दूंगा। यह विधेयक बिल्कुल बोगस है। यदि आप मेरी मौलिक आपत्तियों को भी नहीं मानेंगे तो इसके लिये दूरगामी परिणाम होंगे। लोग कोर्ट में जायेंगे और आपकी आदत है कि लोगों को इस प्रकार से परेशानी में डालें। गरीब कन्डक्टर को सजा देना चाहते हैं। यह उचित नहीं होगा माननीय मंत्री। इसको पास करने से पहले फिर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी,

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनूं) : दो मिनिट में ही कह देता हूं। आप तो लम्बा बोलेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव किया है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये एक सप्ताह के लिये प्रसारित किया जाय।

इसके सन्दर्भ में मेरा यह भी निवेदन है कि यह बिल आया है; जिस कारण से आया है, उसका मैं पूर्णतया समर्थन करता हूं। क्यों? जहां कहीं भी लोग बसों में सफर करते हैं, उनके सामने यह दिक्कत आती है कि उन जगहों के रहने वाले लोग उनको रोक लेते हैं, विद्यार्थियों का खासतौर से जोर रहता है। दोनों का ही यह जोर रहता है कि बसेज समय पर न चलें, मर्जी चाहे जहां पर रुकवावें, इच्छा हो तो पैसा दें, नहीं तो नहीं दें। पैसा दें और न भी दें। यह बहुत बड़ी समस्या थी। इसके सिवाय और क्या समाधान इस समस्या का हो सकता था कि इस प्रकार का कानून बनाया जाय जिससे इस तरह की अवज्ञा करने वालों को कानूनी दृष्टि से संयत किया जा सके। सरकार को निगम को नुकसान से बचाना बहुत जरूरी था जिससे कि समय पर और व्यवस्थित रूप से बसों को चलाया जा सके। इस दृष्टि से यह विधेयक बहुत अच्छा विधेयक है।

परन्तु इसके साथ-साथ इसमें कुछ कमियां रह गयी हैं जिनकी ओर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि जो लोग बिना टिकिट बैठेंगे उनको पकड़ने के लिये ज्युरिस्डिक्शन का सवाल है, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने भी कहा, तो जहां इस प्रकार का झगड़ा हो और जहां पर वाकआत हों तो वहां की कोर्ट में ही उसका फैसला होगा। जिस मजिस्ट्रेट के ज्युरिस्डिक्शन में घटना हुई है उसके वहां ही वह होगा। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी बिना टिकिट के रौब से सफर करते हैं उसकी रोकथाम का कोई उपाय नहीं है। यह पुलिस महकमा ही ऐसा है कि, मैं समझता हूं थानेदार से लेकर कांस्टेबिल तक दो-दो चार चार आदमी, बिना टिकिट जाते हैं और कन्डक्टर को कहते हैं कि हमारे लिये जगह खाली करवा कर दो। जिसने टिकिट खरीदा हो, उनको हटा कर, इन लोगों को अच्छी जगह पर बिठाया जाता है। टिकिट खरीदने वाले लोगों को पीछे खड़ा रहने के लिये मजबूर किया जाता है और उनको यहां तक कहा जाता है कि छतों पर चढ़ जाओ, और इस प्रकार से सरकारी बसों पर लोगों को छतों पर बैठा कर लाते हैं। उनकी रोकथाम के लिये कोई बात नहीं सोचेंगे तब तक सुधार की बात नहीं

(श्री दीपंकर)

होगी। कुछ लोगों की आदत सी पड़ गई है कि बिना टिकिट सफर करना। प्राइवेट बसें चलती थीं उस वक्त टिकिट लेते थे। उस वक्त उन लोगों को यह डर था कि इन्कार करने पर उनका चालान न हो जाय। इसलिये सरकार के जो नौकर हैं, उनसे ही उनके द्वारा बिना टिकिट सफर करने के कारण सरकार को, निगम को नुकसान हो रहा है। इसलिये उनको इस नियम में नियमित किया जाना चाहिये। कोई भी पुलिस का कान्सटेबल, थानेदार किसी मुल्जिम को लेकर अथवा किसी काम से जाते हों, रोजनामचे से रवानगी की तारीख के दिन यह शो करे कि अमुक बस से गये और अमुक बस से आये और यह खर्चा हमको लगा ताकि उनका जाना और आना नियमित रह सके और वे बिना टिकिट सफर नहीं कर सकें। वर्ना तो पुलिस का महकमा, जो प्राइवेट बसों का पीछा नहीं छोड़ने वाला था, अब सरकारी बसों का भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक ही बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहिये।

श्री दीपंकर : बिल्कुल संक्षेप में।

दूसरा सरकारी अधिकारियों के लिये माननीय सदस्य ने जिक्र किया। यह बिल्कुल सही है। कुछ लोग आते जाते रहते हैं और यह जरूरी नहीं है कि चैकिंग हर रूट पर मिले। जहां मिल जाते हैं तो तुरन्त एक्शन हुआ है, मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी की सिफारिश नहीं सुनी गयी है। टिकिट नहीं काटा है तो घर ही गया है। इसको रोकने की कोशिश की है। कमी क्या है? जैसे टिकिट छपे हुवे नहीं हैं, सीकर से जयपुर आने वाला यात्री है, कन्डक्टर को पैसा दे देता है, वह कहता है कि टिकिट आपको दे दिया जायगा। टिकिट वहां पर था नहीं उसके पास, चौमू पर वह उसको टिकिट दे देता है। तो चौमू तक का पैसा तो बचा कर अपने पास रख लेता है। ऐसी चीज की रोकथाम की जरूरत है। आप उनको छपे हुए टिकिट पूरे दें। बिना टिकिट वालों को सजा देना चाहते हैं तो आपको कन्डक्टर को भी नियमित करना चाहिये; ड्राइवर को भी मत भूलिये। ड्राइवर इस तरह से चाबी घुमाता है कि बिना ड्राइवर के कन्डक्टर का काम नहीं चल सकता है। ड्राइवर साहब का सिर दुख रहा है। घंटे भर में जहां चाहे रोक लेता है और चाय के लिये रोक लेता है। कन्डक्टर का बस चलता नहीं है। इस तरह से यह कमी है। सारे सरकारी कर्मचारी नियमित समय पर बसें रन करें इस प्रकार से नियमित कर सकें इसकी व्यवस्था आप करें। पोस्ट कार्ड भी नहीं मांगा, किस तरह से चलती हैं बसें आपको मालूम होना चाहिये। बसों में लिखा हुआ कम्पलेन्ट बुक। बुक छोड़ कर पन्ना भी नहीं है। एक जगह ऐसी घटना धट गयी, आपकी बस जा रही थी, रास्ते में एक ट्रक और कार वाले की टक्कर हो गयी थी और लोगों का बहुत खून बह रहा था। आपकी बस का फर्स्ट ऐड बाक्स देखा, किन्तु उसमें न पट्टी थी, न टिंक्चर था और न स्प्रिट थी और न एस्प्रिन की गोली थी जो कि अस्पताल ले जाने के पहले लोगों को दी जा सकें। समझ में नहीं आता इतनी लापरवाही क्यों है। गन्तव्य स्थान से रवाना होने से पहले साज-सज्जा के साथ बस को

(श्री दीपंकर)

रवाना करना चाहिए, आखिर यह किस की जिम्मेदारी है ? पता नहीं । इसके अलावा बसें ठीक टाइम पर रवाना नहीं होतीं । नियमित रूप से यह मान कर चलें कि आपकी बसें ठीक टाइम पर रवाना नहीं होती हैं और मैं कल ही सुजानगढ़ से आया हूं और जो बस नियमित रूप से 12.30 बजे रवाना होने वाली थी वह नहीं हुई । 2.30 बजे रवाना होने वाली थी, नहीं हुई, 3.45 बजे तक कोई टाइम नहीं था । वह बस भी अपनी मर्जी से चली और रात को 9.45 बजे जाकर यहां आई । हमने पूरा टाइम टेबल देखा लेकिन कहीं भी तालमेल नहीं बैठा । उसके नीचे और ऊपर सवारियां बैठी हुई थीं । कभी भी और कहीं भी एक्सीडेन्ट हो सकता है । और इसके अलावा आप अपने आदमियों पर ही विश्वास नहीं करते हैं । तो इस कानून के जरिये आप विश्वास तो कीजिए । हमने उनसे पूछा कि आपने स्टेपनी क्यों नहीं ली तो उन्होंने कहा कि साहब स्टेपनी देने वाला स्टाफ अलग है । वह स्टेपनी लेकर आयेगा और फिर वह हम पर विश्वास नहीं करते । टूल बाक्स देने वाला भी दूसरा ही स्टाफ है । कोई उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करता है । इस तरह से आपकी जो अव्यवस्थायें हैं उनको आप दूर कीजिए । आपका समाजवादी दृष्टिकोण है और आप बधाई के पात्र हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस, मैं समाप्त करने जा रहा हूं । लास्ट में धन्यवाद तो दे दूं । जो भी सरकार ने बसों का और मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया यह बहुत अच्छा किया । बसों को नियमित चलाइये और यह भी कानन में रखिये कि इससे ज्यादा सवारियां नहीं बैठाई जायेंगी । आप चाहें बसें कम चलाइये लेकिन नियमित रूप से चलाइये । जिस आदमी से आप पैसा लेते हैं वह मिनख है और उसका स्वास्थ्य कीमती है, उसको बैठने के लिए जगह दीजिए और उसको टाइम पर पहुंचाइये । मैं समझता हूं कि इस तरह से आपका उद्देश्य पूरा हो जायेगा । इसलिए जो व्यवस्था नहीं हो पाती है उसको नियमित करने की कोशिश करें । इतना ही निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री झावरमल सूंडा !

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है यह किसी भी तरह से औचित्यपूर्ण नहीं है, इसलिए इसको अवश्य ही जनमत जानने के लिए भेजा जाना चाहिए । इसमें दो बातें हैं, कन्डक्टर गलती करता है उसको सजा होती है, कोई बिना टिकट यात्रा करता है उसको सजा है ।

पहली बात तो यह है कि बस इतनी छोटी जगह है जिसमें बिना कन्डक्टर की मर्जी के कोई भी आदमी ट्रेवल नहीं कर सकता । इसलिए यात्रियों के लिए जुर्माने की बात रखना निहायत गलत है । दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्रीजी ने, जिन्होंने यह बिल रखा है, वह बाकी के लोगों से ज्यादा प्रगतिशील कहलाते हैं और इसीलिए उन्होंने मार्गों के राष्ट्रीयकरण की तरफ और बसों के राष्ट्रीयकरण की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है । अगर यह बात सही है कि कन्डक्टर को सजा होगी, उस पर जुर्माना होगा, तो मेरा यह दावा है कि इनकी बस एक कदम नहीं चल सकती । कभी कभी पांच मील के बाद आदमी को

(श्री झाबरमल सूंडा)

उतरना पड़ता है और वह टिकट दे नहीं सकते और उसके पहले जगह आ जाती है। वह टिकट काटता है तो मुसाफिर कहता है कि चलो, चलो। उसको चलना पड़ता है और कन्डक्टर की भी मर्जी होती है। इसलिए इस तरह के बिल को लाना कि रेल्वे में बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना हो जाता है और उससे इसको जोड़ना ठीक नहीं है। राजस्थान में पहले भी भूल हुई थी और मोहनलालजी सुखाड़िया, उनका भी नाम मोहनलाल था, उन्होंने सेण्ट्रेलाइजेशन किया था और पंचायतों की शुरूआत की थी। उसके हिसाब से कितने ही अरब रुपये इस धरती की धूल में मिल गए। वैसे ही अगर माननीय सदस्य राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखते हैं तो उनको या तो इस बिल को वापिस लेना चाहिए और वापिस नहीं लेते हैं तो कम से कम जनमत जानने के लिए जरूर भेजना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जितना काम इन बसों से पड़ता है उतना शायद किसी भी माननीय सदस्य का नहीं पड़ता होगा क्योंकि मैं नेशनेलाइज्ड रूट पर रहता हूं। इसलिए मेरे सामने बसों के बारे में अधिक बातें आती हैं····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके इस रेकर्ड तोड़ बस सफर के लिए बधाई है।

श्री झाबरमल सूंडा : धन्यवाद। मैंने सोचा कि इतनी देर से चुप क्यों बैठे हुए हैं। इसमें रेवेन्यू की चोरी के लिए बात रखी गई है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू की चोरी की बात है, उसमें शुरूआत होती है, बस की बाडी बनती है उससे। जब हम डी०टी०सी० की बस में बैठकर दिल्ली जाते हैं तो अन्तर साफ नजर आ जाता है। यदि कोई आदमी दिल्ली जाता है तो राजस्थान रोडवेज की बस के बजाय डी०टी०सी० में बैठना पहले प्रिफर करता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी बाडी बहुत बढ़िया है। तेज से तेज रफ्तार से चलने से भी पता नहीं चलता। वह चार घंटे में पालम पार कर जाती है, और राजस्थान की डीलक्स बस को भी लें तो मुसाफिर माथा पकड़ कर बैठ जाता है। जब डी० टी० सी० की बसों की बाडी हमारे यहां राजस्थान में ही बनती है। जब बाडी बनाने में चोरी होती है तो उसमें से रेवेन्यू को आप बचाइये। बिल लाने की गलती को दुरुस्त करना चाहिए।

दूसरे कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स हैं रोडवेज के और वही इमेज बनाते हैं रोडवेज की। आज अमुमन लोग सड़कों पर बसते हैं। आपको यात्रा करने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि जयपुर से सीकर तक 73 मील में शायद ही एक आध मील का कोई टुकड़ा होगा जहां लोग नहीं बस रहे हों मकान बनाकर, या खेती नहीं कर रहे हों। वह चाहेंगे कि बस को हाथ देकर रोकें लेकिन बस रुकती नहीं। नान-स्टाप बस है और केवल 7 सवारियां सीकर तक जायेंगी। कितनी रेवेन्यू का लास होगा। एक बस गंगानगर जा रही है और रास्ते में सवारियां खड़ी हैं वह ताकती रह जायेंगी। उनको यह नहीं पता कि नान-स्टाप बस है। यह सही भी है कि ड्राइवर बस को नहीं रोकते और चार-पांच मील लोगों को पैदल चलना पड़ता है। मेरे पास एक टिकट ऐसा है जो कि फतहपुर नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमेन ने मुझको दिया था। उसके अन्दर एक साथ जुड़े हुए

(श्री झाबरमल सूंडा)

तीन टिकट हैं जिसमें एक में 6.40 सीकर का जयपुर से लिखा हुआ है। दूसरे टिकट में पूरे 6.00 रुपये लिखे हुए हैं और तीसरे में 6.35 लिखे हुए हैं। बाकायदा बस नम्बर है और डेट है। कहने का मतलब यह है कि सवाल पैसे का नहीं है। 15 पैसे का भी डिफरेन्स है तो क्यों है? वैसे तो एक पैसे का भी आफेन्स है। यह किसने किया है? क्या हमारे पैसेन्जर ने किया है? मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी थी कि हमारी राजस्थान की बसें दूसरे प्राविन्सेस में जाती हैं। जब हमारा कन्डक्टर तमीज से पेश नहीं आता तो हमारे प्राविन्स की इज्जत बिगड़ती है, और मैंने दो कन्डक्टर्स का जिक्र भी किया था लेकिन मंत्रीजी ने मुझे जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने मेरा पत्र पढ़ा ही नहीं होगा क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहते हैं और उनको ऐसे कामों के लिए फुरसत नहीं मिलती है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि अगर बसों को ढंग से, कायदे से चलाना है, मान्यवर, राजस्थान का कम से कम एक परसेंट आदमी डेली इसमें सफर करता है। तीन लाख से कम शायद ही सफर करते होंगे। जब एक परसेंट मिनिमम इस बात के लिए जो रोज शिकार होते हैं तो हमें देखना है कि किस तरह से फैसेलिटी हमको पैसेंजर्स को देनी चाहिए।

जहां तक उसके अन्दर ज्यादा अच्छी व्यवस्था की बात है, 9 तारीख को किसी एक कण्डक्टर के साथ या ड्राइवर के साथ किन्हीं विद्यार्थियों ने चूरू में या रतनगढ़ में झगड़ा कर लिया तो 208 बसें सीकर में जाम हो गई। मेरे सामने एक कण्डक्टर ने एक पैसेंजर को धक्का मार कर बस से बाहर गिरा दिया। क्या इसलिए कि हम एक साथ असेम्बल नहीं हो सकते, हम इकट्ठा नहीं हो सकते? इसलिए एक ड्राइवर और एक कण्डक्टर से झगड़ा होने पर 208 बसों को जाम कर दें और उस पर कोई एक्शन नहीं हो। आप श्रम मंत्री हैं, आपको इस बात को देखना चाहिए कि मामूली सी गल्ती से इतना हंगामा हो सकता है। आपको कोई कारगर तरीका अख्तियार करना चाहिए। 208 बसों के जाम हो जाने से कितने रेवेन्यू का नुकसान हुआ, कितनी तकलीफ लोगों को उठानी पड़ी, लोगों की यात्रायें स्थगित हो गईं, लोगों को जरूरी काम छोड़ना पड़ा। तो आपको यदि रोडवेज को कायदे से चलाना है, रेवेन्यू का नुकसान नहीं हो यह देखना है तो इस बात को भी देखना पड़ेगा। जयपुर में जो सिटी बस चलती है उसके बारे में एक बार माननीय मंत्रीजी ने इशारा किया था कि इससे तीन लाख रुपये का घाटा हो रहा है।

(व्यवधान: अश्रव्य)

मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। किन्तु जब आप इस बात को महसूस करते हैं कि हमको घाटा होता है तो जरूरी है कि जिद्द पर अड़े रह कर नेशनेलाईजेशन करें ही? और फिर उन लोगों को जो कि ज्यादा पैसा देते हैं, सीकर तक जाने वाले, जोधपुर तक जाने वाले, भरतपुर जाने वाले, उन सब को परेशान करो? आप उनको सीटें दीजिए, बसों की संख्या बढ़ाइये, लोगों को ज्यादा आराम दीजिए···

श्री श्रीराम गोटेवाला : सी०टी०एस० हमारे लिए बहुत जरूरी है। राज्य का काम खाली पैसा कमाना ही नहीं, कल्याणकारी काम करना भी है।

श्री झाबरमल सूंडा : माननीय सदस्य यह कहते हैं लेकिन वे जानते हैं कि यूनिवर्सिटी

(श्री झाबरमल सूंडा)
से जो आते हैं वे बस मे एक पैसा भी नहीं देते अगर आपको फ्री ट्रेवल कराना है तो कराइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसीलिए तो आर्डिनेंस लाकर व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री झाबरमल सूंडा : मैं भी आपकी तरह की ईमानदारी से राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने वाला हूं और मैं इस बिल का भी समर्थन करता अगर आप यह बोर्ड को हिदायत करें कि कण्डक्टरों पर भी जुर्माना या सजा होगी। मैं इसका तहे दिल से समर्थन करता।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक दो बातों की ओर निवेदन करना चाहता हूं। एक दो बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से हर आदमी को नुकसान उठाना पड़ता है। मैं मान्यवर, एक दो बातें और कह देना चाहता हूं। बसों में जो तकलीफ होती है उसमें एक तो यह है कि कण्डक्टर के हिसाब से सामान उतारने चढ़ाने के लिए मना कर रखा है। मैंने देखा कि एक अफसर थे जो हार्ट के मरीज थे, उनके साथ में उनकी वृद्ध औरत थी, सामान ऊपर रख दिया। अब रींगस में बीस मिनिट तक किसी ने सामान नहीं उतारा और सामान नहीं उतारने की वजह से बीस मिनिट तक डीलक्स बस खड़ी रही। तो अगर यह व्यवस्था हो जाय कि सामान चढ़ाने उतारने के लिए कण्डक्टर····

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : वह हार्ट का पेशेंट अफसर मर गया या बच गया ?

श्री झाबरमल सूंडा : हम नेशनलाईजेशन के खिलाफ नहीं हैं, नेशनेलाईजेशन के हिमायती हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, नेशनेलाईजेशन से होने वाले नुकसान से बचना पड़ेगा।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि जो लोगों को आए दिन तकलीफ होती है चढ़ाने उतारने के अन्दर, उसमें सफर करने के अन्दर भीड़ के हिसाब से, इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

एक बात की ओर इशारा कर दूं, मान्यवर, कि सीकर डिपो खोला गया और कम्पलीटली नेशनेलाईजेशन उधर किया गया तो रोडवेज के चैयरमैन के क्लियर इंस्ट्रक्शन्स थे कि जो बसें रन कर रही हैं उनके कण्डक्टर्स और ड्राइवर्स को प्राथमिकता दी जावे। इसके बावजूद यहां से एक बस भर कर गई सीकर में, डेट याद नहीं, उसमें पचास या सौ से ऊपर कण्डक्टर्स लिए, इतने ही ड्राइवर्स लिए गए उनमें एक दो की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। जो लोग पहले से अपनी रोजी रोटी यहां कमा रहे थे उनको डिस्प्लेस करके और नए लोगों को रोजगार देना यह लक्ष्य के विपरीत है, यह मंशा के भी विपरीत है। इसलिए इस मामले में जिन अधिकारियों ने गल्तियां की हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए।

मैं एक बात दावे के साथ जनमत जानने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जहां आपकी बसें चलती हैं, उसमें एक कस्बा या एक शहर, नहीं तो छोटी से छोटी ढाणी बीस मकानों की ले लीजिए, उसके बाशिन्दे अगर पांच परसेंट भी यह कह दें कि आपकी बसें चालू रहनी चाहिए तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूं। इसलिए मान्यवर, मैं चाहता हूं कि नेशनेलाईजेशन, जो कि जरूरी चीज है,

(श्री झाबरमल सूंडा)

बसों का नेशनलाईजेशन कीजिए लेकिन इस मामले में हमको सुधार करना चाहिए और जो हमारे ड्राईवर और कण्डक्टर्स हैं उनको उचित ट्रेनिंग देकर हमको सुधार करना चाहिए। इन बातों की ओर ध्यान देते हुए, इस बिल को, जो कि एकदम गैर जरूरी है, किसी भी तरह से काम का नहीं है, नुकसान पैदा करने वाला है इसको जनमत जानने के लिए अवश्य प्रसारित किया जाना चाहिए।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : एक दूसरा प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने का आया है, मैं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव के साथ ही इसको भी ले लिया जाय।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया "राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रति वेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जायेगी"]

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के बारे में एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पहले तो मैं यह चाहता हूं कि इस विधेयक की बहुत ही आवश्यकता थी और मंत्री महोदय, जिन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, को तो इसके लिए मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं। परन्तु मैं इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में जितने भी क्लाजेज हैं, अगर इनको माइन्यूटली एग्जामिन प्रवर समिति में नहीं किया गया तो अपना सही दृष्टिकोण नहीं अपना सकेंगे। इसलिए सही दृष्टिकोण को अपनाने के लिए जो प्रवर समिति होगी उसमें सारे एम०एल०एज० ही होंगे वह अपने व्यूज बतलायेंगे। अभी जो व्यूज आये हैं मेम्बर्स के उसमें अलग-अलग व्यूज आए हैं। यह भी व्यूज आए हैं कि कण्डक्टर्स के पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं होना चाहिए या पैसेंजर के पनिशमेंट का जो प्रोविजन किया है वह नहीं होना चाहिए, तो फिर कानून किसलिए बनाना चाहिए। कानून बनाना है तो अगर पैसेंजर गलती करेगा तो पैसेंजर को दण्ड दिया जाएगा अगर कण्डक्टर गलती करेगा तो कण्डक्टर को पनिशमेंट दिया जाएगा। कानून का बनना तो आवश्यक है और इसमें कानून बनाने में जो कदम उठाए जा रहे हैं वह कदम भी ठीक है। परन्तु इन क्लॉजेज के बारे में यह देखने की आवश्यकता है कि इनको माईन्यूटली एग्जामिन करवायें कि हम किन परिस्थितियों में कण्डक्टर को पनिश करें। हमें यह भी सोचना है कि कण्डक्टर जो अबेटमेंट करने वाले हैं, कण्डक्टर के अबेटर को हम क्यों छोड़ें। अब प्रश्न यह है कि अबेटर को साबित करना मुश्किल है, यह कोई चीज नहीं है। कोई भी आफेंस को साबित करना मुश्किल होता है परन्तु ला में प्रोविजन किया जाना चाहिए। ला में प्रोविजन इसलिए नहीं करें कि अबैटमेंट को सजा नहीं मिलेगी इसलिए प्रोविजन नहीं करें, यह कहां तक उचित होगा? इसलिए हमें यह देखना आवश्यक है कि उनको किसी भी तरह से जो भी आफेंस करते हैं उनके खिलाफ कदम उठाया जाय और कदम उठाने के लिए यह भी आवश्यक है कि रेल्वे में जो व्यवस्था है उसके अन्दर पुलिस के प्रोटेक्शन की व्यवस्था है। आज आप कण्डक्टर के प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था करते हैं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आज आपके पास कौन सी व्यवस्था है उनके प्रोटेक्शन की ? यह भी आवश्यक है।

भीड़ के बारे में कि बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है और छत पर चढ जाते हैं, सीटों से अधिक लोग बैठ जाते हैं, तो यह भी आपसे निवेदन करूंगा मंत्री महोदयजी को, कि राष्ट्रीयकरण का कदम इस प्रकार न हो कि वे राष्ट्रीयकरण करते जावें और क्वालिटी की तरफ ध्यान न दें। तो यह कदम राष्ट्रीयकरण के योग्य नहीं होगा और राष्ट्रीयकरण की जनता बुराई करेगी। मैं गुजरात में गया था। उस समय स्वतंत्र पार्टी का शासन था और वहां अस्सी पच्चासी प्रतिशत राष्ट्रीयकरण हुआ था और वहां राष्ट्रीयकरण होकर बहुत ज्यादा जनता को पूरी तरह से सुविधा थी। सीटें बराबर बैठने की, उतने ही बैठ सकते हैं जितनी सीटें हैं, पूरा नियंत्रण है। परन्तु अपने राजस्थान में यह स्थिति नहीं है। हमारे बाडमेर डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं, बाड़मेर से जयपुर हमें बस में आना पड़ता है, मैं चाहता हूं कि यह स्थिति नहीं हो। इसलिए आप राष्ट्रीयकरण का कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइये, बढाइये, लेकिन इतना कि जितनी आप गाड़ियों की व्यवस्था कर सकते हों। जितने आप जनता को साधन दे सकें, सुविधायें दे सकें और आप गाड़ियों की पूरी व्यवस्था करिये और फिर पूरा राष्ट्रीयकरण करिये।

राष्ट्रीयकरण आपने जिस रोड का किया, तो उसकी क्या आवश्यकता है, उसको देखें। उसमें एक के बजाय 3 की आवश्यकता है और आप एक गाड़ी से ही कार्य चलाना चाहेंगे तो कैसे वह व्यवस्था हो सकेगी ? एक प्रश्न अभी उठाया था कि बाड़मेर से माउन्ट आबू एक गाड़ी जाती है और दूसरी गाड़ी जाये नहीं और दूसरे दिन जाये तो फिर उस गाड़ी के अन्दर मुसाफिर को 6-8 और 10 घन्टे तक वहां पर पड़ा रहना पड़ता है, तो उसकी क्या व्यवस्था है ? इसलिए राष्ट्रीयकरण का जो कदम उठाया है उसमें यह आवश्यक है देखना कि राष्ट्रीयकरण सोलिड हो और उसमें क्वालिटी के देखने की आवश्यकता है।

टिकट के बारे में मेरे मित्र ने एक प्रश्न उठाया था। टिकट कण्डक्टर देता है 6.45 रुपये का और एक कण्डक्टर देता है 6.50 का। तो टिकट जो हैं वह जैसे रेलवे में टिकट छपते हैं वैसे होने चाहिए यह व्यवस्था करना चाहिए जब कि आप राष्ट्रीयकरण का कदम उठा रहे हैं। आप उसको दण्डित करेंगे और वह केल्क्यूलेशन ठीक तरह से नहीं कर सका इसलिए। आप इस संबंध में जैसा कि जयपुर में हो और जहां भी बस स्टैण्ड हों जहां कि टिकट आप देते हैं तो उसका किराया आप टिकट पर छाप दें। छापा हुआ टिकट उनको मिलना चाहिए। टिकट का पन्ना भी जो आपने रखा है वह ठीक नहीं है। रेलवे के टिकट जिस प्रकार से छपते हैं वैसे ही अच्छे पेपर पर छापें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह व्यवस्था की जाय।

इसलिए मैं यह चाहता हूं कि यह जो कानून है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर के यह जितनी भी क्लाजेज हैं इनको अच्छी तरह से एक्जामिन किया जाय, और यह अवश्य ही व्यवस्था होना चाहिए कि चाहे कन्डक्टर्स हों या पैसेन्जर्स हों जो भी कानून की अवहेलना करे उसको दण्ड दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बिना टिकट ट्रेवल करने का जो कानून पेश किया है

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, और मैं भी कुछ इसमें मेरे विचार रखना चाहूंगा। यह जो कानून है मेरे खयाल से जल्दबाजी में बनाया है। इसमें जो पनिशमेंट, फाइन और डबल यात्रा का किराया यह इतने प्रोवीजन एक साथ में किस तरह से रखे गये हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने शायद दूसरी स्टेट के कानूनों का पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया या किया है यह तो माननीय मंत्रीजी खुद बतलायेंगे।

सबसे पहले तो 25 पर्सेन्ट नेशनेलाइजेशन हो चुका है जब कि दूसरे प्रान्तों में सेन्ट-पर्सेन्ट नेशनेलाइजेशन हो चुका है। वहां के कानून को आपको अध्ययन करना चाहिए और उसके बाद में कानून लाना चाहिए मन्शा तो इस कानून की यही है कि हमारे रेवेन्यू में घाटा न हो और कोई इसका मिसयूज न करें। कन्डक्टर हो तो वह बिना टिकट ले जाकर या फर्जी टिकट देकर अपना फायदा न उठाये इस मन्शा को फुलफिल करने के लिये यह कानून है। तो इसके लिए साधारण सा कानून ही होना चाहिए जैसा कि रेलवे में है कि जो फेयर है उसके ऊपर पैनल्टी लगा दें, डबल फेयर हो या जो भी हो। आप शुरूआत में जो किराया है उसकी पैनल्टी डबल, ट्रिबल या जैसा उचित समझें उसमें रखे तो उचित होगा। शुरू में इतनी लम्बी-चौड़ी मशीनरी का, जब कि रोडवेज फायदे में रन नहीं कर रही है, रखने का बजट में क्या प्रावधान होगा, क्या मशीनरी निर्धारित करेंगे, उसके पकड़ने की क्या व्यवस्था होगी यह सब इसमें होना चाहिए। जो आर्डिनरी मजिस्ट्रेट है वह इस काम को सुचारु रूप से नहीं कर पायेगा। अभी हाल में ही लड़के और लड़कियां बसों का मिसयूज कर लेते हैं; उनको रोक लेते हैं। वहां उनका जो स्टाफ है शहरों के अन्दर वह स्टाफ भी मिसयूज करता है यानी टिकट वगैरह नहीं लेते हैं। यह प्राब्लम है। उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेन्ट करने के लिए किस रूप में कोशिश की जा रही है, इस कानून के जरिये किस तरह से चालान होगा, यह पूरी व्यवस्था नहीं की है। इसके बारे में रूल्स वगैरह क्या बनेंगे, और कानून बनाकर उसका इम्प्लीमेन्टेशन न कर सकें तो और भी खराब होगा। तो मेरा इसमें यही आग्रह है कि आपने जितने प्रावधान रखे हैं आर्डिनेन्स जारी करके (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो इसकी मयाद है और सदन ज्यादा चलेगा तो सिलेक्ट कमेटी बनाकर सुचारु रूप से इसको एक्जामिन करने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में पास करने से आपका मकसद पूरा हल नहीं होगा और जो मन्शा है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो मेरा यह प्रस्ताव है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में रखकर दूसरी स्टेटों के कानून देखकर, रूल्स रेग्युलेशन्स को देखकर सिम्पल कानून लाया जाय तो मेरे खयाल में काम चल सकेगा। दोनों सजाएं हार्ड इसमें रखना उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर पायेंगे? इसलिए इस बारे में मेरा प्रस्ताव है कि सिलेक्ट कमेटी में इसको पेश करके अच्छी तरह से कानून बनाकर पेश करें तो अच्छा रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, रोडवेज की बसों के अन्दर बिना टिकट यात्रा करने वालों के लिए और कन्डक्टर्स के लिए फाइन्स और पैनल्टीज का जो यह बिल प्रस्तुत हुआ है इसकी काफी आवश्यकता थी। इसलिए मैंने इसको प्रवर समिति में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

और केवल एक सप्ताह की मांग की है कि रिपोर्ट वह प्रवर समिति एक सप्ताह में दे दे। लेकिन केवल 25–26 दिन पहले 22 जनवरी, सन् 1975 को आर्डिनेन्स लाने की क्या आवश्यकता पैदा हो गई? क्या मंत्री महोदय को यह सूचना मिल गई कि जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली में 150 किलोमीटर के डायमीटर में अपने आन्दोलन को केन्द्रित कर दिया है और उनकी बसें भरतपुर में और कोटा में 150 किलोमीटर के स्थानों में सुरक्षित नहीं होगी। तो उस समय युनिवर्सिटी के इलेक्शन्स हो रहे थे। इस डर से कि जे० पी० जिन्दाबाद का नारा लगाकर सी०टी०एस० की बसों का हाईजेकिंग न हो? अगर ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि 18 दिन की सुरक्षा बहुत आवश्यक है।

लेकिन इसमें जो पैनाल्टीज के प्रावधान खे हैं वह प्रेक्टिकल नहीं है और उनमें से कई प्रावधान उचित नहीं हैं। यह ठीक है अगर कन्डक्टर्स की स्थिति को देखते हैं तो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। एक तरफ तो कन्डक्टर्स टिकटलेस ट्रेवलिंग कर रहे हैं और एक तरफ कन्डक्टर खुद भी सुरक्षित नहीं हैं। गंगानगर की कोई भी बस जो शाम के बाद चलती हैं उनमें कन्डक्टर टिकट नहीं काट सकता है जब तक कि उसके पास कोई वाइटल पुलिस फोर्स न हो। सारे के सारे हेलिकोप्टर पर सवार होकर बस में बैठे हुए होते हैं। सारे के सारे हेलिकोप्टर पर सवार होते हैं। सन्ध्या के समय 90 प्रतिशत आनन्द को लिए हुए होते हैं सारे के सारे। कोई सम्भव नहीं है किसी कन्डक्टर के लिए और गरीब कन्डक्टर की स्थिति ऐसी नहीं है कि बिना किसी सहायता के वह टिकट काट ले। 90 प्रतिशत सवारियां बसों के अन्दर 6 बजे के बाद बिना टिकट के आती हैं (समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आनन्द तो बस में ही ज्यादा होता है या हेलिकोप्टर में होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपको सही स्थिति बता रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। ऐसे भी कन्डक्टर्स हैं जो सारी बस ही फ्री ले जाते हैं। तो हैल्दी ट्रेडिशन्स के लिए हम यह महसूस करते हैं कि कन्डक्टर्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जाय और उनका भी चैकिंग हो। इसके अतिरिक्त बिना टिकट के सफर करना मैं समझता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है, सभापति

(4.00 बजे म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पीठासीन)

महोदय, हमारी रोडवेज की कि वह इस भार को सहन कर सके। लेकिन, सभापति महोदय, यदि आप देखें तो इसमें ऐसा प्रावधान मौजूद है कि अगर कोई चलती हुई बस में चढ़ जाय और उस गेट से चढ़ जाय जो कि सेन्क्शन्ड गेट है बिना टिकट लिए तो उसको 3 महीने की जेल और 500 रुपया पैनल्टी की सजा है। अब आप बताइये कोई भद्र पुरुष जल्दी में है, वह प्रापर गेट से चढ़ गया और वह कण्डक्टर से कह रहा है कि मेरा टिकट काट देना। ट्रेन में भी गार्ड को कह देते हैं। यह रोडवेज में क्या हो गया है? एण्टर होते ही वह तो आपके 500 रुपया के जुर्माने का हकदार हो गया है। क्या आपने बसों की संख्या इतनी बढ़ाई है? राष्ट्रीयकरण तो फोर टाइम्स हो गया है लेकिन आपके बसों की तादाद उतनी ही है। मैं तो अपने जिले की बात कहता हूं। 3 रूट्स हैं। रायसिंह नगर से रावतसर चार बसें रन करती हैं।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

38 रुट्स हैं, 40 बसें प्लाइ करती हैं। उनमें भी 4 के ईजंन ब्रेकडाउन में पड़े हुये हैं। बाकी 6 हैं, 5 या 10 किलोमीटर चलने के बाद जाकर खड़ी हो जाती हैं। यह स्थिति रोडवेज की है। आप यह कानून बनाकर, अब कोई बाडी पर बैठ जाये, एंजिन पर बैठ जाये, तो आप 200-300 रुपया जुर्माना कर दें। या तो नेशनेलाइजेशन के नाम ठीक बसेज की संख्या भी बढ़ाई होती। मैं माननीय मंत्री महोदय को चैलेंज करके यह कहता हूं कि राजस्थान की रोडवेज की बसेज हैं, उनका अगर चैकअप किया जाये तो उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी कण्डीशन, उनके टूल बाक्स, टायर की कण्डीशन, तो मैं समझता हूं एक भी ऐसी बस नहीं है जो प्लाइ कर सके। कहां पर आपकी विण्डों हैं, जहां से टिकट सप्लाई करते हैं। 10–5 घण्टे के बिना कोई आप स्टेशन बता दीजिये। अब कोई भद्र पुरुष उधर से बैठ गया और कण्डक्टर से कह दिया। आपने गुजरात, मद्रास, पंजाब और मध्यप्रदेश के बस सिस्टम की स्टडी की है ? पांच पांच मिनट में बस मिलती है। टिकट पर नम्बर होता है। बस का नम्बर होता है। उसी बस में बैठना होता है। आप वहां ही अलाऊ करेंगे। दूसरी जगह अलाऊ नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं, सभापति महोदय, यह सम्भव नहीं है। यह कानून चलने वाला नहीं है। कौन है जो बिना टिकट चलने वाला है ? आप कहते हैं, विद्यार्थी हैं। मैं पूछता हूं, मंत्री महोदय कोई ऐसा थानेदार बता दें, ऐसा हैडकान्स्टेबिल बता दें जो टिकट लेता हो। बस जा रही है, मजिस्ट्रेट साहब को चलना है तो मजिस्ट्रेट साहब के घर के सामने खड़ी है। बस जा रही है, मैंने कहा कहां जा रही है, रास्ता तो इधर है। तो कहते हैं कि एस०डी०एम० साहब के यहां उन्हें लेने जा रही है। थानेदार, डिपो मैनेजर फ्री ट्रैविल करते हैं। जयपुर स्टेशन पर देखिये। डिपो मैनेजर साहब के लिए गंगानगर से शुद्ध गेहूं की बोरी आ रही है। शुद्ध गेहूं की बोरी रखी हुई है। उसमें पैनल्टी होनी चाहिए। अगर कोई गवर्नमेण्ट आफिसर बिना टिकट पाया जाये तो उसको डिसमिस कर दिया जाये। आपने तो अपना एक फोर्स क्रिएट कर दिया। आपके अपने डी०आई० जी० आ गये। पहले पुलिस की फोर्स काफी थी। अब आपकी आ गई है। एक्स्ट्रा एडीशन आ गई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप अपना टिकट सिस्टम इम्प्रूव कीजिये। अनेक बार यह प्रश्न सदन में आया है। जब तक आपका टिकट सिस्टम ठीक नहीं होता है, उस टाइम तक टिकट का लेस माना है। जो लोंगर ट्रैविल करता है, कण्डक्टर को कह देता है कि हम लोंगर ट्रैविल पर जा रहे हैं, अपनी टिकट को एक्सचेंज करवा लेता है। अगर वह टिकट को एक्सचेंज नहीं करवाता है तो इस प्रकार का प्रावधान है। तो मैं कहूंगा कि टिकट लेस यात्री को पेनालाइज किया जाये। आपका जो कण्डक्टर और इन्स्पेक्टर का इवेजन है, उसको आप पेनेलाइज कीजिये। लेकिन उसके साथ साथ प्रेक्टिकल प्राविजन इम्प्रूव कीजिये। जिस स्टेज से आपने नेशनेलाइजेशन किया है, आपकी बसों का नम्बर लगाया जाये। सभापति महोदय मैं एक प्रश्न पूछता हूं। गंगानगर में आपकी इनकम तीन गुनी, 20 थाउजैण्ड पर डे पहुंच गई है। 38 रूट पर 40 बसेज प्लाइ कर रही हैं। क्या कारण है। वहां कण्डेक्टर, ड्राइवर रात दिन वर्क करते हैं। ओवर टाइम भी नहीं मांगते हैं। वह वर्क करते हैं। ऐसी स्थिति

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
में क्या प्रेक्टिकल है ? क्या हम आंखें मूंद लें ? ऐसी स्थिति में क्या चलने वाला है। मैं एम्फेसाइज करूंगा, टिकटलेस आप उसको लेना जो रोडवेज के करते हैं। आपके कण्डक्टर को यह इन्स्ट्रक्शन हैं कि चलती हुई बस में वह टिकट नहीं काट सकता है।

श्री भानकुमार शास्त्री : ऐसा लिखा हुआ है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हां, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए इसको ज्यादा प्रेक्टिकल बनायें। इन सजेशन्स के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं कई बार खड़ा हुआ हूं, मुझे बोलने का चांस दिया जाय।

श्री सभापति : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, वे ही बोल सकते हैं। आप अभी बोलना चाहेंगे या तृतीय वाचन में ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं अभी बोलना चाहूंगा और बहुत जोर से बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति : श्री पूनमचन्द बिश्नोई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : On a point of order, sir. This is not proper.

माननीय सदस्य श्री केसरीमल जी का नम्बर है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने शुरू कर दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आर्डर में भी नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव दिया है। माननीय पूनमचन्द बिश्नोई भविष्य में प्रस्ताव देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! ऐसा है......

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : एक दफा प्रस्ताव मूव होने के बाद आप जानते हैं, सदन की सम्पति बन जाता है। केसरीमल साहब का है, तो मेरे बाद बोल सकते हैं। मैं कुछ सुझाव पेश कर दूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! जो पाइन्ट आफ आर्डर रेज किया है, उस पर मैं व्यवस्था दे दूं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई पहले बोले, कोई बाद में। इसमें क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : रूल्स में भी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, हाण्डा साहब ने वैसे यह बात सही है जिन्होंने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, उनका नाम पहले आना चाहिए। इनको आप चाहें तो इजाजत दे दें। आप बोलना चाहें तो आप बोल लें।

श्री केशरीमल : वह बोल लें। इसमें हर्ज नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सभापति महोदय, मैंने ताकीद इसलिए की, बहुत से ऐसे सुझाव थे। एक अच्छा कानून, बुरा कानून – कई कानून इस सदन से पास होते रहते हैं। मैं भी कानून कुछ पढ़ता लिखता रहता हूं, मेरा निवेदन है कि ऐसा गैर वाजिब कानून इस सभा, इस सदन के द्वारा पारित

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

नहीं हुआ । मंत्री महोदय समझदार हैं जनता के नजदीक हैं, उनको यह खराब राय किसने दे दी – मेरी समझ में नहीं आता ।

पहला प्रश्न तो यह है कि क्या आप अपनी जनता को ऐसा समझते है, यह ऐसी गैरवाजिब जनता है, जो टिकट लेने में विश्वास नहीं करती हैं । आप और हम सब बस से ट्रैवल करते हैं, एक बात छोड़ दीजिये, उसके अलावा कहीं कोई शिकायत सुनी है । एक आध बार हाईजेक कर लिया हो, या कोई शराब पिये हुए हो, एक आध आदमी ऐसा होता है जो झगड़ा कर लेता है । मंत्री महोदय ने कहा कि हाईजैकिंग होता है और झगड़ा होता है, इसलिए प्रावधान रखा है । मंत्री महोदय ने पढ़ा होगा, हाईजैकिंग का मतलब है डकैती, जिसका प्रावधान नहीं है । इसमें टिकटलैस का प्रावधान है । मारपीट का भी प्रावधान इसमें नहीं है । मारपीट के लिए क्रिमिनल प्रासीजर कोड है, जाब्ता फौजदारी है, जिसमें दी गई सजा जो आप दे रहे हैं, उससे बड़ी है । इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं है कि जिसका मुकाबला आप नहीं कर सकते । शहर में हाईजैक विशेष परिस्थितियों में होता है । बाकी आप और हम जानते हैं कि सैकड़ों भाई ट्रेवल करते हैं, कितने लोगों ने देखा है कि कन्डक्टर ने टिकट मांगा हो और लोगों के पास नहीं हो । एक आध के पास नहीं हो, तो वह कह देगा, मेरे पास नहीं है । मैं साधू हूं । उतारो तो उतार दो, ले चलो तो ले चलो । ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी बिगड़ भी जाय, झगड़ा भी कर ले । तो जहां इतने लोग इकट्ठे होते हैं वहां झगड़े होते रहते हैं । लेकिन यह डिस्प्यूट आपने और हमने कितनी दफा पाया है कि कन्डक्टर टिकट बांट रहा है और वह कह रहा है कि मैं इतना सफर करूंगा और टिकट नहीं लूंगा। हजारों केसेज में एक केस ऐसा हो सकता है जो रिफ्यूज करें। हाण्डा साहब ने सुझाव दिया है कि रिफ्यूजल होने पर यह कर दीजिये । वरना असलियत यह है कि आपने कन्डक्टर रखे, कन्डक्टर के ऊपर इन्सपेक्टर रख दिये, इन्सपेक्टर के ऊपर फ्लाइंग स्क्वाडड रखें । आपने और हमने देखा है कि सब ऐसे ही नहीं हैं; बहुत से अच्छे अधिकारी भी हैं, बहुत से अधिकारी अच्छा काम करते हैं । लेकिन शुरू में यह आती हैं दिक्कतें । कन्डक्टर और ड्राईवर, अगर बस में कोई खराबी हो जाय, तो उसको ठीक करना सीख जांय, इजंन खोलना सीख जांय, तो क्या ले जायेंगे । आपका और हमारा अनुभव है, होता क्या है कि आथोरिटी है उसको डाउट है कि इंजन खोलना सीख जायेंगे तो उसमें पुर्जा निकाल दें, टायर निकाल देंगे, ट्यूब निकाल देंगे, इसकी अभी चर्चा चली । तो इनको इनके आदमियों पर ही विश्वास नहीं है । एक एक कन्डक्टर के ऊपर चार चार अधिकारी है, जैसे अकबर के घोड़ों को दूध पतला मिलता था और पतला होता गया । उसी तरह से ये लास में आने लग गये तो तजबीज यह की गई कि एक नक्शा और किया, मजिस्ट्रेट और पुलिस को इसके पीछे लगा दिया । महानुभाव, ट्रेवल करना सिविल कांट्रेक्ट है । मैं सफर करने जाऊं, बस में कोई अनपढ़ है, उससे टिकट का पैसा ज्यादा ले लिया और कम का टिकट दे दिया । उसके कारण वह सजा भुगत कर घर आये । यह कौनसा कानून है ? आप मान लीजिये कि टिकट नहीं लिया तो आप दुगुना पैसा ले लीजिये पैनल्टी का प्रासीजर होता है ....

श्री भानुकुमार शास्त्री : मुख्य सचेतक उधर देख कर माननीय सदस्य को प्रभावित करना चाहते हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो इस तरह सजा की तजवीज कर रहे हैं । दूसरों के लिए सजा की तजवीज नहीं है । आप 75 पर्सेन्ट बसें प्राइवेट आपरेटर्स की चलती हैं, उनके लिए सजा की तजवीज नहीं है । हिन्दुस्तान के बहुत बड़े स्टेट के एन्टरप्राइजेज हैं, उनमें सजा की तजवीज नहीं है । आप इसमें असफल हो रहे हैं, आपकी रेवेन्यू कम पड़ रही है, इसलिए यह तजवीज कर रहे हैं । मैं चैलेंज देकर आपसे पूछता हूं, आपके सैकड़ों टिकट कलेक्टर हैं जो डिसमिस होते हैं, उनसे रिप्लाई मांगे जाते हैं । उनमें से कितने पर्सेन्ट ने यह रिप्लाई दिया है कि 10 आदमी बिना टिकट के निकले थे, उन्होंने टिकट लेने से रिफ्यूज कर दिया··

श्रीमती नगेन्द्र बाला : Not a single·

श्री पूनमचन्द विश्नोई : डिसमिस जितने हुए हैं, उनमें से कितने प्रतिशत ने ऐसा कहा ? कन्डक्टर सस्पेन्ड या डिसमिस रोज होते हैं, गिनती याद मुझे नहीं है लेकिन सौ, दो सौ जितने पकड़े गये, उनमें से कितनों ने लिख कर दिया कि लोगों ने टिकट नहीं लिया । मैंने कहा था लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया । वह दूसरी बातें बताते हैं, गाड़ी रवाना हुई थी, मैं यह कर रहा था, मैं वह कर रहा था । कोई नहीं कहता कि लोगों ने टिकट नहीं लिया । टिकट नहीं लेने की शिकायत होती है, वहां झगड़ा हो जाता है तो झगड़े के लिए अलग से प्रावधान किया जा सकता है । मैं कहना चाहता हूं कि गांवों की बात छोड़िये, इस देश में पालिटिकल सम्मेलन होते हैं, धार्मिक सम्मेलन होते हैं, पशु मेले होते हैं, और मेले होते हैं धार्मिक, हजारों आदमी एकत्र होते हैं हर जगह पर । आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग छतों पर चढ़ कर चलते हैं । आपका एस० टी० सी० आज भी अलाउ करता है, छतों पर अलाऊ करता है । मान लीजिये बस रवाना हो गई, जंगल में कहीं रुकी, जहां बुकिंग आफिस नहीं है, वहां छत पर चढ़ कर बैठ गये । कन्डक्टर ऊपर जाता नहीं है । इसका मतलब है कि सबको सजा दे दी जाय । कन्डक्टर, सबको उसके प्रति डाउट है, पैसा लेकर टिकट नहीं देता है, अगर लोग पकड़े गये तो वह क्या यह कहेगा कि मैंने पैसा ले लिया है । वह कहेगा, इन्होंने टिकट नहीं लिया है । तो इसमें रिफ्यूजल का भी जिक्र नहीं है । बिना टिकट जो पकड़ा जाय, उसके लिए कहेंगे, क्योंकि टिकट नहीं है इसलिए गुनहगार है । कोई अनपढ़ है, स्त्री है उसको कन्डक्टर ने पूरा पैसा लेकर भी कम दूरी का टिकट दे दिया, या बस में भीड़ ज्यादा हुई, कन्डक्टर अन्दर तक जा नहीं सका और बाद में उसने कम दूरी का टिकट दे दिया—यह सब स्थितियां इसमें हैं । मेरा नम्र निवेदन है, यह कानून बनाना है तो समझ सोच कर बनायें । यहां की गरीब जनता है, ठीक है, हजारों में दस बीस, या एक पर्सेन्ट ऐसे होंगे जो रिफ्यूज करते हैं, वरना 99 पर्सेन्ट लोग हैं जो टिकट लेने में विश्वास करते हैं । यह आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का फेल्योर है । आपने कोशिश कर ली लेकिन उसके बावजूद काम ठीक बैठा नहीं, इसलिए यह कानून ले आये । महरबानी करके सोचिये, यह कान्ट्रेक्चुअल रेस्पान्सिबिलिटी है इसमें पीनल प्राविजन करना मुनासिब नहीं है । कोई गाली गलोज करता है, मारपीट करता है तो उसके लिए

Page No. 97

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

क्रिमिनल ला है। इसलिए यह आपने जो प्राविजन किया है, यह बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों चालीस पचास पोस्ट्स का एडवर्टाइजमेंट निकला था, इन पोस्ट्स में इतना आकर्षण है कि सुनते हैं, सात आठ हजार एप्लीकेशन आयी हैं। सात आठ हजार एप्लीकेशन आयीं, इसका मतलब है, लोग यह सोचते हैं फायदे की पोस्ट हैं, इसलिए वहीं चलो। इस मनोवृत्ति से शंका होती है कि पेनेलाइज हों जायेंगे गरीब आदमी यदि, उनको टिकट नहीं दिया, या गलती से टिकट देना रह गया। इसमें आपने रिफ्यूजल की बात नहीं रखी है। इसलिए यह अन्याय का कानून है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) एक आध मिनिट और लूंगा। आपका रेल्वे है, इतना बड़ा संगठन है, आपके यहां पचास आदमियों के बैठने की जगह है और घुसने का दर्वाजा एक है। उधर से कैसे कोई आदमी बिना टिकट के अन्दर चला जायगा। टिकट कैसे नहीं लेगा। टिकट उससे मांगेगा तो वह कैसे नहीं लेगा। यह सम्भव बात नहीं, है। रेल्वे इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन है उसमें तीन चार कन्डक्टर होते हैं, पूरी ट्रेन में दो तीन हजार ट्रेवल करते हैं। उसमें आप्शन रखा है, दुगुना टिकट चार्ज करके बिना टिकट वाले को छोड़ा जा सकता है। यहां तो आप्शन भी नहीं रखा है, और उसके लिए सीधी सजा की तजवीज रख दी है। यह बिल्कुल जल्दबाजी में ड्राफ्टेड है। आपने एक जगह लिखा है क्लाज 7 में।

"If a person, without holding a proper pass or ticket, enters or leaves or attempts to enter or leave, any motor vehicle while the motor vehicle is in motion, or elsewhere than by the entry or exit door appointed by the corporation for the passengers to enter or leave the motor vehicle, he shall be liable to punishment which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with boths."

कई माननीय सदस्य : आगे पढ़िये फाइन के बारे में।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : "He shall be liable to punishment which may extend to three months····"

श्री केशरीमल : तीन महीने तक दंड देते रहेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीन महीने तक दंड बैठक करवायेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हिन्दी में जो है वह भी वही का वही है। 5-5 मिनट तो बस आती नहीं। जंगलों में बस चल रही है और टिकट टायम पर नहीं दिया तो सजा होगी। यह बहुत ही अन्याय का कानून है, इसको प्रवर समिति या जनमत जानने हेतु प्रचलित किया जाए और जैसे हांडा साहब ने कहा, आप्शन तो दिया ही जाना चाहिए। अगर वह पैसा देने को तैयार है तो ले लो, अगर इंकार करे तो उसके लिए कन्डक्टर शिकायत कर सकता है। अगर हाईजैकिंग होती है तो डकैती का केस बनता है उसके लिए सेक्शन 353 लागू होता है, उसका प्रावधान नहीं किया गया है तो आपके एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स बिल्कुल कान्ट्रेडिक्टरी हैं।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसलिए इस विधेयक को आज पारित न किया जाए, यह जनता के साथ में भारी अन्याय होगा । गया आदमी बच्चे की शादी कराने और सजा लेकर आएगा । दुनियां भर में कहीं होता है ? दुकान खोली है । आपका मुनीम अच्छा नहीं तो सजा दी जाएगी ग्राहक को ? आप दुगुनी वसूल करें । इसलिए यह बहुत ही अन्याय का कानून है इसको रद्द करना चाहिए क्योंकि कामन ला में काफी रेमेडी है । इसलिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए ।

श्री सभापति : श्री केशरीमल ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : सभापति महोदय, सिद्धान्त रूप से तो मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । कोई व्यक्ति टिकट लेने से इंकार कर दे उसको तो जरूर सजा मिलनी चाहिए । एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जो इंकार नहीं करता लेकिन कन्डक्टर जब आवाज देता है कि भाई जिसके पास टिकट न हो वह ले लें फिर भी पैसेंजर चुप बैठा सुन रहा हैं ...

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहरा है तो ?

श्री केशरीमल : उनकी संख्या हजारों में एक होगी । कई ऐसे लोग होते हैं, कन्डक्टर आवाज देता रहता है कि टिकट ले लीजिए और बराबर गिनती करता रहता है फिर भी जारी की हुई टिकटों की संख्या यात्रियों की संख्या से नहीं मिलती । बाद में एक-एक आदमी को चैक करता है और किसी को पकड़ता है तो यात्री कहता है कि मुझे झपकी आ रही थी । लेकिन वह तो झपकी में रह जाए और इन्सपैक्टर महोदय आ जाए तो कन्डक्टर की झपकी पूरी हो गई । इसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो लोग टिकट न लें या लेने से कतरायें उनको जरूर पनिशमेंट होनी चाहिए । जैसे रेल्वे में कुछ ऐसा हो गया तो कम से कम 10 रुपया है वैसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । जिसने टिकट लेने से इंकार किया हो ऐसे कम निकलेंगे । इसमें कहा है कि अगर गाड़ी के ऊपर बैठ जायेंगे तो सजा होगी । तो, मंत्रीजी, गाड़ियों की संख्या तो बहुत कम है जगह-जगह छत पर बैठते हैं । जब प्राइवेट गाड़ी वाले बिठाते थे तो हम पूछते थे कि ऊपर सवारियां क्यों बिठाते हो ? वे कहते थे कि हमारे पास परमिट है 50 आदमियों की । हम उनसे कहते थे कि यह परमिट तो गाड़ी में अन्दर बिठाने की है वे कहते थे कि गाड़ी के अंदर सभी बिठाते हैं, यह ऊपर बैठने की परमिट है । इन गाड़ियों पर इतनी चढ़ाई होती है कि अंदाज नहीं । जब पैसेंजर चढ़ जाए, आप कहें कि चढ़ेगा तो सजा होगी, तो आप गाड़ियों की ऐसी व्यवस्था करें कि ऊपर चढ़ने की नौबत ही नहीं आए । आपको जाने का मौका नहीं पड़ता, जायेंगे तो आपको पहचान लेंगे । कभी शकल व भेष बदलकर जाकर देखें । खिड़की पर खड़े होकर टिकट लेने के लिए आदमी को कितना समय खराब करना पड़ता है । तीन घंटे तक टिकट मिलता नहीं, गाड़ी निकल जाए और खड़ा खड़ा आदमी परेशान हो जाए । ऐसी हालत में आप उसके लिए सजा की व्यवस्था करें, दोनों का तालमेल नहीं बैठता ।

गाड़ियों की दशा भी बढ़िया है । पहले लोग कहते थे कि किसी को नींद नहीं आए तो गाना बजाना सुनाओ । गाड़ी में बैठते

(श्री केशरीमल)
हैं तो गाने व तबले की आवाज कानों में सुनाई देती है । कुछ लोगों को बढ़िया नींद आती है कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है तो आप गाड़ियों की दशा सुधारें ।

बहुत से लोगों ने कहा कि बस स्टेंडों की क्या हालत है । शौचालय और पेशाब घर क्या हैं ? मैं तो कह कर थक गया अजमेर की दशा देखें, चाहे ब्यावर की दशा देखें कई जगह ऐसी स्थिति है । जब काफी मात्रा में गाड़ियां आपके पास में नहीं, उनकी हालत खराब, फिर सवारी ज्यादा बैठ गई तो आप उनको सजा दें यह अनुचित बात है । इसलिए जहां कोई टिकट न लें तो आप पैनल्टी लीजिये । जब गाड़ी में जगह नहीं होती है तो लोग ड्राइवर की खिड़की से भी गुजरते हैं तो उनको भी सजा होगी यह अनुचित है । आपको तो विचार करना चाहिए कि इनको कैसे सुधारा जाए ।

इसके अलावा टिकट काटने को व्यवस्था भी खराब है । कई आदमी खिड़की पर टिकट लेने से वंचित रह जाते हैं वे गाड़ी में बैठ गए । रास्ते में कहीं चैकिंग वाले आ गए तो कन्डक्टर मारा गया । बहुत से लोग कहते हैं कि बुकिंग क्लर्क या कन्डक्टर पैसा ज्यादा लेता है और टिकट कम फासले की काटता है । मेरा निवेदन है कि पंचिंग सिस्टम हो, पूरे शहरों के नाम टिकटों पर हों, किराया छपा हुआ हो । आपका एक टिकट बता रहा है 7 रुपये और लेते हैं 12 रुपये अगर इस बीच में कम ज्यादा पैसा हो गया हो तो निराकरण नहीं करा सकते । आप जब पैसा लेते हैं तो रबर की सील ही लगा दें लेकिन पुराने किराए का करेक्शन करवायें । आप कुछ नहीं करते ।

अंत में निवेदन है कि जिन तीन चार बातों की तरफ मैंने आपका ध्यान दिलाया है उनको सुधारें तब तो ठीक है अन्यथा यह कानून बेकार है । सिद्धांत तो अच्छा है । जरूर कुछ व्यवस्था होनी चाहिए । इसलिए उसको प्रवर समिति को सुपुर्द करना चाहिए ।

श्री सावरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की रोडवेज बसों में बिना टिकिट यात्रा नहीं करें इस बारे में विधेयक लाया गया है । मैं आपसे अर्ज करूं माननीय सभापतिजी, हमारा काम आये दिन इन बसों में पड़ता है । किस प्रकार की मुश्किलें होती हैं, क्या परेशानियां होती हैं, इसका सामना हमको कई बार करना पड़ता है । जैसा कि अभी इस विधेयक में कहा गया कि यदि कोई बिना टिकिट यात्रा करेगा तो उसे सजा मिलेगी । मैं निवेदन करूं कि हम सभी माननीय सदस्यों ने मेजें थपा-थपा कर उस समय जब यह विधेयक लाया गया था, उसका स्वागत किया था । मगर आज यह भी देख लेना चाहिए कि जो भी विधेयक लाया जावे, उसमें जनता के लिये अधिक से अधिक सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए । आप राष्ट्रीयकरण तो करते जाते हैं मगर इसके साथ ही जनता की सुविधाओं का भी खयाल रखना चाहिए । अगर इस प्रकार की सुविधायें नहीं हैं और उसमें खामियां हैं तो इसके लिये आप किस प्रकार की किसको सजा देंगे, इसकी भी व्यवस्था इस विधेयक में आप दें । कई बार बसें लेट आती तथा जाती हैं और कभी-कभी बिल्कुल ही नहीं जाती हैं, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी किसकी है । अगर बसें कम हैं तो कम बसों का ही राष्ट्रीयकरण करिये । परन्तु जनता तकलीफ उठाये नहीं, इस बात

(श्री सांवरमल मोर)

की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपको लेनी चाहिए । तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि आपने राष्ट्रीयकरण तो कर दिया और सुविधायें भी घोषित कर दी परन्तु कन्डक्टर से बात करें तो उसका पारा आसमान पर रहता है, मैंने कई अधिकारियों तथा माननीय मंत्रियों को भी इसकी जानकारी दी है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने तुरन्त ही उस पर एक्शन भी लिया है परन्तु आश्चर्य की बात है कि दो महीने के बाद ही तुरन्त वह कन्डक्टर वापस सर्विस में भी आ जाता है इसका कोई तरीका तो होना चाहिए वह सर्विस में कैसे वापस आ जाता है । कुछ समय पहले की बात है, सभापति महोदय, मैं रींगस से रोडवेज में चला तो थोड़ी दूर पर मुझे ऐसा लगा कि शायद एक्सीडेन्ट हो जायगा । मैंने कन्डक्टर से कहा कि ड्राइवर शराब पीकर तो नहीं आया है, वह उससे पूछकर आया और कहा कि साहब वह शराब पीकर तो नहीं आया है । मेरे मन में वहम हुआ एक्सीडेन्ट इस हालत में जरूर होगा क्योंकि बस के चलने से ऐसा लगता था और सीकर से तीन-चार मील पहले ही वह सारी की सारी बस उलट गई । मैं सीकर आया, और एस०-पी० से कहा, जनरल मैनेजर को टेलिफोन किया, दूसरी मोटर भेजी । लेकिन आज तक उस ड्राइवर का कुछ भी नहीं हुआ और अब देखिये क्या होता है । इसके अलावा जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि बसों में व्यवस्था ठीक नहीं है, उनमें सवारियां भी अनापशनाप भर कर ले जाते हैं । मेरा निवेदन करना है कि यदि सरकार ही इस तरह उल्लंघन करने लग जाय तो फिर कानून का पालन कौन करेगा । आये दिन हम देखते ह कि बसों में काफी तादाद में सवारियां भर ली जाती हैं । तो एक तरफ तो आप घोषणायें करते हैं राष्ट्रीयकरण के लिये विधेयक लाते हैं कि बिना टिकट यात्रा करेगा उसको सजा दी जायगी फिर अगर ज्यादा टिकट काट दिये तो उनका क्या होगा । जो भी मोटर के अन्दर या मोटर के ऊपर बैठे होंगे और उनके पास यदि टिकिट है तो सजा किसको दी जायेगी । टिकिट काटने वाले को मिलेगी या टिकिट जिनके पास है उनको ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन करना है कि इन सारी जिम्मेदारियों को लेकर आपको चलना पड़ेगा । जब भी हमको बस में यात्रा करने का मिलता है तो कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है । एक बार मैं सीकर की बस के लिए पूछने एन्क्वायरी वाले के पास गया कि सीकर कौनसी बस जाने वाली है तो उसने कहा कि अभी कोई भी बस नहीं जा रही है और जब मैं स्टेन्ड पर जाकर देखता हूं कि सीकर जाने के लिये दो बसें तैयार खड़ी हैं । मैं डिविजनल मैनेजर के पास गया और कहा कि यह क्या बात है । शिष्टाचार की बात तो कहीं भी नहीं है, कोई भी कन्डक्टर कहीं भी आवाज नहीं लगाता कि फलां जगह आ गई है किसी भी मुसाफिर को नहीं कहता है इससे भी मुसाफिरों को काफी परेशानी होती है । कई बार कन्डक्टर बसों में सिगरेट पीते हुए चलते हैं । एक बार एक कन्डक्टर सिगरेट पी रहा था, तो बस में एक महात्मा जा रहे थे उन्होंने कहा कि बीड़ी-सिगरेट पीना मना है फिर आप क्यों पी रहे हो और कन्डक्टर ने कोई परवाह नहीं करके सिगरेट फूंकता रहा । इसके अलावा मुसाफिर जैसे जयपुर से बीकानेर की टिकट लेता है और बस में बैठता है और सीकर में कुछ हड़तालियों ने मोटर को रोक दी, इससे यात्री सीकर में डिटेन हो गये उनके लिये किसी प्रकार की सुविधाओं का खयाल नहीं किया जाता है, वे पैसे देकर टिकिट लेते हैं और यात्रा करते हैं । वे रात

(श्री सांवरमल मोर)

भर पड़े रहेंगे सीकर में जबकि उनको बीकानेर जाना था, उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, उनके साथ बाल-बच्चे भी हैं, उनके खाने-पीने आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चूंकि आप हड़तालियों से दबकर चलते हैं इसलिए मुसाफिरों की सुविधाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आखिर कम से कम बीकानेर तक के पैसे तो उनको लौटा देना चाहिए। तो सभापति महोदय, कमियों के लिये हम किसको कहेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा समर्थन तो करना चाहते हैं, हम हाथ तो समर्थन में खड़े कर देते हैं लेकिन जहां भी जाते हैं, जनता के साथ ही बस में हमको बैठना होता है तो गालियां भी हमको सुनने को मिलती हैं। लोग यहां तक कहते हैं आपका ड्राइवर कहता है, कन्डक्टर कहता है कि यह तो भुआजी की मोटर है भुआजी का मतलब आप समझ गये होंगे, माननीय इन्दिराजी से है। यह कहते हुए उनको शर्म आनी चाहिए, कई बार झगड़े होते हैं। मैंने कई अधिकारियों से भी इसकी शिकायत की है। अभी जैसा कि श्री झाबरमलजी ने कहा कि पैसे तो आप बढ़ा देते हैं। पर व्यवस्था होती नहीं है। अंत में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब जनता भी वह जनता नहीं रहेगी, विरोध होगा तथा आप को साधन मुहैय्या करने पड़ेंगे। अतः जनता की सुविधाओं का आपको खयाल रखना चाहिए। इसलिये मैंने इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का निवेदन किया है।

श्री अध्यक्ष : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय सभापतिजी, मुझे आज यह आश्चर्य होता है कि आज यह जो कानून राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा विधेयक, 1975 विधान सभा में उपस्थित हुआ है और उसके पीछे जो कारण लिखे हुए हैं उन कारणों की वजह से यह विधेयक डिफीट हो जाता है। मैं तो यह कह सकता हूं कि ऐसा अन्धा कानून मैंने तो आज तक नहीं देखा। जन्ती कानून इसको कहा जा सकता है। जिस कानून में ऐसी बात हो, कानून में लिखा है, इसमें सातवें (1) में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति सुमचित पास या टिकिट के बिना चलती मोटर गाड़ी में, या यात्रियों के मोटर गाड़ी में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिये निगम द्वारा नियत दरवाजे से भिन्न स्थान से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, या प्रवेश करने या बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो वह ऐसे दण्ड से, जो तीन महीने तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों, से दण्डनीय होगा। सभापति महोदय, इस बिल को लाकर माननीय मंत्रीजी क्या करवाना चाहते हैं यह मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सभापति महोदय, बस में कई परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसमें अगर एक व्यक्ति ज्यादा भीड़ की वजह से मेन फाटक से नहीं उतरकर अगर ड्राइवर के फाटक से उतर जाता है या भीड़ होने की वजह से उचक कर ड्राइवर के फाटक से अन्दर चला जाता है तो आप उसे तीन माह की सजा दे देंगे या पांच सौ रुपये जुर्माना देंगे या दोनों ही सजा आप उन्हें दिलवा देंगे। क्या उसे सीधा ही अन्दर भेज देंगे, सीधा ही जेल भेज देंगे, क्या यही एक रास्ता है आपके पास ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : शास्त्रीजी, उदयपुर तीन सौ मील दूर है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मालूम नहीं यह कानून किसने बनाया है और आप उसे जल्द बाजी में सदन में पास करवा कर लागू करना चाहते हैं। आपने इसके परिणाम

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सोचें कि कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं ? अगर एक व्यक्ति छत पर बैठ गया तो आपने उसे सीधे ही तीन माह के लिये जेल भेज दिया। सभापति महोदय, राज्य सरकार के पास व्यवस्था तो करने के लिये नहीं है अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं कर रहे हैं और आप एक व्यक्ति को छत पर बैठने के लिये, दरवाजे से नहीं आने के लिये, रश की वजह से आप ऐसी सजायें रख रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ इस प्रकार से जनता से आमदनी बढ़ाने का हो तो बात दूसरी है अन्यथा आपके पास व्यवस्था करने को तो कुछ नहीं है। आज आपने उदयपुर से अहमदाबाद के लिये सिर्फ एक बस रखी है जहां आप चाहें तो पांच बसेज जा सकती हैं। इतने यात्री वहां पर अहमदाबाद के लिये मिलते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप किराया बढ़ाईये अच्छी डीलक्स बसें चलाईये, कौन आपको मना करता है ? लेकिन आज जो डीलक्स बस चल रही है उसे तो मुझे डीलक्स बस कहने में शर्म आती है। आप अपनी पहले अव्यवस्था तो दूर करिये। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। शाम को पांच बजे से लेकर 9 बजे तक उदयपुर से कांकरोली तक 52 बसेंज जाती हैं। सभापति महोदय, मेरे साथ घटी हुई घटना का निवेदन कर रहा हूं। मैं कांकरोली पर तीन घंटे तक खड़ा रहा कोई बस नहीं निकली। तीन घंटे तक, अभी डेट तो मुझे पता नहीं है, आप चाहें तो बाद में मैं डेट बता सकता हूं, 8 बजे तक कोई बस नहीं आयी और बाद में बसें आयीं तो एकदम 8-8 बसेज साथ आयीं और वह सभी बसेज खाली आयी थीं क्योंकि उसमें कोई यात्री थे नहीं। और जो पहली बस आयी थी वह बुरी तरह से लोडेड थी। तो क्या आप उन सभी लोगों को, जो ऊपर नीचे बैठे थे बस में या खड़े थे, उन्हें तीन माह की सजा दे देंगे यह कह कर आप अपनी निर्धारित जगह पर नहीं बैठे थे ? सभापति महोदय, आपने ऐसा कानून बनाते समय अपनी देश की जनता का खयाल नहीं किया। आज उदयपुर जिले में काफी बनवासी हैं, आदिवासी क्षेत्र है, जिनमें लोग इतने पढ़े हुए नहीं हैं, महिलायें घूंघट निकाल कर बस में आकर बैठ जाती हैं। अगर कन्डक्टर आकर उनको टिकट नहीं दे तो बेचारी वह बोलती तो है नहीं। क्या सीधी जेल भेज देंगे आप उन्हें ? दूसरे, इतना मैं आपको दृढ़ता से कह सकता हूं कि हमारे यहां के लोग चाहे भूखे मर जायेंगे पर बिना टिकट यात्रा करने की कभी नहीं सोच सकते। वह टिकट लेकर ही बैठने की चेष्टा करते हैं। लेकिन महिलायें तो यही उम्मीद करेंगी कि वह बस में बैठी हैं, कन्डक्टर टिकट देगा। उसके बदले में अगर आप उन्हें जेल भिजवा देते हैं या पांच सौ रुपया जेल के साथ उन्हें जुर्माना करते हैं तो यह आपकी क्या व्यवस्था है ? सभापति महोदय, मैंने इतने वर्षों में कई बार बसों में यात्रायें की हैं। मेरे क्षेत्र से ज्यादातर आदिवासी लोग उदयपुर जिले में हैं। वह, मैं एकाध मौके की बात तो नहीं करता लेकिन हमेशा से ही टिकट लेने में किसी ने भी रेजिस्ट नहीं किया। मैं तो कहूंगा कि यह आपकी अपनी ही अव्यवस्था है जो इस को प्रोत्साहन देती है। यह आपकी अपनी कमजोरी है जो आप जनता पर लादना चाहते हैं। यह अगर आप पांच सौ रुपये जुर्माने की और तीन माह के सजा का जो जंगली कानून आप बना रहे हैं उसे आप नहीं बनने दे।

इसके अलावा एक बात मैं और आपसो निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर का जो

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

मेन बस स्टेशन है वहां पर यात्रियों को टिकट नहीं दिया जाता और आगे चेतक सरकल पर आकर टिकट की व्यवस्था है। सभापति महोदय, उदयपुर मेन बस स्टेण्ड से चेतक सरकिल डेढ़ मील दूर है। अगर आप बीच में ही किसी से टिकट मांगेंगे तो उसके पास टिकट कहां से आयेगा? अगर बीच में ही कण्डक्टर आकर टिकट मांगता है तो जो पहले से ही बैठा हुआ है कहां से टिकट बतायेगा? इसके अलावा जहां लोग मेन बस स्टेण्ड से बैठकर आते हैं, मानलो 50 यात्री बैठकर आगये और आगे टिकट लेने का स्टेण्ड अगर आया और मोटर में से उतर कर उनको आपने टिकट लाने का कहा, वहां पर बस स्टेण्ड पर आलरेडी चेतक सरकल पर जो स्टेण्ड है, अगर 51 आदमी खड़े हैं तो अब जो पचास व्यक्ति उतर कर जा रहे हैं उनका नम्बर उन 51 आदमियों के बाद का हो गया जो पहले वहां क्यू में खड़े हैं उन्हें तो टिकट भी मिल जायेगा और सीट की भी व्यवस्था हो जायेगी, बाकी लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। अब यह सारी अव्यवस्था किसकी है? आपकी है। आपने मेन बस स्टेण्ड पर टिकट की व्यवस्था क्यों नहीं रखो? अब उसके लिये आप अपनी अव्यवस्था से लिये, दूसरे लोगों को तीन माह की सजा दे रहे हैं। इसके लिये कई बार वहां पर झगड़े हुए हैं और काफी दिक्कतें पैदा हुईं ऐसा भी हुआ है कण्डक्टर ने बस स्टेण्ड पर लाकर बसें वापिस खड़ी करदीं, तो व्यवस्था तो आपकी खराब है, आप उसे सुधार नहीं सकते हैं और कानुन आप जनता के खिलाफ में बना रहे हैं। अगर आप इन अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर सकते हैं और कानून को बनाते हैं तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की सरकार के लिये एक कलंक की बात है। ऐसा राजस्थान के इतिहास में कभी जंगली कानून नहीं बना। सभापति महोदय, अगर आप सीधे विद्यार्थियों के लिये ही ऐसा कानून बना रहे हैं या गुन्डों के लिये आप ऐसा कानून ही बना रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्रीजी साफ-साफ हिम्मत कर के ही क्यों नहीं कहते कि विद्यार्थी चूंकि टिकट नहीं लेते हैं इसलिये हम यह कानून बना रहे हैं, वह तो उनकी हिम्मत है नहीं। इसके लिये आप ऐसी व्यवस्था इसमें कर सकते हैं कि जिस प्रकार रेल्वे में डबल चार्ज कर लेते हैं बिना टिकट के लोगों से उसी तरह आप भी प्रोविजन रखलें। इसलिये मेरा माननीय मंत्रीजी से यह सुझाव है कि वह इस बिल को पास कराने से पहले अच्छी तरह से विचार करलें और अच्छी तरह से सोच समझ कर के भी और तब्दीलियां करनी हों वह करलें, ऐसा करेंगे तो ठीक है अन्यथा मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल वापिस लिया जाना चाहिये। अगर आप इस जंगली बिल को पास करते हैं तो यह हमारे राजस्थान के लिये कलंक होगा।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : सभापति महोदय, आज जो बिल सदन में पेश किया गया है उसके लिये तो मैं यही कह सकता हूं कि यह मेरा विधान सभा में आने का पहला ही मौका है लेकिन जिन कांग्रेस के सदस्यों ने, जो कि वयोवृद्ध कांग्रेसी हैं, उन्होंने तो यही कहा कि ऐसा विधेयक हमारी राजस्थान विधान सभा में कभी भी नहीं आया। इसके लिये और दूसरे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने भी इस बिल का घोर विरोध किया है। इस बिल के लिये मैं तो यह कहूंगा कि यह बिल एक जंगली बिल है और यह कानून अगर विधान सभा पास करती है तो यह एक विधान सभा का बारबेरियन एक्ट के सिवाय कुछ भी नहीं है

(श्री मूलचन्द सामरिया)

ऐसा जंगली कानून आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हिन्दुस्तान भर की विधान सभाओं में कहीं भी इस प्रकार का जंगली कानून नहीं बनाया गया होगा। लेकिन अगर यह इस समय में हमारी राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण से पास हो जाता है तो मैं समझता हूं कि यह विधान सभा के सदस्यों के ऊपर एक बहुत बड़ा भारी कलंक है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने 28 परसेन्ट रूट्स का नेशनेलाइजेशन किया लेकिन, सभापति महोदय, इनके पास पूरी बसें नहीं हैं और लोग आज छतों पर बैठकर बसों के अन्दर खड़े हो कर आते हैं और स्वयं मंत्रीजी ने यह सदन में कहा कि हमारे पास बसों की कमी के कारण जब लोग छतों पर बैठे होते हैं या बसों के अन्दर खड़े होते हैं तो हम मुंह फेर कर या उल्टे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी व्यवस्था नहीं है और लोग चाहें तो बसों में सफर कर सकते हैं। तो इसमें राज्य सरकार का बारबेरियन एक्ट नहीं कहूं तो क्या कहूं? अब आपने इसमें लिखा है कि निर्धारित जगह पर बैठें, निर्धारित रास्ते से अन्दर आवें। मान लीजिये एक व्यक्ति को अगर ड्राइवर के पास वाली खिड़की से आने में सुविधायें और अगर वह उस रास्ते से अन्दर आ जाता है तो आप उसे तीन माह की सजा दे देंगे या पांच सौ रुपया जुर्माना करा देंगे।

अब निर्धारित खिड़की तो वहीं हुई जो मेन खिड़की है। अगर एक व्यक्ति उस खिड़की के अलावा किसी दूसरी खिड़की से आता है, अपनी सीट के अलावा किसी दूसरी सीट पर बैठता है, या एक सीट पर तीन व्यक्ति बैठ सकते हैं और उसके बदले चार व्यक्ति बैठ गये, तो कोई व्यक्ति खड़ा हो गया तो आप तो उसे तीन माह की सजा और पांच सौ रुपया जुर्माना करा देंगे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति सभापति महोदय, बस स्टेण्ड के अलावा किसी दूसरी जगह से बैठता है तो वह निर्धारित स्थान से थोड़े ही बैठा। सिवाय बस स्टेण्ड से दूसरा कोई स्थान निर्धारित स्थान नहीं, तो मेरा यह निवेदन है कि आपने जो यह बिल सदन में पेश किया है उसमें भो यह प्रोविजन किया है इसे आप समाप्त करिये। इसके अलावा आपने इसमें जो निर्धारित स्थान की बात कही है उसमें निर्धारित स्थान में तो मैं मानता हूं कि अगर आपने किसी को कोई सीट दी और उसकी जगह वह जाकर नहीं बैठा तो निर्धारित स्थान पर नहीं बैठा। अगर एक व्यक्ति जा कर इन्जिन पर बैठ जाता है और आप अगर उसे मना करते हैं कि आप यहां पर नहीं बैठें, फिर भी वह जाकर बैठता है, तो आप उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। उसमें भी आपको रेल्वे में जिस तरह से डबल चार्ज करने की है, उसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। लेकिन आपने जो यह जंगली कानून सदन में पेश किया है उसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि यह बिल न तो जनमत जानने हेतु परिचालित करने के काबिल है, न यह बिल सलेक्ट कमेटी के जाने के काबिल है। इस बिल को तो मैं समझता हूं सदन में लाना ही नहीं चाहिये और अगर आप यह कहते हैं कि लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, और झगड़ा फसाद करते हैं तो उसके लिये इन्डियन पीनल कोड बना हुआ है, वहां पर अपने आप ही ताजीराते हिन्द के तहत कार्यवाही हो सकती है। जब एक कानून बना हुआ है, तो फिर यह काला कानून लाने की क्या आवश्यकता है? एक तरफ आप बसें पूरी चलाते नहीं, व्यवस्था

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आपकी खराब है और दूसरी तरफ आप इस तरह का जंगली कानून ला रहे हैं। यह आप कहां जनता की सुविधा कर रहे हैं ? आप तो एक बारबेरियन एक्ट कर रहे हैं। यह माननीय मंत्रीजी जो कि अपने आप को प्रगतिशील बताते हैं, कौनसा प्रगतिशील कदम है। इसको तो माननीय सदस्यों को आउटराईट रिजेक्ट करना चाहिये इसलिये मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस जंगली बिल को रिजेक्ट किया जाना चाहिये। अगर विधान सभा ने इसे पास कर दिया तो यह एक विधान सभा पर बड़ा भारी कलंक होगा और इसके लिये सदन के सभी माननीय सदस्य जिम्मेदार होंगे।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : सभापति महोदय, ओन ऐ पाइन्ट आफ आर्डर! व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें जो यह कहा गया कि यह एक जंगली बिल है, इसको पास करना एक जंगलीपन है, इसे सदन की कार्यवाही से एक्सपन्ज किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्रीजी :

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मंत्री): सभापति महोदय, आज इस बिल के बारे में काफी व्यापक चर्चा हुई है। वैसे माननीय सदस्यों ने कई मुद्दे उठाये, काफी गम्भीर मुद्दे थे। पर सही बात यह है कि सारी की सारी डिबेट, जैसे कोई फूड की डिबेट हो, को उस डिबेट में कन्वर्ट कर दिया गया है।

थोड़े दिन पहले मैं गुजरात के बारे में कुछ पढ़ रहा था। उसमें दो बातें उभर कर आयीं। एक ट्रान्सपोर्ट की और दूसरी फूड की ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में सूरत में कन्डक्टर और जनता के बीच में झगड़े हुए। कई माननीय सदस्यों ने कन्डक्टर्स के बारे में बात उठायी। माननीय झाबरमलजी सून्डा, जो इस समय अभी सदन के अन्दर नहीं है उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा, श्री झाबरमलजी मोर बीस पच्चीस अर्जियां कन्डक्टरों के बारे में दे रहे हैं। और मैंने उन पर कार्यवाही की है।

हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ। जिस गति से हुआ उसमें निश्चित रूप से कुछ समस्यायें होंगी, कुछ तो वित्तीय कारणों से होंगी और कुछ राष्ट्रीयकरण के विरोध के कारण से हुई हैं।

कई माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया, माननीय गिरधारीलालजी भार्गव ने कई बार कहा कि उन्हीं कन्डक्टर्स को लें जो अपरूटेड ओपरेटर्स के यहां पर थे। कई माननीय सदस्यों की राय मान कर 70 परसेन्ट कन्डक्टर्स लिये, जो अपरूटेड ओपरेटर्स के यहां से आये और हमारी बसों में वे काम करने लगे। जब उन्होंने आठ दस साल तक उन रूट्स पर काम किया तो हम निश्चित मान कर चलते थे कि उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं कन्डक्टर्स ने कई जगह पर गड़बड़ियां कीं। मैं मा० सावरमलजी मोर को याद दिलाता हूं कि प्राइवेट बसों में काम करने वाले कन्डक्टर्स ने ही गड़बड़ियां कीं।

सभापति महोदय, कुछ तो वित्तीय संकट के कारण और कुछ जनता जनार्दन इस तेजी से बढ़ रही है कि कई जगह जिस

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

तरह से जनता बढ़ रही है, उसके साथ हम कोप अप नहीं कर सकते। रोडवेज निश्चित रूप से अच्छी माली हालत में है, अच्छा मुनाफा कर रही है। जिस तरह से प्राइवेट बसेज सर्विस देती थीं उससे अधिक रूप में लम्बे रास्तों पर रोडवेज देती है। उनमें कई कमियां हैं, उनको जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी भावावेश में कहा कि जनता के साथ अन्याय होगा। जनता भोली है। जहां से माननीय सदस्य आते हैं, मैं भी आता हूं। मैं जानता हूं कि रेलवे के अन्दर किस तरह से तकलीफ होती है। कई माननीय सदस्यों ने रेलवे का उदाहरण दिया। रेल्वे का क्या प्रोविजन है यह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। रेलवे में पैनेल्टी का प्रोविजन किया है। एक्सेस फेयर ही लागू नहीं होता है वे प्रोविजन्स हैं, खास तौर से सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने, मा० श्री गिरधारीलालजी ने उठायीं दलीलें, उस प्रोविजन के बाद उनकी धारणा साफ हो जावेगी। काफी स्ट्रिन्जन्ट प्रोविजन हैं, काफी सख्त प्रोविजन किये गये हैं। रेल्वेज एक्ट का सेक्शन 112 है:—

"If a person, with intent to defraud a Railway Administration:—

(a) enters or remains in any carriage on a Railway in contravention of Section 68, or

(b) uses or attempts to use a single pass or single ticket which has already been used on a previous journey. Or, in the case of a return ticket half thereof which has already been so used,........"

सुनिये आप

"he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which shall not be less than ten rupees but which may extend to Rs. 800 and shall also be liable to pay the excess charge hereinafter in this section mentioned, in addition to the ordinary single fare for the distance which he has travelled or where there is any doubt as to the station from which he started the ordinary single fare from the station from which the train originally started...."

रेलवे का कानून काफी क्लीयर है। मैं उनको पढ़ना भी नहीं चाहता था ..

श्री पूनमचन्द विश्नोई :– That is for fraudulent intention.

श्री मोहनलाल छंगाणी : मुझे सुन लीजिये पहले। सरसरी तोर से, तेजी से इस कानून को पढ़ गये होंगे और अपनी एक एक ओपीनियन बनाली।

सुनिये, 6 (2):–

'The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to the ordinary

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

single fare referred to in that sub-section or five rupees whichever is greater."

यह सही है कि जब हम कानून की कल्पना करते हैं और बनाते हैं तो पीनल क्लाजेज लगाये जाते हैं। किस तरह से उनका उपयोग होता है इस बात को जानने की जरूरत है। अगर कोई मुसाफिर है माननीय गिरधारीलालजी ने भेज दिया हो ऐसा मुसाफिर मिल जाय जो इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दें, तो उस समय शायद पीनल क्लाजेज को काम में लाया जा सकता है वरना अक्सर पीनल क्लाजेज काम में नहीं लेते हैं। इस ओर्डिनेन्स के आने के बाद भी, ओर्डिनेन्स ले आये, हमने यह भरसक कोशिश की कि जनता ज्यादा से ज्यादा इस ओर्डिनेन्स को समझे, बिना टिकिट सफर न करें, जगह जगह हमने इसका प्रचार किया है, पेम्फलेट छपवाये हैं, जनता यह आदत डाले कि बिना टिकिट सफर न करें। मैं यह नहीं कहता कि भारतीय जनता झगड़ालू है, टिकिट नहीं लेती है। मुझे भारतीय जनता पर विश्वास है। आम जनता सहयोग करना चाहती है, वह लगातार सही ढंग से चलती रहती है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे भी होते हैं, कानून उनके लिये बनाने पड़ते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी है।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हम बच्चे थे, फलौदी से जोधपुर चलते थे, उस समय एक टिकिट कलेक्टर था। लगातार चैकिंग करता था। पीनल प्रोविजन थे। चैकिंग करना पड़ेगा।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय आज का बिजनिस समाप्त न हो जाय तब तक के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि आज का बिजनिस समाप्त न हो जाय तब तक के लिये सदन की कार्यवाही का समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या माननीय मंत्री महोदय, यह बतायेंगे...

श्री सभापति : ओर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! कब बीच में बोलना चाहिये यह आपको ध्यान रखना चाहिये।

सदन का समय आज का बिजनिस समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक मिनिट बाकी था इसलिये मैंने उसका उपयोग किया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, यह सही है कि हम सदन में कई बार भावावेश में कह देते हैं और उसके कारण सही भी हो सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से रोडवेज के फंक्शनिंग के बारे में कहा गया है, मैं यह मानता हूं कि रोडवेज के रनिंग में इम्प्रूवमेंट हो, एफीशियेन्सी भी आये, ज्यादा से ज्यादा जनता की सेवा कर पायें, जो भी सुझाव देंगे, मैं आदर से लूंगा और इम्पलीमेंट करने की कोशिश करूंगा। लेकिन किसी तरह से यह सहन करने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि आज माननीय सदस्यों को पता है कि रोडवेज एक साल में काफी वित्तीय संकट से गुजरी है। यहां पर ही निर्णय लिये कि 25 परसेन्ट राष्ट्रीयकरण किया जाय, उसके बाद जिस तरह से देश आर्थिक

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

संकट से गुजरा है, रोडवेज भी उससे बची नहीं। मैं सदन में पूर्णरूप से स्वीकार करता हूं। रोडवेज पर भी उसका असर पड़ा है। बोरोईंग पावर जितनी थी, उसका उपयोग नहीं कर पाये। बसेज आनी थीं वे नहीं आ पायीं। उस स्थिति में सुधार हो रहा है। क्रेडिट भी बढ़ रही है। जल्दी से जल्दी बसें लगाने की कोशिश करेंगे और राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जनता को जो तकलीफ होती है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे।

यहां तक सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया कि चाहे ब्यावर हो, चाहे अजमेर हो या दूसरी जगह हो हमें कहीं पानी पीने की प्याऊ नहीं है, शैड्स नहीं हैं। यह दिक्कतें थीं। मेरे आने के बाद मैंने 20 लाख की योजना बनाई ताकि पूरी व्यवस्था हो सके। जहां जहां राष्ट्रीयकरण हुआ है मार्गों का और जहां जहां तकलीफ हो रही है चाहे वह पीने के पानी की हो, चाहे शैड्स की हो कई जगह झगड़े हैं जैसे अजमेर में है। ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने अजमेर के बारे में सवाल उठाया। अजमेर के बारे में हम बहुत बड़े स्टेशन की कल्पना कर रहे हैं। उसके बारे में काम भी हो रहा है लेकिन झगड़ों के कारण काम नहीं हो पा रहा है। उसमें कानूनी झगड़े भी हैं बावजूद उसके आज निश्चित तौर पर हमारी 26 लाख रुपये की योजना जो कि पैसेंजर्स एमिनिटीज के बारे में और शैड्स आदि बनाने के बारे में कर रहे हैं वह जल्दी पूरी होगी। तो आज जो असन्तोष है लोगों में वह प्रेम में और सौहार्द में बदल पायेगा, ऐसी मैं कल्पना करके चलता हूं।

सभापति महोदय, कई माननीय सदस्यों की कल्पना थी कि साधारण आदमियों को जेल में डाल दिया जायेगा इस कानून के जरिये। हमारे पास इन्डियन पीनल कोड है मीसा है अगर सब कानूनों का इस तरह से उपयोग करें तो कैसे काम चलेगा ? पीनल क्लाज तो सेविंग क्लाज के रूप में काम में आते हैं। अगर किसी कारण से कानून की अवहेलना की गयी और परिस्थिति का हम पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकें तो उसके लिए सबसे पहले पीनल क्लाज तैयार है। वह सिर्फ कानून के स्टेच्यू में लिखा जाता है। उसका उपयोग बहुत कम होता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काम में नहीं लेंगे तो लिखने से क्या फायदा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य खुद वकील हैं वह मुझे बतायें कि किस कानून में पीनल क्लाज नहीं है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें ज्योंही बिना टिकट के पकड़ा जाता है तो कोई आल्टरनेटिव नहीं है। आप कहते हैं कि एक्सेस चार्ज कर लो। The only punishment prescribed is imprisonment or fine or both, And in addition to that, excess charge, ज्योंही बिना टिकट पकड़ा गया ऐसा हो जायेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : या तो मुझे आपसे बहुत सीखना पड़ेगा क्योंकि आप बुजुर्ग हैं मेरे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप पढ़ लें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : खास तौर से "he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one month or with fin

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

which may extend to two hundred and fifty rupees or with both and shall also be liable to pay the excess charge...." इसमें आप नीचे क्लियर देखिये एक्सेस चार्ज का। हमने क्लियरली लिखा है—

"(2) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to the ordinary single fare referred to in that sub-section or five rupees whichever is greater."

तो, सभापति महोदय, सवाल यह उठता है··

श्री पूनमचन्द विश्नोई: इसमें ऐसा है कि "he shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees, or with both.."

यह तो एक हो गया······

"....and shall also be liable to pay the excess charge...."

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, जब मैं सोचता हूं····

श्री शंकरलाल : स्पष्टीकरण होना तो जरूरी है इसमें।

पी० के० चौधरी : "Shall" may be substituted by "May" That will serve the purpose.

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसा मैंने बताया कि 112 सेक्शन हैं रेल्वे का उसमें कब इम्पलीमेंट होता है, किसलिए होता है और वह इतने का इतना रिगरस क्लाज है लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी रेयर चान्स में ही होती है। इसके बावजूद भी मैं मानकर चलता हूं कि जो हमने राष्ट्रीयकरण किया है तो इसकी यह भावना नहीं है कि चाहे मेला हो और उस बस की फ्री सवारियां करना पसन्द करें। हमारी भारतीय जनता ऐसा नहीं चाहेगी और अगर फ्री सवारियां करते हैं तो मैं सारे माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि इस तरह की भावनाओं को किसी तरह से दबाने की कोशिश करेंगे क्योंकि रोडवेज हमारी सम्पत्ति है और उसको और आगे बढ़ायेंगे ताकि यह सक्षम औजार के रूप में जनता की सेवा कर पाये।

सभापति महोदय, राष्ट्रीयकरण जब हुआ और राष्ट्रीयकरण का जब हमने निर्णय लिया तो इसी सदन में राष्ट्रीयकरण के लिए जबरदस्त आवाज उठ रही थी। यह आवाज इसलिए नहीं उठ रही थी कि राष्ट्रीयकरण हमको सब कुछ दे देगा। बल्कि इसलिए उठ रही थी जो प्राइवेट आपरेटर्स हमारे सामने थे और जिस तरह से एक्सप्लाइटेशन चल रहा था वह चाहे कन्डक्टर हों या दूसरे हों जिस तरह से एक्सप्लाइटेड वर्कर्स थे और एम्पलायमेंट पोटेन्शेलिटी घट रही थी उसको बढ़ावा दिया जाये खास तौर से और जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दी जायें और इसके आधार पर सारा का सारा कम्युनिकेशन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ताकि वह जनता की सम्पत्ति हो सके—इस आधार को मानकर हमने राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन दिया। आज इस साल के अन्दर मैं निश्चितरूप से और मुझे फक्र करना चाहिए कि हमारी रोडवेज का आज 28 परसेन्ट राष्ट्रीयकरण हो चुका है। यह सही है कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, आज आक्रोश व्यक्त किया कि जिस तरह की सुविधायें होनी चाहिए उस तरह की नहीं हो पाई और कई जगह कम बसें हैं। लम्बे मार्गों पर कम बसें नहीं हैं। अच्छी

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
चलती हैं। दिल्ली की सेवाओं के बारे में कोई नहीं बोलता कि अच्छी नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य जहां जहां अच्छी सेवायें लोगों को मिल रही हैं कम से कम उन सेवाओं के बारे में तो मुझसे कहें जिससे कि मैं अनुभव ले सकूं कि इस तरह की सेवायें और जगह पर भी लागू की जायें।

श्री मनोहर कोठारी : लम्बी सेवायें अच्छी हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : छोटी सेवाओं में गड़बड़ियां हुई हैं लेकिन हम उनको दूर करने में सक्षम हैं और उनको हम दूर करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है।

सभापति महोदय, कन्डक्टर्स के बारे में मैं सोचता हूं क्योंकि कन्डक्टर्स और ड्राइवर्स सारे के सारे आपरेशन की पिन हैं इसलिए चाहे गुजरात का सवाल हो, मध्यप्रदेश का सवाल हो जगह जगह लड़ाई होती है जनता के साथ और उनके साथ मेल मिलाप नहीं होता। कई बार तो इस लड़ाई के लिए जनता जिम्मेदार होती है और कई बार कन्डक्टर जिम्मेदार होता है। कई कन्डक्टर हमारे अच्छे हैं और कई खराब हैं। जैसा हमारा सामाजिक ढांचा है उसका रिफलेक्शन रोडवेज पर भी पड़ता है। लेकिन कन्डक्टर्स के बारे में हमने बहुत अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है। यहां तक कि आज व्यापक रूप में वह प्रोग्राम नहीं है छोटे रूप में ही है लेकिन ज्योंही हमें कन्डक्टर की शिकायत मिलेगी कि यह कन्डक्टर फलां जगह बदतमीजी से पेश आया है या इस तरह का काम किया है तो हम उसे ट्रेनिंग पीरियड में भेज देते हैं और 6 महीनें तक लगातार उसको वहां ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मेरा खयाल है कि ऐसे आफेन्सेज के लिये बहुत ज्यादा समय होता है ताकि वह काम पर जाये तो सुधर कर जाये। हम इस प्रोग्राम के तहत उम्मीद करेंगे कि कुछ न कुछ सुधार आ जाये लेकिन जनता के सहयोग से और माननीय सदस्यों के सहयोग से सुधार लाया जा सकता है। उनके समय समय पर सुझाव और जो नेतृत्व उन्होंने संभाला हुआ है जनता का तो जनता को भी इसी ढंग से चलाया जाये कि रोडवेज का जितना सवाल है उसको अच्छी तरह से कर सकेंगे।

सभापति महोदय, कई सवाल उठाये थे टिकटों के बारे में। यह सही है कि हम निर्णय ले चुके हैं टिकटों के बारे में। कई माननीय सदस्यों ने टिकटों के जो रेट होने चाहिए उनमें दो चार, पांच पैसे का इधर उधर फर्क बताया है। मेरे पास भी कई माननीय सदस्यों ने वह टिकट पेश किये हैं, अब हमने निर्णय ले लिया है कि अप्रेल के पहले 2, अप्रेल के आखिर तक रोडवेज के अन्दर डेनोमिनेशनल-टिकिट्स इश्यू हो जायेंगे ताकि न तो लिखना पड़ेगा। हर स्टेशन से हर स्टेशन तक के टिकट इश्यु हो जावेंगे जिन पर लागत लिखी हुई रहेगी जिससे न तो माननीय सदस्यों को दिक्कत रहेगी और न जनता को दिक्कत होगी। पर चूंकि रोडवेज आर्गेनाईजेशन इतना बड़ा नहीं बना था, आज सारी की सारी प्राब्लम्स हमें रोडवेज को सुचारु रूप से संचालन करने में आ रही है। क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है, मुनाफा बढ़ रहा है, आज रोडवेज हम आठ हजार किलोमीटर में रन कर रहे हैं। कहां जैसलमेर और कहां धौलपुर। जैसलमेर से धौलपुर तक सारा राजस्थान क्रास करते हैं। सारा का सारा राजस्थान एक किनारे से दूसरे किनारे तक जुड़ा हुआ है। इस रोडवेज के डवलपमेंट से आज सवाल पैदा होता है। आठ परसेंट नेशनेलाई-

Page No. 111

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
जेशन जब था तो इस तरह के सवाल पैदा भी नहीं हुए थे। तो मैं समझता हूं कि इस कानून के जरिये रोडवेज की आमदनी बढ़ेगी। जनता से भी ज्यादा कन्डक्टर पर अंकुश रहेगा और जैसा माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया था कि आप कन्डक्टर और ड्राईवर के जब झगड़े होते हैं तो उनकी क्या सिक्योरिटी है। आपरेशनल स्टाफ की क्या सिक्योरिटी है। यह सही है कि जैसी ड्राईवर और कण्डक्टर को सिक्योरिटी हमें प्रोवाईड करनी चाहिए वह नहीं कर पाये हैं। कम से कम जयपुर में·····

श्री केशरीमल : कई जगह इन्हीं दिनों में बहुत मारपीट हुई है। कल ही आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बहुत जगह मारपीट हुई है। नाथद्वारा में मारपीट हुई है··

श्री मनोहर कोठारी : नाथद्वारा में चोरियां करवाई, जेबें कटवाई, इसलिए मारपीट हुई।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात मैं समझता हूं कि क्योंकि केसरीमल जी और माननीय हाण्डा जी उस यूनियन से सम्बन्धित हैं मैं समझूंगा कि उनके बारे में और दूसरों के बारे में यूनियन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। आज अगर कन्डक्टर और ड्राईवर माननीय केशरीमल जी के साथ हैं तो निश्चित तौर से कन्डक्टर अच्छे होने चाहिए ऐसी अपेक्षा लेकर चलते हैं क्योंकि आल इंड़िया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उनकी ऐसी नीति है कि जो भी उनके आदमी हैं, उनके वर्कर हैं वे अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करें और इस बारे में मैं माननीय केशरीमल जी खुद व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि बाकी कन्डक्टर्स और जनता का व्यवहार सुचारू रूप से चले।

मैं सभापति महोदय, इतना ही आपके जरिये से सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये हमारी कतई मंशा नहीं है कि भोली भाली जनता को या गरीब जनता को तकलीफ दी जाय, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया उसको सजा दी जाय। यह बिल सिर्फ इसलिए है कि जो जुर्माना या सजा पाने के काबिल हैं वे हमारे शिकंजे से छूट नहीं पावें।

श्री माणकचन्द सौगानी : सभापति महोदय, अगर आप इजाजत दें····

श्री सभापति : आप तृतीय वाचन पर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जिन माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति में यह बिल प्रस्तुत करने के लिए संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं क्या वे वापस लेना चाहेंगे ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : नहीं साहब। जनमत जानने के लिए मेरा प्रस्ताव है··

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री दीपंकर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सांवरमल मोर : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कुछ नहीं कहा है लेकिन मेरा निजी अनुभव पिछले तीन सालों से रहा है····

श्री सभापति : आपका तो प्रस्ताव ही नहीं है ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I have found them generally to be very polite.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लिए हैं उनको संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

(माननीय सदस्यों ने जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव वापिस लिया ।)

प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक, 1975 को जनमत जानने और प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं उनको स्वीकृत किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किए गए ।

विधेयक पर खण्डशः विचार

प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं लिया जावे, हां तो कोई बोला ही नहीं ।

श्री सभापति : दो एक पक्ष से आवाज आई थी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नहीं साहब बोले ही नहीं ।

श्री सभापति : आपका मतलब है कि दुवारा प्रस्तुत करूं ।

(शोरगुल–व्यवधान–अश्रव्य)

आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप हां भी नहीं बोल सकते, आखिरकार आपको शर्म आनी चाहिए ।

श्री शंकरलाल (पाली) : आप कम सुनने लगें हैं तो फिर हम क्या करें ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकिट यात्रा – निवारण) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जावे ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

प्रश्न यह है कि विधेयक का खण्ड 2 से 5 तक को स्वीकार किया जावे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खण्डशः लेना चाहिए साहब ।

श्री सभापति : उसमें कोई संशोधन नहीं है इसलिए एक साथ लिया है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप एक एक खण्ड ले लें जिससे हो सकता है कि माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव नहीं भी दिए हों तो भी ना ना कहां बोलेंगे

श्री दीपंकर : संशोधन नहीं दिया है तो आप नहीं बोल सकते ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो सभापति नहीं हो सकते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण कीजिए मेरा आपसे कहना है कि जब उनके अन्दर संशोधन नहीं हैं तो उस खण्ड के ऊपर संशोधन रखने और बोलने का प्रश्न नहीं है । अगर आप बोलना चाहें तो तृतीय वाचन पर बोल सकते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक-एक खण्ड को ले लीजिए । यों तो जो आप बात कहेंगे वही होगी लेकिन यदि आप खण्डशः लेते हैं तो कुछ कह तो सकते हैं ।

श्री सभापति: मुझे कोई आपत्ति नहीं है । एक-एक करके भी ले सकता हूं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मान लीजिए कि किसी खण्ड में सजा का प्रावधान है और हम ना करना चाहें तो ना तो कर सकें ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-2 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह कि है खण्ड-3 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-3 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक का खण्ड-4 स्वीकार किया जावे ?

(स्वीकृत)

खण्ड-4 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक के खण्ड-5 को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है खण्ड-6 में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं माननीय मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, खण्ड-6 में एक इन्ग्रोकग्रस संशोधन है । खण्ड-6 के (ग) में अविधिमान्य की जगह टिकिट एड करना है हिन्दी में ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खण्ड-6 को स्वीकार किया जावे ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : संशोधन तो मूव करावें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि खण्ड 6 (ग) में शब्द 'अविधिमान्य' के पश्चात् शब्द 'टिकिट या' अन्तः स्थापित करने का जो संशोधन प्रस्ताव है उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय मंत्रीजी ने जो खण्ड-6 (ग) में जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि इसमें सजा का प्रावधान है । एक महीने की सजा और दो सौ रुपये जुर्माना इसलिए हमने इसका विरोध किया है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय,··

श्री सभापति : मैं दुबारा प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि खण्ड–6 (ग) में माननीय मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जावे ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय सभापति महोदय, जब माननीय मंत्री महोदय ने संशोधन रखा है तो संशोधित प्रस्ताव अब आपके सामने है·····

श्री सभापति : उस पर आप बोलना चाहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें जो एक माह तक की सजा और 250 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डनीय रखा है यानी सरकार ने जो इसमें पैनल्टी लगाई है एक मास की सजा और 250 रुपये जुर्माना मैं इसका विरोध करता हूं । यह एक घोर अन्याय राजस्थान की जनता के साथ है । इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको शामिल नहीं करना चाहिए । यह मेरा संशोधन है और मैं और मेरा दल इसका विरोध करता है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–6 को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्तुत विधेयक के खण्ड–6 को संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 को स्वीकार किया जाय ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इसमें संशोधन है सभापति महोदय । मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड–7 के उप-खण्ड (1) में शब्द 'दण्ड' के स्थान पर शब्द 'कारावास' प्रतिस्थापित किया जाय । यह संशोधन मैं पेश कर रहा हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–7 में जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उ ो प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जा ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्तुत किया गया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें यह कहा गया है नं० 1 में कि यदि कोई व्यक्ति समुचित पास या टिकट के बिना चलती मोटर गाड़ी में, या यात्रियों के मोटर गाड़ी में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए निगम द्वारा नियत दरवाजे से भिन्न स्थान से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है या प्रवेश करने या बाहर निकलने का प्रयास करता है तो वह ऐसे दण्ड से जो तीन महीने तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा अथवा दोनों से दण्डनीय होगा । यानी उस गेट से आगया या चला गया तो वह दण्डनीय होगा ।

आगे नं० 2 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति उचित पास या टिकट के बिना मोटर गाड़ी की छत, सीढ़ियों या फुटबोर्ड के किसी भी स्थान को ग्रहण करके या इंजिन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पर या चालक के पास या मोटर गाड़ी के किसी अन्य भाग पर यानी अगर वह बीच में बिस्तर बिछाकर बैठ गया तो सजा का भागीदार होगा । आज रोडवेज की व्यवस्था जैसी चल रही है उसमें यात्री खड़े भी रहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर बैठ जाता है तो उसको रोकने के लिए और केवल जो सीटें बैठने की हों उस पर बैठ ...

श्री दीपंकर : आप सोने की व्यवस्था मांग लें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उसकी भी व्यवस्था की है । उसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने नुमायश में एक बस देखी है जिसमें सारी व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं । तो उसके लिए तो राज्य सरकार की प्रशंसा मुझे करनी चाहिए ।

मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि भीड़ में लोग खड़े होकर चलें तो सजा और यदि जो यात्रियों की बैठने की सीट है उस पर बैठने के बजाय कन्डक्टर की सीट है उस पर बैठ जायं और यदि यह कन्डक्टर कहे कि मैं खड़ा होता हूं और आप बैठ जाइये तो वह व्यक्ति सजा का भागीदार हो जायगा । मान लो कि एक भूतपूर्व एम०एल०ए० साहब जा रहे हैं और कन्डक्टर उनको जानता है और वह उनको अपनी सीट पर बैठा देता है और कोई चैकिंग करने के लिये आ गया तो जो माननीय सदस्य विधान सभा के वर्तमान में है तो उनकी मर्यादाएं वह तो नहीं पकड़े जायेंगे लेकिन भूतपूर्व एम०एल०ए० को तीन महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना हो गया.......

श्री मनोहर कोठारी : क्या आगे की स्थिति का अन्दाजा लगाकर कह रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं गलत ढंग से विरोध नहीं करता हूं। मैं अधिकांश मेम्बरों का भावनाओं को जानकर ही कह रहा हूं । आप यह चहते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है । आपको तो हां या ना रटा दिया गया है । जो उपयोग के लिये आशंकित नहीं है उस पर बैठकर जो मोटर गाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन महीने तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माना से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा और उसे मोटर गाड़ी के कन्डक्टर या चालक द्वारा या इस निमित्त ऐसा करने के लिए प्राधिकृत निगम के किसी अन्य कर्मचारी द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा । हटाया तो अलग गया और सजा अलग हो गई । तो निवेदन करना यह है कि इस प्रकार कौन सा केस यह घोषित हो गया कि उसमें सजा तीन महीने की हो गई और 500 रुपये तक जुर्माना कोई व्यक्ति खड़ा रह गया, कन्डक्टर की सीट पर बैठ गया तो अगर स्थान नहीं है तो खड़ा रहेगा या बीच में बिस्तर बिछा कर बैठ गया तो उसको सजा हो गई। जयपुर शहर में अधिकतर लोग खड़े रहते हैं या बीच में बिस्तर बिछा कर बैठ जाते हैं क्योंकि आपके पास बसों की व्यवस्था इतनी है ही नहीं, आपकी व्यवस्था बढ़ जायगी तो नहीं होगा । यहां पर जो उपनगर हैं—तिलकनगर, सी स्कीम, वनी पार्क आदि कई प्रकार के रास्ते हैं जिन पर सी० टी० एस० बसें चला करती हैं उनमें बीच में खड़े रहते और बैठ जाते हैं और इम्तिहान के दिनों में जल्दी में यदि बस के अन्दर विद्यार्थी खड़े होकर आयेंगे या दूसरे अन्य स्थानों पर बैठेंगे । तो ठीक है कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
माननीय मंत्रीजी कानून बनाना चाहते हैं तो रेल्वे का कोई पुराने वक्त का कानून जिसमें एमेंडमेंट हो गया होगा वह यहां लाकर पेश कर दिया है। कानून यदि आप बना रहे हैं तो कानून का पालन करायेंगे या मजाक बनाने के लिए कानून बनाये जाते हैं। अगर किसी को दण्डित ही करना था तो केवल एक नोटिफिकेशन निकाल देते डर दिखाने के लिए कि जो इस तरह से बैठते हैं या इस प्रकार से करेंगे तो उनको इस प्रकार से दन्ड देंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय सभापति महोदय, यह दो प्रावधान जो हैं वह जनता पर सीधा अटेक करने वाले प्रावधान हैं। इससे राजस्थान की जनता के लिये अन्याय होगा। मैं समझता हूं कि रोडवेज की अव्यवस्था के कारण लोगबाग खड़े रहेंगे, दूसरे स्थान पर भी बैठें, नहीं जगह मिली तो छत पर बैठकर चलेंगे, तो इस सारे कानून का निश्चत रूप से उल्लंघन होगा और वह होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी माननीय मंत्रीजी की है। रोडवेज की व्यवस्था बिल्कुल निक्कमी है। पूरे राष्ट्रीयकरण पर जो बसें चल रही हैं उनकी हालत खराब है। कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि रोडवेज की व्यवस्था बिल्कुल निकम्मी है। इसलिये जो एक नम्बर पर और दो नम्बर पर सजा का प्रावधान है उसका मैं अपने दल की ओर से विरोध करता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो कि माननीय सदस्य मेरे साथी ने कही हैं। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अगर दूसरा अर्थ है तो माननीय मंत्रीजी उसका स्पष्टीकरण कर दें कि यह गलत है। क्या यह ठीक नहीं है कि जो इस तरह से हैं उनको दण्ड नहीं होगा ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : बिना टिकट के होगा तो दण्ड होगा अगर दूसरे गेट से निकलेगा तो।

श्री भानुकुमार शास्त्री : टिकट तो लेगा बैठने के बाद। वह अन्दर बैठने के बाद टिकट लेगा। मान लो कि किसी दूसरे गेट से अन्दर आकर बैठ गया तो अन्दर आकर ही टिकट लेगा और आप उसको दण्ड देने की बात करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आखिर उसमें ऐसा प्रावधान है कि जिसके अन्दर वह जेल भी जा सकता है। यह अस्पष्ट है इसलिये इसको स्पष्ट कर दें।

श्री देवीलाल : मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है कि ट्रेन में बैठता है कोई आदमी और टिकट नहीं लेता है और रास्ते में टिकट कन्डक्टर (चैकर) आ जाता है वह काटता है। लेकिन इस में बस में मुख्य स्टेशन से नहीं बैठता है और रास्ते में टिकट काटने वाला नहीं होता है लेकिन कोई रास्ते में से बैठेगा और अनपढ़ आदमी है वहां कहां पर टिकट काटने वाला मिलेगा। आखिर बस में टिकट काटते हैं। इससे बड़ी दिक्कत होगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, मेरे खयाल से 6 का जो प्रोवीजन है उसको पढ़ने के बाद में काफी क्लियरिटी आजायेगी। 6 का प्रोवीजन है वह इस तरह से शुरू होता है "Punishment for travelling without proper pass or ticket." That means he is punishable only when he is without pass or ticket. काफी क्लियर प्रोवीजन है। आप मानकर चलें कि बिना टिकट के है "If a person enters or remains in a

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
motor vehicle or in any way travels therein without proper pass or ticket...."
तो इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि सारी तकलीफ तभी होती है, जब बिना टिकट के हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अगर वह बिना टिकट कहीं बैठ गया है तो सजा का अधिकारी हो गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप सेक्शन 4 को पढ़िये।

श्री सभापति : आप मानकर चलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जो रेल्वे का कानून बताते हैं, उनमें भी यह नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : कोई खास प्वाइन्ट हो तो बोलें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्ज यह है कि ये पीनल क्लाज है। इसको साफ करने के बारे में एक रेल्वे का पीनल क्लाज पढ़ता हूं। मैंने जो पढ़े हैं, उनमें हर जगह वर्ड 'केन' (Can) यूज किया है।

एक माननीय सदस्य : वर्ड 'मे'।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो यह 'मे' फलां है, 'केन' फलां है। यह माननीय सदस्यों दिमाग में अभी भ्रम है, वह दूर हो जाएगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 'केन' होना चाहिए या 'मे' होना चाहिए। यह 'शेल' है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में आप देखें और जिस टर्मनोलोजी के आधार पर ये शब्द बनते हैं, तो 'शेल' तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेण्ट में भी आता है।

श्री मनोहर कोठारी : "May" can be interpreted as "Shall" but "Shall" cannot be interpreted as "May".

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, जहां तक मुझे मालूम है.....

श्री सभापति : खण्ड-6 पारित हो चुका है। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं तो खण्ड-7 के बारे में कहें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं, Shall और May से उनका आब्जेक्ट नहीं हो सकता है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं इस बारे में निवेदन कर चुका हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मंत्रीजी कह रहे हैं, पैनल्टी है तो सजा है। भले ही आप इसको डबल, ट्रिबल और 5 टाइम्स कर दीजिये। And in case he fails or refuses to pay the enhanced amount, then he may be prosecuted and he may be punished with imprisonment.

आप कहते हैं, यह होगा और यही होगा। अब किसी आदमी को नींद आजाये। तो आगे चला गया। आपका तो कम्पलसरी प्रोवीजन है, सजा या जुर्माने में से एक। आपने तो एक दुकान खोली है कि हम लोगों को को ले जायेंगे और जेल का प्रावधान रखा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

श्री मोहनलाल छंगाणी : भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ऐसी कल्पना करके चलते हैं, जैसे बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है । एक मर्डरर को भी सेल्फ डिफेंस में अधिकार होता है । सवाल यह है कि 'शेल' होना चाहिए या 'केन' होना चाहिए । मेरा कहना यह है कि 'शैल' मेण्डेटरी है । 'शेल' को आप चेंज नहीं कर सकते हैं ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : "May" also is not sufficient.

श्री सभापति : आप इस पर बहस नहीं करें । जो आप बोल रहे हैं, वह आप सुन लीजिये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : वह तो मैंने सुन लिया ।

श्री सभापति : वह तो अभी बोल रहे हैं । सुन कहां से लिया आपने ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप समझिये, आप कह रहे हैं कि नहीं है तो डिफेंस हो सकता है: There is nothing like defence. As soon as a person is found in the b us without ticket, everything is fulfilled. There is no excuse and the man shall be punished.

श्री मोहनलाल छंगाणी : मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसको रखा है । नार्मली 'शेल' यूज होता है । आज नहीं, आज तो मैं यह विल पारित कराऊंगा । उसके बाद इस पर में एकेडेमिक डिस्कशन कर सकता हूं । 'शेल' होना चाहिए या 'मे' होना चाहिए ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : स्वीकार नहीं हुआ ।

श्री सभापति : आप दुबारा कराना चाहते हैं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड--7 के उप-खण्ड (1) में जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खंड-7 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेम्बर चुप हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उनकी आत्मा यह कह रही है कि यह पास नहीं होना चाहिए ।

श्री सभापति : आप क्या चाहते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : हम यह चाहते हैं कि अन्य पक्ष जीत जाये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप हाथ खड़े करवा लो ।

श्री सभापति : खण्ड-8 । श्री गुरदयाल सिंह संधु ।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : सभापति महोदय, मैंने खण्ड-8 में 2 संशोधन पेश किये हैं । पहला तो मेरा यह है, 'इस वर्तमान प्रावधान के उप-खण्ड (1) संख्याकि

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

कर इस प्रकार संख्यांकित उप-खण्ड (1) के स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नांकित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

जो मैंने दूसरा संशोधन पेश किया है, वह यह है कि उसके द्वारा मेरी मांग है कि वहां जो शिकायत पुस्तिका है, जिसमें शिकायत दर्ज की जाती है। उसमें दर्ज की गई शिकायतों का उत्तर शीघ्र से शीघ्र शिकायत करने वाले को दिया जाये। इससे मेरा मतलब यह है कि जिस तरह से यह सजायें रखी गई हैं, किसी कारण से उसको टिकट नहीं दी जाती है। या पुरानी टिकट दी गई है। या दूसरी टिकट दी गई है। तो वह शिकायत की पुस्तक में लिख देगा तो उत्तर शीघ्र से शीघ्र उसका देना होगा। आज तक तो यह हो रहा है कि शिकायत जितनी लिखी जाती हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। कई बसों में तो शिकायत पुस्तिका ही नहीं है। यदि है तो देते नहीं हैं। यदि लिख दिया जाय तो उसका उत्तर नहीं देते हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि शिकायतकर्त्ता को उसका उत्तर शीघ्र से शीघ्र दिया जाये। मेरा संण्टेंस इस प्रकार है, यह है,

"निगम द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी शिकायत पुस्तिका पर लिखी गयी, शिकायतों की जांच करेगा और इस संबंध में की गई जांच के बारे में शिकायतकर्त्ता को सूचना देगा।"

तो मेरा एक तो संशोधन यह है। 8(2) और 8(3) इस तरह का है, हमारे यहां शिकायत चली आती है कि टिकट की रकम अधिक वसूल की जाती है। जब कभी शिकायत की जाती है तो पहली बात तो वह मानते ही नहीं हैं। और मान भी जायें तो कहते हैं कि टिकट का पैसा लिया है। मेरा कहना है कि अधिक रकम ली जाय वह रकम जमा की जाय और उसके साथ-साथ वह निगम कोष में जमा कराई जाय। अगर उन्होंने अधिक रकम ली है तो मेरा दूसरा सुझाव है, कन्डक्टर या निगम द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा यदि कोई बकाया की धनराशि या किसी अन्य प्रकार से अधिक वसूल की गई राशि, यदि कोई होगी, वह रकम शीघ्रातिशीघ्र निगम के कोष में जमा करयी जावेगी।"

यह मेरे दो संशोधन हैं, स्पष्ट संशोधन हैं। मेरा यह मतलब है कि आज जो बेईमानी हो रही है, ज्यादा रकम वसूल हो रही है, लोगों को बकाया नहीं दिया जाता है, वह सब रकम निगम कोष में जमा हो जाय। इससे कन्डक्टर नाजायज फायदा नहीं उठा सकेंगे। दूसरा मेरा निवेदन यह है शिकायत पुस्तिका पर जो शिकायत लिखी जाय, उस शिकायत की जांच की जानी चाहिए। यह दो अमेंडमेंट हैं। तीसरे आखिर में सजा की तजवीज की है, जो पहले बात हुई थी उसको आखिर में जोड़ दिया जाय। यह मेरा सुझाव है। मैं निवेदन करूंगा कि इन्हें मंत्री महोदय स्वीकार करें।

यदि उप-खण्ड (1), (2) तथा (3) के प्रावधानों की कोई अवहेलना की जावेगी तो कण्डक्टर अथवा निगम द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे अचार के लिए ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही के अतिरिक्त जो वह उसकी सेवा की शर्तों के अधीन भुगतने के लिए दायी हैं, तो वह कारावास से, जो एक महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दो सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा"।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, माननीय संधु साहब ने जो मुद्दे उठाये हैं, वैसे हम काफी कवर कर चुके हैं, लेकिन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
उसके बाद भी जब रूल्स फ्रेम होंगे तो किस तरह रेगुलेट किया जाय, इस पर ध्यान दिया जायगा। ताकि किसी प्रकार की शिकायत न रहे। यह मैं विश्वास दिलाता हूं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं इसे वापिस लेने को तैयार हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो संशोधन प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं वापिस लेता हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, एक मेरा संशोधन है।

"खण्ड 8 (में) स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (छ:) को लोपित किया जावे तथा उप-खण्ड (ज) को उप-खण्ड (छ:) संख्याकित किया जावे।"

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन खण्ड-8 में प्रस्तुत किया है क्या उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापतिजी, इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि गरीब कन्डक्टर के लिए एक तो अनुशासन की कार्यवाही होगी, उस कन्डक्टर को अनुशासन की कार्यवाही के साथ-साथ सजा और मिलेगी। एक तो सजा हो जाय एक महीने की, दूसरे दो सौ रुपये जुर्माना—यह दोनों। मैं पूछना चाहता हूं यह विरोधाभास की बात नहीं है ? उसको सजा हो जायगी तो वह नौकरी पर कैसे रहेगा फिर सजा एक बार हो गई तो अनुशासन की कार्यवाही करेंगे ? सजा एक दिन की हो, एक महीने की हो, वह नौकरी के लिए डिस्क्वालिफाई हो गया। सजा होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही का सवाल कहां रहता है। मुझे लगता है कि इस कानून को अच्छी तरह दिखवाया नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था, इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना कर कन्डक्टर के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही और सजा दोनों का प्रावधान रखा है, भले ही एक दिन की सजा हो लेकिन फिर अनुशासन की कार्यवाही किसके खिलाफ करेंगे, उसकी तो नौकरी से छुट्टी हो गई। इसलिए मेरी प्रार्थना है सभापति महोदय, यह सजा वाला प्रावधान है एक महीने की सजा और दो सौ रुपया जुर्माना इसको निकाल दिया जाय। रेल्वे का उदाहरण आपके सामने है, लाल किताब आपके सामने मौजूद है, जो रेल्वे में कन्डक्टर हैं टिकट कलेक्टर जिसको कहते हैं, उसको कहीं रेल्वे में भी सजा, कहीं पर भी एक महीने की सजा, दो महीने की सजा का प्रावधान नहीं है। आप लाल किताब देख लीजिये। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रकार तो कोई कन्डक्टर आपकी बस सेवा में नहीं आयेगा आपको ध्यान है, एम०ए०, एलएल०बी० पास किये हुए आपके यहां कन्डक्टर मिलते हैं कहते हैं कि रोडवेज में कन्डक्टर हैं, कहीं और नौकरी मिली नहीं। आपने पहले कहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइवेट बस के लोग थे, कन्डक्टर थे, वर्षों से वह सेवा में थे उनको प्रशिक्षण आपने नहीं दिया, वह कार्यवाही कर रहे हैं, धांधली या किसी प्रकार कार्यवाही चल रही है। उनको उसके बारे में शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन शिक्षा क्यों दें नौकरी में रख लिया, दो सौ रुपये की सीक्योरिटी ले ली। ले लेने के बाद आपको ध्यान होगा, इसमें मूलतः शर्त यह थी, बस रवाना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
हो, तो वह रवाना तब होगी जब कन्डक्टर टिकट काट देगा। यह कहां तक सम्भव है। हर आदमी कहता है, गाड़ी ले चलो, रास्ते में टिकट काट देना। चलती गाड़ी में वह टिकट काट रहा है, कार्बन लगा रहा है। नई नई रेट लगती हैं, वह फला रहा है, कितना पैसा हो गया। पांच पैसे की गड़बड़ी हो गई तो वह सजा का अधिकारी हो गया। आपने यह सुझाव मान लिया, महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह टिकट पर नम्बर होगा, उस पर पैसा होगा और पंच कर दिया जायगा। इसके लिए तो धन्यवाद। यह गत सत्र में माना था, अब फिर कहा कि एकम् अप्रेल· ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : 30 अप्रेल।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एकम् अप्रेल से रखें तो वह ठीक नहीं रहता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : फूल्स डे।

एक माननीय सदस्य : यह तारीख बहुत संगत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत अच्छा सुझाव माना। मैं निवेदन करने जा रहा हूं कि उन नौजवानों के, जो प्राइवेट बस से आये थे, एक स्टार लगा दिया, दो स्टार लगा दिये, तीन स्टार लगा दिये और बिना इन्क्वायरी करे उनको नौकरी से हटा दिया गया और उनके दो सौ रुपये जब्त कर लिये। मेरा निवेदन है कि यह अव्यवहारिकता है कि बस रवाना हो उस समय वह टिकट काट दे। इस कारण से उन नौजवानों के एक दो तीन स्टार लगा दिये, ऐसे हजारों नौजवान हैं, उनकी इन्क्वायरी की नहीं· · · ·

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं जानना चाहता हूं कि 31 अप्रेल की घोषणा की तो 31 अप्रेल कौनसे कलेन्डर में है ?

श्री खेतसिंह : कोई आपका कलेण्डर होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय मंत्री ने कहा, 31 अप्रेल, मैंने तो 1 अप्रेल कहा। मेरे कलण्डर में तो है नहीं।

मैं निवेदन करने जा रहा हूं, उन लोगों को हटा दिया। अब उनको लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके तीन स्टार लगा दिये, उन्हें थानेदार बना दिया। अब उन्हें नौकरी में नहीं लेंगे। अब जिनको बिना इन्क्वायरी किये हटाया है वह इसलिए हटाया है कि बस रवाना तब होगी जब टिकट काट देंगे। नई व्यवस्था के आधार पर, नई पद्धति के आधार पर उसमें काम करे, फिर देखें कि चोर है, बेईमान है तो सजा देनी चाहिए, जवाब का मौका देकर। इसके अलावा कन्डक्टर से कोई झगड़ा करेगा तो उसकी सीक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। कन्डक्टर और पब्लिक के बीच में झगड़ा हो जाय, ऐसे आदमी भी हो सकते हैं जिन्हें कन्डक्टर से झगड़ा करना है तो कन्डक्टर पिट जाय, उसे मारा जाय तो उसे कोई बचाने वाला होगा नहीं। मोबाइल मजिस्ट्रेट इसके लिए प्रोवाइड है नहीं। झगड़ा होगा तो क्या होगा, हड़ताल हो जायगी, बसें रास्ते में पड़ी रहेंगी। कन्डक्टर कहेंगे, हमारे आदमी को पीटा गया, हम बस लेकर जाते नहीं। इस प्रकार निगम के धन का नुकसान इस कारण और होगा। मेरा निवेदन है कि दो सजा नहीं हो सकती है; एक तो अनुशासन की सजा और एक यह सजा। एक अपराध के लिए दो सजा नहीं हो सकती यह किसी विधि विधान में नहीं लिखा हुआ है। यह मेरा निवेदन है· · · ·

श्री सभापति : माननीय सदस्य ! रिपीट न करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा है, दो सौ रुपये तक का जुर्माना - इसको मेहरबानी करके हटा दें ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी को कुछ कहना है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी: सभापति महोदय कन्डक्टर के बारे में गिरधारीलालजी का कोमल मन हो रहा है । यह सही है, बसों के कन्डक्टर ईमानदार हैं, जो ईमानदार हैं उन पर पीनल क्लाज लागू नहीं होता है और ईमानदार कन्डक्टर को तरजीह देते हैं । जो कन्डक्टर इस तरह का धन्धा करते हैं, टिकट नहीं देते हैं और कुछ करते हैं, उनको निश्चित तौर पर सजा ही दी जानी चाहिए । अब रहा, बिना इन्क्वायरी के तो अभी कन्डक्टर को अपील का अधिकार है, इन्क्वायरी होती है, जांच होती है, उसके बाद हटाया जाता है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड-8 में जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

खण्ड—8 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड—9 स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड—9 स्वीकार किया गया ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ठहरिए, इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं····

श्री सभापति : खंड- 9 स्वीकार किया जा चुका है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने ना कहा है ।

श्री सभापति : उसके बावजूद भी ध्वनिमत से पारित हो चुका है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने ना कहा है, यह अहमियत का प्रश्न है । जिसके पास टिकट नहीं है, रास्ते में जंगल में····

श्री सभापति : तृतीय वाचन पर बोल दें । आपका इसमें संशोधन नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापतिजी, आपने कृपापूर्वक हमें एक एक खंड पर बोलने का मौका दिया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : आप आसन ग्रहण करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : गरीब को जंगल में उतारा जाएगा ।

श्री सभापति : आसन ग्रहण करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गरीब जनता के साथ····

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

प्रश्न यह है कि खंड-10 को स्वीकार किया जाए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ना । इसमें भी निगम के कर्मचारियों और अभिकर्ताओं को उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में वापिस करने के बारे में है । यहां पर भी वही अड़चन डालते हैं । एक महीने की सजा और ढाई सौ जुर्माना ····

श्री खेतसिंह : इनका संशोधन नहीं है ।

श्री सभापति : मुझे मालूम है तो भी बोलदें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जैसे हांडाजी और बिश्नोईजी ने कहा, यदि वह टिकट नहीं लेते हैं ऐसी हालत में यदि उनके लिए एक महीने की सजा और 250) रु० जुर्माना । या तो सजा वाला प्रावधान हटा दें । 250)रु० बहुत बड़ी रकम है, रेलवे में भी दुगुना किराया लिया जाता है तो यहां पर जनता के साथ खिलवाड़ होगा । रेलवे में दुगुना होता है आप 10 गुना कर दें । यदि उसको जल में नहीं रहना है तो 10) रु० कहीं न कहीं से लाएगा । दोनों सजायें एक साथ अनुचित हैं ।

श्री सभापति : (यातायात मंत्री से) कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड–10 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड–10 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड–11 स्वीकार किया जाए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ना ।

श्री खेतसिंह : फिर बोलेंगे ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस पर चर्चा नहीं हो सकती जहां पर संशोधन लिखित में नहीं हो और खंडशः विचार हो रहा हो ।

श्री सभापति : आपका कहना सही है, बिना संशोधन के चर्चा नहीं हो सकती । फिर भी माननीय सदस्य जो नियमों के जानकार हैं, से आशा करता हूं कि संक्षेप में कहें ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इतना ज्यादा भी तो वह न कहें कि रेडियो वाले समझ ही नहीं पायें कि क्या कह गए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे रेडियो की चिंता नहीं है । इसमें लिखा है कि इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध संज्ञेय होगा और जिस स्थान पर अपराध किया गया है उस पर अधिकारित रखने वाले प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के या जिस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में होकर उस मोटर गाड़ी द्वारा यात्रा के दौरान जिस पर अपराध किया गया था अपराधी गुजरा था, उस न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा । बस जब चल रही है चलते चलते कहीं पर अपराध हो गया तो क्या बस रुक जाएगी ? उसके बाद कंडक्टर तय करेगा कि कहां मजिस्ट्रेट है, कौन लीगल एंडवाइस देगा ? इस प्रकार तय करना सजा और जुर्माना एक साथ कौन करेगा ? तो दोनों बातें नहीं होनी चाहिए । उसके पास यदि जुर्माना नहीं है तो सजा हो । मोबाईल मजिस्ट्रेट हो तब तो ठीक रहेगा वरना ज्युरिसडिक्शन तय करने के लिए कोई थर्मामीटर या बैरोमीटर बस में नहीं है । इसलिए यह वेग कानून है । इस तरीके से इस कानून का पालन नहीं हो सकेगा न होना ही चाहिए ।

श्री सभापति : (मंत्री महोदय से) कुछ कहना है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड-11 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड-11 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड-12 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड-12 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड-13 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड-13 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड-14 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड-14 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड-15 स्वीकार किया जाए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ना । इसमें लिखा है कि जब सदन चल रहा हो तो 30 दिन के भीतर नियम बनायेंगे और सदन के पटल पर रखेंगे, 10 अप्रेल तक तो सेशन चलेगा । आप 30 दिन के अन्दर नियम सदन की मेज पर रख देंगे ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : रखेंगे, एग्रीड ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खंड-15 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड-15 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड-16 स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड-16 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम इत्यादि स्वीकार किये गये ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा निवारण) विधेयक 1975 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सभापति महोदय, हमने यातायात मंत्री का जवाब सुना और उसमें उनको चिंता लगी कि शायद राष्ट्रीयकरण के मामले में भी सदस्यों के दिमाग में कुछ भ्रान्तियां हैं । कुछ माननीय सदस्यों ने कन्डक्टरों के बारे में, इतना बड़ा संगठन है, कुछ कह दिया होगा । हमने तो बिल के सिद्धांतों की बातें की थीं । जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यह अच्छा है । मेरे क्षेत्र के लिए आबू रोड़ जाने के लिए मेरे चुनाव क्षेत्र के हैडक्वार्टर्स से 5 बार गाड़ियां बदलनी पड़ती थीं और भी कई ठेकेदार थे। कई जगहों पर 4-4 गाड़ियां चलती थीं इसलिए हमारे यहां पर बराबर रेग्यूलर सेवायें चलती हैं । बाड़मेर, जालोर और सिरोही के कुछ हिस्सों में चलती हैं। हमारे यहां यह बहुत सफल रहा है और जनता तारीफ करती है ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सवाल यहां आता है कन्डक्टर का और इसलिए हमारे भी दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी हम कहते हैं तो जोर से कहते हैं लेकिन मुझे काफी लम्बी यात्राएं करनी पड़ती हैं और शायद, सभापति महोदय, गलत हो सकता हूं, मुझे कभी इस प्रकार का अवसर नहीं मिला है। मैंने तो जब भी यात्रा की है, कन्डक्टर और ड्राइवर को अप्टूडेट पाया है फिर भी मैं 100 में से 90 नम्बर तो नहीं दूंगा लेकिन हाई परसेन्टेज ऑफ मार्क्स मैं उनको दूंगा। मैंने उनकी सेवा को बहुत अच्छी पाया है। लेकिन जिस बात को हम कहते हैं, जिस पोइन्ट पर हम जोर देते हैं और बहुत जोर से कहते हैं। मैं यह कहता हूं कि मैं काफी लम्बी ट्रेवलिंग करता हूं रोडवेज से, अच्छी सेवा है। परन्तु साथ ही रेवेन्यू के टैक्सेज वगैरह है टिकिट नहीं काटना है यह आम तौर से गाड़ी की परिस्थितियों पर भी देखना चाहिए, टैक्सेज डिपार्टमेन्ट की भी कमजोरियां हैं, और जो कमजोरियां है उनसे इन्कार भी नहीं कर सकते हैं। इन कमजोरियों की चिन्ता भी है परन्तु इसके कारणों पर ध्यान देना चाहिए और उनको दूर करने के उपाय करने चाहिए। मारवाड़ में कहावत है कि 'खावे सूंड और भुगते पाडो' इस कानून मैं जो स्ट्रिन्जेसीज प्रोवीजन्स रखे गये हैं उनको जब मन्त्री महोदय पढ़ेंगे तो उनको मालूम पड़ जायेगा। कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, साथ में औरत है, बच्चा भी है उनको नींद आ गई है टिकिट नहीं दे पाये हों, और भी इस प्रकार की कई परिस्थितियां हैं इस प्रकार के छूट भी इस कानून में दिये गये हैं। फिर लाजिमी तौर पर सजा तो देनी ही पड़ेगी, सजा भी दें और एक्सेस फेयर भी देना लाजिमी है।

इसलिए हमारा कन्स्ट्रक्टिव सुझाव है कि यदि कोई व्यक्ति बिना टिकिट यात्रा करता हुआ पाया जावे तो उसको दुगुना–तिगुना और चौगुना किराया पैनल्टी के साथ देना पड़ेगा और वह उसको रिफ्यूज करता है और पे नहीं करता है तो उस हालत में सजा की तजवीज भी रखी जा सकती है। परन्तु जो हेबिच्युअल हैं आम तौर पर बिना टिकिट यात्रा करने के और दूसरे अपराध करते हैं या हाईजैक करते हैं तो उनको सजा देने के लिये साधारण कानून में भी प्रावधान रखा गया है – देट इज पनिशेबल अन्डर मोर सीरियस वे। कन्डक्टर को मारपीट कर देते हैं तो दफा 353 के तहत और कई धाराओं में कार्यवाही करने का प्रावधान है तो इस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यह भी देखना चाहिए कि यह तो एक कामर्शियल परपज है, आपने एक दुकान खोली है और आप यह देखें कि उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए तो आप उनको सजा देने लग जांय यह ठीक नहीं है, यह नहीं होना चाहिए, यह होता नहीं है। और सिद्धान्त रूप से भी ठीक नहीं है। रेलवे में भी इतने ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। वहां भी पहले फ्राडूलेन्ट इन्टेन्शन यह है कि किराया दे दो तो छूट हो जाती है। फ्राड तो बहुत ही सीरियस ओफेन्स होता है। इसके लिए पीनंल प्रोविजन्स हैं अलग से। इसके पैरेलल प्रोविजन्स हैं यह अपने किस्म का एक ही है। इसलिए किसी सीनियर ज्यूरिस्ट से आप इसके बारे में ओपीनियन लीजिये कि यह कहां तक वाजिब है और यदि ठीक समझा जावे तो स्टेट्यूट बुक में तो यह है ही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, मैं तो केवल दो शब्द कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि डिफिकल्टीज तो रोडवेज को चलाने में कई किस्म की बढ़ी हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी लोंग सर्विसेज हैं, देश के किसी भी प्रान्त से कर लीजिये, देहली की भी कोई ज्यादा कम्फर्टेबल बसेज नहीं हैं, और यदि हैं भी तो यह इस बात की दलील नहीं हो सकती कि पीनल क्लोजेज उनके साथ में कम किये जांय। माननीय मन्त्रीजी को देखना चाहिए कि उन्होंने रेल्वेज की क्लोजेज नहीं पढ़ी है, जयपुर से होकर, रनिंग गेट से निकल जाते हैं। किसी भी जेन्टलमेन को हेरेसमेन्ट हो सकता है। आप जब बिजनस रखेंगे तो आपको पता पड़ सकता है कोई भी इस बात को एप्रीशिएट नहीं करेगा। रेल्वे में आज केवल यही करते हैं, केवल पेनेल्टी पे करने का होता है, एक्शन की स्टेज तो तब आती है जब पेनल्टी नहीं देते हैं। आप फाइन भी करते हैं और पेनल्टी भी देते हैं यह दोनों चीजें ठीक नहीं हैं। आपको याद होना चाहिए कि आपके 50 परसेन्ट शेयर तो रेल्वे के पास हैं। अतः सभापति महोदय, आप इसको फिर गौर से देखिये और इसकी स्ट्रिन्जेंसीज को कम कर सकते हैं। यह कुछ ही लोग जो कम्युनिस्ट हैं जो बसों को प्लाई करवाते हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बिल्कुल गलत है, बस ओपरेटर,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इस एक्ट को ज्यादा साउन्ड बनाते तो आज यह इतना ज्यादा ताण्डव नहीं कर सकते थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो इसका समर्थन कदापि नहीं कर सकता, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा काला कानून कहीं भी किसी भी स्टेट में, इतना जनता को कष्ट देने वाला और कन्डक्टर को कष्ट देने वाला देखने में नहीं आया। इसलिए इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाना चाहिए। वैसे सभापति महोदय, हां पक्ष का जो डण्डा घूम रहा है यह पास तो होगा ही परन्तु यह भी आप देख ही रहे हैं। यहां पर आपके सी० टी० एस० की व्यवस्था कैसी है आपके अधिकारियों का बर्ताव जनता के साथ कैसा है। कैसी आपकी सी० टी० एस० की बसों की हालत है यह सभी जानते हैं। आज आपके विधान सभा सत्र काल के अन्दर 184 सदस्यों के लिये अच्छी बसेज, बढ़िया और साफ सुथरी बसेज आ जाती ह लाने ले जाने को। अगर यह व्यवस्था आपके लिये बहुत बढ़िया करदी इसका मतलब यह मत समझना कि सभी आम जनता को ऐसी ही बसें बैठने को मिल रही हैं। आपके तो पैसे लगते नहीं है लेकिन आपकी सी० टी० एस० सांगानेर जाती है और भी जयपुर के उप नगरों में जाती है वहां पर आप जाकर बसों की हालतो को देखें। कितनी रद्दी व्यवस्था आपके यहां के रोडवेज की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, हम जब कभी राजस्थान के बाहर जाते हैं तो हमें सुनने को मिलता है कि राजस्थान में बसों की हालत बहुत खराब है, रोडवेज की बहुत ही रद्दी हालत है। आप चाहे दिल्ली जाकर देखें, महाराष्ट्र की बसों की हालत देखें मध्य प्रदेश की बसों की हालत और वहां की व्यवस्था देखें आपको पता लगेगा कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव

आपके यहां के रोडवेज कितनी खराब हालत में है । मैं तो कहूंगा कि राजस्थान की रोडवेज बहुत ही निक्कमी रोडवेज है । सभापति महोदय, यह ठीक है कि हम राजस्थान के बाहर जब जाते हैं और हम जब कभी कोई राजस्थान के रोडवेज की व्यवस्था के बारे में कोई पूछता है तो वहां पर तो हम लोगों में तो हमारी रोडवेज को अच्छी कहेंगे । लेकिन असलियत में यहां के रोडवेज की हालत बहुत ही खराब है । सभापति महोदय, हम यहां पर सदन में राज्य सरकार को सुझाव देना चाहते हैं लेकिन आप अगर यह नहीं मान रहे हैं तो आप अपने बहुमत के आधार पर अपनी हठ्धर्मी ही कर रहे हैं । इसलिये मैं एक बार और आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप पूरे इस बिल को वापिस अच्छी तरह से सोच समझ कर लावें क्योंकि इसमें सिवाय जनता को तीन माह की सजा और 500 रुपये के जुर्माने के सिवाय कोई और लाभ नहीं मिलने वाला और दूसरी तरफ जो रोडवेज का कन्डक्टर हैं उसके लिये भी आपने एक माह की सजा और दो सौ रुपया जुर्माना रखा है । सभापति महोदय, आपको कानून बनाने के पहले यह जरूर सोचना चाहिये कि आप कैसे लोगों के लिये कानून बना रहे हैं आज राजस्थान में जहां की जनता पिछड़ी हुई है, जहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, जहां पर लोग ज्यादातर गांवों में रहते हैं जिनको रेलगाड़ियों में कईयों को बैठना तो दूर रहा देखना भी नसीब नहीं हुआ है । वहां पर आप इस तरह के काले कानून बना कर जनता को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं । इसमें, सभापति महोदय, गरीबों को नुकसान होने वाला है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, आप काश्तकार का एक तरफ तो भला करने की बात करते हैं दूसरे आप काश्तकार को जो कि यहां का सबसे कम पढ़ा लिखा और पिछड़ा वर्ग इस प्रकार का कानून बना कर, तथा जनता के ऊपर इस प्रकार का काला कानून थोप रहें है रोडवेज के कन्डक्टर पर आप इस तरह की सजा का प्रोवीजन रख रहे हैं इन सभी का मैं घोर विरोध करता हूं और ऐसे काले कानून को मैं पास होते नहीं देख सकता । इसलिए मैं अपने साथियों सहित इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव का सदन से बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, हम तो इसमें माननीय मन्त्री से यही एश्योरेंस चाहते हैं कि जो इस बिल में पीनल धाराए रखी हुई है उनको काम में लेते हुए अपनी एप्रोच ह्यूमनीटेरियन रखनी चाहिये । मेन तो हमारा यही आबजेक्शन है क्योंकि बिल तो आप पास करेंगे ही । इसलिए हमारा मन्त्रीजी से यही निवेदन है कि वह इस बारे में हाउस को एश्योरेंस दें ।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मन्त्री) : सभापति महोदय, यह बिल जो हाउस में लाया गया है वह एक अच्छे उद्देश्य से लाया गया । वैसे तो कानून के दो पहलू होते हैं एक तो कानून इस प्रकार का हो जिसमें लोगों को कानून की धाराएं ऐसी हों कि लोगों को जिससे कानून की

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

अवहेलना करने में भय बना रहे । यह एक व्यू है कि कानून की धारायें स्ट्रिक्ट होनी चाहिये दूसरा ज्यूरिशप्रूडेन्स का व्यू कानून के लिये यह है कि कानून जो भी बनाये जायं उनकी धाराएं कठोर नहीं हों । कानून जरा लूज होना चाहिये । यह दोनों ही थोट अलग अलग हैं । लेकिन कानून चाहे कैसी ही बने उसमें एक्शन लेते वक्त ध्यान रखने की बात हमेशा उनकी एप्रोच ह्यूमनटेरियन ग्राउन्ड पर होनी चाहिये । इसमें कोई बदले की भावना नहीं होनी चाहिये । कानून का एप्लीकेशन किस प्रकार हो यह देखने की बात है अगर कानून का एप्लीकेशन ह्यूमेनीटेरियन हो तो सभी बातें ठीक हैं । मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस कानून को लागू करने में हमेशा ही एप्रोच ह्यूमनीटेरियन होगी । अब मेरा निवेदन है कि विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री सभापति : क्या माननीय सदस्यों की अनुमति है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा – निवारण) विधेयक, 1975 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा–निवारण) विधेयक 1975 संशोधित रूप में पारित किया गया ।

राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात मन्त्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री केसरीमल : अभी दो मिनट में पास हो जाते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो दो मिनट में तो पास होने वाले नहीं हैं ।

श्री केदारनाथ : सभापति महोदय, शनिवार को विधान सभा का सत्र नहीं है अब चूंकि बिल्स काफी ज्यादा हैं अगर इनको शनिवार को रख लिया जाय तो ठीक रहेगा । आज इन्हें डेफर्ड कर दिया जाय हम सेटर्डे को इन्हें पास कर देंगे ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हां अगर आप शनिवार को ले लेते है तो ठीक है क्योंकि शनिवार को विधान सभा का सत्र है नहीं ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय यह तो रोजाना ही तीन चार बिल्स हैं यह सभी आर्डिनेन्स के बिल हैं ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : शनिवार वर्किंग डे नहीं रखा है आप उस दिन इनको ले सकते हैं ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, यह सभी बिजनेस एडवाईजरी कमेटी ने पहले तय कर रखा है और उसी में यह तय हुआ था कि सेटर्डे को विधान सभा नहीं रखी जाय और इन बिलों को पारित कर दिया जाये ।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : इसमें तो फिर 11 बजेंगे ।

श्री केदारनाथ : चलो जल्दी जल्दी पास कर देते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, हमने तो रिक्वेस्ट की है ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, यह बिल्स आर्डिनेन्स के बिल हैं जिनमें ज्यादा बहस की मैं यह समझता हूं जरूरत नहीं है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह तो आपकी मान्यता है ।

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किया गया था इसमें इनके पार्टी के नेता भी थे इन्हें उनको कहना चाहिये उन्होंने वहां पर इसका विरोध क्यों नहीं किया ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, अगर राज्य सरकार की मन्शा इस तरह से एक दिन में पांच पांच आर्डीनेन्स के बिल पास करने हेतु रख दिये तो फिर क्या फायदा सत्र बुलाने का आपने यों ही गवर्नर का भाषण बिना पढ़े मान लिया इसी प्रकार आप अपने बहुमत के आधार पर बिना किसी के सुने पास करदें ।

श्री खेतसिंह : मैं इन बातों का सुनने का आदि नहीं हूं यह तो आपके पार्टी के नेता को कहना चाहिये था उस वक्त जब कार्य सलाहकार समिति में यह सभी तय किया गया था ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री गिरधारीलालजी आप अपना वक्तव्य शुरू करें ।

परिनियत संकल्प

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया: "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान यात्री तथा माल कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं० 24 सन् 1974) को अस्वीकार करता है ।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, पिछले बजट सत्र और इस बजट सत्र के बीच में राज्य सरकार ने अकाल के नाम पर और दूसरी बातों के नाम पर राजस्थान की जनता पर पानी पर बिजली पर सड़क पर, मोटर गाड़ी पर कई टैक्सेज लगाये जो कि करीब 26 करोड़ रुपये के हैं । यह सभी कर अध्यादेशों के जरिये ही लगाये गये हैं । आज राजस्थान सरकार ने राजस्थान की जनता पर पीने के पानी से लेकर बिजली और सड़कों पर, ट्रकों पर, यात्रियों पर विभिन्न टैक्सेज लगाये हैं और अलावा 10 परसेन्ट सरचार्ज भी लगाये हैं यह जितने भी टैक्सेज लगाये गये हैं वह राजस्थान का जो बजट सत्र था उसके बाद में लगाये गये हैं । वैसे भी इन 26 करोड़ के टैक्सेज के अलावा दस परसेन्ट सरचार्ज और लगाया है, सभापति महोदय, जो सरचार्ज बंगला देश के युद्ध के समय लगा था वह आज तक नहीं बन्द हुआ है ।

(6.18 सांयं)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पीठासीन)

और आज तक वह दस दस परसेन्ट सरचार्ज पैसेन्जर्स गुड्स पर और पैसेन्जर्स टैक्स पर चल रहा है । इस प्रकार आप आर्डिनेन्स के जरिये टैक्स लगाकर बाद में सदन में उसको पारित कराते हैं सभापति महोदय, सरकार ने बिजली के नाम पर और दूसरे मुद्दों पर टैक्स लगाकर पिछले सत्र से आज तक करीब करीब 26 करोड़ रुपये के टैक्स लगाये है मैं आपका ध्यान The Rajasthan Passenger Goods Act, 1959 की ओर दिलाना चाहता हूं :—

After sub-section (1) the following new sub-section shall be inserted, namely—

"(IA) There shall be levied, charged and paid to the State Government with effect from the commencement of this Act a surcharge in addition to the tax payable under sec. 3 on all goods carried by motor vehicles at the rate of 10% of the said tax the amount of tax being rounded off the nearest rupee, and"

इसमें 25 पर्सेन्ट मेटल्ड सड़क पर और अन मेटल्ड सड़क पर 25 परसेन्ट सरचार्ज रखा है । मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं इसके बाद में लेवी सरचार्ज के बारे में भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

"There shall be levied, charged and paid to the State Government a surcharge in addition to the tax payable under sec. 3 on all passengers carried by motor vehicles not being a stage carriage plying exclusively within the limits of a city or municipality, at five percent of the value of the fare subject to a mimimum of five paise in any one case, the amount of surcharge being calculated to the nearest one paisa."

5 परसेन्ट यात्री कर बंगलादेश के नाम पर लगाया । यह पांच परसेन्ट टैक्स यात्रियों को देना पड़ रहा है । इसी के नीचे 3 ए है । (1) ए करके 10 परसेंट सरचार्ज किन पर लगाया गया है ? यात्री कर पर भी लगाया गया है और ट्रक वालों पर भी लगाया गया है । कहने का मतलब यह है कि गुड्स टैक्स में दस परसेंट और रोड टैक्स में दस परसेंट इस प्रकार 20 परसेंट की बढोतरी हो गयी । बस मालिकों पर 3 ए परसेंट तो पहले है, 5 परसेंट वह और 10 परसेंट यह । आपका कहना है कि दोनों पर नहीं है ।

(व्यवधान)

कोरम की बात कर रहे हैं ।

इस प्रकार आपने बढोतरी की । जो लोग ट्रक चलाते हैं, यह भी एक उद्योग है । लाखों व्यक्ति लगे हुए हैं । ट्रक मालिक, ड्राईवर, कन्डक्टर, उसका परिवार । ठीक है, हिसाब बता देता हूं एक क्वार्टर का ॥ 367.60 पसे गुड्स टैक्स । 36.10 पैसे बढा दिये 10 परसेंट के हिसाब से । एक क्वार्टर का गुड्स टैक्स हो गया 403 रु० 70 पैसे । रोड टैक्स 690 रुपया । 69 रु.

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अभी बढ़ा दिये । कुल 759 रुपया । 403.70 रु० में 759 रु० और जोड़ दीजिये । कुल हो गया 1,162.70 रु० एक क्वार्टर का हो गया । इसको चौगुना कर दीजिये तो ट्रक मालिक को देना पड़ेगा कुल 4650.80 रु० एक वर्ष का । इस प्रकार से आपने अप्रत्यक्ष रूप से पैसा बढ़ाया है । बजट सत्र में आप इसको बढ़ाते । इस प्रकार से अध्यादेशों के मार्फत टैक्स बढ़ाया गया है । इसका विरोध इसलिये करता हूं कि इस प्रकार अध्यादेश अप्रत्यक्ष रूप से कर बढ़ाने के लिये लाये गये हैं ये उचित नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री सभापति : श्री मोहम्मद गफ्फार-अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, मुझे इतना सा निवेदन करना है अध्यादेश के द्वारा टैक्स लगाया जाता है यह अच्छी चीज नहीं है सुझाव इतना सा रखना चाहता हूं कि टैक्स लगाये हैं लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिये था । आपने टक्स ऐसी चीजों पर लगाया जो कि खाद्य पदार्थ के रूप में आती हैं । उनका भार सीधा कन्ज्युमर पर पड़ेगा । लग्जरी गुड्स पर आप लगाइये । ये आम जनता के काम में नहीं आती हैं । इन्डिस्क्रिमिनेशन की जो पोलिसी है । वह उचित नहीं है ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कोरम नहीं है, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : मैंने पहले ही निबेदन कर दिया था ।

श्री भानुकुमार शास्त्री : बिना कोरम के ही कानून पास कर दोगे । ?

(गणपूरक घंटी)

श्री सभापति : (गणपूर्ति होने पर) शुरू कीजिये ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : सभापति महोदय, मैं यह गुजारिश कर रहा था कि यह इन्डिस्क्रिमिनेट टैक्सेशन की जो पोलिसी है उसमें परिवर्तन होना चाहिये । सिद्धान्ततः यह होना चाहिये कि ऐसे टैक्स न हों जिनका भार गरीब जनता पर पड़ता हो, यह ऐसे टैक्स हों जिनका भार ऐसी चीजों पर पड़ता हो जो रोजाना की इस्तेमाल की हैं ।

बगैर टैक्स के काम नहीं चलने वाला है । यह इस उद्देश्य से लगाये हैं कि जहां पर फेमीन गिरता है और उसके लिये आवश्यक है, वहां टैक्स पोलिसी सही है लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि ऐसी चीजों को एक्जम्प्ट किया जाय कि जो आम लोगों के काम में आती हैं ।

जहां तक ऑर्डिनेंस का सवाल है, मेरी गुजारिश है कि छोटी 2 चीजों पर ऑर्डिनेन्स लाने की चेष्टा राज्य सरकार की रहती है वह उचित नहीं है । इन्हीं शब्दों के साथ यह कहूंगा कि यह बिल न लिया जाय ।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : माननीय सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले और जौहरी बजार से आने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि टैक्स ऑर्डिनेन्स को लाये जाने चाहिये या नहीं, दूसरा यह है कि इस तरह ट्रान्सपोर्ट को और टैक्स लगा कर बोझिल करना चाहते हैं क्या ? सही बात यह है कि,

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

सूखे और अकाल की स्थिति के कारण हमको सरचार्ज मजबूरन लेवी करना पड़ा। हवा-महल से आने वाले माननीय सदस्य जब अकाल का सवाल आता है तो लगातार अकाल की बात करते हैं और सरचार्ज की बात आती है तो विरोध करते हैं। हम इस तरह से तो सूखे से कभी लड़ने में समर्थ नहीं हो सकते।

टैक्सेशन का एक ही मापदंड है टैक्स लेवी करने के बाद सरचार्ज हो या और कोई हो, वह धन्धा पनपता है या मरता है। आज मैं निश्चित तौर से, सभापति महोदय, कह सकता हूं कि बावजूद टैक्स के टैक्स देने की क्षमता मोटर गाड़ी चलाने वालों के अन्दर, ट्रक चलाने वालों के अन्दर बढ़ी है, कम्युनिकेशन बढ़े हैं इसलिए मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि हमारा सरचार्ज जो लागू किया गया है मोटर व्हीकल और गुड्स पर वह सही है और सूखे से लड़ने के लिए रिसोर्सेज मोबीलाइज करने के लिए सहायक होगा और उसका यही एक तरीका है। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, कोरम पूरा हो तब तो इस बिल को लिया जाये।

(गण-पूरक घंटी)

श्री सभापति : आप (श्री भार्गव) अपने संकल्प को प्रेस करना चाहते हैं या वापिस लेना चाहते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वापिस नहीं लेना चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री गिरधारीलाल भार्गव ने पेश किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : कोई बोलना चाहता है?

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनमत जानने के लिए भेजा जाये इसके लिए मेरा प्रस्ताव है।

(म०प० 6.37)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इसकी आवश्यकता अकाल का नाम लेकर प्रतिपादित कर दी लेकिन जैसा मैंने, माननीय सभापति महोदय पहले कहा था कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान युद्ध के नाम पर जो सरचार्ज लगा वह दोनों परिस्थितियां समाप्त हो गई और समाप्त हो जाने के बाद भी सरचार्ज वापिस नहीं हुआ। स्थितियां ठीक हो गई, और अब सरकार ने पुनः 1 परसेन्ट नहीं, 2 परसेन्ट नहीं ट्रक वालों पर 20 परसेन्ट बस वालों पर 15 परसेन्ट टैक्स अकाल का बहाना लेकर बढ़ाया है। यह बहाना है अकाल समाप्त हो जायेगा लेकिन यह टैक्स जो आज यहां पर लगाया गया है सरचार्ज के नाम पर यह समाप्त नहीं होगा। मैं सभापति महोदय, यह ध्यान दिलाना चाहता

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कि आपने टैक्स 4,650.80 ले लिया। आपने ले तो लिया लेकिन जो लोग ट्रक व्यवसाय में लगे हुए हैं और उनको जो कठिनाइयां हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब ट्रक वाले ट्रक को लेकर पास होंगे तो प्रत्येक नगरपरिषद् की चुंगी चौकी पड़ेगी और वह ट्रक वालों से रिश्वत लेंगे। यदि तीन दिन का भी परमिट लिया है ट्रक वाले ने तो उसको रिश्वत देनी पड़ेगी।

इसके बाद टायरों का जहां तक सवाल है टायर मंहगे मिल रहे हैं, ब्लैक से मिल रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि और वह मिल रहे हैं माननीय मंत्रीजी आपकी सरकार की अकर्मण्यता के कारण, भूल के कारण ट्रक वालों को टायर हंमगे मिल रहे हैं। इसलिए कि सन् 70 से कन्ट्रोल लागू किया गया। अभी तक कन्ट्रोल था। डी० एस० ओ० के यहां एक कमेटी बनी थी और उसकी मीटिंग प्रत्येक सप्ताह होती थी और ट्रक के टायर इस कमेटी के जरिये दिये जाते हैं लेकिन सन् 1973 में भारत सरकार का पत्र आया उद्योग विभाग के नाम .....

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, कोरम नहीं है और हमारी कार्यवाही चल रही है।

श्री सभापति : है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कहां है गिनिये।

(गण-पूरक-घंटी)

(6.38 म०प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करने जा रहा था कि टायर भी लोगों को मिलते हैं और ब्लैक से मिलते हैं और वह भी राज्य सरकार की गलती के कारण। सन् 1970 से कन्ट्रोल लागू है अभी तक लागू था लेकिन भारत सरकार ने सक्यूंलर भेजा। सन् 1973 में वह भेजा कि यदि किसी राज्य में टायर कन्ट्रोल पर दिये जा रहे हैं तो इसकी स्वीकृति भारत सरकार से लेनी आवश्यक है। लेकिन खेद का विषय है कि उद्योग विभाग की अकर्मण्यता के कारण 1975 तक भी स्वीकृति नहीं ली गई और स्वीकृति नहीं लेने के कारण जो टायरों के वेचने वाले लोग हैं वह हाई कोर्ट में गये और वहां से उनको स्टे मिल गया। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब वह टायर लोगों को ब्लैक से मिलने लगे हैं और एक एक टायर पर एक-एक हजार का ब्लैक होगा। इस मामूली सी गलती के कारण कि भारत सरकार की स्वीकृति ले ली जाती तो जितने भी टायर हैं वह सस्ते रेट पर मिल जाते।

फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्ट्स भी लोगों को ब्लैक में मिलते हैं। ट्रकों के पार्ट्स भी लोगों को ब्लैक से मिलें, डीजल भी महंगा मिले और वह भी आसानी से नहीं मिलता है। आपने 20 परसेंट टैक्स बढ़ाया और आप असुविधाओं की तरफ भी तो देखिये। मोबिल आइल में भी मिलावट और उसके लिए भी कहीं कोई लेबोरेटरी नहीं उसके साथ 2 ट्रक वालों को सबसे बड़ा कष्ट यह है कि राजस्थान में उनको नदर्न जोन का परमिट नहीं मिल रहा है। हालत यह है कि 74 के मोडल की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, नई गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको परमिट नहीं मिल रहा है और 19-12-74 को पिछली बार तारीख थी उसके बाद न जाने कब जाकर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निर्णय होगा। 74 की गाड़ियां खड़ी हुई हैं और खड़ी हुई गाड़ियों का टैक्स राज्य सरकार ले लेती है लेकिन वे गाड़ियां अभी चली नहीं हैं लेकिन उनका टैक्स अदा किया जाता है। मैं यह निवेदन करूं कि राजस्थान में कितने ही ट्रक हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उसमें से 80 प्रतिशत केवल उनके परमिट राजस्थान ही राजस्थान के हैं, बीस परसेंट राजस्थान के ट्रक हैं केवल उनको अस्थायी परमिट हैं पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के जिनका यह व्यवसाय है उनके इस व्यवसाय को राज्य सरकार की उपेक्षा के कारण कितना नुकसान हो रहा है। जबकि भारत सरकार का एक पत्र इंडिया मोटर और इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नाम पर उन्होंने चिट्ठी भेजी है कि भारत सरकार को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है यदि राजस्थान सरकार इन सारे ट्रक आपरेटर्स को यदि नदर्न जोन का परमिट दे दे। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का परमिट दे दे, यह पत्र मेरे पास में मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी इन ट्रक वालों के नदर्न जोन का परमिट नहीं दिया जाता है। मैं यहां पर यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि राजस्थान में हालत यह है कि जो खाली गाड़ी है, खाली गाड़ी पर भी टैक्स लिया जाता है, खड़ी गाड़ी पर लेते ही हैं, खाली गाड़ी पर भी टैक्स लिया जाता है। गाड़ी जब खाली हो तो भी टैक्स लिया जाएगा और यहां पर हालत यह भी है कि राजस्थान में ज्योंही कोई व्यक्ति अपने ट्रक की चैसिस खरीदेगा, चैसिस खरीदते ही दोनों प्रकार के टैक्स लागू कर दिए जायेंगे। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, गाड़ी सड़क पर नहीं आती तब तक टैक्स किस बात का लेकिन यहां पर चैसिस खरीदते ही आप टैक्स लगा देंगे। वह गाड़ी न जाने साल दो साल में कब बोडी बन कर सड़क पर आएगी लेकिन आप चैसिस खरीदते ही टैक्स लगा देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में नहीं है।

इसके बाद आपने विभाग को दोनों को एक कर दिया। लेकिन आज भी इस जयपुर जिले में मैं निवेदन कर रहा हूं कि गुड्स टैक्स अलग से, रोड टैक्स अलग से, गुड्स टैक्स 20 मार्च तक जमा कराओ और रोड टैक्स 15 अप्रेल तक कर दिया। यह दोनों 20 रोज पहले टैक्स जमा कराना पड़ेगा। यह राजस्थान में केवल जयपुर जिले में इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेलवे वाले भी सेलस टैक्स के लिए परेशान नहीं करते लेकिन ट्रक वालों को हर चैक पोस्ट पर रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा कि सेल्स टैक्स दिया या नहीं। भारत सरकार का टैक्स दिया या नहीं। हर चैक पोस्ट पर रोक देंगे जबकि आर० एस० टी० नम्बर बताना ही काफी होता है। इसके बाद यह मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह व्यवस्था हो जाय कि चैक पोस्ट वाले नाम पूछ लें, उसके मालिक का नाम पूछ लें, लेकिन आपके यहां पर तो यह है कि माल उतार दो तो सुरक्षा कौन करेगा। वहां पर पुलिस वाले नहीं। कोई अच्छा माल है और डाका डाल कर ले जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इसके अलावा वहां उतारने चढ़ाने की मजदूरी देनी पड़ेगी। उस ट्रक की सुरक्षा की व्यवस्था होगी नहीं। पिछली बार जब ट्रक आपरेटर्स की स्ट्राइक हुई थी तो राजस्थान के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इस प्रकार राजस्थान की चैक पोस्टों पर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

इनका माल नहीं उतारा जाएगा लेकिन उस आश्वासन के बावजूद आज तक मालिक परेशान हैं। मैंने एक पत्र आपके सामने रखा था मंत्रीजी। अब दूसरी ओर जो आयकर विभाग के हैं उनकी धांधली होती है। फिटनेस के लिए सो रुपये, परमिट के लिए दस रुपये की जगह दो सौ रुपये, अस्थायी आज्ञा के लिए 25) रुपये, गाडी ट्रांसफर के लिए ढाई सौ रुपये और काउण्टर हस्ताक्षर कराने जायेंगे तो उसके सौ रुपये, एन० ओ० सी० के दो सौ रुपये। और फिर वीकली टैम्परेरी परमिट के लिए, दिल्ली वाला राजस्थान में आ गया और राजस्थान में चलाना चाहता है तो राजस्थान का टैक्स तो लेंगे ही लेकिन अब आप टैक्स नहीं लेंगे, वीक्ली टैक्स के नाम पर इस प्रकार की लूट मचा रखी है कि मैं समझता हूं कि आखिरकार यह है क्या। बीस पर्सेंट टैक्स तो बढ़ा दिया, इस प्रकार 4600) रुपये एक वर्ष में कर लगा दिया लेकिन उसको राहत क्या दी। आखिर यह उद्योग है। उस उद्योग को भी आप गारण्टी करेंगे कि किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। तो आप उस उद्योग को चौपट करने के लिए हैं या उस उद्योग को बढाने के लिए। इसलिए आपके विभाग की अकर्मण्यता के कारण आप राजस्थान के ट्रक आपरेटर्स को नदर्न जोन का परमिट नहीं देंगे।

अब मैं दूसरा आपका ध्यान एक जयपुर शहर के बारे में दिलाना चाहता हूं। यहां पर एक ट्रक स्टैंड की योजना बनी थी कि भाई जयपुर में आवागमन के ध्यान से ट्रक उधर के उधर चले जायं। आपने उस ट्रक स्टैंड योजना में जनता को प्लाट काट दिए। आपको देना था ट्रक आपरेटर्स को और प्लाट काट दिए जनता को। और जिस समय मोहनलालजी सुखाड़िया मुख्य मंत्री थे उन से शिष्टमण्डल मिला। मिलने के बाद उन्होंने कह दिया कि अच्छा रोक देते हैं। रोका कब जब जमीन निकल गई। अब कुल तीस हजार गज जमीन है। जयपुर में इतनी बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं कि दो कम्पनियां ही इस सारी जमीन को ले सकती हैं और जमीन का भाव आज किस भाव पर चल रहा है। दस साल पहले क्या भाव थे और आज क्या भाव चल रहे हैं। दस साल हो गए जबकि यह ट्रक स्टैंड की योजना बनी थी लेकिन थोड़ी सड़क बनी है, टंकी पड़ी है लेकिन पानी नहीं वाटर सप्लाई नहीं बिजली का प्रबन्ध नहीं, पानी का प्रबन्ध नहीं, टीले खड़े हुए हैं उनकी सफाई नहीं और जमीन के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। अर्थात् उस समय 15) रुपया गज का लेटर दिया गया लेकिन कहा कि 15) रुपये में नहीं देंगे। 60 रुपये में देंगे। अब कहते हैं साठ मे भी नहीं थोड़ी रेट बढायेंगे। धीरे धीरे रेट बढती चली जाएगी पट्टा मिलेगा नहीं, शिफ्ट होंगे नहीं और यह ट्रक स्टैंड की योजना ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी और ट्रक स्टैंड योंही बना रहेगा। ट्रक के आवागमन के लिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानपुर में, इन्दौर में, दिल्ली में, वहां पर ट्रक स्टैंड की योजना है वहां के लोगों को 15) रुपया गज के हिसाब से जमीन दी गई लेकिन यहां पर अभी तक ट्रक स्टैंड योजना नहीं बन सकी। नगर विकास न्यास बिल्कुल चुपचाप।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

आपके सामने यहां पर दुर्घटनायें होती हैं लोग ट्रकों के नीचे आते हैं मर जाते हैं और

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

बाजारों में से जिस समय ट्रक निकलती हैं उनको भी कठिनाई है। यदि आपको देखना हो तो इसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर आप थोड़ी देर में जब आठ नौ बज जायं राम प्रकाश सिनेमा के साथ ट्रक खड़े रहेंगे, लाईट की व्यवस्था नहीं है, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है और लोग आवें दिल्ली की तरफ से और सीधे ट्रक से टकरा जायेंगे। ट्रक चलाने वाले वहां पर भोजन करेंगे और ट्रक लाईन से बाजार में खड़े होंगे, गाड़ियां उधर निकलती हैं और उनसे टकरा जाती हैं। नवम्बर 74 के अन्दर यह हुक्म निकाल दिया कि शहर में ट्रकों का आना जाना बन्द। फिर ट्रक वालों ने स्ट्राईक की, जुलूस निकाला, जुलूस लेकर गए तो उसके परिणाम स्वरूप तीन माह का समय और बढा दिया और उसके बाद तीस दिसम्बर को मोती-डूंगरी रोड़ पर कई झगड़े हुए, लोग मरे, ट्रकों को रात रात में पकड़ कर लोगों को थाने में बुला कर पीटा गया। मुख्य मंत्रीजी से जाकर मिले तो मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया कि आवश्यक कार्यवाही करेंगे। क्या हुई आवश्यक कार्यवाही? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है जो आप सदन में लाए हैं। आपने 20 परसेंट टैक्स बढ़ाया है और इस प्रकार आपने ट्रक वालों की असुविधा बढ़ाई है। टैक्स के नाते बढ़ाई है और सारी कठिनाइयों की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि बिल को जल्दी में पास नहीं करावें यों भी कोरम नहीं है, छः छः बार घण्टी बोल चुकी है, फिर कोरम का अभाव हो जाएगा, आप जल्दी कृपा करके मत कीजिए। जनमत जानने के लिए यदि प्रसारित करें तो मैं समझता हूं कि आपकी बहुत कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर। (अनुपस्थित)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन। (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : नो सर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हण्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अधिक नहीं कहना है। कोई द्रौपदी का चीर तो यह है नहीं कि जिससे सारे ही प्राब्लम निकलते चले जायं और काफी लम्बा खींचा है माननीय सदस्य ने जो हवामहल से आये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपको प्रेरणा नहीं मिली इनसे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुझे प्रेरणा नहीं मिली। मेरी प्रेरणा मर गई, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं कि अकाल के नाम पर आपने अनेकों टैक्स लगाये हैं और उनका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है। टैक्सेज लगाये बिना तो राज्य चलता भी नहीं है, लेकिन कैपेसिटी के मुताबिक और उसका इम्पेक्ट किस पर होता है यह देखकर ही टैक्स लगाये जाने चाहिएं। यह एक प्रगतिशील सरकार का दृष्टिकोण हो सकता है। आपने 10 परसेन्ट टैक्स गुड्स पर लगाया है और इनवेरियेबली सब गुड्स पर लगाया है चाहे वह रिफ्रीजरेटर हों, चाहे कूलर्स हों चाहे अनाज ढोवें, चाहे चारा ढोवें। 10 पर्सेन्ट टैक्स सारे गुड्स पर लगाया है। मैं और पार्टी इससे सहमत नहीं हूं। आप लग्जरीज को ढोने पर टैक्स लगायें तो कोई दिक्कत नहीं है। लगातार आप अपने एक्सचेकर को बिल्ट अप कीजिये और उससे खर्चा चलाइये। अकाल की स्थिति है उससे मुकाबला

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कीजिये, लेकिन नाज पर जो टैक्स लगाते हैं या फोडर पर लगाते हैं, या वेजीटेबल पर टैक्स लगाते हैं या रफ क्लाथ पर टैक्स लगाते हैं तो ट्रक वाले उसकी रेट ज्यादा लेंगे और इन्डाइरेक्टली वह सारे का सारा टैक्स कन्जूमर पर पड़ेगा और प्राइस के इन्फूलेशन के अन्दर वह एक चीज एड करेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अर्ज करता हूं आपकी मार्फत निहायत अदब से कि कम से कम वह इसको सारे गुड्स पर हटा दें और जो कन्जूमर्स गुड्स हैं और आम पब्लिक के गुड्स हैं उनको टैक्सेशन से एक्जेम्प्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई।
(अनुपस्थित)

श्री केसरीमल।

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया:

"राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे समिति के सदस्यों की नामावलि बाद में प्रस्तत कर दी जायेगी"]

श्री केसरीमल (व्यावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं और माननीय हाण्डाजी ने जो कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं। टैक्सेज जो लगाते हैं उनमें डिस्क्रीमिनेशन करना चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं किया गया है और वह जो रोजमर्रा के आने वाले चाहे खाद्य पदार्थ हों या और चीजें हों उनको छोड़कर दूसरी चीजों पर ज्यादा टैक्स लगाते, कीमती चीजों पर टैक्स लगाते तो समझ में आता। जिनका 1 लाख का काम है उन पर भी उसी प्रकार का टैक्स लगायेंगे और जिसका 100 रुपये का काम है उस पर भी उसी प्रकार का टैक्स लगायेंगे, यह गलत तरीका है। इसमें फर्क करके चला जाय। टैक्सेशन पालिसी में इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। जिनके पास नहीं है उनसे न लें और जिनके पास ज्यादा है उनसे लें और जिनके पास उनसे भी ज्यादा है उनसे और ज्यादा लें। यह डिस्क्रीमिनेशन नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता है। इससे यह होगा कि गरीब पिटेगा और गरीब पिटता भी है। इसलिए यह जो बिल है इस पर विचार करेंगे। आपने जो इस प्रकार से टैक्स लगाया है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं निवेदन करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये कि आप ऐसी कोशिश करें, अभी भी आप विचार करके इसको इस तरह से कीजिये कि जो रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजें हैं उनको छोड़कर जो कीमती चीजें हैं लक्जरी की चीजें हैं उन पर टैक्स लगायें और इनको छोड़ें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतीराम यादव।
(अनुपस्थित)

श्री झाबरमल सूण्डा। (अनुपस्थित)

माननीय मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके बारे में पहले भी कई मुद्दे उठाये थे उस वक्त बोल चुका हूं। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने तो जयपुर ट्रान्सपोर्ट डीलर्स एसोसियेशन का मेमोरेण्डम ही पढ़ डाला। यह मेरे पास आ चुका है। वह विचारार्थ है। इनकी प्राब्लम्स जो भी हों चाहे बोर्डर पोस्ट्स का सवाल हो, चाहे चैकिंग एजेन्सी का सवाल हो, चाहे आर० टी० ओ० आफिस का सवाल हो, चाहे हैवी टैक्सेशन का सवाल हो,

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
चाहे एलाटमेंट ग्राफ लैण्ड का सवाल हो जल्दी ही उसकी मीटिंग होने वाली है। सारे का सारा मेमोरेण्डम हवामहल से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ डाला है वह भी बिल के दरम्यान।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि टैक्सेशन के जो भी ग्राधार होने चाहियें मैं उसके ग्रन्दर नहीं गया ग्रौर ग्रभी तक नहीं गया लेकिन मैं समझता हूं कि उसी तरह के ग्राधार को मद्देनजर रखकर टैक्स लगाते हैं, ग्रौर मैं मेरे ग्रनुभव के ग्राधार पर कह सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट इन्डस्ट्री टैक्सेज को झेलने में सक्षम है, ग्रौर इस सर-चार्ज के जरिये ही हम ग्रकाल का जो भी काम खोलना चाहते हैं ग्रौर सूखे से लड़ना चाहते हैं उसमें मदद दे सकेगा ग्रौर सरकार भारी कार्यक्रम को ले पायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री तथा मालकर (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय ?

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव ग्रस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय ?

(ग्रस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव ग्रस्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है राजस्थान यात्री तथा माल कर (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप भाषण दे दें।

परिनियत संकल्प

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया:

यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान कराधान विधियां द्वितीय संशोधन) ग्रध्यादेश, 1974 (ग्रध्यादेश सं० 23, सन् 1974) व दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) ग्रध्यादेश, 1974 (ग्रध्यादेश सं० 32, सन् 1974 को ग्रस्वीकार करता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ठीक करने के लिए ग्रौर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कहा है इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ग्रापने टैक्स बढ़ाया है मैं उसका विरोध करता हूं। इस संबंध में निवेदन करूंगा कि 3, 5 ग्रौर 10 करा है वह भी ग्रापने इस ग्रार्डिनेन्स के मारफत।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पहले से 30 पर्सेंट डामर वाली सड़क का है, 25 पर्सेंट कच्ची सड़कों का है और उन पर 5 पर्सेंट बंगला देश के नाम से जो टैक्स लगाया था वह बदस्तूर चला आ रहा है। 10 पर्सेंट रोड टैक्स के नाम से लगा रहे हैं। तो यह 45 पर्सेंट तो आपका हो गया यानी 100 रुपये में से 45 रुपयों के तो आप मालिक हो गये। तो विशेषरूप से मैं यही निवेदन करूंगा कि यह ठीक है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है सरकार कैसे चलेगी और टैक्स लगाने का आपका अधिकार है, इसमें दो राय नहीं है। आप जितना कर लगाना चाहेंगे लगायेंगे मेरे कहने से रुकेंगे तो नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट सत्र के बीच में जितना टैक्स लगाना चाहें लगा लें, लेकिन सत्र के अवसान के बाद बीच के पीरियड में लगायें तो हम इसका विरोध नहीं कर सकते हैं उस दरम्यान में यदि आप अध्यादेश के मारफत राज्यपाल महोदय के दस्तखतों से टैक्स लगाने का जो नया तरीका आपने आविष्कार किया है, उसका मुझे विरोध करना है। बजट के सत्र में कुछ भी करें मुझे कुछ नहीं कहना है।

यहां पर आपने प्राइवेट बसेज की रूट्स को नेशनेलाइज्ड कर दिया। आप स्वयं मानते हैं कि आपका नेशनेलाइजेशन फेल हो गया और फेल हो जाने के बाद आपने जनता की सुविधा का नाम लेकर, यह जन-सुविधा का शब्द आपका बड़ा मीठा है, उसके नाम पर आपने प्राइवेट बसेज को भी प्लाई करने की अनुमति दे रखी है। आप स्वतः करते हैं। मैं किसी की वकालत नहीं करता हूं। मेरा निवेदन यही करना है कि यदि राज्य सरकार के पास पर्याप्त बसेज नहीं थीं, साधन नहीं थे, डीजल नहीं था, गाड़ियां नहीं थीं तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीयकरण करने का ऐसा कौनसा भूत सवार हो रहा था ? उन रूट्स पर आप भी चलते और प्राइवेट बसेज भी चलतीं तो किराया कम रहता। आपको ध्यान होगा कि जयपुर और अजमेर के बीच जब रोडवेज चलती थीं तो दो रुपया किराया कम्पीटीशन के आधार पर था और लोग जयपुर से पुष्कर आठ आने में स्नान करके आगये थे। सुविधा की यदि भावना थी तो उन रूट्स पर अपनी बसें भी चलाते और प्राइवेट बसेज भी चलतीं तो प्राइवेट बस वालों को भी काम मिलता जो कि बेरोजगार हो गये हैं और उनके हाथ पल्ले भी कुछ पड़ता, वे चाहे मालिक थे, कन्डक्टर थे, चाहे ड्राईवर थे उनका भी काम हो सकता था और आपका भी काम चलता रहता। कम्पीटीशन को आधार न रखकर आपने रूट्स का नेशनेलाइजेशन कर दिया। उसका मतलब यह है कि आपकी मोनोपोली हो गई। उस पर चाहे आपकी खराब बस चले, चाहे गाड़ी खड़ी हो जाय, चाहे टूल डाउन हो जाय, चाहे किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था हो जाय, लेकिन आप कहेंगे कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है। किस आधार पर आप टैक्स बढ़ाते चले जायं ? तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने रखा है बिल तो जिसके आधार पर आप टैक्स बढ़ाने को चले हैं तो मेरा निवेदन यह करना है कि वह चोर दरवाजे से अध्यादेश का प्रयोग करके किया है। जिस समय विधान सभा का सत्र हो उस समय अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो आपको अधिकार है आप बढ़ायेंगे। इस प्रकार से अध्यादेश के मारफत जो 10 पर्सेंट टैक्स आपने अकाल के नाम पर लगाया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

माननीय सदस्य ने कहा है, टूल डाउन हो जाये । यह टूल डाउन समझ में नहीं आया है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने कहा है, बसेज खड़ी हो जायें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका मतलब है, ब्रेकडाउन हो जाये ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन । (अनुपस्थित)

श्री केदारनाथ (अनुपस्थित)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी-बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बिल के बारे में विशेष नहीं कहना है । सिर्फ कुछ सुझाव देना है । इसमें कुछ नॉन टैक्सेबिल व्हिकल भी हैं और जितने कर हैं, उन पर मुझे आपत्ति नहीं है । वह अफोर्ड कर सकते हैं । लेकिन इसमें हर व्हिकल शामिल कर लिया गया है । स्कूटर भी शामिल कर लिया गया है । आज स्कूटर ऐसी चीज हो गई है कि उसे छोटे बड़े सभी इस्तेमाल करते हैं । तो मैं चाहूंगा, जो दो पहियों की गाड़ी स्कूटर है, उसको इससे निकाल दें । बाकी जो लगा दिया है, उसमें मुझे और मेरी पार्टी को कोई आब्जेक्शन नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्कूटर के साथ साथ इसमें यह भी जोड़ दिया जाये कि ऐसी बसें जो पैसेंजर्स को ले जाती हैं उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगाया जाये ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, टैक्स की दरें बहुत कम हैं । मैंने निवेदन किया था कि यह इण्डस्ट्री के लिए जरूरी हैं ।

एक माननीय सदस्य : स्कूटर भी · · ·

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्कूटर टैक्स की दरें काफी मिनिमम हैं । जो स्कूटर रखता है, वह यह भी अफोर्ड कर सकता है । यह तो स्कूटर वालों का कण्ट्रीब्यूशन माना जायेगा । तो मेरा खयाल है, उनका सहयोग ही होना चाहिए । यह हो सकता है कि करने के लिए तीन महीने हों या 6 महीने हों यह विचार करेंगे । पर टैक्स लगेगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये ।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 5 नवम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान कराधान विधियां (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं० 23, सन् 1974) व दिनांक 24 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश सं० 32, सन् 1974) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालक करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया : "राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप तो बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पहले तो अध्यादेश पर बोला हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जैसा कि सुझाव आया है। यह बात सही है कि स्कूटर, ओटो रिक्शा और टैम्पू पर भी यह टैक्स लगाया गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बसेज पर भी लगाया गया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बसेज तो हैं ही। तो यह जो गरीब आदमी बैठते हैं। तो यह भी महंगी हो जायेगी। तो आपने टैक्स बढ़ाकर वसूल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसका मैंने विरोध किया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो इस व्यवसाय में लगे हुये हैं, उसमें टैक्स पड़ने वाला पक्ष ही ज्यादा है। उनकी भी कुछ मांगें हैं। उनकी जो असुविधाएं हैं, उन पर भी विचार किया जाये। मैं यह जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की हालत बिल्कुल खराब है। ऐसी कोई सड़क नहीं मिलेगी जहां कच्चा मार्ग नहीं आता है। कच्ची पुलियाएं मिलेंगी। 10, 5 और 45 आप लेने जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि सड़कों की हालत ठीक नहीं है। आपने टैक्स सीटों के आधार पर लगा रखा है। माइलेज के आधार पर नहीं लगा रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि तीन महीने बराबर बस नहीं चलती है लेकिन आप कहेंगे कि 3 महीने का कार्यालय में टैक्स जमा कराओ। सड़कों की हालत खराब है। आपको माइलेज के आधार पर टैक्स लगाना चाहिए। सड़कों की हालत भी ठीक नहीं करेंगे। रेतीले हलकों में खड्डे पड़े हुये हैं। मिट्टी पड़ी हुई है। उस मिट्टी को राजस्थान सरकार साफ करने की कोई व्यवस्था नहीं करती है। न सड़कों को ठीक करने की कोशिश करती है। कर आपने 30% लगाया है। यात्री कर और रोड टैक्स भी आपने लगा दिया है। दोनों को मंत्री महोदय भी मीलान करेंगे तो रेल किराये से अधिक पड़ता है। रेल्वे सस्ती और बसें महंगी होंगी। आप सोचिये कि इस व्यवसाय में जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति होगी। मैं समझता हूं कि रेल्वे में लोग जायेंगे। राजस्थान वैसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। 5% आपने बंगला देश के नाम पर किया है। आप सदन में यह कहने वाले कभी नहीं हैं कि हम उसको वापिस लेते हैं। राजस्थान में अकाल के नाम पर आपने टैक्स लगाया है। अकाल राजस्थान में हमेशा पड़ता रहेगा। अकाल के नाम पर बराबर टैक्स बढ़ाते जायेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालत यह है कि जब आदमी ने रोड टैक्स दे दिया तो यह कौनसा तरीका है कि किसी मेरिज पार्टी की बस है, जब रोड टैक्स दे दिया तो स्टे टैक्स किस हिसाब से चार्ज किया जायेगा। जब सड़क पर चलने का दे दिया तो 20 रुपया प्रति दिन सड़क पर खड़ा रहने का लेते हैं। मैं समझता हूं कि यह अच्छी व्यवस्था नहीं है।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपकी बस चल रही है, चलते चलते खराब

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हो गई तो दूसरी बस को लगा देते हैं। लेकिन प्राइवेट बस ग्रापरेटर की बस चल रही है, उसकी बस खराब हो गई। वह मार्ग पर से हटा कर दूसरी बस, जिसका टैक्स जमा करा दिया है लगा दी, तो उससे टेम्प्रेरी परमिट के नाम पर 20 रुपये रोड टैक्स के नाम से कैसे ले रहे हैं? वह बस चली गई, दूसरी बस चल रही है, तो बीस रुपये प्रति दिन के हिसाब से टेम्प्रेरी परमिट देते हैं। उसकी वसूली करते हैं। क्या यह न्याय संगत बात है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से आपने टैक्स में वृद्धि कर दी है। राज्य परिवहन प्राधिकार के ग्रादेश के विरुद्ध 50 रुपये से बढ़ा कर 200 रुपये अपील फीस कर दी है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के ग्रादेश के विरुद्ध 25 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये अपील फीस कर दी। कानून में पहले अपील में जाने का अधिकार था, अगर किसी पर अन्याय हो रहा हो, लेकिन अब फीस भी चेंज कर दी है तो दो सौ रुपये देकर कौन आदमी अपील में जायेगा। इस प्रकार लोग न्याय प्राप्त करने जा नहीं सकते। आपके प्रार्थना-पत्र की फीस 10 थी, वह 25 कर दी। परमिट फीस का एक पैसा भी नहीं लगता था, वह दो सौ कर दी। परमिट हस्तान्तरण फीस पहले 500 रुपये थी, वह एक हजार कर दी। मेरा निवेदन करना यह है कि इसी प्रकार फिटनैस फीस वगैरह लगा कर अप्रत्यक्ष टैक्स लगा कर इस व्यवसाय में लगे हुए लोग हैं, उनसे अप्रत्यक्ष रूप से टैक्स ले लिया। अपील के द्वारा उनको न्याय नहीं मिले--इसके लिए टैक्स बढ़ा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सड़कों की दशा खराब है, इसलिए जो लोग रोड टैक्स भी देते हैं उनके साथ आपको अन्याय नहीं करना चाहिए। यही नहीं, किसी का मोडल चेंज हो गया, बस खरीदी नहीं। लेकिन आप कह देंगे, मोडल चेंज हो गया है। पुरानी वाली बस का भले ही माइलेज कम आया हो, लेकिन मोडल चेंज होने के कारण उसको खटाले में वह डाले और नयी बस लेकर उसे देनी पड़ेगी। मेरा निवेदन है कि जब बस की कन्डीशन ठीक है माइलेज के आधार पर आपको विचार करना चाहिए कि इतनी चली है। मोडल पुराना हो या नया, काम चला रही है। इसलिए मोडल के आधार पर चेंज करने की नीति लगा रखी है, गरीब बस वालों पर, जब कि जो बस पचास हजार की आती थी वह अब एक लाख की आती है, तो उसे पुरानी खटाले में डालनी पड़ेगी। यह मुनासिब नहीं है। इसके साथ ही चैसिस की कीमत भी दुगनी हो गई है। जैसा पहले निवेदन किया था, ज्योंही व्यक्ति चैसिस बदले वह करते ही रोड टक्स लागू हो जायगा। यह कहां का न्याय है। जब व्यक्ति रोड पर बस चलाता है तब से टैक्स लेना चाहिए। आप क्या करते हैं, किसी रास्ते का नेशनेलाइज करना है तो उसको पब्लिश कर दिया, आपकी कार्यवाही चल रही है। कुछ लोग रूट पर आते हैं। उनको आप अस्थाई परमिट दे रहे हैं। जब आपको नेशनेलाइज करना है तो आप कहते हैं कि दूसरे मोडल की बस लाओ। जब उनके पास पुरानी वाली बस है तो नई बस क्यों लगायेंगे। आपने उनके सिर पर तलवार लटका रखी है नेशनेलाइजेशन की उस रास्ते पर आप अस्थाई परमिट देने जा रहे हैं तो लोग नई बस लगायेंगे नहीं। मेरा निवेदन है, इस सारे आधार पर, फिटनेस के आधार पर, सर्टिफिकेट के आधार पर, मोडल के नाम के आधार पर अन्याय चल रहा है, राष्ट्रीयकरण के नाम पर जो सब कुछ किया है, यह मुनासिब नहीं है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

आपने मोबाइल मजिस्ट्रेट वाली व्यवस्था की है, वह हिन्दुस्तान के किसी प्रान्त में नहीं है । मोबाइल मजिस्ट्रेट आयेगा । पहले चैकिंग करने वाला अधिकारी था, मोबाइल मजिस्ट्रेट दूसरा है और पुलिस विभाग तीसरा है, यातायात विभाग का चैकिंग अलग है । इस प्रकार चार चार चैकिंग करेंगे । आप एक ही व्यवस्था कर लीजिये । आप यातायात विभाग पर यह दायित्व डाल दीजिये, वह चैकिंग करेगा, अन्य विभागों को चैकिंग करने का अधिकार नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि मोबाइल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था केवल राजस्थान में है । अब मैं संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा....

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह संक्षेप में है ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रोड टैक्स राजस्थान में 1951 में 20 रुपये प्रति सीट था, 1956 में 25 रुपये प्रति सीट हो गया 1962 में 30 रुपये प्रति सीट हो गया 1964 में 37.50 पैसे प्रति सीट हो गया । 1966 में मोटर गाड़ी जिसकी सीट क्षमता 25 से अधिक नहीं, उस पर 35 रुपये, मोटर गाड़ी जिसकी सीट की क्षमता 25 से अधिक 40 सीट तक है, उस पर 40 रुपये और मोटर गाड़ी जिसकी सीट की क्षमता 40 से अधिक हो उस पर 50 रुपये प्रति सीट के हिसाब से था । मेरा निवेदन है कि इस सब पर टैक्स बढ़ा दिया । लोग आज इसलिए कह रहे हैं कि गरीबी मत मिटाओ, लेकिन गरीबी मिटाओ का नारा दिया था, गरीबी मिटाओ नारे से लोग महसूस करने लगे हैं कि जो 1951 में गरीबी थी, 1967 में यह नारा दिया था, उस समय की वह गरीबी वापिस कर दो । जिस गरीब को मिटाने का नारा दिया था, वह गरीबी लौटा दो । मेरा निवेदन करना है, कहां 20 रुपये और कहां 60, 70 रुपये । इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहता हूं, ए क्लास रूट पर 8 पाई प्रति सीट प्रति माइल 1951 में था, बी क्लास रूट पर 11 पाई प्रति सीट प्रति माइल थी और सी क्लास रूट पर 14 पाई प्रति सीट प्रति माइल थी । अब पैट्रोल के भाव हैं वह पैट्रोल के भाव बढ़ गये हैं । 1950-51 में 1 रु० 8 आना प्रति गेलन था, 1966 में 4 रु० 50 पैसे प्रति लीटर था और 1970-71 में 7 रु० 65 पैसे प्रति 5 लीटर था । मैं समझता हूं कि यह अब काफी बढ़ कर 16 रुपये प्रति 5 लीटर हो गया है । मेरा निवेदन करना यह है कि फिटनैस फीस 1952 में 5 रुपये थी, 1963 में यह बढ़ कर 20 रुपये हो गई, 1966 में बढ़ कर 60 रुपये हो गई, 1970 में 120 रुपये हो गई और 1974 में 180 थी, यह आपने फिटनैस फीस में वृद्धि कर दी । यह अन्याय है । इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस और नामान्तरण फीस में वृद्धि हुई है । मेरा निवेदन करना यह है, मैं संक्षेप में बात कह रहा हूं कि लोगों को बड़ी असुविधा हुई है । मेरा निवेदन है कि आपको यह बिल पास कराना है, आप हां पक्ष जीता, ना पक्ष जीता से यह सब पास करा लेंगे । मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं किन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो टैक्स बढ़ाया है, बस आपरेटर्स पर, स्कूटर, टेम्पो, रिक्शा वालों पर, जिनको आप कोई सहूलियत नहीं देना चाहते हैं, यह अन्याय है । मेरा इसलिए निवेदन है कि टैक्स बढ़ा रहे हैं और लोगों की असुविधा दूर नहीं करना चाहते हैं तो इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करेंगे, यह

Page No. 144

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
मेरी प्रार्थना है । इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, सरचार्ज के रूप में, टैक्स बढ़ाना और बढ़े हुए टैक्स को वापिस नहीं लेना न्यायपूर्ण नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित करें ।

श्री गोपाल जोशी : संक्षिप्त भाषण के लिए आभार ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात की गुंजारिश करनी है, मंत्री महोदय ने जवाब पेश किया है बिल का, जो लोग सक्षम हैं उन पर बोझ पड़े । तो प्रथम तो मैं गुजारिश करूंगा कि इन बसों और टैम्पो पर टैक्स लगाया जाता है, यह इन्डाइरेक्टली उन लोगों पर लगता है जो सफर करते हैं । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे यहां जो टैम्पो चला रहे हैं, उनको कान्ट्रेक्ट बेसिस पर रखा गया है, वह इस्तेमाल करते हैं, उन पर कोई कर नहीं लगता है । वह लोग तमाम इलाके में घूमते हैं, शहर से बाहर घूमते हैं, वह लोगों से पैसा वसूल करते हैं, उन पर कर लगाया है तो वजीह पैसा वसूल करेंगे । जो टैक्स आम जनता पर पड़ता है, उससे बचाया जाय । मंत्री महोदय ने और चीजों पर लगाया है वह लगायें लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि टैम्पो और स्कूटर को एक्जम्प्ट किया जाय । मेरी समझ में नहीं आया, कुछ सक्षम मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको काम करना पड़ता है, जो ज्यादा पैसा कन्वेयेन्स पर खर्च नहीं कर सकते, दो रुपये खर्च कर सकते हैं, वह सुवेगा या दूसरी गाड़ी खरीद लेते हैं और उस पर चल जाते हैं । उससे उनको फायदा होता है । यह बोझ है, इन्डाइरेक्टली पड़ता है छोटे लोगों पर । इन चीजों पर गौर करें और इनको एक्जेम्प्ट करके टैक्स लगायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल ।

श्री केसरीमल : आपने कह दिया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी मुद्दे उठाये · · ·

श्री खेतसिंह : हवा हो गये ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : उनके संस्कार प्रागैतिहासिक हैं, उसी तरह सोचते हैं कि विलेज व्यवस्था में आदमी रहे तो ज्यादा अच्छा है । मोटर व्हिकल्स आपरेशन के बारे में ब्यौरेवार और तरतीबवार उनकी तकरीर सुन रहा था तो मुझे एक रिमार्क याद आ गया, जो पार्लियामेंट में किसी ने दिया था :

"If you ask him time, he will narrate you the history, how the watch was manufactured."

मैं ज्यादा तफसील में नहीं बोल कर, आज क्यों टैक्स बढ़ा, किस तरह से बढ़ा है, रजिस्ट्रेशन का क्या है, टोकन का क्या है, यह कहूंगा कि हमारी व्यवस्था निरन्तर बढ़ रही है, ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री बढ़ रही है तो टैक्स निश्चित तौर से बढ़ेगा । ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री तेजी से पनप रही है, इस कारण से जो आइटम हैं, जो इन्डस्ट्री हैं, जो टैक्स सहन कर सकती हैं उस पर हम लगाते हैं यह सही है कि हमारी वैदिक सभ्यता नहीं रही । अगर सभ्यता रहती तो हवामहल के माननीय सदस्य के लिए अच्छा रहता । अब इसको एक्लीमैटाइज करना पड़ेगा । टैक्सेशन के नए नए तरीके हो रहे हैं । तो मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस माडरनाइजेशन के प्रॉसेस में आप एक्लीमेटाइज करेंगे और जो प्री-हिस्टारिक आउटलुक है उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे । अपील्स की फीस बढ़ाने के बाद भी अपील्स

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

होती हैं क्योंकि उनमें कैपेसिटी है इसलिए कर हम लेते हैं। लगातार सवाल उठते हैं कि कर क्यों लिए जाते हैं। ये कर तो निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए लगाया गया है। वैसे प्रायरिटी हमें फिक्स करनी पड़ेगी। सिंचाई के लिए जल्दी तय करना है या पावर में ज्यादा करना है, रोड्स को लो प्रायरिटी देनी है, ये प्रायरिटीज कौन तय करेगा ? इनके आधार पर रेसोर्सिज मोबीलाइज होंगे, इनके आधार पर विकास की दिशा होगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन प्रस्ताव को खारिज किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है कि····

श्री पुनमचन्द विश्नोई: पाइंट ऑफ आर्डर। अगर माननीय सदस्य का संशोधन नहीं है तो बहस नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह वास्तव में नियमानुकुल है क्योंकि खंड 2 से 4 तक कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 के खंड 2 से 4 तक स्वीकार किए जायं।

(स्वीकृत)

खंड 2 से 4 स्वीकार किए गए।

श्री उपाध्यक्ष : खंड 5।

श्री मोहनलाल छंगाणी : खंड में मेरा संशोधन है :

उप-खण्ड (ii) में–

(1) अभिव्यक्ति "remainder of the complete current month of the quarter of the year" के स्थान पर अभिव्यक्ति "remainder of the complete current month of the quarter or the year" प्रतिस्थापित की जावे, और

(2) अभिव्यक्ति "for the complete month in which the tax is revised or the remaining months of the financial year or of any quarter thereof, as the case may be" के स्थान पर अभिव्यक्ति "for the complete months in which the tax is revised or the remaining months of the financial year or of any quarter thereo" प्रतिस्थापित की जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : संशोधन के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन)

Page No. 146

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक, 1975 के खंड 5 में जो संशोधन प्रस्ताव मंत्री महोदय ने रखा है वह स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड 5 मय संशोधन के स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड 5 मय संशोधन के स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि विधेयक के खंड 6 को स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड 6 स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा नाम को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 का खंड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा नाम को स्वीकार किया गया ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को मय संशोधन के पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे तो इन्होंने पकड़कर बिठा लिया, अब क्या बोलूं ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) विधेयक, 1975 को मय संशोधन के पारित किया गया ।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975

परिनियत संकल्प

[निम्नांकित संकल्प सदन में प्रस्तुत किया गया:

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यादेश, 1974 (अध्यादेश संख्या 26, सन् 1974) को अस्वीकार करता है।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा । लेकिन खादी के व्यवसाय में जो लगे हुए हैं, अधिक लोन ले सकें केवल इस बारे में यह अध्यादेश लाया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : आप खादी पहनना थोड़े ही पसंद करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं खादी पहनने वालों की कद्र करता हूं और जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं वे भी श्रद्धा के पात्र हैं ।

श्री खेतसिंह : तो फिर टन्टा कहां है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप अपनी आदत छोड़ दें । आप इसके लिए अध्यादेश

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लाये, अगर सदन का अधिवेशन और आगे बढ़ जाता तो आप आधी रात को भी कोई न कोई अध्यादेश राज्यपाल से दस्तखत करवाकर लाते । आप छोटी छोटी बातों के लिए क्यों अध्यादेश लाते हैं ? बार बार अध्यादेश निकालने से राजस्थान की प्रतिभा नहीं हो रही है, अध्यादेशों के आधार पर आप सरकार चलाना चाहते हैं । आने वाले बहुत से अध्यादेश ऐसे हैं जिनमें सरकार उच्च न्यायालय से हार गई इसलिए अध्यादेश निकाल दिया । इसमें भी अध्यादेश लाने की जरूरत नहीं थी । अधिक पैसा आए और खादी पैदा करें कोई बात नहीं । खादी व्यवसाय में जो लगे हुए हैं सत्तारूढ दल को इन लोगों को एक प्रकार से खपाने का तरीका है, वहां काम करते रहें, कांग्रेस का समर्थन करते रहें । कई लोग शराबबंदी और दूसरे आदोलनों में भाग गए, उनसे कहते हैं कि तुमको लोन नहीं देंगे, यह नहीं देंगे । मामूली बातों के लिए सरकार अध्यादेश का प्रयोग करती है इसका मैं विरोध करता हूं इसलिए इस अध्यादेश को निरस्त किया जाए ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : चूंकि सदन को इन्होंने स्पेयर कर दिया । समय इतना लेना चाहिए जितना जरूरी हो । मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि जिस तरीके से यह बिल पेश किया गया है, वह नहीं आना चाहिए । परन्तु मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि जिस नजरिये से यह बिल लाया गया है हमको अब उस नजरिये का सदुपयोग करना चाहिए । खादी पर इतना रुपया खर्च हो रहा है यह भी देखना चाहिए कि उसका सदुपयोग हो रहा है अथवा नहीं । यह समझता हूं कि इन इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर छोटे–छोटे कर्मचारी काम करते हैं, उनकी कई शिकायतें हैं, उनकी तनखा क बारे में शिकायत आती रहती ह । इसलिए इसको किसी संस्था के ताकतवर बनाने के लिये इसको बनाया गया था, जिसको गांधीजी के सिद्धान्तों पर बनाया गया था । आज वैसा नहीं हो रहा है, आज कांग्रेस की रेली हो रही है, और खादी के लोग भी वहां जाते हैं तो उनको सफर करना पड़ता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि वे लोग जो आज हमारे उन सिद्धान्तों को नहीं मानते, उन उद्देश्यों को खत्म करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को समाप्त करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करना ठीक नहीं है । आज जो भी लोग हैं चाहे गोकुल भाई भट्ट हों या और कोई भी हों । जो भी कांग्रेस को ताकतवर बनाने के लिये बनाये गये थे वह गांधीजी के समान नहीं बन रहे हैं । आपको इस मसले पर संजीदगी के साथ विचार करना चाहिए । आज जो लोग यह कहते हैं कि हम नोन–वायलेंस के जरिये आगे बढ़ना चाहते हैं और तरक्की करना चाहते हैं और देश को नोन-वायलेन्स के तरीके पर डालना चाहते हैं परन्तु आज क्या स्थिति हो गई है देश के अन्दर । मैं अर्ज किया चाहता हूं कि कम से कम 45 बम विस्फोट नोन-वायलेन्स हो चुके हैं नोन-वायलेन्स के सिलसिले में और देश के एक बड़े नेता को भी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ा है इसमें । इसलिए मैं राज्य सरकार से अर्ज करना चाहता हूं कि इन संस्थाओं का नेशेनलाइजेशन कीजिये और इनकी मोनोपली को, ओटोनोमस बोडी को खत्म कीजिये । मेरा खयाल है कि अब खादी की वह जरूरत तो नहीं रही जो हमको आजादी के जमाने में थी, मेरा खुद का ऐसा खयाल है । मगर आप इसको कायम रखना चाहते हैं, रखिये, मुझे

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
इसमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन यदि आप समाजवादी नियमों को, उद्देश्यों को ही समाप्त कर देना चाहते हैं तो उनको समाप्त करने की कोशिश करें तो आप यह पूरा कीजिये कि आप किस प्रकार से उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं और क्या अख्तियारात आप देना चाहते हैं । उन संस्थाओं के हिसाब की आप पूरी तरह छानबीन कीजिये । जिस प्रकार से उनको कार्य करने पर मजबूर किया जाता है आप ठंडे दिमाग से सोचिये । वसे मेरा अपना खयाल यह है कि आप उनको डिजोल्व करिये । मगर आप खादी को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इनको जीवित रखने का उपाय करिये । आज 50 हजार रुपये गोकुल भाई भट्ट को मिला है, वह काम आयगा । मैंने कुछ कड़वे शब्दों में जरूर कहा है लेकिन मैं देश का हित सर्वोपरि मानता हूं । मेरा अपना खयाल है कि कोई भी काम देश के हित के खिलाफ किया जाता है तो उसकी भर्त्सना करेंगे और मैं चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं होने पावे जो देश के हित के खिलाफ हों । मैं चाहूंगा कि इस पर राज्य सरकार अच्छी तरह से गौर करे और उचित कदम उठाये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं महसूस करता हूं कि राज्य सरकार वास्तव में ऑर्डिनेन्स का छोटी-छोटी बातों को भी काम में लाने के लिये बहुत ज्यादा उपयोग कर रही है । इस सभा का नाम ही राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली है, यानि कानून बनाना इसका मुख्य और परम कार्य है । लेकिन यदि सभा की मीटिंग न हो रही हो, और उस हालत में राज्यपाल महोदय यह महसूस करें कि किसी समस्या का हल निकालना तत्काल जरूरी है उसमें कोई भी कानून बनाना हो तो किसी तरह का कानून बनाया जाय यह तो मैं मानता हूं । लेकिन देखना यह है कि लगभग पिछले तीन सालों से बुनियादी तौर पर कई कानून पास किये गये हैं । इसके बाद इनको प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया हो, या जनमत जानने के लिये प्रसारित किया हो उसके बाद उसकी रिपोर्ट सदन में पेश हुई हो, जो कानून पास हुए तीन सालों में मेरे खयाल से ऐसा हुआ नहीं है । जो भी कानून पास किये गये हैं, आनन-फानन तरीके से हुए हैं, इस तरह से सदन में रखे जायेंगे, तीन बजे बहस होगी, जिस तरह से मन्त्री महोदय आम तौर से जो स्टेन्ड होता है वही लेते हैं । हमारे अन्दर कई प्रकार के मूल विचार हैं उन पर विचार हो नहीं सकता । तो सारा काम एक प्रक्रिया के अन्तर्गत हो जाता है । सच बात तो यह है कि आर्डिनेन्स से जो कानून बनते हैं, विधेयक बनते हैं उनमें बार-बार अमेन्डमेन्ट की जरूरत होती है । कानून बनाना कोई आसान काम तो है नहीं । बढ़ते हुए प्रगतिशील समाज में कई नई परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, कई तरह की इमर्जेन्सीज भी हो सकती हैं इसलिए कानून बनाते समय सब तरह का खयाल रखकर कानून बनाना चाहिए । मैं समझता हूं कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है लॉ डिपार्टमेन्ट की, जो वह आम तौर से कानून का ड्राफ्ट करता है, मुझे नहीं कहना चाहिए, बहुत ही घटिया किस्म का होता है । उसमें इमर्जेन्सीज का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता । इससे क्या होता है कि जनता को आगे चलकर इस कानून से

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

तकलीफें होने लगती हैं और कई बार उसके उल्लंघन की स्थिति भी आती है । एक बार शायद पिछले सत्र में किसी कानून के सिलसिले में यह कहना पड़ा था कि 'वी शुड मेक इट क्लियर' । मैं समझता हूं कि बहुत सी बातें कानून बनाते समय नहीं आती हैं । देश के ऊपर कोई बड़ी आपत्ति आ जाय, कोई कुदरती प्रकोप हो जाय और कोई ऐसी बात हो जाय तो उसके लिए कानून बनायें । आप तो छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए चलते चलते रास्ते कोई बात हो जाय तो भी आर्डिनेन्स बना लेते हैं । यह मेरे खयाल से कोई अच्छी बात नहीं है । आगे और पीछे की सभी परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए आपको नियम वगैरह बनाने चाहिये । परन्तु आप जो समय समय पर आर्डिनेन्स लाते हो, निकालते हो मैं समझता हूं यह एक अच्छी प्रवृति नहीं है । अच्छा जनतन्त्र इस बात पर निर्भर करता है कि वह जनता को एक अच्छा कानून दे वह इसलिए सफल नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा कानून बनाये । इस तरह का कानून आना चाहिए कि उनकी आदतों को बदलें । ऐसे कानून बनने चाहिये कि जिसमें हमें कामयाबी मिले । जनता को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले । आप सिर्फ कानून बनाते ही मत जाइये । जो कानून आप बनाते हैं उसे आप समझ रहे हैं या नहीं, वह कानून आज की परिस्थितियों में चलने वाला है या नहीं । ऐसा कानून बनाने से कोई फायदा नहीं कि दो चार बातें इधर से दो चार उधर से लेकर आपने कानून बना दिया । इस तरह के कानून बनाने से मैं समझता हूं कि जनतन्त्रवाद को कोई फायदा नहीं होने वाला है । इसमें जनता को जनतन्त्रवाद से आस्था घटती ही है और वह कानून जनता को हितकर भी नहीं हो सकता है । और मैं तो समझता हूं कि इस प्रकार के कानून बनाने से कोई फायदा भी नहीं होगा । कानून हमेशा से कानून की दृष्टि से बनना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय सन् 1861 में मेकाले ने अंग्रेजों के जमाने में जो कानून बनाये थे उसमें आज भी सिवाय इसके कि हिज मेजेस्टी की जगह जरूरत पड़े तो हर मेजेस्टी लगादो या थोड़े बहुत दो चार शब्द इधर उधर बदलना पड़ता है बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है । कानून तो यह है जो इतने पुराने जमाने में कानून बनाये गये थे वह आज चल रहे हैं । ऐसा कानून बनाने से क्या फायदा कि एक बार आप कानून बना गये और उसमें पांच पांच बार संशोधन आपको करना पड़ रहा है । असल में तो उन लोगों ने कानून बनाने में काम किया था उन्होंने उसमें अपना दिल और दिमाग दोनों ही लगाया था । राज्य सरकार को चाहिये इस प्रकार से आर्डिनेन्स के जरिये बिल नहीं लावें । आर्डिनेन्स के जरिये तो बिल उस वक्त लाना चाहिये जब कि कोई एमरजेन्सी देश के सामने पैदा हो गयी हो । उस वक्त अगर आप कानून बनाते हैं और आर्डिनेन्स जारी करते हैं तब तो फायदा है वरना फिर क्या फायदा। आपने आर्डिनेन्स इश्यू कर दिया और बाद में हाउस में लाकर उसको हां ना कर दिया और उसे पास कर दिया। इससे तो मैं समझता हूं कि लोगों की आस्था जनतन्त्र में कम होती है । मैं समझता हूं कि वह कानून लाभप्रद भी जनता को नहीं होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि कानून ऐसा बनाया जाय जिसका आगे जाकर जनता को इसका लाभ मिले । बस मुझे यही निवेदन करना है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मन्त्री, खादी) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की कभी भी मंशा आर्डिनेन्स के जरिये से ही बिल पास कराने की नहीं होती हैं और आर्डिनेन्स हमेशा कोई एमरजेन्सी पैदा होती है तब ही जारी किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत आर्डिनेन्स इसलिये प्रस्तुत किया गया था कि खादी बोर्ड की परिस्थितियां ऐसी आ गयी थीं कि जो कमीशन द्वारा ऋण खादी ग्रामोद्योग को मिलता था वह बहुत कम हो गया और उससे जो अभावग्रस्त क्षेत्रों में काम चलाया जा रहा है लोगों को रोजगार देने का वह बराबर चल नहीं पा रहा था इसकी वजह से एमरजेन्सी की कन्डीशन में इस आर्डिनेन्स को इश्यू किया गया था। इसमें माननीय सदस्य जो पोलीटीकल स्वरूप देने की बात कह रहे हैं वह बात सही नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि वास्तविक मजदूरों को जो काम दिया जाता है वह हमें उन्हें दिलाना अनिवार्य हो गया था और हम उन्हें यह काम देंगे इसके लिये हमने पहले भी कहा था इसलिए इन सभी मुद्दों को नजर में रखते हुए हमने ऐसा किया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसमें कार्यवाही क्या की? इससे क्या इजाफा हुआ वह काम आप बतावें। आपने कौनसा काम नया किया जो पहले नहीं हो रहा था? और अब आपने इस आर्डिनेन्स के लाने के बाद कर दिया।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रगति का सवाल है मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि जो सन् 1969 में उत्पादन 305 लाख का था वह सन् 73-74 में करीब 460 लाख रुपये के लगभग हो गया। मैं समझता हूं कि काफी प्रगति हुई। काफी लोगों को मजदूरी मिली है अब पिछले वर्ष में कीमतें बढ़ने की वजह से थोड़ी कमी जरूर उसमें आई है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आर्डिनेन्स आने के बाद में क्या फायदा हुआ।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मुद्दा तो अभावग्रस्त क्षेत्रों में जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में भी कहा था कि हम इन क्षेत्रों में लोगों को डेढ़ दो करोड़ रुपये की योजना से ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि इन क्षेत्रों में लोगों को स्थायी काम दिला सकें। इसी उद्देश्य से कि लोगों को अधिक से अधिक काम मिल सके और बेरोजगारी समाप्त होकर लोगों को लाभ हो इसलिये यह सदन में लाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 को प्रख्यापित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यादेश 1974 (अध्यादेश संख्या 26, सन् 1974) को अस्वीकार करता है?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

अब आप माननीय मन्त्रीजी विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के लिये सदन से आज्ञा मांग लें।

श्री मूलचन्द मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी राजस्था

(श्री मूलचन्द मीणा)

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाय।

माननीय सदस्य श्री गिरधारीलाल भार्गव।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया गया:

"राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक सप्ताह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"]

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने अभी यह कहा कि यह बिल आर्डिनेन्स से इसलिये लाया गया है कि इससे लोगों को काम मिलेगा, यह तो सही है लेकिन गान्धीजी ने तो खादी को प्रोत्साहन करने के लिये किया, खादी को बढ़ावा मिले ऐसा किया गया लेकिन इसका फायदा आज राजनैतिक लोगों को हो रहा है। मैं कोई खादी के विरोध में हूं वह बात नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्या आप भी खादी पहनने का विचार रखते हैं तो बतादें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, अगर लोग यह समझते हों कि हम राजनैतिक विरोध के कारण विरोध करते हैं तो उनका यह समझना भूल होगा। लेकिन सवाल आज खादी के विरोध का नहीं है बल्कि आपका उसमें उद्देश्य है अपने लोगों को पैसा दिलाने का। ऋण दिलाने का।

एक माननीय सदस्य : क्या कहा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कर्जा दिलाने का। और वह भी अपने ही व्यक्तियों को। इसलिये मैंने इसका विरोध किया है। आपने खादी में क्या बढ़ावा किया। आपने तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है उसकी प्रगति हुई है। लेकिन आपने इसमें भ्रष्टाचार का कहीं उल्लेख नहीं किया है। और आज इसका असर यह हुआ कि जिस खादी को लोग महात्मा गान्धी की और देश के बड़े नेताओं की देन समझते थे और उसकी इज्जत करते थे वहां पर आज खद्दर पहनने वाले को लोग श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। आज बापू के नाम का ढिंढोरा पीटने वालों ने खादी का नाम बदनाम कर दिया है। आज कहने को तो आप कहते हैं कि खादी को बापू ने कहा था इसलिये प्रोत्साहन दे रहे हैं। अरे भाई बापू ने तो कहा था कि शराब एक जहर है समाज का कलंक है उसको नहीं पीना चाहिये, देश में शराब बन्दी होनी चाहिये आप वह तो नहीं कर रहे हैं। बेकार में बापू का नाम लेकर क्यों कहते हैं कि बापू ने खादी को बढ़ावा देने को कहा था। उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं। आज खादी के प्रोत्साहन का नाम लेकर अपने चहेते लोगों को नाजायज फायदा दे रहे हैं। बापू का कहना यहां पर फिट नहीं बैठता है। अगर आप खादी को ही सबसिडी देना चाहते हैं तो आपने खादी के बदले जनता को सस्ते दामों में अनाज लेकर क्यों नहीं बांटा वह भी तो सबसिडी है। आप गेहूं जनता को सस्ता दिलाते। राष्ट्रीयकरण नहीं करते जिससे व्यापारी बेकार नहीं होता, तुलारे को काम मिलता और जनता को आप अधिक मूल्य में खरीद कर सस्ते में गेहूं दिलाते तो वह गेहूं आज जनता को 80–90 रु० क्विन्टल मिलते वह आज जो भाव आपने 200 रुपये क्विन्टल कर दिया वह नहीं होते। इस प्रकार की सबसिडी देने में आपको क्या आपत्ति होती थी। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, खादी का ही प्रचार क्यों किया दूसरी बात के लिये क्यों नहीं किया। आज आपकी खादी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मिल के कपड़े से काफी महंगी आती है गरीब आदमी तो इसे खरीदने से मिल का कपड़ा पहनना उचित समझता है। मैं तो समझता हूं कि अगर यही रफ्तार रही तो आप हजारों की तादाद में लोगों को बेरोजगार कर देंगे क्योंकि खादी तो मिल के कपड़े से मंहगी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा एक जमाना ऐसा था कि जब लोग खादी पहन कर जाते तो जनता उनको श्रद्धा से नमस्कार करती, इज्जत देती। उन्हें आजादी के अन्दर भाग लेने वाले सेनानी समझती, आदर्श वाले लोग समझती और उनको नेताजी मान कर उनकी जय बोलते थे। लेकिन, क्षमा करना, यदि आप आज वहां से निकलो, नेताजी महाराज नमस्कार, काम नहीं किया, बिल्कुल गाली मिलेगी। भद्दी गाली मिलेगी। शुद्ध रूप में। खादी पहिनने वालों की क्या हालत थी उस समय जब जयपुर में गोली चली थी। खादी को बपोती बना कर आपने बापूजी के नाम को लजाया है। शराब बन्दी के लिये कहा, नेहरूजी ने कहा, बापूजी ने कहा। लेकिन पालन नहीं किया। गोकुल भाई भट्ट धरने पर बठे उनको गिरफ्तार किया। गोकुल भाई भट्ट विधान सभा के सामने आकर धरने पर बैठे, नशाबन्दी आन्दोलन जब चलाया। सेक्रेटेरियेट पर महीनों बैठे। लेकिन शराब की बिक्री और बढायी आपने। खूब शराब पिला रहे हो। आप लोगों को। खादी की प्रतिष्ठा क्या आप ऐसे बढाओगे? मैं निवेदन करूं कि आपको कर्जा देने की क्यों आवश्यकता पड़ेगी जब जब आप खादी को प्रोत्साहन देने के लिये इसको लोगों में अधिक उपयोगी और अधिक काम में लेने के लिये विशेष प्रयास करोगे। लोगों की दिलचस्पी खादी पहिनने में बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी तो मेरे जैसे लोग भी खादी पहिनना शुरू कर देंगे। श्रीमान आप अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं। आगे जाकर आपके यही हाल रहे तो वही कन्डीशन होगी जैसी जयपुर में गोलीकान्ड हुआ था उस समय हुई थी। खादी का धोती कुर्ता कोई भी पहिने हुआ था तो उसको पकड़ा और ठोका। यह हुआ था। छंगाणी साहब ने कानून पास कराया, तीन महीने की सजा होगी, पांच सौ रुपये जुर्माना होगा। राजस्थान के लोगों को जेल में ठूंस दिया जायेगा। विश्नोई साहब ने कहा कि विवाह के लिये जा रहे हैं और जगह न मिलने पर और कोई बात होने पर दुल्हा और उसके बाप को जेल में भेज दिया जायगा। एक जमाना ऐसा आयेगा कि गली 2 में खादी पहिनने वाले लोगों को गिन कर चुन चुन कर लोग मारेंगे। लोगों को धोखा देकर आप यहां पर बैठ गये और इस प्रकार के कानून आप पास कर रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता जागरूक है। असेम्बली में आज कानून पास किया और कल समाचार पत्रों में आयेगा तो बुद्धिजीवी लोग आपको धिक्कारेंगे। आपने शिक्षा के संबंध में कानून पास किया। उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संबंध में कानून पास किया है, उसके संबंध में शिक्षा मंत्रीजी को मालूम पड़ेगा आन्दोलन करेंगे। युनिवर्सिटी के लोग मुख्य मंत्रीजी से मिलेंगे। ऐसा गंदा कानून पास करोगे तो लोग आपको धिक्कारेंगे। इसलिये भाई लोगो, सत्तारूढ दल के लोगों, खादी पहिनने का ठेका आपने ले रखा है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप मेहरबानी करके खादी का प्रसार बढाओ, इससे बेरोजगारी मिटेगी। सबसिडी की आवश्यकता नहीं

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

रहेगी। लोग स्वयम् खादी पहिनेंगे। बेरोजगारी इससे मिटेगी। जनता से लोन लेने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

की बात कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ेंगे। आर्थिक उत्थान होगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिल को जल्दी में पास न करके इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक बात पूछ लूं माननीय मंत्री महोदय। सवाल के रूप में ही। डिबेट खत्म हो जायगी। आपने 2॥ महीने पहिले आर्डिनेंस पास किया। इस कानून के बाद आपने कोई स्कीम इस सबंध में पेश की ?

विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

[निम्नांकित प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया: "राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावलि बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी)।"]

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उस शेख चिल्ली की बात याद है जो जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी डाल को पकड़ कर काट रहा था। माननीय हवामहल से आने वाले हवा वेगी नेता ने आलोचना की इस कानून की जिसमें खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को उन कमर्शियल बैंकों से लोन लेने का प्रावधान किया गया है। पहले तो यह मासूम बिल है, कोई एतराज भी नहीं होता। अगर खादी जैसलमेर, चूरू और बीकानेर के रेगिस्तानी इलाकों में प्रोत्साहन पाती, गरीबों के पालन में उपयोगी होती तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन आज जिस प्रकार से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड श्री जयप्रकाशजी का अड्डा बन चुका है और उनके आन्दोलन में इस बोर्ड की सारी की सारी राशि प्रसार प्रयोग में आरही है उसको दृष्टिकोण में रखते हुए माननीय सदस्यों को तो पहल नहीं करनी चाहिये थी। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी जोधपुर में पधारती हैं और भाषण देती हैं तो खादी ग्रामोद्योग के लोग उनका भाषण सुनने के लिये चले जाते हैं उनको सस्पेन्ड तक कर दिया गया है। जयपुर में जेपी आये तो यह कंम्पलसरी हो गया कि उनके आन्दोलन में पहुंचें। तफसील में यदि आप जावेंगे तो मालूम होगा कि खादी ग्रामोद्योग की सम्पूर्ण राशि इसी काम में लग रही है। जांच करायेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि श्री गोकुल भाई भट्ट जो जयप्रकाशजी की आवाज को लेकर चल पड़े हैं सारे पैसे का उपयोग करते हैं। खेद का विषय तो यह है कि भारत के राष्ट्रपति महोदय ने भी फासिस्ट प्रवृत्तियों की ओर अपने भाषण में उल्लेख किया है। दो जिलों में शराब बन्दी कर दी जावेगी, गोकुल भाई भट्ट से हाथ मिला लें और सारी की सारी चीज को नजरअन्दाज कर दें लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण क्रान्ति का बिगुल बज चुका है। मैं कहना चाहूंगा ये संस्थायें हैं ये विनोबाभावे जी की संस्थायें हैं, जिसके खुद जयप्रकाशजी सदस्य हैं। आज कुछ नहीं कहना चाहता हूं। य संस्थायें सक्रिय हैं। प्रजातन्त्र के खिलाफ गहरी साजिश है। साम्राज्यवादी देशों की घटायें चारों तरफ छायी जा चुकी हैं। पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया कि उससे देश की सुरक्षा पर आंच आ रही है। ये संस्थायें प्रजातन्त्र विरोधी संस्थायें हैं और इनको ऐसी संस्थाओं को, बन्द कर देना चाहिये। इनकी आज अब आवश्यकता नहीं रही हैं। इनको तोड़

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कर इन पर नियन्त्रण कर देना चाहिये। स्टेट कन्ट्रोल में इनका विकास किया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि सारी की सारी ग्रामोद्योग बोर्ड की संस्थाओं के अकाउन्ट्स की चेकिंग की जाय। जिस तरह से अकाउन्ट्स हैं और मनी युटिलाइज हो रहा है मैं ज्यादा न कहते हुए बिल के संबंध में यही कहूंगा कि जहां तक आप वुलन खादी का विकास करना चाहते हैं और जो आपने यह बिल प्रस्तुत किया है उसके लिए कर्मशियल बैंक से लोन उपलब्ध करवाने का प्रश्न है। मैं आशा करके चलूंगा कि वुलन उद्योग उन क्षेत्रों के अन्दर जरूर लिया जायेगा बजाय इसके कि इसकी राशि को बाबू जयप्रकाश नारायण के स्वागत के अन्दर खर्च कर दी जाये। अब भरतपुर में जयप्रकाश नारायण आने वाले हैं और कहीं ऐसा न हो कि खादी बोर्ड उनके स्वागत में पैसा खर्च कर दे। 25 हजार की जो थैली अलवर में इकट्ठी की जा रही है और उसमें मेरे बहुत से कांग्रेसी मित्रगण भी शामिल हो रहे हैं और श्री मुकटजी जो अभी तक समाजवादी थे और फिर कांग्रेसी हो गए और फिर कांग्रेसी से समाजवादी हो गए और वह हमारे आदरणीय नेताओं के साथ दौरा लगा रहे हैं और जयप्रकाशजी के लिये थैली इकट्ठी कर रहे हैं। अगर उसी सस्ते आन्दोलन के लिए इसमें से राशि बैंकों से उपलब्ध करें और वुलन खादी का विकास करने के लिए अगर उनकी थैली में यह पैसा जाने वाला है या क्रांति के अन्दर जाने वाला है जैसे कि बिहार खादी बोर्ड की सारी की सारी सम्पत्ति इसमें उपयोग की गई है, एल० एन० मिश्रा की हत्या करने के लिए उपयोग में लाई गई है और प्रजातंत्र की संस्थाओं को तोड़ने के उपयोग में लाई गई है। मैं मानकर चलता हूं कि यह राशि इस प्रकार से उपयोग में नहीं लाई जायेगी। श्रीमान् गिरधारीलालजी को तो खुश होना चाहिए कि जो उनके नेता हैं उनके लिए यह प्रस्ताव है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बता दें एक भी खादी की कोई भी रकम जे० पी० के आन्दोलन के काम में आई हो या एल० एन० मिश्रा को मरवाया हो। मैं समझता हूं कि यह उनके सब गलत आरोप हैं ....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अच्छा तो महात्मा गांधी की हत्या भी आपने की।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने की है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर नाथूराम गोडसे कौन थे ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह लोग कांग्रेस से मिलकर कांग्रेस की हत्या कर रहे हैं। इन बछड़ों को ज्यादा दूध मत पिलाओ। जो भी आरोप लगाये हैं वह मिथ्या हैं। जयप्रकाश नारायणजी का जो आन्दोलन है वह प्रजातांत्रिक आन्दोलन है। अब लहर आ गयी है और उसके यह सीधे साधे परिणाम हैं इसलिए कांग्रेस के बन्धुओ जाग जाओ। फिर मैं पुनः माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं एक एक बात का खण्डन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मूलचन्द मीणा (राज्य मंत्री, खादी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, दोनों ने ही इस बात की पुष्टि की है कि बैंकों से लोन ऐसी संस्थाओं के लिए बहुत उपयुक्त है और लेना चाहिए लेकिन जहां तक करप्शन के बारे में

(श्री मूलचन्द मीणा)

माननीय हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा मेरा उनसे इत्तफाक नहीं है। वह इसलिए कि इन संस्थाओं को आयोग से उधार मिलता है। उनका पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है और समय समय पर उनका ऑडिट भी होता है। जनलेखा समिति उन्हें देखती है और कभी भी उनका निरीक्षण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मैं मानता हूं कि इसके अन्दर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार या अनियमिततायें होने का प्रश्न नहीं है। राज्य से जो बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए केवल वेतन मिलता है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई सहायता बोर्ड को नहीं दी जाती है या इन संस्थाओं को नहीं दी जाती है।

माननीय गोकुलभाईजी को इसमें शामिल किया गया है लेकिन वह अपनी निःशुल्क सेवायें दे रहे हैं, निस्वार्थ सेवायें दे रहे हैं। वह किसी प्रकार का कोई वेतन बोर्ड से या सरकार से नहीं लेते हैं। माननीय जालौर से आने वाले सदस्य ने योजनाओं के बारे में कहा कि ऐसी क्या आवश्यकता हो गई थी तो उसके बारे में मेरा निवेदन है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए अभी दो महीने, तीन महीने पहले एक योजना बनाई गई थी जिसमें करीब 86 लाख की वह योजना थी और उसमें से करीब 57 लाख रुपया बैंकों ने उधार देना स्वीकार भी कर लिया था लेकिन हमारे सामने एक दिक्कत थी इसलिए हमको यह आर्डिनेन्स लाना पड़ा। फिलहाल उसकी पूर्ति करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपया एक बार मिल चुका है और अभी तक सरकार ने 15 लाख रुपया और स्वीकार किया है।

एक माननीय सदस्य : बैंकों ने दिया या नहीं ?

श्री मूलचन्द मीणा : बैंकों के तो अभी देने का प्रश्न ही नहीं है जब तक कि यह लागू नहीं हो जाता तब तक बैंक कैसे दे देगी। पास होने के बाद ही लेना चाहते हैं और बैंक भी तभी देगी और गारन्टीज तभी दे सकते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ विवाद हो चुका है। मैं उचित समझता हूं कि इसको विचारार्थ लिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री मूलचन्द मीणा : माननी यउपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1975 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.8 बजे मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 1975 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 92 की सूची)

बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र में चालू ग्रामीण जल वितरण योजनाएँ

क्र० सं० 1	योजना का नाम 2	ग्रामों के नाम 3
1.	बाड़मेर शहरीय योजना	बोथिया, भड़का, कपुड़ी, जालीपा, लोकाटेली, हस्तानी गांव।
2.	क्षेत्रीय योजना भीमड़ा बायतू	भीमड़ा, मगनी की ढाणी, बायतू, किसनाकातला; कूचलाकातला, बायतूपनजी, हुड़ो की ढाणी छितरका-पढ, काउकाण्डा, सरकापार, क्वास, भूरटिया, रावतसर, चवा, मातासरिया, लापलाकूल, बनियासांडाखोरा, बायतू-धीमजी व माण्डपुरा, करवाडा व बटाड़ ।
3.	ग्रामीण योजना बिसाला	बिसाला ।
4.	क्षेत्रीय योजना शिवकर	कुरला शिवकर कुरला, आगौर, रामसर कुआ, मगना की ढाणी ।
5.	अकाल राहत ट्यूब वेल सवाई पदमसिंह व बंदरा	महावर और बांदरा, सवाड़ पदमसिंह ।

—

परिशिष्ट 2

सूची "अ"

(ता० प्र० सं० 99 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE INFORMATION IN RESPECT OF FIVE MAJOR DISEASES IN RAJASTHAN STATE

Year	Infection of skin			Dysentery			Upper Respiratory Infection			Inflamatory Diseases of Eyes			Acute Bronchitis		
	Outdoor patients treated	Indoor patients treated	Death	Outdoor pts. treated	Indoor pts. treated	Death	Outdoor pts. treated	Indoor pts. treated	Death	Outdoor pts. treated	Indoor pts. treated	Death	Outdoor pts. treated	Indoor pts. treated	Death
1965	952280	5088	29	653944	6909	172	650932	2596	39	633923	2876	1	612920	3622	17
1966	1072547	5104	52	832196	7621	158	764317	3044	32	701591	2956	2	569253	4239	19
1967	1011226	4692	37	752684	7423	432	831693	2668	52	743152	2940	—	631597	3972	15
1968	1039328	5172	57	730917	9820	151	917444	2987	34	718940	2938	1	669344	3808	19
1969	1059595	4674	45	837079	9211	152	986068	3661	62	783965	3068	—	670908	5737	41
1970	829093	4299	35	635957	8077	375	872484	3246	35	775076	3975	1	865400	11028	203
1971	803175	5726	35	603052	8895	317	895191	3701	23	841266	4880	—	840945	16605	150
1972	863491	4148	43	698364	10012	464	903815	4758	46	972825	6199	3	850917	13555	242
1973	910361	4515	30	816399	13949	683	985068	4470	48	887915	5377	1	845210	12535	250

सूची "ब"

Year	Total patients treated as per 'C' statement in Rajasthan State		Daily average attendance	
	Outdoor	Indoor	Outdoor	Indoor
1965	12302562	507289	70739	8385
1966	13036985	451405	71634	9308
1967	13274661	459388	69587	7970
1968	13558219	367151	68702	8277
1969	13770008	383459	65511	8896
1970	14451622	353770	71686	10100
1971	14180832	368136	72786	10644
1972	14820083	477403	72460	9733
1973	15719101	423065	77223	9697

सूची "स"

राज्य के अस्पतालों के लिये दिनांक 1-4-1968 से की गई निर्धारित (दवाइयों एवं भेषज के मद में) राशि की दर निम्न प्रकार है:—

(1) प्रथम एवं द्वितीय अस्पताल को 700-00 रुपया प्रति शैया

(2) तृतीय श्रेणी अस्पताल को 420-00 रुपया प्रति शैया

(3) चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अस्पताल को 350-00 रुपया प्रति शैया

(4) षष्टम श्रेणी के अस्पताल को जिनका

आउटडोर प्रति दिन 50 से कम हो 2100) रु०

आउटडोर प्रति दिन 50 से 99 तक के 3500) रु०

आउटडोर प्रति दिन 100 से 199 तक के 5600) रु०

आउटडोर प्रति दिन 200 से 300 तक के 7000) रु०

आउटडोर प्रति दिन 400 से अधिक तक 11200) रु०

दिनांक 1-4-68 के पश्चात् दवाईयों के मद में बढ़ोतरी हो गयी है और बढ़ी हुई राशि ही अस्पतालों एवं औषधालयों को दी जाती है किन्तु राज्य सरकार द्वारा बढ़ोतरी की कोई दर विशेष निर्धारित नहीं की गई। चालू वितीय वर्ष में समस्त अस्पतालों के लिये रुपया 36.00 लाख अतिरिक्त प्रावधान आयोजना भिन्न में एवं 46.40 लाख का, प्रावधान आयोजना मद में किया गया है। जिसके हिसाब से आयोजना के मद में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर 6,000/- रुपये प्रति केन्द्र व उप-केन्द्रों की दर 2,000/- प्रति उप केन्द्र की दर से अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। आयोजना भिन्न में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष करीब 25% अधिक प्रावधान प्रत्येक अस्पताल के लिये किया गया है

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर की को-ऑपरेटिव सोसायटीज

101. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर में कितनी कोआपरेटिव सोसायटीज बनी हुई हैं ? प्रत्येक की सम्पूर्ण विवरण सहित सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या उक्त सोसायटीज को दिया गया ऋण बाकी है । यदि हां, तो किस किस सोसायटी में कब कब से ? कितना कितना ऋण बाकी है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में कुछ बोगस सोसायटीज बनी हुई थीं ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह भी सही है कि बोगस सोसायटियां अपना कोटा लेकर उसका दुरुपयोग करती थीं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(5) क्या यह भी सच है कि बोगस सोसायटीज पिछले कुछ अर्से में पकड़ी गई थी ? यदि हां तो उन पर राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

राजकीय उपक्रम विभाग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों को नौकरियों में आरक्षण

102. **श्रीमती जमुना सोलंकी** (केकड़ी): क्या मंत्री, राजकीय उप-क्रम विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राजकीय उपक्रम विभाग में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये नौकरियों में कोई आरक्षण है ?

उत्तर

जी हां । राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय उपक्रम विभाग में भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये नौकरियों में आरक्षण है ।

मृतक सैनिक की विधवा को सुविधा

103. **श्री सुरेशचन्द्र** (कोटपूतली): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती चांदबाई वेवा हवलदार श्री गिरधारीसिंह निवासी ग्राम निभोर तहसील बहरोड़ को सरकार द्वारा कुछ जमीन व अन्य सुविधाएं दी गई थीं ? यदि हां, तो कहां कहां क्या क्या दिया गया था ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि हवलदार श्री गिरधारीसिंह को मरणोपरान्त वीरचक्र दिया गया था ?

(श्री सुरेशचन्द)

(3) क्या उक्त श्रीमती चांद बाई को सरकार द्वारा दी गई सब सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

श्रीमती चांदबाई बेवा हवलदार श्री गिरधारीसिंह को राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित भूमि आवंटित की गई है एवं नकद अनुदान दिया गया है:—

आवंटित भूमि :—

15 बीघा असिंचित भूमि ग्राम सांगली, तहसील बहरोड़ ।

10 बीघा असिंचित भूमि ग्राम खातीवास तहसील बहरोड़ ।

30 बीघा असिंचित भूमि ग्राम सक्तपुरा तहसील मुण्डावरा ।

20 बीघा असिंचित भूमि ग्राम पुर तहसील किशनगढ़वास ।

नकद अनुदान :—

2,500)रु० नकद ।

1,000)रु० सुरक्षा प्रमाणपत्र ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । केवल 500 (पांच सौ) रुपया नकद कम मिला है, जिसका कारण पूछा जा रहा है ।

ऊन कताई की बकाया

104. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नौखा) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर क्षेत्र में 55प० नम्बर पर ऊन कताई दी जाती है और 6 रु० प्रति किलो महंगाई नहीं दी जाती है ? जबकि बीकानेर जिले में महंगाई दी जाती है ।

(2) बाड़मेर के साथ में ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है ? क्या सरकार बोर्ड के ऐसे सौतेले व्यवहार को सहन करेगी? यदि नहीं तो यह बकाया महंगाई जो गत सालों में नहीं दी गई, कतवारियों को एकमुश्त कब तक दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) बाड़मेर व बीकानेर में अंको के आधार पर कताई मजदूरी दी जाती है, महंगाई नहीं ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

विजय कृषि फार्म बोरुन्दा द्वारा ट्रेक्टर एवं डिस्क हेरो की खरीद

105. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विजय कृषि फार्म, बोरुंदा ने एक ट्रेक्टर एवं डिस्क हेरो 4-7-70 को खरीदा ? यदि हां, तो क्या ट्रेक्टर के साथ डिस्क हेरो कीमतन रुपये 2700 की भी बिक्री उक्त संस्थान को की गई ? यदि हां, तो डिस्क हेरो के बिक्री का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि डिस्क हेरो के स्टॉक में न होने के कारण उसकी बिक्री

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
विजय कृषि फार्म, बोरूंदा को न की जा सकी फिर भी उसकी कीमत की जमाशुदा रकम रुपये 2,700 को अब तक एग्रो इंडस्ट्रीज ने नहीं लौटाया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि डिस्क हेरो की कीमत के रुपये 2,700 का गबन कर लिया गया है फिर भी इसकी जांच एग्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा अब तक नहीं की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। एक ट्रैक्टर विजय कृषि फार्म, बोरूंदा को दिनांक 4-7-70 को आवंटित किया गया था, किन्तु डिस्क हेरो निगम के स्टोक में उपलब्ध नहीं होने के कारण दिनांक 4-7-70 को नहीं दिया जा सका था।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा दिनांक 14-2-75 को 270 रुपये 75 पैसे विजय कृषि फार्म, बोरूंदा को लौटा दिये गये हैं।

(3) जी नहीं।

जालोर में पी० आर० ओ० का कार्यालय

106. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि पहले जिला जालोर मुख्यालय पर पी० आर० ओ० का दफ्तर था ? अगर हां, तो वह पद कब और क्यों समाप्त कर दिया गया ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पद का सृजन वापस करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिया गया था ? अगर हां, तो कब ? और उस आश्वासन की पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

(3) अब जालोर में पी० आर० ओ० का दफ्तर कब तक खोल दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां। यह पद मितव्ययता के कारण 1-9-62 से समाप्त कर दिया था।

(2) जी हां, दिनांक 13-11-71 को। किन्तु वित्तीय कारणों से यह अब तक संभव नहीं हो सका था।

(3) जालोर जिला मुख्यालय पर कार्यालय खोलने का मामला सरकार के विचाराधीन है। सरकार द्वारा पद स्वीकृत किये जा चुके हैं, परन्तु उन पर नियुक्ति की कार्यवाही कैबिनेट के निर्णय के बाद ही की जायगी।

चूरू जिले में भू-जल का सर्वे

107. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले में भू-जल का सर्वे कब तक पूरा हो जावेगा ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र में ट्यूब वैल खोद कर सड़क वाले गांवों का ही सर्वे किया जायगा या सभी गांवों का ?

(3) उक्त क्षेत्र में आज तक कितने ग्रामों में ट्यूब वैल खोदने के लिए सर्वे की जा चुकी है ?

(4) उक्त क्षेत्र में ट्यूब वैल खोदने से पूर्व सर्वे रिपोर्ट क्या थी और ट्यूब वैल खोदने

(श्री लूणाराम)

पर पूर्व अनुमान के मुताबिक उपलब्धि हुई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) चूरू जिले में अर्द्ध-विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण माह जून, 1975 तक पूरा होने की आशा है ।

(2) भू-जल सर्वेक्षण के अन्तर्गत यथा-संभव सभी ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाता है । जल प्रदाय योजना के लिये अथवा प्रायोगिक नलकूपों को खोदने के लिये उपयुक्त क्षेत्र में पड़ने वाले आसपास के सभी ग्रामों का सर्वेक्षण किया जाता है ।

(3) चूरू जिले में अब तक लगभग 70 प्रतिशत क्षेत्र का भू-जल सर्वेक्षण किया जा चुका है । इसी में से जिले के 50 प्रतिशत क्षेत्र में प्रायोगिक (एक्सप्लोरेटरी) नलकूपों का निर्माण भू-जल से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिये किया जा चुका है । शेष 50 प्रतिशत क्षेत्र में अभी प्रायोगिक नलकूपों का निर्माण किया जाना शेष है ।

(4) चूरू जिले में योजनान्तर्गत अब तक प्रारम्भिक जानकारी के आधार पर कुल 66 नलकूप निर्मित किये गये, जिनमें अधिकांश का परिणाम अच्छा रहा उपरोक्त 66 में से 14 प्रायोगिक नलकूप रद्द (एक्सपान्ज) किये गये । सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उक्त 14 नलकूपों के क्षेत्र पानी की उपलब्धि के लिये संदेहजनक थे । जो 66 नलकूप लगाये गये हैं उनकी ग्रामवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

चूरू जिले में भू-जल सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत सौंपे गये प्रायोगिक तथा अन्य नलकूपों की सूची

वर्ष 1972–73

प्र. 1. खाखोली-1
प्र. 2. चान्दगोठी-1
3. चान्दगोठी-2
4. चान्दगोठी-3
5. चान्दगोठी-4
प्र. 6. सरदारशहर-1
7. सरदारशहर-2
8. सरदारशहर-3
9. सरदारशहर-4
10. चान्दगोठी-5
००प्र. 11. फोगापरपरा
००प्र. 12. आडसर
००प्र. 13. पीरवास-1
००प्र. 14. पीरवास-2
००प्र. 15. सोलियासर
००प्र. 16. साइमा
17. किल्लू-1
18. किल्लू-2
०० 19. किल्लू-3
20. लाडनूं-1 (छापर प्र०स०यो०)
21. लाडनूं-2 (छापर प्र०स०यो०)
22. लाडनूं-3 (छापर प्र०स०यो०)
प्र. 23. चूरू (रा०रा०वि०प०)
24. खाखोली-2
प्र. 25. असरासर-1
26. असरासर-2
०० 27. असरासर-3
28. खाखोली-3

वर्ष 1973-74

29. खाखोली-4
30. चान्दगोठी-6
31. चूरू-2 (अ०स०यो०)
32. चूरू-3 (अ०स०यो०)
प्र. 33. पीरकेसर-1
34. पीरकेसर-2
35. सरदारशहर-5
36. सरदारशहर-6
37. सरदारशहर-7
? प्र. 38. ठाकुरियासर
०० प्र. 39. सुलतानिया-1
०० प्र. 40. घन्टेल
०० प्र. 41. खण्डवा
०० प्र. 42. राढ़ा
43. सातडा-1
44. सातडा-2
45. चूरू-4
46. चूरू-5
प्र. 47. गानासर
प्र. 48. ऊमनी कल्यानसर
49. चूरू-6
50. चूरू-7
51. चूरू-8
०० प्र. 52. मेहरी
प्र. 53. सान्डवा

वर्ष 1974–75

? प्र. 54. हरपेसर
०० प्र. 55. तेहीनदेसर
०० प्र. 56. जयसिंहसर
प्र. 57. सेहना
प्र. 58. नेखल
प्र. 59. बालासर
60. सरदारशहर-8
61. सरदारशहर-9
62. सिखमीसर
63. सरदारशहर-10
०० 64. सुलतानिया-1
65 सांवतसर
66. चान्दगोठी-7

प्र. –प्रायोगिक (एक्सप्लोरेटरी) नलकूप।
०० प्र. –रद्द (विखन्डन) किये गये नलकूप।
? प्र. –प्रायोगिक नलकूप जिनकी दुबारा जांच की जानी है।

महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर के राजकीय क्वार्टरों में बिजली व लेट्रिन की व्यवस्था

108. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जोधपुर नगर के महात्मा गांधी चिकित्सालय में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ?

(2) उनमें से कितनों को चिकित्सालय के पास प्रवास के लिये राजकीय क्वार्टर्स आवंटन किये गये हैं ? कृपया पूर्ण सूची मय कर्मचारी के नाम के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सत्य है कि विद्युत् उपलब्ध होते हुए भी उपरोक्त किसी भी क्वार्टर में विद्युत् का फिटिंग नहीं किया हुआ है ?

(4) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त क्वार्टर्स में लेट्रिन नहीं हैं और आठ पुरानी टूटी पब्लिक लेट्रिन्स लगभग पचास परिवारों के लिये हैं जो अपर्याप्त हैं ?

(5) राज्य सरकार कब तक इन क्वार्टर्स में बिजली की फिटिंग एवं अतिरिक्त नई लेट्रिन्स का निर्माण एवं पुरानी की मरम्मत करवा देगी ?

उत्तर

(1) 244 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(2) 50 कर्मचारियों को आवंटित किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। इन क्वार्टरों में विद्युत् का फिटिंग नहीं है।

(4) प्रत्येक क्वार्टर के लिये अलग से लेट्रिन नहीं है। लेकिन इन क्वार्टरों के लिय 12 लेट्रिन बनी हुई हैं।

(5) वर्ष 1975-76 में यथासम्भव इस कार्य के लिये राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा।

List of Govt. quarter allotted to Class IV Servant of M. G. Hospital, Jodhpur.

S.No.	Name	Peon	Cr. No.
1.	Snri Shiv Pal Singh	Peon	C/84/33
2.	,, Janki	W/M	C/84/34
3.	,, Gyadmal	Cook	C/84/35
4.	,, Narayan Singh	Cycle Sawar	C/84/36
5.	,, Narayan Singh	Peon	C/84/37
6.	Smt. Kamla	W/M	C/84/38
7.	Shri Hanuman	Gardener	C/84/17
8.	Smt. Kashi Bai	W/M	C/84/18
9.	,, Pushpa	W/M	C/84/39
10.	,, Rani Bai	W/M	C/84/40
11.	Shri Shafi Mohd.	Gardener	C/84/41
12.	,, Bhagwan	W/B	C/84/42
13.	Smt. Meema	W/M	C/84/43
14.	Shri Narayan Singh	W/B	C/84/44
15.	,, Chandra Singh	Chowkidar	C/84/45
16.	,, Magh Singh	Peon	C/84/46
17.	Smt. Seeta	W/M	C/84/47
18.	Shri Jabar Singh	W/B	C/84/48
19.	,, Shri Kishan	W/B	C/84/49
20.	,, Ashraf Khan	Peon	C/84/50
21.	Smt. Choti Bai	W/M	C/84/51
22.	Shri Kaloo Singh	B/B	C/84/52
23.	,, Ram Kumar	Cook	C/84/53
24.	,, Loon Singh	Chowkidar	C/84/54
25.	Smt. Ram Pyari	W/M	C/84/55
26.	,, Gatoo Bai	W/M	C/84/56-57
27.	Shri Atma Ram	Dhobi	C/84/62
28.	Smt. Dhapi	Dhobi	C/84/63
29.	Shri Ram Singh	—	C/84/64
30.	,, Chhagan	Dhobi	C/84/65
31.	Smt. Janki	W/M	C/84/66
32.	Shri Vijay Singh	W/B	C/84/67
33.	,, Shaitan Singh	Chowkidar	C/84/68
34.	,, Prahlad	W/B	C/84/69
35.	,, Kashi Ram	W/B	C/84/70
36.	,, Bhanwar Lal	W/B	C/84/71
37.	,, Radh/Chhaga	W/M	C/84/72
38.	,, Jethu Singh	Cook	C/84/73
39.	,, Chhotu/Shanker	Sweeper	C/84/74
40.	,, Keshra	,,	C/84/75
41.	,, Haria	,,	C/84/76
42.	,, Charandass	,,	C/84/77
43.	,, Kaloo	,,	C/84/78
44.	,, Mohan/Kirori	,,	C/84/79
45.	Smt. Jamuna	,,	C/84/80
46.	,, Nainee	,,	C/84/81
47.	Shri Kaloo	,,	C/84/82
48.	,, Mohan/Igrass	,,	C/84/83
49.	,, Atma Ram	,,	C/84/84
50.	Smt. Soni	,,	C/84/85

सीकर जिले की गृह-निर्माण सहकारी समितियों को ऋण

109. **श्री सावरमल मोर** (श्री माधोपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले के कई ग्रामों में गृह-निर्माण सहकारी समितियां बनायी गई हैं ? यदि हां, तो किन 2 स्थानों पर तथा उनके पदाधिकारी कौन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि० द्वारा इन सहकारी समितियों को ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो किन 2 समितियों को कितना 2 ऋण दिया गया है, तथा किस 2 समिति को कितना ऋण देना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस जिले की कई सरकारी समितियों के ऋण संबंधी कागज विचाराधीन पड़े हैं ? यदि हां, तो किन 2 स्थानों के तथा कब से विचाराधीन हैं तथा उनको कितनी हिस्सा राशि रकम राजस्थान हाउसिंग फाईनेन्स सोसायटी लि०, जयपुर में जमा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन सहकारी समितियों में काफी व्यक्ति हरिजन तथा कमजोर वर्ग के हैं जो रुपया प्राप्त करने हेतु हिस्सा राशि की रकम बहुत महंगे ब्याज पर लाते हैं। अतः लम्बे अर्से तक उन्हें ऋण नहीं देना उनके लिये काफी महंगा पड़ता है ? यदि हां, तो इन्हें ऋण कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिन 2 समितियों को ऋण दे दिया गया तथा दिया जाना शेष है; उनकी सूचियां 'ब' व 'स' भी सदन की मेज पर रखदी ह।

(3) जी हां। यह सही है कि सीकर जिले की 29 सहकारी समितियों के ऋण मांग पत्र विचाराधीन हैं। इनके स्थान, दिनांक कब से मय कारणों के ऋण पत्र विचाराधीन हैं तथा उनकी कितनी हिस्सा राशि राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव हाउसिंग फाईनेंस सोसायटी लि०, जयपुर में जमा है की सूचियां 'क' व 'ख' पर संलग्न है।

(4) जी हां। यह सही है कि इन सहकारी समितियों में बहुत से व्यक्ति हरिजन तथा कमजोर वर्ग के हैं। हिस्सा राशि हेतु रकम बहुत महंगी ब्याज पर वे लाते हैं इसकी जानकारी नहीं है इन समितियों के पूर्ण ऋण पत्रादि प्राप्त होने के तुरन्त पश्चात् ऋण दिया जा सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)।

तहसील पदमपुर में परमिटों पर दी गई सीमेन्ट

110. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर में दिसम्बर, 1974 व जनवरी, 1975 में किन किन व्यक्तियों को पांच या पांच से अधिक थैले सीमेन्ट के दिये गये ? इन परमटों का सीमेंट किसके द्वारा उठाया गया

(श्री गुरदयालसिंह संधु)
और उसका प्रयोग किस किस कार्य के लिये किया गया।

(2) क्या यह सच है कि बहुत से व्यक्तियों ने गलत नामों से गलत दरख्वास्तें पेश करके पांच पांच थैले प्रति दरख्वास्त के हिसाब से सौ सौ थैले तक लेकर ब्लैक में बेच दिये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील पदमपुर में माह दिसम्बर, 74 व जनवरी, 75 में जिन जिन व्यक्तियों को पांच या पांच से अधिक थैले सीमेन्ट दिया गया, उसकी सूची संलग्न है। यह सीमेन्ट प्रार्थना-पत्र देने वालों य उनके द्वारा अधिकृत लोगों द्वारा उठाया गया है। प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा मरम्मत एवं अन्य कार्यों में किया गया।

(2) यह सही नहीं है कि किसी व्यक्ति ने गलत नाम से प्रार्थना-पत्र देकर पांच पांच थैला प्रति दरख्वास्त से सौ सौ थैला तक सीमेन्ट प्राप्त कर ब्लैक में बेच दिया है। शिकायत प्राप्त होने पर उचित जांच की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारणवश राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में भेजी गई)।

ग्राम खेड़ा की जमीन के पट्टे

111. **श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सच है कि ग्राम खेड़ा, तहसील हिन्डौन, जिला सवाई माधोपुर के हरिजनों की पट्टेदारी की जमीन के पट्टे सैटिलमेंट ऑफिस, कोटा से मिले थे जो कि खसरा नं.

नं.	745	764	795	769	772
	)3	3)3	2)2	।।।)1	1)1
	773	774	775	747	748
	1)4	1)2	1-1/4	2/1	1।।।)2
	749	756	757	758	760
	।)1	2।।)1	1।।)2	)4	2।।)3

762 चा. A चा. दोयम है।
1।।।)3

(2) क्या यह सच है कि उक्त जमीन के पट्टे सही हैं? अगर हां, तो इस जमीन पर किनका कब्जा है और किस प्रकार हुआ ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त जमीन की खातेदारी का नामान्तरण किसी अन्य व्यक्तियों के नाम हुआ है, अगर हुआ है, तो किस के नाम से किस प्रकार और किन 2 अधिकारियों ने किया है ?

(4) सरकार अब वास्तविक काश्तकारों को भूमि दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

(5) उक्त जमीन के खसरा नम्बरों में क्या 2 परिवर्तन हुआ है ? यदि हां, तो बताने का कष्ट करें ?

(6) यह उक्त जमीन अब किस 2 हरिजन के नाम है और अगर परिवर्तन हुआ है तो किन अधिकारियों ने किया और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? अगर नहीं की गई, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही की जा सकेगी ?

(राजस्व मंत्री)

उ र

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। इस भूमि पर निम्नांकित व्यक्तियों का कब्जा निम्न प्रकार हुआ है:–

(क) खसरा नं० 747/2।)1 748/1।।।)2 749/।)1 756/2।।)1 757/1।।)2 758/)4 764/2।।)3 762/1।।।)3 पर श्री लक्ष्मीनारायण वैला गोकुलदास का कब्जा है, जो उत्तराधिकारी के आधार पर हुआ है।

(ख) खसरा नं० 769/।।।)1 773/1।)4 774/1)2 775/1।)4 पर श्री रामदेव गिराश पिसरान गोकल गिलहृडिया पुत्र मगनिया खाती, नि० लीकापुरा का कब्जा है जो व्यनामा 1000) रु० के अनुसार (रजिस्टर्ड विक्रय पत्रानुसार) नामान्तरकरण सं० 177 के आधार पर हुआ है।

(ग) खसरा नं० 745/3) 764/3)3 765/2।)2 772/1)1 पर श्री गजाधर शिकावत ब्रा० साकिन वेहृ का कब्जा है। जो रजिस्टर्ड दान-पत्र सं. 188 के आधार पर हुआ है।

(3) जी हां। यह सत्य है कि उक्त जमीन की खातेदारी का नामान्तरकरण अन्य व्यक्तियों के नाम हुआ है जो निम्नांकित व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार व निम्न अधिकारियों द्वारा हुआ है:—

(क) माफी मंदिर श्री गोपाल जी व अहतमाम गोकलदास चेला मंगलदास के बजाय उसके चेला लक्ष्मीनारायण के नाम उत्तराधिकारी से मातमी स्वीकार हुई।

(ख) खसरा नं० 773/1।)4 774/1)2 775/1।)4 769/।।।)1 की खातेदारी का नामान्तरकरण सं० 177 लक्ष्मीनारायण के बजाय रामदेव गिराज पिसरान गोकल व गिलहृडीया पुत्र भजनिया खाती, निवासी फलीकापुरा के नाम रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तादादी रु० 1000 के अनुसार सरपंच, ग्राम पंचायत, खेड़ा के द्वारा स्वीकृति पर हुआ है।

(ग) खसरा नं० 745/3) 764/3) 765/2।)2 772/1)1 की खातेदारी का नामान्तरकरण सं० 188 लक्ष्मीनारायण के बजाय रजिस्टर्ड दान-पत्र के अनुसार गजाधर पुत्र शिवलाल ब्राह्मण के नाम सरपंच, ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकार हुआ है।

वर्तमान में जो काश्तकार हैं: वे वास्तविक काश्तकार हैं और उन्हीं?

(5) भूमि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(6) हरिजनों के नाम पट्टे हुए ही नहीं अतः आगे की कार्यवाही का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

मैडिकल कॉलेजों में मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के सुझाव के अनुसार विभिन्न पद

112. **श्री चिमनसिंह भाटी (भीम)** : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के पांचों मैडिकल कॉलेजों में एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकैमिस्ट्री तथा बायोफिजिक्स में मडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के सुझाव के अनुसार ही पद रखे गये हैं या नहीं ? यदि हां, तो पांचों मैडिकल कॉलेजों का तुलनात्मक विवरण, सुझाव एवं स्वीकृत पद की सूचना सहित सूची सदन की मेज़ पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या मैडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया के सुझाव के अनुसार एनोटोमी विभाग में हिस्टोलोजी विषय पढ़ाने हेतु आवश्यक पद भी शामिल किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या राजस्थान के मैडिकल कॉलेजों में हिस्टोलोजी विषय एनोटोमी विभाग में ही पढ़ाया जाता है ? यदि नहीं, तो इस विषय के लिये स्वीकृत पदों को अभी तक समाप्त क्यों नहीं किया गया है ? और अनावश्यक विलम्ब करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान के पांचों मैडिकल कॉलेजों में एनाटोमी, फिजियोलोजी, बायोकैमेस्ट्री में मैडिकल कौंसिल के निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रख कर वित्तीय स्थिति के अनुसार पद स्वीकार किये जाते हैं। जयपुर मैडिकल कॉलेज को छोड़ कर दूसरे मैडिकल कॉलेजों में बायोकैमेस्ट्री और फिजियोलोजी का एक ही विभाग है तथा बायोफिजिक्स इसके अन्तर्गत पढ़ाई जाती है। प्रत्येक मैडिकल कॉलेज का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। डिमोन्स्ट्रेटर के पद वित्तीय स्थिति को ध्यान में रख कर आवश्यकतानुसार रखे गये हैं।

(2) हिस्टोलोजी विषय राजस्थान विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार फिजियोलोजी विभाग में मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। हिस्टोलोजी विषय के लिये अलग से किसी भी प्रकार के पदों का सृजन नहीं किया गया है। इसलिये इन पदों को समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

STAFF ACCORDING TO THE PATTERN OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA (1970)

ANATOMY

Name of Post	Under Graduate	Post-Graduate	Total
Professor	1	—	1
Reader/Lecturer	3	2	5
Demonstrators	7	1	8

PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY

Professor	2	—	2
Reader/Lecturer	4	2	6
Demonstrators	10	2	12

SANCTIONED STRENGTH

ANATOMY DEPARTMENT

	Jaipur	Bikaner	Udaipur	Ajmer	Jodhpur
Professor	1	1	1	1	1
Reader	2	2	2	1	1
Lecturer	3	3	3	2	2
Demonstrators	5	4	4	4	4

PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY DEPTT.

	Jaipur			Bikaner	Udaipur	Ajmer	Jodhpur
	Physiology	Biochemistry	Total				
Professor	2	1	3	1	1	1	1
Reader	2	1	3	2	2	2	2
Lecturer	1	2	3	4*	5	2*	1
Demonstrator	8	3	11	6*	4	5	5

Note:—(1) In Medical College, Jaipur there are three posts of Readers in Physiology and Biochemistry Deptt. which includes Reader in Biophysics.

*Including the post of Biophysics.

(2) Medical College, Jaipur admits 150 to 200 students and

ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज का कोटा

113. **श्री शंकरसिंह रावत** (नसीराबाद): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्रामों में राशन में दो किलो ही मोटा अनाज दिया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि शहरों में राशन में मोटे अनाज के अलावा गेहूं भी दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या गांवों में भी गेहूं राशन में दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में राशन का वितरण 15 बीघा भूमि वाले से कम वाले लोगों में ही किया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने ही लेवी राज्य सरकार को दी थी ?

(5) क्या 15 बीघा भूमि के ऊपर के किसानों को जिनके पास इस भयंकर अकाल में अनाज नहीं है उन्हें भी राशन दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मोटा अनाज ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है ।

(2) शहरों में गेहूं दिया जाता है । माह फरवरी में गेहूं का भी आवंटन ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है ।

(3) अजमेर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 6 एकड़ से कम भूमि के काश्त योग्य भूमि वालों को राशन पर अनाज दिया गया है ।

(4) जी नहीं, लेवी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों ने समान रूप से दी है ।

(5) खाद्यान्न की उपलब्धि के आधार पर राशन दिया जाना संभव होगा ।

चक नं० 1, आर० पी० एम० की भूमि

114. **श्री बेगाराम चौहान** (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि श्री भोलूराम सुपुत्र उमाराम जाट, साकिन रामपुरा चोलावाला, तहसील रायसिंहनगर, मुकाम सूरतगढ़ के नाम चक नं. 1 आर.पी.एम. का मु. नं. 104) 313 का बीघा 24।।) तथा चक नं. 10, एन. डब्ल्यू.डी. का मु. नं. 106) 315 का 231) 1 बीघा भूमि 2010-2011 तक अस्थायी टी.सी. पर थी ? यदि हां, तो यह जमीन मु. नं. 104) 313 1, आर.पी.एम. उनके नाम से खारिज क्यों की गई ?

उत्तर

जी नहीं। सन् 55 के पश्चात् के अस्थायी पट्टेधारकों के नियमों के अनुसार मु. नं. 104/313 1, आर. पी. एम. की जमीन खारिज कर दी गयी ।

कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति

115. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग से एन. ए. सी. लिये बिना भर्ती पर रोक लगाई है ?

(श्री रामकिशन)

(2) क्या यह सही है कि हाल में ही एक सीनियर फोरमैन के रिश्तेदार श्री अनिल कुमार को लेखा लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध कनिष्ठ लिपिक के पद पर बिना एन.ए.सी. लिये तथा बिना रोजगार नियोजन विभाग से उम्मीदवार बुलाये नियुक्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? तथा क्या राज्य सरकार ऐसे अनियमित कार्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच के आदेश दे दिये गये हैं। श्री अनिल कुमार को सेवामुक्त कर दिया गया है।

तहसील बानसूर में खार से क्षतिग्रस्त भूमि

116. **श्री घशीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील बानसूर में पानी का स्तर ऊपर हो जाने के कारण काश्त की बहुत सी जमीनों में खार फैल गया है और जमीन नाकाबिल काश्त हो गई है ? यदि हां, तो सरकार खार रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

बानसूर तहसील क्षेत्र से प्राप्त मिट्टी के नमूनों के परीक्षण से 20 प्रतिशत नमूनों से भूमि में क्षार होना पाया गया है। पानी के भराव के कारण लगभग 600—700 बीघा रकबा क्षार से प्रभावित है। सिंचाई विभाग द्वारा ड्रेनेज योजना के अन्तर्गत पानी को 580 फुट लम्बी ड्रेन बना कर निकालने का कार्य चालू है।

फागी एवं चाकसू तहसील में चरागाह की भूमि का परिवर्तन

117. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फागी एवं चाकसू तहसीलों में आवासीय भूमि आवंटित करने के लिये चरागाह भूमि का परिवर्तन करने में कितनी जमीन ली गई ? ग्रामवार सूची बीघों में देने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार का इस प्रकार का अभियान नगरपालिका क्षेत्रों में भी चलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ? इस अभियान में किन 2 नगरपालिकाओं को रखने का विचार है ?

उत्तर

(1) सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

चूरू जिले में डी० पी० ए० पी० की योजना

118. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में डी.पी.ए.पी. की क्या योजना है ? विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री मोहरसिंह)

(2) यह कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के लिए भूमि

119. **श्री ओंकारलाल चौहान** (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में (हाउस साइट्स) का अलॉटमेंट कितना हुआ ? कृपया जिलेवार सूची रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या राज्य सरकार इस योजना के अन्तर्गत अनु. जाति एवं जन-जाति के लोगों की पूर्ण समस्या हल कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

दूध व ऊन उत्पादन हेतु योजना

120. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि दूध व ऊन उत्पादन हेतु राजस्थान नहर के बायें किनारे के पास नहर के समानान्तर कृषि भूमि को चरागाहों के लिये काम में लाया जा सकता है ? अगर हां, तो सरकार इस क्षेत्र में पशुपालकों की कालोनीज व सरकार वैज्ञानिक सहयोग से अधिक दूध व ऊन पैदा करने की योजना तैयार करना वाजिब समझती है ? अगर हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

राजस्थान नहर के बायें किनारे के पास के क्षेत्र की अभी इस दृष्टि से तकनीकी जांच नहीं की गई है। अतः कोई योजना नहीं बन पाई है। तकनीकी जांच किये जाने के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकेगा।

———

परिशिष्ट 4

(ता० प्र० सं० 91 की सूची)

(ब) अप्रधान खनिज :–

1. बिल्डिग स्टोन	1,10,85,856-73	इमारती पत्थर	1,17,92,517-51
ब. सैन्ड स्टोन	79,33,437-05	अ-मशीनरीस्टोन	18,75,466-49
स. लाइम स्टोन (यूज एज बि०स्टोन)	13,76,081-90	स-सैन्डस्टोन	79,13,379-74
ब. मशीनरी स्टोन	14,67,275-95	ब बजरी व कंकर	2,92,324-71
द. बजरी व कंकर	2,28,363-47	द-हैन्डमिल स्टोन	95,492-41
य. मिल स्टोन	49,03-998	ब-लाइमस्टोन	15,65,091-74
र. रोयोलाईट	31,658-38	स-सैन्डस्टोन	13,[illegible]27-72
2. लाइमस्टोन यूज एज लाइम बर्निग	20,2[illegible],792-14	गरोयोलाइट	39,634-70
3. मारबल	9,28,018-052	-साइमस्टोन (चूना बनाने वाला)	20,75,492-34
4. बेन्टोलाईट	79,401-92	(3) मारबल	9,03,[illegible]06-10
5. पुलर्स अर्थ.	2,21,[illegible]00-88	(4) बेन्टोनाइट	72,112-82
6. साल्टपीटर	1,20,025-68	(5) मुल्तानी मिट्टी	3,18,313-97
7. ब्रिक्स अर्थ एण्ड ओरडीनरी क्ले	5,71,536-33	(6) साल्टपीटर	58,012-00
8. खाड़िया मिट्टी	3,587-50	(7) ब्रिक्सअर्थ एण्ड ओरडीनरी क्ले	4,12,79[illegible]-08
9. ग्रेनाईट	13,390-00	(8) खड़िया मिट्टी	1,792-60
योग ..	1,50,52,809-23	योग..	1,56,34,137-82
(स) विभागीय परियोजना			
1. सेल ऑफ टंगस्टन	6,77,690-50	सैल ऑफ रोकफोसफेट	2,60,47,331-00
2. सेल ऑफ रोकफोसफेट	2,72,34,352-34	(घ)-विविध	8,10,524-05
योग ...	2,79,12,042-84	कुल योग...	5,27,92,185-00
(द) विविध	9,80,421-43		
कुल योग..	5,22,65,924-02		

खनिजानुसार राजस्व वर्गीकरण वर्ष 1972–73 एवं 73–74

क्र०सं०	खनिज	1972-73	खनिज	1973-74
	(अ) अप्रधान खनिज			
1.	एसबसटोस	1,38,178-57	एसबसटोस	1,23,053-06
2.	बराईटीस	63,054-82	(ए) बेराईट्स	41,877-72
3.	केलसाईट	87,959-63	(स) बेरीयल	6,125-64
4.	चायनाक्ले	1,05,195-24	केससाइट	74,882-36
5.	कोपर ओर	23,467-88	चायनाक्ले	3,06,769-31
6.	डोलोमाईट	47,389-67	पेपस्टोर	8,85,119-15
7.	ऐमरल्ड	43,977-79	डोलोमाईट	47,121-40
8.	केलसपार	60,907-69	ऐमरल्ड	9,255-80
9.	क्लोराईट	64,264-89	फायसले	67,[illegible]27-96
10.	फायरक्ले	26,751-72	फ्लोराइट	1,63,645-71
11.	गारनेट	22,218-27	फारले	48,386-38
12.	जिप्सम	17,68,703-17	गारनेट	18,806-86
13.	ग्रेफाईट	1,081-50	(ए०)-जिप्सम	21,19,077-42
14.	आयरन ओर	33,901-11	आयरनओर	1,260,00
			ग्रेफइट	—
15.	लेटराईट	5,791-93	लेटराइट	29,911-66
16.	लाइमस्टोन	17,51,546-75	लाइमस्टोन	809-22
17.	लेड जिंक व सिलवर	18,31,951-59	लेड जिंक व सिलवर	17,94,864-40
18.	माईका	3,74,713-27	माईका	22,51,277-08
19.	मेगनीज	8,848-70	मेगनीज ओर	3,59,842-01
20.	तेल ब प्राकृतिक गैस	5,180-00	तेल व प्राकृतिक	5,505-62
21.	पायराफ्लोराईट	16,909-05	पायरोफलाईट	3,224-49
22.	पायराईट	6,472-00	पायराईट्स	6,466-40
23.	क्वार्टस	44,712-31	क्वार्टस	35,166-32
24.	राकसफाफेट	7,34,493-45	रोककोसफेट	7,15,783-41
25.	लाल व पीला ओकर	13,935-61	लाल व पीला ओकर	15,583-80
26.	सोपस्टोन	9,30,374-93	सोपस्टोन	10,36,901-06
27.	स्लेट स्टोन	2,482-50	पलेट स्टोन	5,208 89
28.	सिलिकासेन्ड	96,119-25	सिलिकासेन्ड	1,07,545-85
29.	सेलेनाईट	28,733-13	सेलेनाईट	3,681-75
30.	अतिरिक्त खनिज	1,393-60	बुलस्टोनाईट	5,525-00
			मगनेसाईट	276-80
	योग ..	83,40,650-52	योग ..	1,03,00,192-13

STATEMENT SHOWING THE POSITION OF EXPENDITURE FOR THE YEAR, 1972-73 and 1973-74.

HEAD	1972-73
27—Scientific Department Plan and N. P.	
A (1) Direction and Superintendence N. P.	40,53,897
Charged	27,047
A (1) Direction Plan	4,90,920
A (2) DRC NP	4,98,355
A Tungesten Project N. P.	4,80,986
A (4) (4) N. P. Survey & Prospecting	2,47,646
Tungesten N. P.	23,309
A (4) (4) Plan	2,43,250
A (5) (6) Q. I. N. P.	11,366
A (6) (7) Phosphots	9,84,865
A (5) (6) Q. I. Plan	70,203
96 Capital Outlay	28,14,454
103 Capital Outlay	6,53,017
Q. I. & Loans.	75,000
Stationery & Printing	30,000
124 Capital Outlay Rock & Phosphate J. M. K.	1,12,75,300
Total ..	2,19,79,695

HEAD	1973-74
A (1) (1) Direction and Superintendence N. P.	40,50,526
A (2) D. R. C. N. P.	6,14,026
Tungesten N. P.	6,55,328
A (5) (6) Q. I. N. P.	9,364
A (4) (4) N. P.	3,02,566
A (i) (ii) Direction & Superintendence	7,70,134
A (3) Tunesten Plan	18,684
A (4) (4) Plan	2,51,159
A (5) (6) Q. I. Plan	58,321
A (6) (7) Phosphate	10,64,994
96 Capital Outlay	15,81,608
103 Capital Outlay	17,43,927
Q. I. Loans	98,850
Stationery & Printing	25,000
124 Capital Outlay Rock Phosphate J. M. K.	1,40,60,168
Total ..	6,42,49,655

खण्ड व उपखण्ड अनुसार वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 की आय का विवरण

कार्यालय का नाम	वर्ष 1972–73	वर्ष 1973-74
1. निदेशालय, उदयपुर	72,783	57,606
2. खनि अभियन्ता, उदयपुर	37,21,421	40,80,178
3. सहायक खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	3,07,631	5,07,016
4. खनि अभियन्ता, जयपुर	20,37,674	27,77,217
5. सहायक खनि अभियन्ता, अलवर	8,68,926	10,20,351
6. खनि अभियन्ता, जोधपुर	29,85,875	30,26,707
7. खनि अभियन्ता, बीकानेर	18,73,670	18,28,347
8. सहायक खनि अभियन्ता, मकराना	16,42,500	18,06,735
9. खनि अभियन्ता, कोटा	35,36,816	40,23,664
10. खनि अभियन्ता, सवाई माधोपुर	29,58,918	31,21,229
11. सहायक खनि अभियन्ता, भरतपुर	9,94,055	11,70,385
12. खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	6,24,618	6,55,000
13. सहायक खनि अभियन्ता, बिजोलिया	24,21,356	23,64,663
14. खनि अभियन्ता, अजमेर	3,57,638	2,95,756
15. टंगस्टन परियोजना	6,77,690	— —
16. झामरकोटड़ा परियोजना	2,87,22,259	3,20,91,467
योग ..	5,37,73,830	5,88,26,321

परिशिष्ट 5

(ता० प्र० सं० 94 की सूची)

सूची उन व्यक्तियों की जिनके मामलों में आवंटन अधिकारियों द्वारा अनियमित आवंटन अर्थात् नियमों के अन्तर्गत आवंटन नहीं करने के कारण आवंटन आदेश खारिज करने के आदेश प्रसारित किये गये।

क्र० सं०	नाम व्यक्ति जिसका आवंटन खारिज किया गया	विवरण
1	2	3
1.	फूलचन्द आ० वरदा मीना साकिन वन्दा तह० अकलेरा	
2.	श्री हीरा आ० पन्ना मीना सा० वन्दा तह० अकलेरा	
3.	नारायन आ० मंगला मीना सा० वन्दा तह० अकलेरा	
4.	कल्ला आ० भैरू मीना सा० वन्दा तह० अकलेरा	
5.	बालम आ० देव लाल मीना ,,	भूमि धरनोट की होने से (क्र० सं० 1 से 8)
6.	गुलाब आ० गोरी लाल मीना ,,	
7.	श्री वरदीलाल आ० गणेश चमार ,,	
8.	प्रताप आ० भंवरलाल चमार ,,	
9.	वरदा आ० भूरा जी चमार सा० रातोलिया तह० पिड़ावा	
10.	रामचन्द्र आ० जगन्नाथ शर्मा सा० खाडिलिया तह० गंगधार	भूमिहीन नहीं होने से
11.	श्री रतनलाल आ० बाबूलाल गंगाबाई सा० कडोदिया (प्रार्थी श्री बापूलाल ने एडवाइजरी कमेटी में स्वयं के हस्ताक्षर किये अन्य किसी के हस्ताक्षर नहीं किये गये थे)	
12.	धला आ० गणेश मीना सा० खानपुरिया तह० अकलेरा	भूमिहीन नहीं होने से
13.	श्री हजारी आ० मायाराम चमार सा० छोनडिया का पुरा तह० अकलेरा	कब्जा लेने से इन्कार
14.	श्री भैरालाल आ० खेमा मीना सेदरी तह० अकलेरा	
15.	माधो आत्मज खेमा चमार सा० पचोला तह० खानपुर	
16.	नारायन आ० वरधा मीना साकिन दपलोदी तह० अकलेरा	कब्जा नहीं लेने से
17.	भंवरलाल आ० मोधा मेहर उदपुरा तह० अकलेरा	
18.	दोला आ० उदा चमार सा० चोदेसा तह० अकलेरा	भूमिहीन नहीं होने से
19.	वरधीलाल आत्मज लाल चंद मेहर परेट भाई आमेठा	
20.	गोपी आत्मज सूरमा मीना सा० कोटडी जागीर तह० अकसेरा	कब्जा नहीं लेने से
21.	श्री प्रभू आ० अमरिया केल सा० जामुनिया तह० अकलेरा	
22.	भैरु आ० बीरया भील सा० जामुनिया उर्फ मन्डेरी तह० अकलेरा	

1	2	3
23.	कन्हैया लाल ग्रा० देवा, चमार, साकिन बांला तह० अकलेरा—भूमिहीन नहीं होने से	
24.	कल्याणसिंह आ०, नन्दसिंह, राजपूत, तह० खानपुर—भूमिहीन नहीं होन से	
25.	काना धूला, चमार, सा० खेडी बौसर, तह० खानपुर	
26.	प्रभू लाल ग्रा० मांगी लाल चमार, सा० खेडी बौसर, तह० खानपुर	
27.	श्री रमेश चन्द्र ग्रा० राम गोपाल, माणक चन्द ग्रा० रामनाथ, महाजन, तह० खानपुर	
28.	श्री केसरा ग्रा० विरदी लाल, चमार, सा० खेडीबौसर	
29.	श्री रघुनाथ ग्रा० मोती, गुजर, सा० हरीगढ़ तह० खानपुर	
30.	श्री भंवर लाल ग्रा० रतन लाल, भील, सा० खानपुर —कब्जा नहीं होने से	
31.	श्री हीरा आत्मज भंवर लाल, बलाई, सा० जौलगा	
32.	श्री बद्री लाल आ० रतन लाल, चमार, सा० चान्दनियाखेडी —भूमिहीन नहीं होने से	
33.	श्री बलराम ग्रा० लटूर लाल, पाकड सा० पचेपला, तह० खानपुर—भूमिहीन नहीं होने से	
34.	श्री द्वारका लाल ग्रा० चम्पा लाल, भील, सा० काकड़दा, तह० खानपुर	
35.	श्री भैरु लाल ग्रा० मादु लाल, ब्राह्मण, सा० मोगरा	
36.	श्री किशन गोपाल ग्रा० जगन्नाथ, मीणा, सा० माहेडा, श्री कन्हैया लाल ग्रा० जगन्नाथ, बछलाई, तह० अकलेरा	
37.	श्री भंवर लाल, ग्रा० देवा, मेहरा, सा० झिरी, तह० अकलेरा	
38.	श्री पूरी लाल ग्रा० नन्दा, भील, साकिन उछलाई	
39.	श्री रतना ग्रा० ग्यारसा, चमार, भैरूपुरा	
40.	श्री भीगीरथ ग्रा० कंवर लाल, बागरी, सा० लालगांव, तह० चिडावा	
41.	बापू आ० धन्ना, चमार, सा० खेजडिया, तह० पिडावा	
42.	कचरू ग्रा० देवा, चमार, सा० हुडमतिया, तह० गंगधार	
43.	श्री मथुरा ग्रा० ग्यारसिया, चमार, सा० भेरूपुरा, तह० खानपुर	
44.	श्री गोपाल ग्रा० विरधा, चमार, सा० भटकडी, तह० खानपुर	
45.	श्रीमती पारो बेवा बापू, बलाई, सा० डग, तह० गंगधार	
46.	श्री प्रभू ग्रा० ग्यारसी राम, चमार, सा० वारज, तह० खानपुर	
47.	श्री किशन ग्रा० माना, चमार, सा० खेरखेडा, तह० खानपुर	
48.	श्री कालू ग्रा० देव लाल, चमार, सा० धनवाड	
49.	श्री किशन ग्रा० गोपाल लाल, मीना, सा० कैथूनी, तह० खानपुर	
50.	गोपाल किशन ग्रा० विरधा, मीना, सा० जरगा	
51.	जगन्नाथ आ० भंवर लाल, मीणा, सा० अलनागर, तह० पाटन —भूमिहीन नहीं होने से	
52.	श्री भंवर लाल ग्रा० भैरु लाल, मेहरा, सा० हरीगढ, तह० खानपुर	
53.	श्री लक्ष्मण ग्रा० धन्ना लाल, मीना, सा० कोमी, तह० खानपुर—आवंटित भूमि बेच देने से	
54.	श्री मांगीलाल ग्रा० हीरालाल, गूजर, सा० बरेड़ी, तह० दाटन	
55.	श्री गोविन्दा ग्रा० नेनगा, चमार, सा० तारज	

1	2	3
56.	श्री भैरु लाल आत्मज घासी लाल, मेहर, सा० खानपुर	
57.	श्री आसा आ० मिसरी, रेबारी, सा० ढाणी	
58.	श्री हर लाल आ० हीरा लाल, गुजर, सा० जोलरा, तह० खानपुर	
59.	श्री सदुर आ० भैरुलाल, बलाई, सा० सारोलाखुर्द	
60	श्री शंभू सिंह आ० भैरू सिंह, राजपूत, सा० हतोली	
61.	श्री शंकर लाल आ० शौला, भील, सा० धोरहानऊ	
62.	श्री कजोढ आ० देव लाल, चमार, सा० सनवाड़	
63.	श्री भैरू लाल, चमार, सा० कंवरपुरा	
64.	श्री राम लाल आ० गैंदी लाल, सा० सन्ठी	
65.	श्री भंवर सिंह आ० चन्द्र सिंह, राजपूत, अकावदखुर्द	
66.	श्री भंवर सिंह आ० मनोहर सिंह, सा० टोडलिया	
67.	श्री भैरु लाल आ० राम लाल, मीणा, सा० केथूनी	
68	श्री राम कल्याण आ० गिरधारी, मीना, सा० दोवडा, तह० खानपुर	
69.	श्री बजरंग सिंह आ० जगदीश सिंह, सा० हतोली	
70.	श्री नाथू आ० माधो भीला, सा० गोलाना, तह० खानपुर—भूमि कमाण्ड ऐरिया की होने से	
71.	श्री सबराती आ० मिठू, मुसलमान, नागेनिया, तह० खानपुर—भूमिहीन नहीं होने से	
72	श्री माधो लाल आ० आसा राम, पंचरावा, तह० खानपुर	
73.	श्री सुवा आ० गोंदी लाल, चमार, सा० दहीखेडा, तह० खानपुर	
74.	श्री देवीलाल आ० मोदा, चमार, सा० नागयुरिया—कब्जा लेने से इन्कार	
75.	श्री छोटेलाल आ० बसन्ती लाल, नाई, मण्डावर	
76.	श्री प्रभू लाल आ० देवी लाल, चमार, गुरांडी, तह० अकरेला	
77.	श्री नारायण आ० हीरा लाल, मीणा, सा० बरेंडी, तह० बकरेला	
78.	श्री ओंकार आ० माली, सा० जरगा, तह० खानपुर	
79.	श्री रामा आ० नाथू, सा० बरेल, तह० पाटन	
80.	श्री गोपी आ० सीता, सा० गिरधरपुरा—कब्जा लेने से इन्कार	
81.	श्री रोड आ० देवा, सा० गुराड़ीकला	,,
82	श्री भूरा आ० रतन, बलाई, गुराड़ीकलां	,,
83	श्री मोती आ० देवा, चमार, सा० बुडमण्डावर, तह० पाटन	,,
84.	श्री किशन वल्द देवा, बूडमण्डावर	,,
85.	श्री मथुरा लाल देवा लाल	,,
86	श्री पन्ना लाल आ० ओंकार, चमार	,,
87.	श्री गजानन्द आ० भंवर लाल, भील, सा० गोरधनपुरा	,,
88.	श्री बाला आ० हरलाल बलाई, नि० गोरधनपुरा	,,

1	2	3
89.	श्री मोतीलाल हरलाल चमार नि० गोरधनपुरा	कब्जा लेने से इन्कार
90.	घासीलाल ग्रा० भीया,लोधा, सा० मालकी डूंगरी	,,
91.	शंकरलाल ग्रा० धूरी लाल, चमार, सा० बरेडी, तह० पाटन	,,
92.	श्री मांगीलाल ग्रा० धली लाल, सा० वरेडी	,,
93.	श्री किशन ग्रा० कालू, सा० वरेडी	,,
94.	श्री ग्रमरा ग्रा० धूली लाल, सा० ,,	,,
95.	श्री नानू राम ग्रा० धूली लाल, सा० ,,	,,
96.	श्री लट्टूर ग्रा० योरिया, झालावाड़	,,
97.	श्री धूली लाल ग्रा० मोती लाल, सा० वरेडी	,,
98.	श्री घासी लाल ग्रा० भागचन्द, सा० साल की डूगरी	,,
99.	श्री रूघनाथ सा० पन्ना, सा० गिरधरपुरा	,,
100.	श्री कंवर लाल ग्रा० रामा, सा० ,,	,,
101.	श्री ग्रमर लाल ग्रा० भंवर लाल, सा० ,,	,,
102.	श्री जगन्नाथ ग्रा० कालू, सा० थानोदा	,,
103.	श्री वाला ग्रा० भैरू, सा० थानोदा	,,
104.	श्री प्रभू लाल ग्रा० कंवर लाल, सा० गिरधरपुरा	,,
105.	श्री वाला ग्रा० काना, सा० ,,	,,
106.	श्री देवीसिंह ग्रा० ग्रर्जुनसिंह, सा० कलमंडीकला	,,
107.	श्री कंवरलाल ग्रा० कनीराम, साकिन डावली	,,
108.	श्री बंशीलाल ग्रा० बेरालाल, सा० धनवाड़ा (झालावाड़)	,,
109.	श्री कंवरलाल ग्रा० ग्रोंकार, साकिन डूंगरगांव	,,
110.	श्री गोविन्दलाल ग्रा० ग्रौंकार लाल, साकिन डूंगरगांव	,,
111.	श्री पूरीलाल ग्रा० देवा, बालदिया, सा० रूपपुरा	,,
112	श्री ग्रमरलाल ग्रा० ढोला, सा० ढावली	,,
113.	श्री मोहनलाल ग्रा० मांगीलाल, झालावाड़	,,
114.	श्री भेरूलाल ग्रा० मांगीलाल, झालावाड़	,,
115.	श्री कनोड ग्रा० कालू, सा० वरेडी	,,
116.	श्री मूलचन्द ग्रा० सीता, सा० घानोदा	,,
117.	श्री मिसरीलाल ग्रा० देवलाल, पाटन	,,
118.	श्री देवा ग्रा० नन्दा मीना, तेलियाबेडी	,,
119.	श्री गनेश ग्रा० धन्ना, गोविन्दपुरा	,,
120.	श्री प्रभूलाल ग्रा० लाला, भील, मण्डावर	,,
121.	श्री उदा ग्रा० किशना, चमार, सा० गिरधरपुरा	,

1	2	3
122.	श्री भेरू ग्रा० ओंकार, सा० देवगढ़	कब्जा लेने से इन्कार होने पर
123.	श्री भेरू ग्रा० भुदान, सा० देवगढ़	,,
124.	श्री भग्गा ग्रा० पूरा बागरी, सा० ,,	,,
125.	लक्ष्मण ग्रा० कालू नि० देवगढ़	
126.	रामा ग्रा० काना ,,	आवंटन निरस्त किया गया ।
127.	अग्गा ग्रा० गलाब ,,	
128.	गांगू ग्रा० लछमन ,,	
129.	भैरू ग्रा० देवा बागरी ,,	
130.	फल्ला ग्रा० भागा ,,	
131.	रतन ग्रा० जुझार ,,	
132.	गंगा ग्रा० ढोला, बागरी ,,	
133.	सिंधू ग्रा० मोती नट ,,	
134.	श्री अमरा ग्रा० सरूप बागरी, नि० देवगढ़, तह० मंगधार	कब्जा लेने से इन्कार होने पर आवंटन निरस्त किया गया ।
135.	राम ग्रा० नवल बलाई ,,	
136.	काना आत्मज ओंकार ,,	
137.	हीरा ग्रा० चम्पा ,,	
138.	मोती ग्रा० धूलजी ,,	
139.	राम ग्रा० ओंकार ,,	
140.	हीरा ग्रा० चम्पा ,,	
141.	प्यारा ग्रा० ओंकार ,,	
142.	उदा ग्रा० देवा नट ,,	
143.	भं[illegible] ग्रा० छीतर ,,	
144.	श्रीमती पानीबाई देवा कवरू ,,	
145.	नग्गा ग्रा० ओंकार ,,	
146.	काना ग्रा० नाथू ,,	
147.	दौला ग्रा० धूला	
148.	गंगूल आत्मज चम्पा ,,	
149.	माधो ग्रा० गंगा ,,	
150.	पूरा ग्रा० हीरा ,,	
151.	हजारी ग्रा० गुलाब हरिजन	कब्जा लेने से इन्कार होने पर आवंटन निरस्त किया गया ।

सूची "अ"

तहसील गंगवार में 9 व्यक्तियों को नियमन किये गये व्यक्तियों की सूची

क्र. सं	नाम	रकबा	दिनांक
1.	अमरा पुत्र रूपा बांगरी	15 बीघा	12-9-74
2.	कचरू पुत्र माधो बांगरी	,,	,,
3.	अमरा पुत्र नारायण बांगरी	,,	,,
4.	भागा पुत्र माधो बागरी	,,	,,
5.	भागा पुत्र सालम बागरी	,,	,,
6.	रामा पुत्र गोपाल बलाई	,,	,,
7.	लाला पुत्र गोपाल बलाई	14 बीघा 3 बिस्वा	,,
8.	साया पुत्र गोपाल बलाई	15 बीघा	,,
9.	भोलीबाई विधवा भावा बलाई	8 बीघा 3 बिस्वा	,,
	कुल ..	127 बीघा 6 बिस्वा	

परिशिष्ट 6

(अता० प्र० सं० 37 की सूची)

प्रपत्र 1

राजस्थान नहर क्षेत्र में बनाई जाने वाली मण्डियों की सूचना मय क्लास निम्न प्रकार है: –

क्लास 'अ'

1. हनुमानगढ़ जं.
2. हनुमानगढ़ टाऊन
3. सूरतगढ़

क्लास 'ब'

4. रावतसर
5. अनूपगढ़
6. जेतसर
7. छतरगढ़
8. श्री विजयनगर
9. पूगल

क्लास 'सी'

10. टी. बी.
11. बड़ोपल
12. धड़साना
13. गोविन्दसर
14. ढावा
15. दत्तोर
16. वीरमाना
17. रमजानवाला
18. रामसिंहपुर
19. अनूपगढ़-रायसिंहनगर एवं जेतसर-सलीमपुर सड़क क्रोसिंग:—

प्रपत्र 2

जिन मंडियों की सूची प्रपत्र-1 में दी गई है उसमें से निम्न छः मंडियों के मास्टर प्लान व विस्तृत योजनाओं के नक्शे संलग्न हैं:—

1. हनुमानगढ़ जं.
2. हनुमानगढ़ टाऊन
3. सूरतगढ़
4. अनूपगढ़
5. रावतसर
6. धड़साना

परिशिष्ट 7

(अता० प्र० सं० 38 की सूची)

वर्ष 1974-75 में खोले गये आयुर्वेदिक औषधालय

औषधालय का नाम	जिला
(1) जस्सूसर	बीकानेर
(2) गोगा गेट	बीकानेर
(3) थावरिया	बीकानेर
(4) कोलासर	बीकानेर
(5) झाग	जयपुर
(6) नांगल भरड़ा	जयपुर
(7) अनंतपुरा	जयपुर
(8) खिया सरिया	जोधपुर
(9) टेबू	जोधपुर
(10) हसासर	झुन्झुनूं
(11) आकड़ धाद	भीलवाड़ा
(12) छापडा खुर्द	जयपुर
(13) साइवाड़	जयपुर
(14) धमोरी घाटा	जयपुर
(15) बिसनीया	भीलवाड़ा
(16) दूधिया	बाड़मेर
(17) सलांवड़	भरतपुर
(18) सागरिया	बांसवाड़ा
(19) कूचोली	उदयपुर
(20) बड़वर	झुन्झुनूं
(21) नोसेरा (साबरदा की ढाणी)	बीकानेर
(22) सारवारा	बीकानेर
(23) मोहन मगरिया	गंगानगर
(24) जोरावरपुरा	गंगानगर
(25) चाहूंवली	गंगानगर

परिशिष्ट 8

(प्रता० प्र० सं० 54 की सूची)

वर्ष 1974-75 में किये गये कार्यों की विवरण सूची

	कार्य का विवरण	बीकानेर जिले में स्थान	क्षेत्र हैक्टर में	व्यय (रुपये लाखों में)
(क)	1. राजस्थान नगरों के किनारे वृक्षारोपण	मुख्य नहर	200	1.80
	2. राजस्थान नहरों के किनारे वृक्षारोपण हेतु अग्रिम कार्य	"	600	1.50
	3. ईंधन उपयोगी वृक्षों का रोपण निकट कार्य	आबादी के	60 (पांच आबादी)	0.15
	4. चरागाह सुधार कार्य	—	500	1.75

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र योजना के अन्तर्गत

	स्थान	क्षेत्रफल हैक्टर	व्यय (रुपये लाखों में)
1 चरागाह सुधार का कार्य	1. लूनकरणसर 2. नलासर	550 550	3.00
2. संधारण चरागाह सुधार	1. ओड धोड कोटड़ी 2. नयासर	700 600	0.75
3. पौधशालाओं का संवारण	1. गढ़वाला 2. नोखा	— —	0.10 0.10

शुद्धि-पत्र

(सोमवार दिनांक 24 फरवरी, 1975)

क्रम सं	स्कम्भ सं०	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	17	नीचे से 1	सीरियलस	सीरियस
2.	33	ऊपर से 6	देंगे	दूंगा
3.	40	नीचे से 15	जाता।	जाता
4.	65	ऊपर से 1	स्गन	स्थगन
5.	69	ऊपर प्रथम-पंक्ति से ऊपर	(श्री केशरीमल)	(श्री योगेन्द्रनाथ-हांडा)
6.	75	नीचे से 8	अधिसूना	अधिसूचना
7.	94	नीचे से 1	खुन	खून
8.	95	नीचे से 9	सकती।	सकती थी।
9.	95.	नीचे से 3	वठाय	वैठायें।
10.	99	ऊपर से 9	अनुकुल	अनुकूल
11.	104	ऊपर से 16	आए	आइए
12.	105-106	शीर्षक में (ऊपर)	1915	1975
13.	106	ऊपर से 6	ने	को
14.	107	ऊपर से 12	है-	हूं
15.	115	ऊपर से 5	श्री	श्री
16.	150	ऊपर से 13	मोहनाल	मोहनलाल
17.	150	नीचे से 8	प्रस्ताय	प्रस्ताव
18.	156	ऊपर से 1	गिरधरीलाल भर्गव	गिरधारीलाल भार्गव
19.	163	नीचे से 2	सइके	इसके
20.	184	ऊपर से 5	योगेन्द्रएाथ	योगेन्द्रनाथ
21.	190	ऊपर से 9	एस्वादड	स्क्वैड
22.	194	ऊपर से 10	boths"	both"
23.	199	नीचे से 3	ह	हैं
24.	204	नीचे से 5	की	के
25.	204	नीचे से 2	आपसी	आपसे

2

1	2	3	4	5
26.	207	ऊपर से 4	समब	समय
27.	265	ऊपर से 16	हमगें	मंहगे
28.	293	नीचे से 1	यह	मैं यह
29.	301	ऊपर से 4	परिचलित	परिचालित
30.	330	ऊपर से 1	उर	उत्तर
31.	331	नीचे से 6	और उन्ही	?
32.	343	नीचे से 10	Tunesten	Tungesten